Azadi Ka Amrit Mahotsav

SPICES BOARD 35 Glorious Years 1987- 2022

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2021-22

स्पाइसेस बोर्ड भारत

स्पाइसेस बोर्ड भारत
SPICES BOARD INDIA
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
भारत सरकार
Government of India
कोचिन / Cochin – 682 025

Export of Indian Spices
1987 - 2022

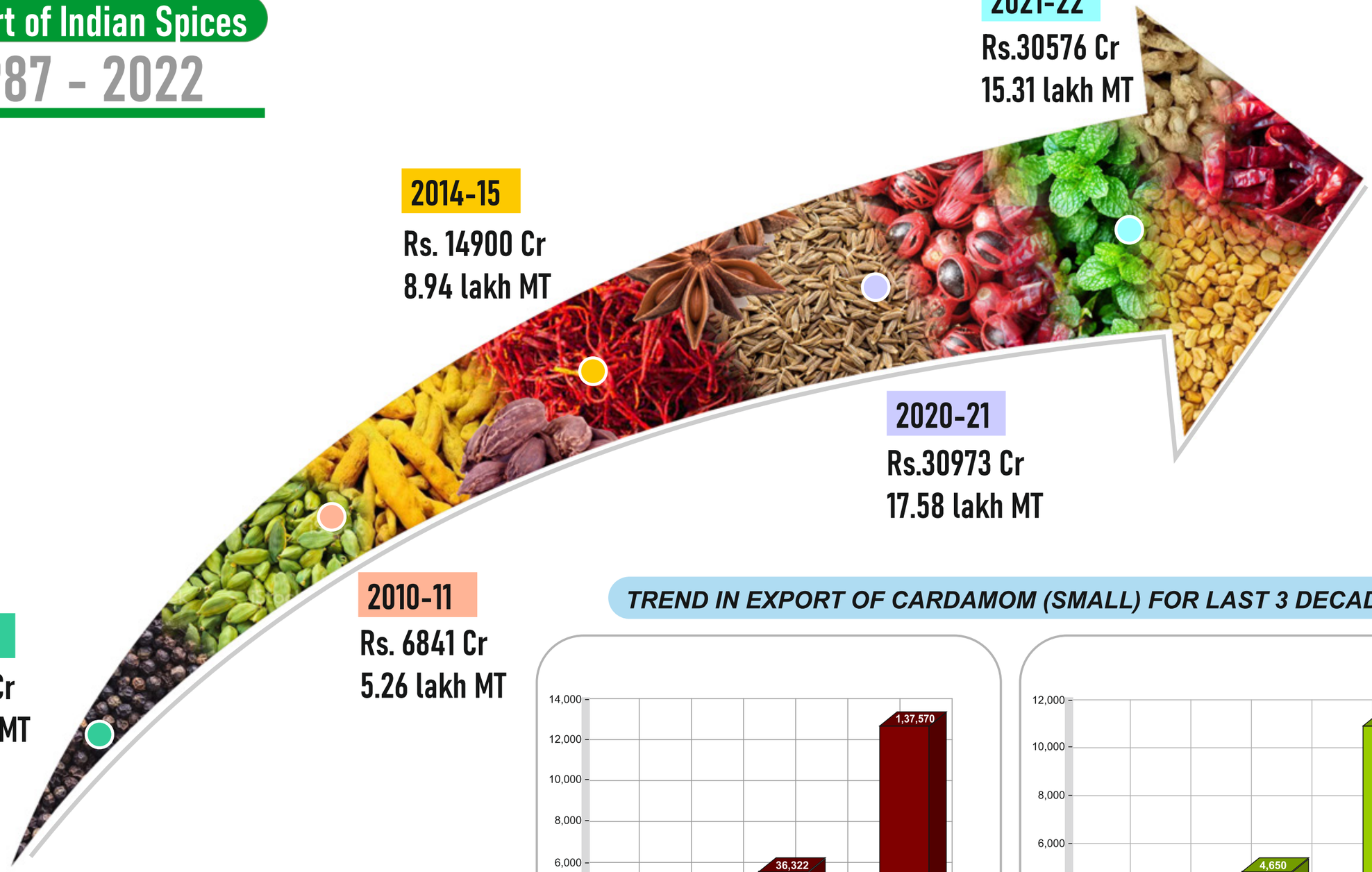

1987-88
Rs. 298 Cr
0.7 lakh MT

2010-11
Rs. 6841 Cr
5.26 lakh MT

2014-15
Rs. 14900 Cr
8.94 lakh MT

2020-21
Rs.30973 Cr
17.58 lakh MT

2021-22
Rs.30576 Cr
15.31 lakh MT

TREND IN EXPORT OF CARDAMOM (SMALL) FOR LAST 3 DECADES

Between 2013-2022,
India's spices exports increased by 87 % in volume and 123% in value (Rs.) & 81% in value (USD) – CAGR of 8% in volume, and 10.5% in value (Rs.) & 8% in value (USD)

Spices export now contributes 9% to the total Agri-export basket and over 40% of India's horti exports

50% share of value added products in exports.

6500 + exporters
(750 + manufacturers)

Mission Clean Spices
Collaborative projects for promotion of INDGAP Certification through QCI, NSSP with Industry, STDF (WTO and FAO) project on improving spice value chain.

The Indian Cardamom Research Institute (ICRI) - release of superior varieties of small (8) & large cardamom (2)

Weather Based Crop Insurance Scheme for Cardamom
Project to support the cardamom farmers initiated in 2021-22 in the cardamom tracts of Idukki district.

Large Cardamom
Increase in Productivity– 96 kg/ha in 1987 to 279.45 kg/ha in 2021-22

Increase in Production – 3250 MT in 1987 to 8812 MT in 2021-22

Small Cardamom
Increase in Productivity – 46 kg/ha in 1987 to 500.59 kg/ha in 2021-22

Increase in Production – 3200 MT in 1987 to 23340 MT in 2021-22

GI Tag for Indigenous Spices

Codex Committee
on Spices and Culinary Herbs

स्पाइस्तेस्त बोर्ड
भारत

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, पोस्ट बॉक्स नं. 2277, पालारिवट्टम पी.ओ.,
एरणाकुलम - 682 025
www.indianspices.com

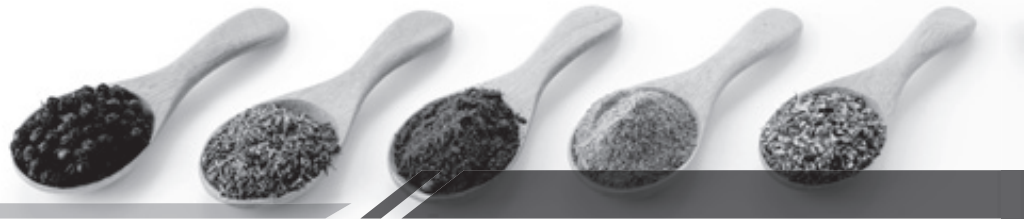

संकलन एवं संपादन

श्री जोजी मात्यू
उप निदेशक

श्री नितिन जो
उप निदेशक

श्री टी. पी. प्रत्यूष
उप निदेशक

श्री बिजू डी. षेणाई
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

सुश्री अनीनामोळ पी.एस.
संपादक

तकनीकी समर्थन
श्री आर. जयचंद्रन
ईडीपी सहायक

विषय सूची

स्पाइसेस बोर्ड की प्रवाल जयंती - एक पुनर्कथन 05

कार्यकारी सारांश 08

1. संघटन और प्रकार्य 13
2. प्रशासन 16
3. वित्त और लेखा 22
4. निर्यातोन्मुख उत्पादन 23
5. निर्यात विकास और संवर्धन 33
6. व्यापार सूचना सेवा 53
7. प्रचार एवं संवर्धन 61
8. कोडेक्स सेल और हस्तक्षेप 64
9. गुणवत्ता में सुधार 66
10. निर्यातोन्मुख अनुसंधान 70
11. सूचना प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रक्रमण 75
12. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन 77

भविष्य की ओर 78

परिशिष्ट

1. सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2021-22 के खंड 80

स्पाइसेस बोर्ड की प्रवाल जयंती-एक पुनर्कथन
राष्ट्र की सेवा में स्पाइसेस बोर्ड 35 यशस्वी वर्ष पूरा कर रहा है

स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारतीय मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली अग्रणी संगठन, 1987 में अपनी स्थापना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय मसाला आयातकों और भारतीय निर्यातकों के बीच संबंध जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है। छब्बीस फरवरी 2022 को, स्पाइसेस बोर्ड इंडिया ने राष्ट्र की सेवा में 35 यशस्वी वर्ष पूरे किए।

मसाला बोर्ड का गठन मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के तहत भूतपूर्व इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद के विलयन से किया गया था। तब से बोर्ड, भारतीय मसालों और मसाला उद्योग की उत्कृष्टता के लिए और मसाला क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशों के आयातकों के बीच एक प्रभावी कड़ी रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड ने अपनी पहुंच का विस्तार किया और मसाले क्षेत्र की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ फैल गया। वर्ष 2020 में सफल पुनसंरचना के साथ बोर्ड एक लीन और सक्षम संगठन में बदल गया है।

विश्व स्तर पर, भारतीय मसाले अपने उत्कृष्ट सुवास, स्वाद, सुगंध और कुछ मामलों में, उनके औषधीय और न्यूट्रास्यूटिकल गुणों के कारण सबसे अधिक लोकप्रिय बने हुए हैं। भारत की ताकत मसालों में उनके विविध उत्पादन आधार है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा सूचीबद्ध 109 मसालों में से 75 का उत्पादन करता है, जिसे दुनिया का मसाला कटोरा कहा जाता है। भारतीय मसाले निर्यात बास्केट भी 225 मसाले एवं मसाला उत्पादों के साथ विविध और जीवंत है जो 180 से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। भारतीय मसाला निर्यात भारत के कुल कृषिनिर्यात का नौ प्रतिशत और भारत का उद्यानिकी निर्यात का 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है।

बोर्ड के सक्रिय एवं नव प्रवर्तनकारी हस्तक्षेप विश्व मसाला व्यापार में भारत का नेतृत्व बनाए रखने एवं सुदृढ बनाने में योगदान दिया। भारत मसालों और मसाला उत्पादों का प्रमुख उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक बना हुआ है और मसालों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। बोर्ड पणधारियों की सभी श्रेणियों; मसाला उत्पादक, निर्यातक, आयात करने वाले देशों के व्यापार संवर्धन और नियामक निकाय, अंतरसरकारी संगठन आदि के साथ मिलकर काम करता है। भारतीय मसाला उद्योग का लक्ष्य मसालों के प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धन के लिए वैश्विक केंद्र और औद्योगिक और खुदरा क्षेत्रों के स्वच्छ एवं सुरक्षित और मूल्य वर्धित मसाले और मसाला उत्पादों के प्रमुख प्रदायक बनना है।

भारतीय मसाला उद्योग का उद्देश्य मसालों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए वैश्विक केंद्र और वैश्विक मसाला बाजार के औद्योगिक और खुदरा क्षेत्रों में स्वच्छ, सुरक्षित और मूल्य वर्धित मसालों और मसालों के उत्पादों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनना है।

मसाला क्षेत्र में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा पिछले 35 वर्षों में प्राप्त /किए गए कुछ प्रमुख उपलब्धियां/हस्तक्षेप इस प्रकार हैं:

- भारत से मसालों का निर्यात पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। निर्यात ने पहली बार 2020-21 के दौरान 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक सीमा चिह्न को पार किया। मसाला निर्यात वर्ष 1987 के 229.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। रुपये के संदर्भ में,

यह वृद्धि वर्ष 1987 में 300 करोड़ से वर्ष 2022 में 30576 करोड़ हो गया है। इस अवधि के दौरान, भारत मसाला प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है।

- एक ही हब में किसानों और निर्यातकों कि निर्यात इकाइयों के लिए सामान्य प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन सुविधाएं लाने के लिए पूरे भारत में आठ अत्याधुनिक मसाना पार्कों की स्थापना की।
- उत्पादन/निर्यात केंद्रों के दरवाज़े पर सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएँ लाने के लिए पूरे भारत में आठ अत्याधुनिक मसाला पार्कों की स्थापना की।
- आयातक देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता आकलन करने एवं प्रमाणित करने के लिए प्रमुख अत्पादन/ प्रसंस्करण/ निर्यात केंद्रों में आठ गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ स्थापित की।
- अंतर्राष्ट्रीय मसाला उद्योग के लिए व्यापार अभिसरण के अग्रणी मंच, 'वॉल्ड स्पाइस कॉन्ग्रेस' एक द्विवार्षिक कार्यक्रम, प्रारंभ किया और भारत के विभिन्न शहरों में अभी तक 13 संस्करण आयोजित किया।
- बोर्ड के अथक प्रयास के परिणामस्वरूप 2014 में मसाले एवं शाकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दिशानिर्देशों और प्रथाओं के कोड विकसित करने के लिए एफएओ और डबल्यूएचओ के तहत अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग, रोम के तहत मसाले एवं पाक शाकों पर एक विशिष्ट कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच) की स्थापना हुई। भारत समिति की अध्यक्षता करता है और बोर्ड इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। अब तक, पाँच सीसीएससीएच सत्रों में, आठ मसालों के लिए गुणवत्ता मानक विकसित किए गए ह काली/सफेद/हरी कालीमिर्च, जीरा, थाइम, लहसुन, लौंग, ओरगेनो, तुलसी और अदरक।
- भारतीय मसाला क्षेत्र 26 स्वदेशी मसाला किस्मों के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) पंजीकरण का दावा करता है और कई अन्य के लिए क्षमता रखता है। स्पाइसेस बोर्ड ने पाँच मसालों के लिए जीआई पंजीकरण प्राप्त किया है; एलेप्पी ग्रीन कार्डमम, कुर्ग ग्रीन कार्डमम, मलबार पेप्पर, गुंटूर सन्नम मिर्च और ब्यादगी मिर्च।
- मसालों की उन्नति के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ प्रमुख सहयोगी उत्पाद प्रारंभ किया जैसे भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ आईएनडीजीएपी (अच्छी कृषि प्रथाएँ); भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मज़बूत करना और डबल्यूटीओ और एफएक्यू के एसटीडीएफ के साथ क्षमता निर्माण एवं नव प्रवर्तनकारी हस्तक्षेप के द्वारा बाज़ार पहुंच सुधार करना; विश्व मसाला संगठन (डबल्यीएसओ), अखिल भारतीय मसाला निर्यातक फोरम (एआईएससीएफ), आईडीएच और जीआईज़ेड, जर्मनी के सहयोग से राष्ट्रीय सतत मसाला कार्यक्रम; यूएनडीपी की एक्सेलेरेटर लैब आदि के सहयोग से मसालों के लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का विकास।
- भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, बोर्ड की अनुसंधान शाखा, ने छोटी और बड़ी इलायची की निम्नलिखित श्रेष्ठ किस्में जारी की:

  छोटी इलायचीः केरल क्षेत्र के लिए आई सी आर आई 1, आई सी आर आई 2, आई सी आर आई 5, आई सी आर आई 6, आई सी आर आई 7, कर्नाटक क्षेत्र के लिए आईसीआरआई 3, आईसीआरआई 8; तमिलनाडु क्षेत्र के लिए आईसीआरआई 4

  बडी इलायचीः आईसीआरआई सिक्किम 1 और आईसीआरआई सिक्किम 2
- वर्ष 1987 से 2022 के बीच की अवधि में छोटी और बड़ी इलायची के उत्पादन और उत्पादकता में भी वृद्धि देखी गई। छोटी इलायची का उत्पादन वर्ष 1987 के 3200 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2022 में 23340 मीट्रिक टन हो गया, जबकि इसकी उत्पादकता वर्ष 1987 के 46 किलोग्राम / हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2022 में 500.59 किलोग्राम/हेक्टेयर हो गई। इस अवधि के दौरान बड़ी इलायची के उत्पादन में 3250 मीट्रिक टन से 8812 की वृद्धि हुई। इसकी उत्पादकता वर्ष 1987 के 96 किग्रा / हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2022 में 279.45 किग्रा / हेक्टेयर हो गई।
- भारतीय मसाला क्षेत्र के हितार्थ तकनीकी प्रगति को अपनाने के लिए बोर्ड हमेशा सबसे आगे रहा है। पुट्टडी, केरल और बोडिनायकनूर, तमिलनाडु में अपने नीलामी

केंद्रों में छोटी इलायची के लिए कार्यान्वित ईनीलामी प्रणाली जिसे बाद में क्लाउड आधारित ईनीलामी में अपग्रेड किया गया, नीलामी केंद्रों को डिजिटल रूप से जोड़ा गया।

- बोर्ड ने अपने कार्यालयों के माध्यम से तेजी से और अधिक पारदर्शी अंतर सरकारी और सरकार के भीतर संचार प्राप्त करने के लिए 2013 में ईऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया।
- भारत के मसाला निर्यातकों को दुनिया भर के खरीददारों से जोड़कर स्पाइस एक्सचेंज इंडिया का प्रारंभ किया, जो एक अनूठा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निर्यात सरणीकरण के लिए मसाले व्यापार डेटा एवं एआई आधारित मैचमेकिंग के एकीकरण का दावा करता है।

स्पाइसेस बोर्ड अपनी बहुविध गतिविधियों के साथ मसाला क्षेत्र में सफलता का संश्लेषण कर रहा है जिसका उद्देश्य समग्र विकास और निर्यात में वृद्धि करना है। इन 35 वर्षों में स्पाइसेस बोर्ड की उत्तेजित यात्रा फलदायी रही है। बोर्ड लचीला एवं सक्षम कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों के द्वारा देश से मसालों के निर्यात बढ़ाने का इच्छुक है और इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए दुनिया भर के विभिन्न उपभोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च अंत मूल्यवर्धन और नए उत्पाद विकास पर अतिरिक्त जोर के साथ भारतीय मसाला उद्योग का प्रतिस्पर्धात्मक धार बनाए रखना है। बोर्ड के आने वाले वर्ष भारतीय मसाला क्षेत्र के लिए और अधिक गौरव और सफलता की शुरुआत करने वाले उत्प्रेरक बनें।

स्पाइसेस बोर्ड का प्रवाल जयंति समारोह

बोर्ड का कोरल जयंती समारोह 26 फरवरी 2022 को एक हाइब्रिड कार्यक्रम में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन श्री पीयूष गोयल, माननीय कपड़ा, वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, भारत सरकार ने किया। उद्घाटन समारोह में देश भर के मसाला किसानों और निर्यातकों ने भाग लिया और मंत्री के साथ बातचीत की, भारतीय मसाला उद्योग के भविष्य के विकास के लिए चर्चा और विचारविमर्श को बढ़ावा दिया।

श्री पीयूष गोयल ने इस आयोजन के दौरान डाक टिकट और मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोनों का शुभारंभ किया, जिसे मसाला बोर्ड के अधिकारियों, निर्यातकों, किसानों और मसाला उद्योग के विभिन्न अन्य हितधारकों की उपस्थिति में होटल मानसून एम्प्रेस, कोच्चि में समन्वयित किया गया था। मंत्री ने कोच्चि निज़ामाबाद, वारंगल, मुंबई, उंझा, जोधपुर, गुवाहाटी, गंगटोक और कश्मीर सहित देश के विभिन्न हिस्सों के मसाला किसानों और निर्यातकों के साथ हितकर बातचीत की।

श्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन भाषण के दौरान अपनी शुरुआत से दुनिया भर में भारतीय मसालों को बढ़ावा देने में मसाला बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, स्पाइस बोर्ड, जो दुनिया भर में भारतीय निर्यातकों और आयातकों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, ने अंतरराष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने में मदद की है। 2014-21 के बीच पिछले 7 वर्षों में निर्यात मात्रा में 115 प्रतिशत और मूल्य में 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और पिछले साल 4.18 अरब अमेरिकी डॉलर की ऐतिहासिक ऊंचाई तक पहुंच गया है जिससे पूरे देश में हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों की आय में वृद्धि हुई है।

मंत्री ने इस क्षेत्र को और भी अधिक मसालेदार बनाने के लिए मसाला उद्योग के सामने 4 मसाले भी रखे

- भारतीय मसाले गुणवत्ता के ब्रांड एंबेसडर होंगे।
- ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पैकेजिंग पर ध्यान दें।
- मसाला पर्यटन को बढ़ावा देना।
- मसाला क्षेत्र में यूनिकॉर्न बनाएँ।

अपने भाषण का समापन करते हुए मंत्री ने स्पाइसेस बोर्ड से 2027 तक निर्यात को दोगुना करके 10 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित करने और फिर अगले पांच वर्षों 2032 में इसे और दोगुना करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने मसाला उद्योग से 2047 अमृत काल भारतीय स्वतंत्रता के 100 साल की तैयारी करने का आग्रह किया, और बोर्ड से मसाला क्षेत्र को भारत के निर्यात का ध्वजवाहक बनाने के लिए एकत्र होकर काम करने के लिए कहा ताकि दुनिया हमारे स्वादिष्ट मसाले उत्पादों के साथ ब्रांड इंडिया को पहचान सके।

स्पाइस बोर्ड अपनी प्रवाल जयंति कई कार्यक्रमों के साथ मना रहा है जिसमें मसाला समुदाय के सभी प्रमुख हितधारकों जैसे कि मसाला उत्पादक, किसान, व्यापारी, नीलामीकर्ता और निर्यातक शामिल हैं।

कार्यकारी सारांश

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी संवर्धन के लिए एक अग्रणी संगठन है। बोर्ड भारतीय मसालों की उत्कृष्टता के लिए संचालित गतिविधियों की अगुवाई कर रहा है, ताकि भारतीय मसाला उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र बनने तथा वैश्विक मसाला बाजार के औद्योगिक, खुदरा और खाद्य सेवा क्षेत्रों में स्वच्छ और मूल्यवर्धित मसालों और शाकों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित होने में मदद मिल सके। बोर्ड ने अपने विकास और प्रचार रणनीतियों के लिए गुणवत्ता और स्वच्छता को आधार बनाया है

वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड 19 महामारी के प्रकोप जारी रहने के बावजूद, भारत से मसालों के निर्यात में वृद्धि बनाए रखी है और इसने 4.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार कर लिया है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान के 30,973.32 करोड़ रु. (4,178.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्यवाले 17,58,985 टन निर्यात की तुलना में, वर्ष 2021-22 के दौरान अनुमानित निर्यात 30,576.44 करोड़ रु. (4,102.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्यवाला 15,31,154 टन रहा। रीपोर्टाधीन अवधि के दौरान भारतीय मसाला निर्यात बास्केट में 225 मसाले और मसाले उत्पाद शामिल हैं जिनका निर्यात विश्व स्तर पर 180 गंतव्य स्थानों में किया गया। उनमें से प्रमुख देश चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, मलेशिया, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और जर्मनी हैं।

वर्ष 2021-22 में, छोटी व बड़ी इलायची के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा में 63 प्रतिशत की घातीय वृद्धि हुई। मसाला तेल और तैलीराल के निर्यात में मात्रा में 29 प्रतिशत और मूल्य में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मात्रा में 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, भारत ने 444,144.10 लाख रुपये मूल्य के 36,254 मीट्रिक टन पुदीना व पुदीना उत्पादों का निर्यात किया। मूल्य के संदर्भ में, भारतीय कालीमिर्च के निर्यात में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई और रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान कालीमिर्च का कुल निर्यात 21,863 मीट्रिक टन था जिसका मूल्य 75,331.23 लाख रुपये था। बड़ी सौंफ, लहसुन, अजवाइन और हींग, दालचीनी, कैसिया, कैम्बोज, केसर, मसाले (एनईएस) आदि सहित अन्य मसाले जैसे मसालों का निर्यात भी बढ़ गया है। मूल्य के हिसाब से मिर्च, मसाला तेल और तैलीराल, पुदीना उत्पाद, जीरा और हल्दी सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थीं।

दिनांक 01 अप्रैल 2021 से प्रभावी नई अवधि के लिए, बोर्ड मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीआरईएस) ऑनलाइन जारी करता है। यह प्रमाण पत्र मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2021 के अनुसार जारी होने की तारीख से तीन साल के लिए वैध है। बोर्ड ने सीआरईएस शुल्क के भुगतान के लिए एक ऑनलाइन गेटवे प्रणाली भी शुरू की है। वर्ष के दौरान, बोर्ड ने मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के 5,662 प्रमाण पत्र जारी किए, जिनमें से 5,027 व्यापारी श्रेणी में और 635 विनिर्माता श्रेणी में थे। बोर्ड ने 01 नवंबर 2021 से छोटी इलायची की नीलामी के लिए क्लाउड बेस्ड लाइव ईनीलामी प्रणाली भी शुरू की, जो पुट्टडी, केरल और बोडिनायकनूर, तमिलनाडु में दो नीलामी केंद्रों को जोड़ते हुए एक साथ ईनीलामी आयोजित करने में सक्षम है।

रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान, बोर्ड ने पूरे भारत में 526 इलायची ब्यौहारी लाइसेंस जारी किए, जिनमें से 489 लाइसेंस छोटी इलायची के लिए और 37 बड़ी इलायची के लिए थे। वर्ष 2020-23 की ब्लॉक अवधि के लिए पुट्टडी और बोडिनायकनूर में ईनीलामी और कर्नाटक व महाराष्ट्र में मैनुअल नीलामी आयोजित करने के लिए कुल 12 ईनीलामीकर्ता लाइसेंस और चार मैनुअल नीलामीकर्ता लाइसेंस जारी किए गए थे। जुलाई 2021 अगस्त 2022 के दौरान पुट्टडी, केरल और बोडिनायकनूर, तमिलनाडु में बोर्ड की ईनीलामी सुविधाओं के माध्यम से कुल 28730 मीट्रिक टन छोटी इलायची बेची गई थी। वर्ष 2021-22 के दौरान

छोटी और बड़ी इलायची का उत्पादन, छोटी इलायची में 500.58 किलोग्राम/हेक्टेयर और बड़ी इलायची में 279.45 किलोग्राम/। हेक्टेयर उत्पादकता के साथ, क्रमशः 23,340 मीट्रिक टन और 8,812 मीट्रिक टन था।

वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड के लिए अनुमोदित बजट 11,550.00 लाख रुपये था। अनुदान के लिए 6,896.00 लाख रुपये, इमदाद के लिए 3,055.00 लाख रुपये, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान की ओर से 849.00 लाख रुपये की राशि; अनुसूचित जाति उपयोजना के प्रावधान की ओर से 400.00 लाख रुपये; और वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार से जनजातीय उपयोजना के प्रावधान की ओर से 350.00 लाख रुपये बोर्ड को प्राप्त हुए थे। बोर्ड ने गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता जांच सेवाओं के लिए विश्लेषणात्मक शुल्क, अनुसंधान फार्मों की नर्सरी और कृषि उत्पादों से रोपण सामग्रियों की बिक्री, सदस्यता और विज्ञापन शुल्क, निर्यातकों के पंजीकरण शुल्क, अग्रिम पर ब्याज, अल्पकालिक जमा पर ब्याज आदि से 2,323.44 लाख रुपये का आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) उत्पन्न किया है। वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड का कुल व्यय 12,061.49 लाख रुपये था।

मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के दौरान सात घरेलू क्रेताविक्रेता बैठकें और 12 अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित कीं। मसाला व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए प्रगतिशील पणधारियों को आकर्षित करने, प्रेरित करने और लैस करने के लिए, मसाला बोर्ड उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें पूरे भारत के प्रतिभागी शामिल हैं। वर्ष के दौरान, बोर्ड ने आठ उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे 800 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड ने वैश्विक स्तर पर भारतीय मसालों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 17 घरेलू व्यापार मेलों और दो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया। महामारी द्वारा बाजार लिंकेज के निर्माण में हुए अंतर को दूर करने के लिए, भारतीय मसाला उद्यमियों को लाभान्वित करने के लिए, व्यापार के अवसर प्रदान करने के लिए मसाला बोर्ड के 3 डी वर्चुअल पोर्टल स्पाइस एक्सचेंज इंडिया को विकसित और लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल का शुभारंभ भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने 20 जनवरी 2022 को किया था। पोर्टल से व्यापार करने में आसानी होने की उम्मीद है और यह भारतीय मसाला ब्रांडों के लिए 24x7 वर्चुअल ऑफिस स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिफारिश मॉडल, बाजार की जानकारी, वैश्विक मसाला व्यापार डेटा तक पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकों सहित विभिन्न निर्यात संवर्धन गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए बोर्ड के प्रावधान जैसी सुविधाओं से लैस है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भारत की एक्सेलेरेटर लैब और मसाला बोर्ड ने व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारतीय मसालों के लिए ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस बनाने के उद्देश्य से 5 अप्रैल 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। मसाला किसानों को निर्यातकों से जोड़ने के लिए मसाला बोर्ड भारत द्वारा विकसित ई-स्पाइस बाजार पोर्टल के साथ ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस को एकीकृत किया जा रहा है।

मसाला बोर्ड ने किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति और व्यापक बाजार प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने की दृष्टि से प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में आठ फसल विशिष्ट मसाला पार्क स्थापित किए हैं। पार्क का उद्देश्य मसालों और मसाला उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, पैकेजिंग और भंडारण के लिए एक एकीकृत संचालन करना है। सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, भाप विसंक्रमण आदि के लिए सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं किसानों को उपज की गुणवत्ता में सुधार करने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करेंगी।

वर्ष 2021-22 के दौरान पुनःरोपण/नव रोपण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से, बोर्ड ने इमदाद के रूप में 430.17 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 431.59 हेक्टेयर छोटी इलायची के पुनःरोपण में सहायता की, जिससे 1337 उत्पादक लाभान्वित हुए। कुल 766.77 हेक्टेयर बड़ी इलायची के पुनःरोपण/नव रोपण के लिए भी सहायता दी गई और इमदाद के रूप में 521.09 लाख रुपये की व्यवस्था की गई, जिससे 2976 उत्पादक लाभान्वित हुए।

बोर्ड की विभागीय नर्सरियों ने 1,55,010 इलायची रोपण सामग्री, कालीमिर्च की 1,03,647 मूल लगाई कतरनें और

कालीमिर्च की 8,631 न्यूक्लियस रोपण सामग्री का उत्पादन किया और उत्पादकों को वितरित किया। प्रमाणित नर्सरी योजना के अंतर्गत 10878 लाख की वित्तीय सहायता से 198 छोटी इलायची इकाइयां (19,80,000 रोपण सामग्री) और 1715 बड़ी इलायची इकाइयां (17,15,000 रोपण सामग्री) स्थापित की गई थीं। सिंचाई और भूमि विकास योजना के तहत, 24 जल भंडारण संरचनाओं और 16 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया था, इसके अलावा 101 सिंचाई पंप सेट और चार सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ स्थापित की गई। वर्ष 2021-22 में 28.33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ 145 किसान लाभान्वित हुए।

फसल कटाई पश्चात गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 66.63 लाख रुपये की कुल इमदाद पर छोटी इलायची के लिए 49 उन्नत इलायची उपचार उपकरण और बड़ी इलायची के लिए चार उन्नत इलायची उपचार उपकरण स्थापित किए गए थे। बड़ी इलायची के उपचार के लिए 10.68 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से 49 संशोधित भट्टी इकाइयों का निर्माण किया गया। बोर्ड ने 66.46 लाख रुपये की कुल खर्च इमदाद पर 83 बिजली चालित बीजीय मसाला थ्रेशर; 59.89 लाख रुपये की कुल इमदाद पर 339 काली मिर्च थ्रेशर; 181.96 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पर 116 हल्दी भाप उबलते इकाइयां, 165.80 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पर 188 मसाले पॉलिशिंग इकाइयां और 55.23 लाख रुपये की 200 जायफल/लौंग ड्रायर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की। इसके अलावा, पांच पुदीना आसवन इकाइयों, पांच मसालों की ग्रेडिंग मशीनों और 30 मसालों की वाशिंग मशीनों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई थी, जिसका कुल वित्तीय निहितार्थ 25.65 लाख रुपए था। गुणवत्ता गैप ब्रिजिंग ग्रुप्स के तहत, मसाला क्षेत्र के अधीन 15 कृषक समूहों को 110.75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ विभिन्न फसल कटाई उपरांत मशीनों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई, जिससे 3178 किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा, पूरे भारत में मसाला उत्पादकों को 26,940 तिरपाल और 1,400 सिलपॉलिन शीट की आपूर्ति की गई और 293.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

मसालों के जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 32.28 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता पर 322 उत्पादकों को लाभान्वित करते हुए 335 वर्मीकम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गईं और 3.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ अदरक और हल्दी के लिए तीन जैविक बीज बैंक स्थापित किए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान 186 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 17.26 लाख रुपये के कुल व्यय के साथ 8695 कर्मियों को गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण प्रदान किए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और, पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों में इलायची (छोटी और बड़ी) और संबंधित उत्पादक क्षेत्रों में अन्य मसालों के लिए कुल 16,100 विस्तार दौरे किए गए और 1663 समूह बैठकें / अभियान आयोजित किए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान विस्तार सलाहकार सेवा के तहत कुल व्यय 1,741 लाख रुपये था।

मसाला बोर्ड ने इलायची उत्पादकों की बेहतरी के लिए फरवरी 2022 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रारंभ की थी। यह योजना प्रारंभ में केरल के इडुक्की जिले में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित की जाती है जिसका उद्देश्य छोटी इलायची उत्पादकों को प्रतिकूल मौसम की घट नाओं जैसे कि कम या अधिक वर्षा, गर्मी (तापमान) और सापेक्ष आर्द्रता से बचाना है, जिन्हें उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला माना जाता है। इस योजना के तहत, 808 कृषकों से आवेदन प्राप्त हुए और बोर्ड के हिस्से के रूप में 52.99 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई।

वर्ष 2021-22 के दौरान, व्यापार संवर्धन योजनाओं के तहत, विभिन्न घटकों के तहत पात्र निर्यातकों को 100.13 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई थी। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र/प्रमाणन के कार्यान्वयन के लिए सहायता योजना के तहत पात्र निर्यातक को 1.01 लाख रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ सहायता प्रदान की गई थी।

कोच्ची, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गुंटूर, तूतीकोरिन और कांडला में बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यूईएल) ने वर्ष के दौरान चुनिंदा मसालों की निर्यात खेपों के विश्लेषणात्मक सेवाएं और अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन प्रदान करना जारी रखा। बीजीय मसालों के लिए मसाला

पार्क, जोधपुर, राजस्थान में और पुदीने के तेल के परीक्षण के लिए रायबरेली में प्रस्तावित क्यूईएल स्थापित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रयोगशाला ने एफ्लाटॉक्सिन, अवैध रंजक, कीटनाशक अवशेष, साल्मोनेला एसपीपी आदि सहित कुल 1,27,467 मापदंडों का विश्लेषण किया।

मसालों और पाक शाकों पर कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच 5), जिसे भारत द्वारा आतिथ्य और अध्यक्षता की जाती है और मसाला बोर्ड भारत इसका सचिवालय है, का पांचवां सत्र 2029 अप्रैल, 2021 के दौरान आभासी रूप से आयोजित किया गया था। सत्र में 65 सदस्य देशों, एक सदस्य संगठन (यूरोपीय संघ) और 11 अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक संगठनों के 275 पंजीयकों के साथ अब तक की सबसे अधिक भागीदारी देखी गई। सीसीएससीएच 5 चार और नए मसालों, अर्थात लौंग, ऑरगेनो, तुलसी और अदरक के लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप देते हुए सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग ने नवंबर 2021 में आयोजित अपने चालीसवें सत्र के दौरान मानकों को अपनाया।

छोटी इलायची में संकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में, भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई) ने दो संकर विकसित किए जो इडुक्की जिले के इलायची क्षेत्रों के लिए आशाजनक और उपयुक्त थे। इन दो संकरों का विकास किया जाता है, लगातार चार वर्षों तक मूल्यांकन किया जाता है और बागान फसलों के लिए केरल राज्य किस्म रिलीज समिति को किस्म रिलीज प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाती है। इलायची क्षेत्र के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित मृदा उर्वरता आकलन और जलवायु लचीली इलायची की खेती के लिए ऐप आधारित उर्वरक सिफारिशों को एकीकृत करने पर सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना के तहत, बारह मापदंडों के लिए 1,076 मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया गया था, कुल 12,912 पैरामीटर और भूसंदर्भित डेटा का डिजिटलीकरण किया गया था।

आईसीआरआई, मैलाडुंपारा द्वारा अठारह वेबिनार आयोजित किए गए और 1374 किसानों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। तीन मोबाइल मसाला क्लिनिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और नैदानिक क्षेत्र के दौरे और कृषि सलाहकार सेवाओं के माध्यम से 65 किसान इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। केरल के इडुक्की जिले के इलायची हिल रिजर्व और तमिलनाडु से 1734 मिट्टी के नमूनों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों को कवर करने वाले 20 हजार आठ सौ आठ (20,808) मिट्टी की उर्वरता मापदंडों का परीक्षण किया गया और उर्वरक सिफारिशें दी गईं।

मसाला बोर्ड की 90 वीं और 91 वीं बोर्ड बैठकें कोच्ची में क्रमशः 7 मई 2021 और 22 सितंबर 2021 को हाइब्रिड मोड में आयोजित की गईं।

बोर्ड का प्रवाल जयंती समारोह 26 फरवरी 2022 को एक हाइब्रिड कार्यक्रम में संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के माननीय कपड़ा, वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। उद्घाटन समारोह में देश भर से मसाला किसान और निर्यातक समारोह में शामिल हुए और मंत्री के साथ बातचीत की, जिससे भारतीय मसाला उद्योग के भविष्य के विकास के लिए चर्चा और विचारविमर्श को बढ़ावा मिला।

आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के भाग के रूप में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत वाणिज्य विभाग ने व्यापार और निर्यात के लिए भारत की क्षमता को उजागर करने के लिए 2026 सितंबर 2021 के दौरान देश भर में वाणिज्य सप्ताह मनाया। मसाला बोर्ड को केरल और सिक्किम राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई थी। समारोहों के साथ तालमेल बिठाते हुए मसाला बोर्ड ने वाणिज्य उत्सव निर्यातकों और उद्योग जगत के नेताओं के सम्मेलन, 75,000 किलोग्राम छोटी इलायची की विशेष ईनीलामी, उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम, सुगंधोत्सव पूरे भारत में मसाला रोपण सामग्रियों का रोपण और जनता को प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले मसाले के पाउच के वितरण सहित आर्थिक विकास और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने की पहल की।

बोर्ड ने राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं और उन्हें समुचित रूप से संचालित किया है तथा बोर्ड के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन दिया है और इस कार्य की निगरानी भी की है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम और अन्य आदेशों के अनुसार, बोर्ड ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को और अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए अपने प्रयासों को वर्ष 2021-22 के दौरान भी जारी रखा है।

मसाला बोर्ड ने आरटीआई अधिनियम, 2005 को प्रभावी ढंग से लागू किया और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का पालन किया। बोर्ड ने स्वत संज्ञान लेते हुए प्रकट की जाने वाली प्रत्येक जानकारी का खुलासा ऐसे रूप और तरीके से किया है, जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए सुलभ है आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1)। 2021-22 के दौरान, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और भौतिक रूप से कुल 66 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए थे। आरटीआई अधिनियम के तहत तेरह अपीलें भी प्राप्त हुईं और निर्धारित समय के भीतर सभी मामलों में जानकारी प्रसारित की गई।

बोर्ड ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 को प्रभावी रूप से लागू किया है और वर्ष 2021-22 के दौरान इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। बोर्ड ने स्वत प्रकट किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना को उस रूप और तरीके से आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1) प्रदर्शित किया है कि वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए सुलभ है। वर्ष 2021-22 के दौरान, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत भौतिक और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 66 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। तेरह अपीलें प्राप्त हुई थीं तथा सभी मामलों में निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रदान कर दी गई।

की जाए, अनुज्ञप्तियां प्रदान करें;

(ix) यदि निर्यात के संवर्धन के हित में आवश्यक समझे तो किसी मसाले का विपणन करें;

(x) मसालों केलिए विदेशों में भंडारकरण की सुविधाओं की व्यवस्था करें;

(xi) संकलन एवं प्रकाशन केलिए मसालों के बारे में आंकड़ों का संग्रह करें;

(xii) केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बिक्री केलिए किसी भी मसाले का आयात करें; तथा

(xiii) मसालों के आयातनिर्यात संबंधी किसी विषय पर केंद्रीय सरकार को सलाह दें ।

ख) साथ ही, बोर्ड

(i) इलायची कृषकों के बीच सहकारिता प्रयासों को बढ़ावा दें;

(ii) इलायची कृषकों केलिए लाभकारी पारिश्रमिक सुनिश्चित करें;

(iii) इलायची की खेती और प्रसंस्करण के उन्नत तकनीकों केलिए इलायची पुनरोपण तथा इलायची खेती इलाकों के विस्तारण केलिए वित्तीय एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करें;

(iv) इलायची के विक्रय और इलायची की कीमतों के स्थिरीकरण का विनियमन करें;

(v) इलायची की जाँच तथा उसके श्रेणीमानदण्ड नियत करने में प्रशिक्षण की व्यवस्था करें;

(vi) इलायची के उपभोग में वृद्धि और उस प्रयोजन केलिए प्रचार करें ;

(vii) इलायची के दलालों (जिनके अंतर्गत नीलामकर्त्ता हैं) एवं इलायची के कारोबार में लगे व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत और अनुज्ञप्त करें;

(viii) इलायची के विपणन में वृद्धि करें;

(ix) कृषकों, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों से जो विहित किए गए जाए, इलायची उद्योग से संबंधित किसी विषय पर आँकडों का संग्रह करें; ऐसे संगृहीत आंकड़ों या उनके भागों या उनसे उद्धरणों का प्रकाशन भी करें;

(x) कर्मचारियों केलिए अधिक अच्छी कार्यकारी दशाओं और सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रोत्साहन को भी सुनिश्चित करें और

(xi) वैज्ञानिक, तकनीक और आर्थिक अनुसंधान आरंभ करें, उसमें प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करें।

ग) बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले मसाले

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम की अनुसूचि में निम्नलिखित 52 मसाले आते है।

1	इलायची	27	पीपला
2	कालीमिर्च	28	स्टार एनीज़
3	मिर्च	29	घोड बच (स्वीट फ्लैग)
4	अदरक	30	महा गलेंजा
5	हल्दी	31	होर्सरैडिश
6	धनिया	32	केपर
7	जीरा	33	लौंग
8	बडी सौंफ	34	हींग
9	मेथी	35	केंबोज
10	अजवाइन	36	हिस्सप
11	सौंफ	37	जूनिपर बेरी
12	अजोवन (मसाले का पौधा)	38	बेपत्ता
13	काला जीरा	39	लूवेज
14	सोआ	40	मर्जोरम
15	दालचीनी	41	जायफल
16	अमलतास (कैसिया)	42	जावित्री(मेस)
17	लहसुन	43	तुलसी
18	करी पत्ता	44	खसखस
19	कोकम	45	ऑलस्पाइस
20	पुदीना	46	रोज़मेरी
21	सरसों	47	सेज
22	अजमोद	48	सेवरी
23	अनारदाना	49	थाइम
24	केसर	50	ओरगेनो
25	वैनिला	51	टेरागन
26	तेजपात	52	इमली

[करी पाउडर, मसाले तेल, तैलीराल एवं अन्य मिश्रण सहित किसी भी रूप में हो, जहाँ मसाला घटक प्रमुख है]

स्पाइसेस बोर्ड का ऑर्गेनोग्राम

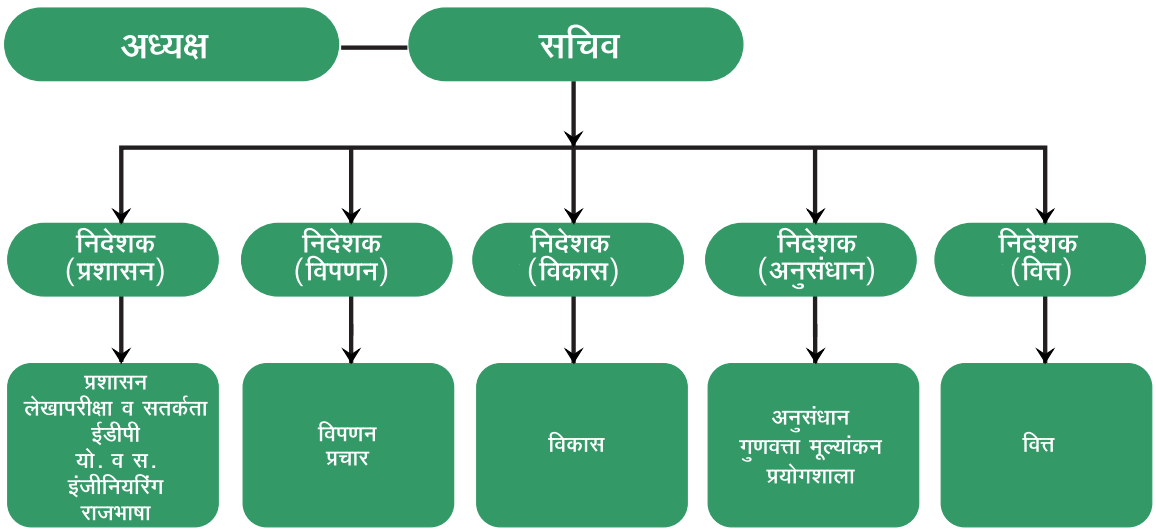

स्वीकृत स्टाफ की संख्या -379
वर्तमान स्थिति - 270 (जैसे कि 31.03.2022 को है)

02

प्रशासन

अ) प्रशासन

वर्ष 2021-22 के दौरान, श्री ए.जी. तंकप्पन ने 09 सितंबर, 2021 को श्री डी. सत्यन आईएफएस सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, जो अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर रहे थे, से कार्यभार ग्रहण किया। श्री डी. सत्यन आईएफएस ने रिपोर्ताधीन अवधि के दौरान सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के रूप में कार्य करना जारी रखा।

डॉ. रमा श्री ए.बी. निदेशक (अनुसंधान) के रूप में बनी रही और इस अवधि के दौरान उन्होने निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाला और 03 मई, 2021 तक निदेशक (विकास) का अतिरिक्त प्रभार संभाला ।

श्री देवानंद षेणाई, उप निदेशक (विकास) ने 08 जुलाई, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक की अवधि केलिए निदेशक (विकास) का कार्यभार संभाला। श्री बी. वेंकटेसन, उप निदेशक (विकास) ने रिपोर्टधीन बाकी की अवधि के लिए निदेशक (विकास) का कार्यभार ग्रहण किया।

श्री पी.एम. सुरेष कुमार रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 31 जुलाई, 2021 तक निदेशक (प्रशासन) के रूप में बने रहे और निदेशक (विपणन) का अतिरिक्त प्रभार संभाला। श्री जिजेष टी. दास, उप निदेशक (ईडीपी) तथा श्री बी.एन.झा, उप निदेशक(विपणन) ने 02 अगस्त, 2021 से क्रमशः निदेशक (प्रशासन) तथा निदेशक (विपणन) का प्रभार संभाला।

स्पाइसेस बोर्ड ने पहले ही पुनर्गठन प्रस्ताव में स्वीकृत लक्षित कर्मचारियों की संख्या हासिल कर ली है। जैसेकि 31 मार्च, 2022 को है, 379 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले, स्पाइसेस बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 270 है जिसमें 76 ग्रुप क, 87 ग्रुप ख और 107 ग्रुप ग शामिल हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड ने 28 कर्मचारियों को पदोन्नति दी है और 11 कर्मचारियों को एमएसीपी के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया है। बोर्ड ने निर्यात संवर्धन गतिविधियों के समर्थन के लिए पाँच विपणन सलाहकारों को नियुक्त किया है।

बोर्ड ने स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के 167 से अधिक बेरोजगार युवाओं को गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में विश्लेषणात्मक सेवाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और अनुसंधान स्टेशनों में कृषि विस्तार सेवा और लेखा विभाग, प्रचार विभाग तथा पुस्तकालय में शासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्त किया है।

क) नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. के लिए आरक्षण

बोर्ड अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. के लिए पदआधारित आरक्षण रोस्टर का उचित रूप से कार्यान्वयन करता है। सरकार द्वारा समयसमय पर इस संबंध में जारी अनुदेशों का भी कडाई से अनुपालन किया जा रहा है। जैसे कि 31 मार्च, 2022 को है, अ.जा/अ.ज.जा और अ.पि.व. की श्रेणियों में 152 पदाधिकारी (अ.पि.व.84, अ.जा38 और अ.ज.जा30) थे। स्पाइसेस बोर्ड के भर्ती विनियम की स्वीकृति लम्बित होने के कारण वाणिज्य विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुसार, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कोई नियुक्ति नहीं हुई है। मंत्रालय ने पत्र संख्या 5/6/2018-प्लांट-डी दिनांक 04.02.2020 के माध्यम से बोर्ड को निदेश दिया है कि जब तक मंत्रालय द्वारा भर्ती नियम को मंजूरी नहीं दी जाती है, तब तक वह कोई भर्ती न करें ।

ख) महिला कल्याण

जैसे कि 31 मार्च 2022 को है, बोई की 'क', 'ख' व 'ग' श्रेणियों की महिला पदाधिकारियों की कुल संख्या 73 है। महिला पदाधिकारियों की शिकायतों पर समय पर और उचित तौर पर ध्यान दिया जाता है। बोर्ड की वर्ग क स्तर की एक महिला अधिकारी को महिला कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि महिलाओं की परेशानियां/समस्याएं, यदि कोई हो, तो उन्हें जानने और संभव समाधान के लिए सुझावों के साथ उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके।

ग) अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. कल्याण

बोर्ड द्वारा अ.जा/अ.ज.जा व अ.पि.व. के कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समितियों का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा अ.जा/अ.ज.जा व अ.पि.व. से संबंधित आरक्षण मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी को पदनामोद्दिष्ट किया जा है।

घ) दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण की देखभाल और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समितियों का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से जुडे आरक्षण मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी को पदनामोद्दिष्ट किया है। सरकार के निदेशानुसार बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण भी लागू किया गया है।

ङ) मसाला बोर्ड का कार्यात्मक नेटवर्क

बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोच्ची में स्थित है। बोर्ड के देश भर में कार्यालय हैं जिनमें निर्यात संवर्धन कार्यालय, छोटी व बड़ी इलायची के लिए विकास कार्यालय, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ (गु.मू.प्र.), अनुसंधान स्टेशन और मसाला पार्क शामिल हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड के निम्नलिखित कार्यालय प्रवृत्त रहे

i) निर्यात संवर्धन कार्यालय :

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	पडेरू	आंध्र प्रदेश
2	वारंगल	आंध्र प्रदेश
3	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
4	गुवाहटी	असम
5	पटना	बिहार
6	जगदलपुर	छत्तीसग़ढ
7	नई दिल्ली	दिल्ली
8	पोंडा	गोआ
9	अहमदाबाद	गुजरात
10	उँझा	गुजरात
11	उना	हिमाचल प्रदेश
12	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर
13	बैंगलूरू	कर्नाटक
14	मुंबई	महाराष्ट्र
15	शिलाँग	मेघालय
16	आइज़ॉल	मिज़ोरम
17	कोरापुट	उडीसा
18	जोधपुर	राजस्थान
19	चेन्नई	तमिलनाडु
20	नागरकोविल	तमिलनाडु
21	निज़ामाबाद	तेलंगाना
22	हैदराबाद	तेलंगाना
23	अगरतला	त्रिपुरा
24	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश
25	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

ii) विकास कार्यालय/फार्म

छोटी इलायची का अनुसंधान व विकास		
क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	अडिमाली	केरल
2	एलप्पारा	केरल
3	कल्पेट्टा	केरल
4	कट्टप्पना	केरल
5	कुमली	केरल
6	नेडुंकण्डम	केरल
7	पांपाडुम्पारा	केरल
8	पीरमेड	केरल
9	पुट्टडी	केरल
10	राजाक्काड	केरल
11	राजकुमारी	केरल
12	शांतनपारा	केरल
13	उडुन्पनचोला	केरल
14	बोडिनायकन्नूर	तमिलनाडु

15	इरोड	तमिलनाडु
16	बल्लगुंडु	तमिलनाडु
17	आइगूर (फार्म)	कर्नाटक
18	बेलगोला (फार्म)	कर्नाटक
19	बेलिगेरी (फार्म)	कर्नाटक
20	बेट्टडामने (फार्म)	कर्नाटक
21	सकलेशपुर	कर्नाटक
22	हावेरी	कर्नाटक
23	कोप्पा	कर्नाटक
24	मडिक्केरी	कर्नाटक
25	मुडिगेरे	कर्नाटक
26	शिवमोगा	कर्नाटक
27	सिरसी	कर्नाटक
28	सोमवारपेट	कर्नाटक
29	वनगूर	कर्नाटक
30	येसलूर (फार्म)	कर्नाटक

बड़ी इलायची का अनुसंधान व विकास

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
2	नमसाई	अरुणाचल प्रदेश
3	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश
4	रोइंग	अरुणाचल प्रदेश
5	ज़िरो	अरुणाचल प्रदेश
6	दीमापुर	नागालैंड
7	कोहिमा	नागालैंड
8	गान्तोक	सिक्किम
9	गेयसिंग	सिक्किम
10	जोरथांग	सिक्किम
11	मंगन	सिक्किम
12	कलिम्पोंग	पश्चिम बंगाल
13	सुखियापोखरी	पश्चिम बंगाल

(iii) अनुसंधान स्टेशन

1	मैलाडुंपारा	केरल
2	डोनिगल-सकलेशपुर	कर्नाटक
3	ताडियनकुड़िशि	तमिलनाडु
4	तादोंग	सिक्किम

(iv) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यू ई एल)

1	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2	काण्डला	गुजरात
3	कोच्ची	केरल
4	मुम्बई	महाराष्ट्र
5	नरेला	नई दिल्ली
6	चेन्नई	तमिलनाडु
7	तूतिकोरिन	तमिलनाडु
8	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

(iv) मसाला पार्क

1	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2	पुट्टडी	केरल
3	छिंदवाडा	मध्य प्रदेश
4	गुना	मध्य प्रदेश
5	जोधपुर	राजस्थान
6	रामगंज मंडी (कोटा)	राजस्थान
7	शिवगंगा	तमिलनाडु
8	राय बरेली	उत्तर प्रदेश

च) वर्ष 2021-22 के दौरान उपलब्धियां

(i) उत्पादों व सेवाओं की अधिप्राप्ति

सुरक्षा, हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रीशियन आदि सभी आउटसोर्स की गई सेवाएँ, सरकारी ई-बाज़ार, जेम (GeM) के ज़रिए

अधिप्राप्त की गईं। कम्प्यूटर, प्रिंटर, लेखनसामग्रियाँ आदि जैसे उत्पाद भी जेम के ज़रिए खरीदे गए हैं (कुल खरीद का 80 प्रतिशत से अधिक जेम के ज़रिए किया गया)।

(ii) स्वच्छ भारत मिशन कार्यकलापों का कार्यान्वयन

स्पाइसेस बोर्ड में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन के भाग के रूप में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सभी कार्यकलाप सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए और फोटो सहित रिपोर्टें मंत्रालय को अग्रेषित की गईं।

(iii) वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड बैठकें

वर्ष के दौरान दो बोर्ड बैठकों का आयोजन किया जिनका विवरण नीचे दिया गया है

क) स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, कोच्ची में 07 मई, 2021 को 90 वीं बोर्ड बैठक

ख) स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, कोच्ची में 22 सितंबर, 2021 को 91 वीं बोर्ड बैठक

(iv) बाहरी कार्यालयों का अनुरक्षण

कोच्ची में स्थित स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय और देश भर के 82 कार्यालयों, जिनमें निर्यात संवर्धन कार्यालय, विकास कार्यालय, आठ गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यूईएल), चार अनुसंधान स्टेशन और आठ स्पाइस पार्क शामिल हैं, का अनुरक्षण किया गया।

(v) राष्ट्रीय महत्ववाले दिनों का मनाया जाना

स्पाइसेस बोर्ड में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के दिन मनाए गए हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान ऐसे निम्नलिखित दिन मनाए गए

क) राष्ट्रीय एकता दिवस

ख) आज़ादी का अमृत महोत्सव

ग) योगा दिवस

घ) स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस आदि राष्ट्रीय महत्व के अन्य दिवस

(vi) कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उपाय

कार्यालय में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय सुनिश्चित किए गए;

क) कार्यालय के प्रवेश द्वार पर तापमान की जाँच करना

ख) कार्यालय परिसर में हाथ सैनिटाइज़ करने की सुविधा

ग) सभी स्टाफ सदस्यों को सैनिटाइज़र का वितरण

घ) जब कार्यालय में कोविड पॉजिटिव होने के मामलों का पता चला तो कार्यालय परिसर का सैनिटाइजिंग

ई) यात्रा के बाद कार्यालय के वाहनों का सैनिटाइजिंग

च) कोविड-19 महामारी के संबंध में मंत्रालय के सभी नियमों और निदेशों का पालन

आ) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय का राजभाषा अनुभाग, राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम बनाने और उनका संचालन करने में बोर्ड की सहायता करने और बोर्ड के कार्यालयों में राजभाषा नीति के मॉनीटरिंग और कार्यन्वयन हेतु उत्तरदायी नॉडल पॉइंट है। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और आदेशों के अनुरूप, राजभाषा अनुभाग, सचिव और बोर्ड की राजभाषा कार्यन्वयन समिति की सहमति और अनुमोदन से वर्ष 2021-22 के दौरान भी राजभाषा नीति के कार्यन्वयन को अधिक कारगर और प्रभावी बनाने में राजभाषा अनुभाग प्रयासरत रहा।

प्रमुख कार्यकलाप और उपलब्धियां

(i) अनुवाद

निम्नलिखित का अनुवाद कार्य (अंग्रेजी से हिन्दी और उल्टे) किया गया

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज जैसे कि सामान्य आदेश (परिपत्र), निविदा दस्तावेज, विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, वीआईपी संदर्भ आदि
- वर्ष 2020-21 केलिए वार्षिक रिपोर्ट व लेखापरीक्षा रिपोर्ट और संसद के समक्ष प्रस्तुत बोर्ड की अन्य प्रशासनिक रिपोर्टें
- हिन्दी में प्राप्त पत्र और उनके हिन्दी में उत्तर
- सेवारत कार्मिकों के लिए विजिटिंग कार्ड, रबड़ मुहर

और बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत होने वाले कार्मिक को स्मृतिचिह्न के लिए सामग्री

- बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न सरकारी समारोहों के लिए सामग्रियाँ जैसेकि बैनर, बैकड्रोप, निमंत्रणकार्ड, कार्यक्रम शीट आदि

(ii) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

1) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित करने के अनुरूप चार बैठकें क्रमश 28 जून, 2021 (अप्रैल जून, 2021), 22 सितंबर, 2021 (जुलाई सितंबर, 2021), 06 जनवरी, 2022 (अक्तूबर दिसंबर, 2021) और 21 मार्च, 2022 (जनवरी मार्च, 2022) को आयोजित की गईं। इन सभी बैठकों की अध्यक्षता सचिव महोदय द्वारा की गई ।

2) हिन्दी कार्यशाला

गंगटोक क्षेत्र के सभी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी सदस्यों के लिए दिनांक 12, जूलाई 2021 को ऑनलाइन माध्यम से हिन्दी अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्र के सभी कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन उप निदेशक, गंगटोक प्रादेशिक कार्यालय द्वारा किया गया। दिनांक 10, दिसंबर 2021 को मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारी सदस्यों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। सहभागियों को कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें राजभाषा नीति के साथसाथ राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड की गतिविधियों से अवगत कराया गया, ताकि जांचबिन्दु का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

3) हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाओं के लिए चंदा

बोर्ड ने, हिन्दी अखबार डेली हिन्दी मिलाप और सरिता व वनिता नामक हिन्दी पत्रिकाओं के लिए चंदा ज़ारी रखा।

4) राजभाषा निरीक्षण

बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय, गंगटोक, सिक्किम का दिनांक 28, दिसंबर 2021 को माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण बैठक में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्यालय एवं मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समिति द्वारा दिए गए सुझावों को नोट कर लिया गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। श्री बद्री यादव, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), प्रादेशिक कार्यान्वयन कार्यालय (एनईआर), गुवाहाटी द्वारा 09, मार्च 2022 को स्पाइसेस बोर्ड प्रादेशिक कार्यालय, गुवाहाटी का राजभाषा निरीक्षण किया गया था। प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी ने कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर गतिविधियों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की गई।

5) हिन्दी दिवस/पखवाड़ा समारोह 2021

बोर्ड में सितंबर 14, 2021 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। 14 से 28 सितंबर 2021 तक हिंदी पखवाड़ा समारोह 2021 का उद्घाटन सत्र उसी दिन सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें बोर्ड के सभी पदधारियों ने भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा समारोह 2021 के सिलसिले में कर्मचारी सदस्यों के लिए ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयेजित की गई। बोर्ड के पदधारियों की अच्छी प्रतिक्रिया के साथ यह बहुत सफल हुई।

सितंबर 2021 के हिंदी दिवस / सप्ताह / पखवाड़ा / महीने के संबंध में, गृहमंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार,सभी केंद्र सरकार कार्यालयों से हिंदी में महत्वपूर्ण उद्दरण प्रदर्शित करने वाले कम से कम दस पोस्टर/बैनर/स्टैंडी या दो डिजिटल डिस्पले बनाने को कहा। तदनुसार, बोर्ड ने प्रख्यात व्यक्तित्वों के उद्धरण वाले दस पोस्टर तैयार किए और उसे प्रमुख स्थानों में प्रदर्शित किए ताकि बोर्ड के अधिकारी को हिंदी के प्रति सांविधिक एवं संसदीय दायित्व की याद दिलाई जा सके,अधिकारियों को अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके। इस संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों को भी निर्देश दिए गए हैं।

हिंदी पखवाड़ा और आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में हिंदी में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन।

हिंदी पखवाड़ा 2021 के एक विशेष कार्यक्रम के रूप में और आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, बोर्ड ने कोच्ची केंद्रित स्कूलों के छात्रों के लिए "स्वतंत्रता संग्राम के विस्मृत नायक (1857-1947)" विषय पर एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। प्रतियोगिता में लगभग 35 स्कूलों के 400 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। हिन्दी पखवाड़ा के समापन समारोह के अवसर पर विजेताओं को ट्राफी और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

हिंदी पखवाड़ा समारोह का समापन समारोह 08, मार्च 2021 को आयोजित किया गया। श्री सुबोध कुमार, निदेशक (राजभाषा), वाणिज्य विभाग, भारत सरकार सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि थे। समारोह के दौरान मुख्यालय के स्टाफ सदस्यों केलिए आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं एवं स्टाफ द्वारा हिन्दी में किए गए सराहनीय काम केलिए ट्रॉफीयाँ / नकद पुरस्कार / प्रमाणपत्र, राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार, अनुभागों केलिए राजभाषा रोलिंग ट्रॉफीयाँ / रन्नर अप ट्रॉफी, वर्ष 2020-21 में राजभाषा नीति के कार्यन्वयन में विशेष प्रयास केलिए पुरस्कार आदि प्रदान किए गए। बाहरी कार्यालयों के विजेताओं के प्रमाण पत्र डाक द्वारा कार्यालय प्रमुखों को भेजे गए।

6) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता

सचिव एवं वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने दिनांक 16, अक्तूबर 2021 को ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सरकारी कार्यालय), कोच्चि की बैठक में भाग लिया।

7) सेवाकालीन प्रशिक्षण

हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित जनवरीमई 2022 सत्र के लिए पारंगत प्रशिक्षण हेतु बारह पदाधिकारियों का नामांकन किया गया। साथ ही एक कर्मचारी को प्रज्ञा प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया।

(iii) स्पाइस इंडिया (हिन्दी)

इस अवधि के दौरान राजभाषा अनुभाग द्वारा बोर्ड की मासिक हिंदी पत्रिका स्पाइस इंडिया के विमोचन केलिए सहायता प्रदान की गई ।

इ) पुस्तकालय एवं प्रलेखन सेवा

बोर्ड के पुस्तकालय में कंप्यूटरीकृत ग्रंथसूची डाटा सहित पुस्तकों व पत्रिकाओं का एक अच्छा संग्रहण है। पुस्तकालय व प्रलेखन इकाई को मजबूत बनाने की प्रक्रिया, नई पुस्तकों व पत्रिकाओं को जोड़कर जारी रखा गया। वर्ष 2021-22 के दौरान, 223 नई पुस्तकें जोडी गईं और करीब 155 पत्रिकाओं के लिए चंदा ज़ारी रखा गया। पुस्तकालय ने किताबें जारी करना तथा वापस लेना, दस्तावेज़ों व पत्रिकाओं का परिचालन, करंट एवेयरनेस सेवा, दैनिक सूचना सेवाएं, ईसमाचारपत्र पठन और जर्नलों को मुक्त अभिगम्यता और स्पाइसेस समाचार सेवा जैसी नियमित सेवाएं ज़ारी रखीं। विविध संस्थाओं के लगभग 10 छात्रों तथा शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन सहित संदर्भ सुविधाएं प्रदान की गईं। नियमित कार्यकलापों के अलावा जैविक कृषि, जलवायु परिवर्तन, भारतीय कृषि, कालीमिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन, पुदीना, बीजीय मसाले, वृक्ष मसाले, तेल व तैलीराल पर सूचना समेकित की गई।

03

वित्त और लेखा

बोर्ड की योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं आर्थिक सहायता द्वारा की जाती है। प्रशासन के खर्च मुख्यत सरकार से प्राप्त सहायताअनुदान और बोर्ड के विविध कार्यकलापों से अर्जित आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीबार) के जरिए जाते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड के लिए अनुमोदित बजट 11,550.00 लाख रुपए है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार से अनुदान के लिए 6,896.00 लाख रुपए, इमदाद के लिए 3,055.00 लाख रुपए, उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लिए प्रावधान के रूप में 849.00 लाख रुपए और एस सी उपप्लान के लिए प्रावधान के रूप में 400.00 लाख रुपए और जनजातीय उपप्लान के लिए प्रावधान के रूप में 350.00 लाख रुपए बोर्ड को प्राप्त हुए। बोर्ड ने 2021-22 के दौरान गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता जांचसेवाओं के विश्लेषण चार्ज, पौधशालाओं से पादपों, अनुसंधान फार्मों के फार्मउत्पादों की बिक्री, चंदा एवं विश्लेषण शुल्क, निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण शुल्क, अग्रिम पर ब्याज, अल्पकालीन जमा पर ब्याज आदि से 2,323.44 लाख रुपए का आईईबीआर अर्जन किया। वर्ष 2021-22 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड का कुल व्यय 12,061.49 लाख रुपए था, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

लेखा शीर्ष	व्यय (लाख रूपयों में)
निर्यातोन्मुख उत्पादन	4,040.43
निर्यात विकास एवं संवर्धन	2,500.92
निर्यातोन्मुख अनुसंधान	757.90
गुणवत्ता सुधार	1,271.44
एच आर डी व निर्माणकार्य	246.49
स्थापना	3,244.31
कुल	**12,061.49**

बोर्ड अन्य सरकारी विभागों एवं राष्ट्रीय अभिकरणों, जैसे कि आईसीएआर, एएसआईडीई और अन्य से प्राप्त अनुदानों से कुछ चालू परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करता आ रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान ऐसी परियोजनाओं से प्राप्त अनुदानों एवं किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है

कार्यक्रम	प्राप्त अनुदान (लाख रूपयों में)	व्यय (लाख रूपयों में) (*)
ए एस आई डी ई आई आई पी एम	0.00	3.89
आई सी ए आर ए आई सी आर पी एस	13.96	33.49
बेयर परियोजना	16.80	0.00
एसएचएम केरला परियोजना आईसीआरआई	194.00	0.00
डब्ल्यूटीओ एसटीडीएफ़	25.84	31.36
अरुणमला जनजातीय अधिवास परियोजना	0.00	4.11
महिला वैज्ञानिक योजना	5.50	6.55
डीयूएस जांच केंद्र	1.00	0.98
कुल	**257.10**	**80.38**

(*) व्यय में, पिछले वर्षों में प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उपयोग में लाया गया अनुदान शामिल है।

स्पाइसेस बोर्ड पर वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2021-22 के अनुच्छेद परिशिष्ट में दिए गए हैं।

04

मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन और फसल कटाई पश्चात् सुधार

स्पाइसेस बोर्ड, इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार तथा समग्र विकास के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड, निर्यात हेतु गुणवत्तायुक्त मसालों के उत्पादन के लिए फसलोत्तर सुधार कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है। बोर्ड के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और फसलोत्तर गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों को निर्यातोन्मुख उत्पादन के अंतर्गत शामिल किया गया है।

विकास कार्यक्रम, बोर्ड के विस्तार नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं, जिनमें प्रादेशिक कार्यालय, मंडल कार्यालय और क्षेत्र कार्यालय शामिल हैं। बोर्ड ने मसाला उत्पादकों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कर्नाटक के प्रमुख इलायची उत्पादक क्षेत्रों में पांच विभागीय पौधशालाओं का अनुरक्षण जारी रखा है।

मसाला विकास एजेंसियां(एस.डी.ए)

स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के विकास और विपणन को बढ़ावा देने और राज्य में उगाए जाने वाले मसालों के अनुसंधान, उत्पादन, विपणन, गुणवत्तासुधार और निर्यात कार्यक्रमों को लागू करने में विभिन्न राज्य, केंद्र और संबद्ध एजेंसियों/संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय करने के लिए निम्नलिखित 11 मसाला विकास एजेंसियों (एसडीए) की स्थापना की। मंत्रालय ने बोर्ड को 17 सितंबर, 2021 से, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निगरानी किए जाने वाले जिला निर्यात हब (डीईएच) योजना के साथ एसडीए का विलय करने का निदेश दिया है।

केसर उत्पादन एवं निर्यात विकास एजेंसी (एस.पी.ई.डी.ए)

स्पाइसेस बोर्ड ने श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर में केसर के विकास, विपणन, गुणवत्ता, निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में केसर उत्पादन और निर्यात विकास एजेंसी (एसपीईडीए) की स्थापना की है। एसपीईडीए की सहअध्यक्षता वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव और जम्मू व कश्मीर के मुख्य सचिव करते हैं।

मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन

वर्ष 2021-22 के दौरान मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन योजना के अंतर्गत लागू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया जाता है

अ) इलायची (छोटी)

छोटी इलायची मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में उगाई जाती है। अधिकांश इलायची जोत क्षेत्र छोटी और सीमांत होती है। वर्ष 2021-22 के दौरान छोटी इलायची का कुल क्षेत्रफल 72,298 हेक्टेयर (एचए) था जिसमें 24,154 मीट्रिक टन का अनुमानित उत्पादन हुआ। छोटी इलायची के विकास के लिए लागू किए गए कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं।

क) पुनरोपण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोगग्रस्त, पुराने, जीर्णशीर्ण और अलाभकर बागानों के व्यवस्थित पुनरोपण के ज़रिए उत्पादकों को उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रेरित करना है और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में सीमांत उत्पादकों को प्रोत्साहित करके छोटी इलायची के क्षेत्र में विस्तार करना और उन्हें पुनरोपण/नए वृक्षारोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। केरल और तमिलनाडु में सामान्य कृषकों को प्रति हेक्टेयर 1,00,000/ रुपए और अनूसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 2,10,000/ रुपए प्रति हेक्टेयर तथा

कर्नाटक में सामान्य को प्रति हेक्टेयर 75,000/ रुपए और अनूसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को 1,68,000/ रुपए प्रति हेक्टेयर की इमदाद की पेशकश की जाती है, जो पक्वनावधि के दौरान पुनरोपण और अनुरक्षण की लागत के क्रमशः 33.33 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के रूप में, जो दो समान वार्षिक किस्तों में देय है। आठ हेक्टेयर तक के पंजीकृत छोटे और सीमांत इलायची कृषक इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान, विकास अनुभाग ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के ज़रिए 431.59 हेक्टयर छोटी इलायची के पुनरोपण केलिए सहायता प्रदान की है। इस योजना के तहत इमदाद के रूप में 430.17 लाख रुपये (जिसमें वर्ष 2021-22 की पहली किस्त और वर्ष 2020-21 की दूसरी किस्त शामिल हैं) की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिससे 1337 कृषक लाभान्वित हुए।

ख) गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों का उत्पादन और वितरण

बोर्ड की विभागीय पौधशालाओं द्वारा रोगमुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण किया गया। पांच विभागीय पौधशालाओं में उत्पादित रोपण सामग्रियाँ नाम मात्र दर पर उत्पादकों को वितरित की गई थीं।

वर्ष 2021-22 के दौरान, कर्नाटक क्षेत्र के बोर्ड की पांच विभागीय पौधशालाओं से 1,55,010 इलायची रोपण सामग्री, 1,03,647 कालीमिर्च की मूल लगाई कतरनें, 8,631 कालीमिर्च न्यूक्लियस रोपण सामग्री का उत्पादन किया गया और उन्हें 849 कृषकों को वितरित किया गया था।

ग) रोपण सामग्री का उत्पादन

आगामी मौसम के लिए रोगमुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए किसानों को अपने स्वयं के खेत में इलायची अंतर्भूस्तरियों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया। प्रमाणित पौधशालाओं में उत्पादित रोपण सामग्रियों का उपयोग (50 प्रतिशत से अधिक नहीं) आवेदकों द्वारा पुनःरोपण/अंतराल भरण के लिए किया जाएगा और शेष की आपूर्ति पड़ोसी/जरूरतमंद किसानों के बीच इष्टतम मूल्य पर की जाएगी जिसकी कीमत बाजार मूल्य से अधिक न हो ।

वर्ष 2021-22 के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत 198 यूनिट (यानी 19,80,000 रोपण सामग्री) स्थापित की गई थी जिसमें 399 लाभार्थी किसानों को 45.27 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी।

घ) सिंचाई और भूविकास

अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इलायची के बागानों में गर्मी के महीनों के दौरान सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फार्म तालाबों, टैंकों, कुओं, वर्षा जल संभरण उपकरणों, सिंचाई उपकरणों की स्थापना और मृदा संरक्षण कार्यों जैसे सिंचाई संरचनाओं का निर्माण करके इलायची के बागानों में जल संसाधनों में वृद्धि करके इलायची के बागानों में सिंचाई को बढ़ावा देना है। बोर्ड केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में कार्यक्रम लागू कर रहा है।

(i) भंडारण संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, भण्डारण संरचनाओं की निर्माण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति के लिए इमदाद केवल एक निर्माण अर्थात् फार्म तालाब / कुएं / भंडारण टैंक के लिए प्रतिबंधित है। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम इमदाद प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली इमदाद सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 30,000/ रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 45,000/ रुपए हैं, जो भी कम हो।

(ii) सिंचाई उपकरणों की संस्थापना

पंजीकृत इलायची उत्पादक, जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, आईपी सेट/ग्रेविटी सिंचाई उपकरणों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। स्प्रिंक्लर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचन के मामले में इलायची उत्पादक जिनके पास 0.40 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है और पंजीकृत है, वे आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लिए ग्रेविटी सिंचन की लागत का 50 प्रतिशत अथवा 5,000/ रुपए; सिंचाई पंपसेट के लिए 15,000/ रुपए;

स्प्रिंक्लर/ड्रिप/सूक्ष्म सिचाई के लिए 32,000/ रुपए, जो भी कम हो और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा ग्रेविटी सिंचाई के लिए 11,250/ रुपए; सिचाई पंपसेट के लिए 45,000/ रुपए; स्प्रिंक्लर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचाई के लिए 95,000/ रुपए ,जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है।

(iii) वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक, जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कोई भी किसान, जिसने पहले इसका लाभ उठाया है, वह लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं है। दो सौ घन मीटर क्षमता टैंक के निर्माण के लिए सामान्य श्रेणी के लिए, वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत अथवा 18,000/ रुपए; और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए, वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 40,000/ रुपए, जो भी कम हो, की इमदाद दी जाती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 24 जल भंडारण संरचनाओं और 710 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया। साथ ही, 23 सिंचाई पंपसेट और चार सूक्ष्म (माइक्रो) सिंचाई प्रणालियां स्थापित की गईं, जिससे 61 किसानों को 13.28 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है ।

आ) उत्तरपूर्व के लिए विकास कार्यक्रम

इलायची (बड़ी)

बड़ी इलायची मुख्य रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों के उपहिमालयी इलाकों में उगाई जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों और सिक्किम में बड़ी इलायची का कुल क्षेत्रफल 26,617 हेक्टेयर था जिसमें 6,034 टन का अनुमानित उत्पादन हुआ। वर्ष 2021-22 में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के अंतर्गत बड़ी इलायची का कुल उत्पादन क्षेत्र 18,422 हेक्टेयर था जिसमें 2,778 टन उत्पादन हुआ था। गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की अनुपलब्धता, जीर्ण, पुराने और अलाभकर पौधों की उपस्थिति और अंगमारी (चित्ती) रोग बड़ी इलायची उत्पादन को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियां हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, बोर्ड बड़ी इलायची के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम लागू कर रहा है।

क) बड़ी इलायची पुनरोपण / नवरोपण

बड़ी इलायची मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों के छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाई जाती है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें व्यवस्थित तरीके से पुनरोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इलायची उगाने वाले किसान, उच्च निवेश के कारण पुनरोपण/नव रोपण की लागत को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं हैं।

गैरपारंपरिक क्षेत्रों में नए रोपण और परंपरागत क्षेत्रों में पुनरोपण के साथसाथ पक्वनावधि (अर्थात् 1 और 2 वर्ष) के दौरान रखरखाव केलिए, इमदाद के रूप में, सामान्य श्रेणी के लिए लागत की 33.33 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत, बशर्तेकि अधिकतम प्रति हेक्टेयर क्रमश अधिकतम 33,600/ रुपए और 75,000/ रुपए हो, जो दो समान वार्षिक किस्तों में देय है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, विकास स्कंध (विंग) ने अपनी क्षेत्रीय (फील्ड) इकाइयों के माध्यम से इस कार्यक्रम को लागू किया और बडी इलायची के 766.77 हेक्टेयर (जिसमें पिछले बकाया मामले अर्थात् वर्ष 2018-19 की दूसरी किस्त और वर्ष 2019-20 की पहली तथा दूसरी किस्त और वर्ष 2020-21 की पहली तथा दूसरी किस्त) के पुनरोपण/ नवरोपण के लिए सहायता प्रदान की और इमदाद के रूप में 521.09 लाख रुपये (जिसमें पिछले बकाया मामले अर्थात् वर्ष 2018-19 की दूसरी किस्त और वर्ष 2019-20 की पहली तथा दूसरी किस्त और वर्ष 2020-21 की पहली तथा दूसरी किस्त शामिल हैं) की व्यवस्था की गई थी, जिससे 2976 कृषक लाभान्वित हुए।

ख) रोपण सामग्री उत्पादन

आगामी मौसम के लिए रोगमुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए किसानों को अपने स्वयं के खेत में इलायची अंतर्भूस्तरियों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया।

इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान 171.5 यूनिट (यानी 17,15,000 रोपण सामग्री) स्थापित की गई थी जिसमें 400 लाभार्थी किसानों को 63.51 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी ।

ग) सिंचाई योजनाएं

बड़ी इलायची मुख्य रूप से वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाई जाती है। जलवायु की अनियमितता अक्सर उत्पादन को प्रभावित करती है। नवंबर से मार्च तक की अवधि भीषण सर्दियों वाला लंबा शुष्क मौसम होता है जिसके परिणामस्वरूप विकास मंद हो जाता है और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल संसाधनों को बढ़ाने के साथसाथ सर्दियों के महीनों के दौरान लंबे शुष्क समय से निपटने के लिए सिंचाई को सक्षम बनाने और उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने हेतु बड़ी इलायची बागानों में सिंचाई उपकरण स्थापित करने के लिए बोर्ड उत्तरपूर्वी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कार्यक्रमों को लागू कर रहा है ।

घ) भंडारण संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक, जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति के लिए आर्थिक सहायता केवल एक निर्माण अर्थात् फार्म तालाब / कुएं / भंडारण टैंक के लिए प्रतिबंधित है। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली इमदाद सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 30,000/ रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 45,000/ रुपए हैं, जो भी कम हो।

(i) सिंचाई उपकरणों की संस्थापना

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, आईपी सेट / ग्रेविटी सिंचाई उपकरणों के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उत्पादकों को लाभ देने के लिए, किसी व्यक्ति को केवल एक इकाई के लिए आर्थिक सहायता प्रतिबंधित है। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता की राशि सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 15,000/ रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 20,000/ रुपए हैं, जो भी कम हो।

(ii) वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कोई भी किसान जिसने पहले इस लाभ का लाभ उठाया है, वह लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। दो सौ क्यूबिक मीटर क्षमता वाले टैंक के लिए दी जाने वाली इमदाद की दर सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत अथवा 18,000/ रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 40,000/ रुपए हैं, तक सीमित है।

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल छह वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया था और बड़ी इलायची के लिए 78 सिंचाई पंपसेट लगाए गए थे, जिसमें 84 किसानों को 15.05 लाख रुपये का वित्तीय समर्थन प्रदान किया गया।

इ) उत्तरपूर्व में पहचाने गए मसालों के निर्यात योग्य अधिशेष को बढ़ावा देना

क) लकडोंग हल्दी की खेती

इस योजना का उद्देश्य निर्यात के लिए लकडोंग हल्दी की खेती को बढ़ावा देना है। उत्तरपूर्व भारत के हल्दी उत्पादक जिनके पास 0.10 से 8 हेक्टेयर भूमि है, वे सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। यह योजना रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 30,000/ रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, विकास स्कन्ध ने अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से इस कार्यक्रम को लागू किया और उत्तरपूर्वी राज्यों के 219 किसानों को 88.66 हेक्टेयर हल्दी क्षेत्र शामिल करने के लिए सहायता प्रदान की।

ख) उत्तरपूर्वी अदरक की खेती

इस योजना का उद्देश्य निर्यात के लिए उत्तरपूर्वी अदरक की खेती को बढ़ावा देना है। उत्तरपूर्व के अदरक उत्पादक जिनकी भूमि का आकार 0.10 से 8 हेक्टेयर है, वे सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। यह योजना रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 30,000 प्रति हेक्टेयर, की सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, विकास स्कन्ध ने अपनी क्षेत्रीय

इकाइयों के माध्यम से इस कार्यक्रम को लागू किया और उत्तरपूर्वी अदरक क्षेत्र के 47.65 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के 131 किसानों को सहायता प्रदान की।

ई) मसालों की फसल कटाई पश्चात् सुधार

क) छोटी इलायची के लिए सुधरी इलायची क्यूरिंग उपाय की आपूर्ति।

इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों को निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली इलायची का उत्पादन करने के लिए इलायची को सुखाने हेतु सुधरी इलायची क्यूरिंग उपकरणों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। योजना के अंतर्गत ड्रायर के लिए इमदाद की दर सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत है, बशर्तेकि अधिकतम क्रमशः 1,50,000/ रुपए और 3,37,500/ रुपए हो, है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 57.68 लाख रुपये की कुल इमदाद पर 49 सुधरी इलायची क्यूरिंग उपाय स्थापित किए गए थे, जिससे 49 उत्पादक लाभान्वित हुए।

ख) बड़ी इलायची के लिए उन्नत इलायची उपचार उपकरणों की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों को निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली इलायची का उत्पादन करने के लिए इलायची सुखाने हेतु उन्नत इलायची उपचार उपकरणों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह योजना पूर्वोत्तर / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के किसानों को दक्षिण भारत से परिवहन सहित ड्राइयर की लागत की 75 प्रतिशत, जो इमदाद के रूप में अधिकतम 3,75,000/ के अधीन है, की सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, लगभग 8.95 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से चार उन्नत इलायची उपचार उपकरण स्थापित किए गए जिससे चार उत्पादक लाभान्वित हुए।

ग) बड़ी इलायची ड्रायर (सावो ड्रायर / संशोधित भट्टी / अनुमोदित समकक्ष ड्रायर)

इस योजना का उद्देश्य बड़ी इलायची की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसान समुदाय को वैज्ञानिक उपचार विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह योजना सामान्य के लिए कुल लागत का 33.33 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए 75 प्रतिशत की दर से इमदाद प्रदान करती है, जो सामान्य के लिए अधिकतम 16,000/ प्रति यूनिट और उत्तरपूर्व / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए 28,000/ यूनिट है।

वर्ष 2021-22 के दौरान 10.68 लाख रुपये के वित्तीय समर्थन के साथ कुल 49 संशोधित भट्टी इकाइयों का निर्माण किया गया, जिससे 49 कृषक लाभान्वित हुए।

घ) बीजीय मसाला थ्रेशरों की आपूर्ति

आम तौर पर बीजीय मसाला उत्पादकों द्वारा अपनाई जाने वाली कटाई और फसल कटाई पश्चात् की प्रथाएं अस्वास्थ्यकर होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद डंठल, गंदगी, रेत, तनों के टुकडे इत्यादि बाहरी सामग्री से संदूषित होते हैं। काटी गई फसल और सूखे पौधों को बांस के टुकड़ों से पीट कर या पौधों को हाथों से रग़डकर बीजों को अलग किया जाता है। बोर्ड द्वारा सूखे पौधों से बीज को अलग करने और स्वच्छ मसालों का उत्पादन करने के लिए, थ्रेशरों का उपयोग लोकप्रिय बनाया जा रहा है, जिन्हें हाथों से या बिजली का उपयोग करके चलाया जाता है।

बोर्ड इमदाद के रूप में थ्रेशर की लागत का सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 75 प्रतिशत उपलब्ध कराता है, जो कि क्रमशः सामान्य कृषक के लिए अधिकतम 75,000/ रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 1,12,000/ रुपए है।

वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग ने किसानों के खेतों में 83 विद्युत चालित थ्रेसर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की और कुल 66.46 लाख रुपये की इमदाद प्रदान की गई, जिससे 83 कृषक लाभान्वित हुए।

ङ) कालीमिर्च के थ्रेशरो की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य, कालीमिर्च के उत्पादकों को, डंठलों से कालीमिर्च की फलियों को स्वच्छता के साथ अलग करने हेतु कालीमिर्च के थ्रेशर्स स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर, निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्तावाली कालीमिर्च का उत्पादन करना है। इमदाद की दर सामान्य कृषक को थ्रेशर की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित

जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 75 प्रतिशत, बशर्तेकि सामान्य कृषक को अधिकतम 19,000/ रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 28,000/ रुपए है।

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 50.89 लाख रुपये की इमदाद पर 339 थ्रेशर लगाए गए थे, जिससे 330 कृषक लाभान्वित हुए।

च) भाप से हल्दी उबालने वाली इकाइयों की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य भाप से हल्दी उबालने वाली इकाइयों का उपयोग करके हल्दी प्रसंस्करण के लिए बेहतर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने में हल्दी उत्पादकों की सहायता करना है। यह अंतिम उपज को बेहतर रंग और गुणवत्ता प्रदान करता है। स्पाइसेस बोर्ड निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्तायुक्त हल्दी के उत्पादन के लिए कृषकों में हल्दी उबालने वाली इकाइयों के उपयोग को, बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बना रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हल्दी उबालने वाली इकाई की वास्तविक लागत का सामान्य कृषक को 50 प्रतिशत और उत्तरपूर्व / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए 75 प्रतिशत अथवा सामान्य कृषक के लिए 1,88,000 लाख रूपए और उत्तरपूर्व / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए 2,28,000/ रुपए, जो भी कम हो, इमदाद के रूप में दी जाती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 181.96 लाख रूपये की वित्तीय सहायता पर भाप से हल्दी उबालने वाली 116 इकाइयों की आपूर्ति की गई, जिससे 116 कृषक लाभान्वित हुए।

छ) हल्दी पॉलीशर की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य हल्दी उत्पादकों / उत्पादकों के समूह / मसाला उत्पादक सोसाइटियों / मसाला किसान उत्पादक कंपनी आदि को प्रेरित करना और उनकी सहायता करना है, ताकि निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाली हल्दी का उत्पादन करने के लिए रियायती दरों पर सुधारित पॉलिशर्स की आपूर्ति करके हल्दी की आपूर्ति की जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य कृषक के लिए बॉयलिंग इकाई की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 94,000/ रुपए और उत्तरपूर्व / अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कृषकों के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 1,40,000/ रुपए, जो भी कम है, की इमदाद प्रदान की जाती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 188 हल्दी पॉलिशिंग इकाइयों को 165.80 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 188 कृषक लाभान्वित हुए ।

ज) जायफल/लौंग ड्रायर

इस योजना का उद्देश्य गुणवत्ता वाले जायफल, जावित्री और लौंग का उत्पादन करने के लिए उत्पादकों में यांत्रिक ड्रायर को लोकप्रिय बनाना है। इमदाद की दर, सामान्य कृषक को ड्रायर की लागत का 50 प्रतिशत और उत्तरपूर्व / अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कृषकों के लिए 75 प्रतिशत अथवा क्रमश सामान्य कृषक को अधिकतम 37,500/ रुपए और उत्तरपूर्व / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कृषकों के लिए 56,000/ रुपए है ।

वर्ष 2021-22 के दौरान 200 जायफल/लौंग ड्रायर की संस्थापना के लिए 55.23 लाख रुपये की सहायता दी गई, जिससे 200 कृषक लाभान्वित हुए।

झ) पुदीना आसवन इकाई की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य पुदीना उत्पादकों को आसवन इकाई की क्षमता बढ़ाने के साथसाथ निर्यात के लिए तेल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उनके खेतों में स्टेनलेस स्टील वाली आधुनिक आसवन इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है। इमदाद की दर, सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत बशर्तेकि क्रमश : 1,88,000/ रुपए और 2,80,000/ रुपए, जो भी कम हो, है ।

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 7.55 लाख रुपये की इमदाद पर कुल पाँच पुदीना आसवन इकाइयां स्थापित की गई थीं, जिससे पाँच कृषक लाभान्वित हुए।

ञ) मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर्स

योजना का उद्देश्य मशीनीकरण के माध्यम से मसालों के उत्पादन में लाभप्रदता बढ़ाने और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मसाला क्लीनर/ ग्रेडर/सर्पिल ग्रेविटी सेपरेटर्स को लोकप्रिय बनाना है। यह योजना सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत और और पूर्वोत्तर / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत

बशर्तेकि क्रमशः 44,000/ रुपए और 66,000/ रुपए, जो भी कम हो, है।

वर्ष 2021-22 के दौरान 2.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से कुल पांच मसाला ग्रेडिंग मशीनें लगाई गईं, जिससे पांच उत्पादकों को लाभ हुआ।

ट) मसाला धुलाई मशीनें

इस योजना का उद्देश्य मशीनीकरण के माध्यम से मसालों के उत्पादन में लाभप्रदता बढ़ाने और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मसाला वाशिंग मशीनों को लोकप्रिय बनाना है। यह योजना सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत और और पूर्वोत्तर / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत बशर्तेकि क्रमशः 53,000 रुपये प्रति यूनिट और 80,000 रुपये प्रति यूनिट, जो भी कम हो, है।

वर्ष 2021-22 के दौरान 15.90 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से कुल 30 मसाला वाशिंग मशीनें लगाई गईं, जिससे 30 कृषक लाभान्वित हुए।

ठ) क्वालिटी गैप ब्रिजिंग ग्रुप्स चिन्हित समूहों में मसाला उत्पादक समूह

इस योजना का उद्देश्य मसाला उत्पादकों को चिन्हित समूहों के माध्यम से गुणवत्ता, सुरक्षा और ट्रेसेबिलिटी के साथ मसालों का उत्पादन करने के लिए सक्षम बनाना है। यह योजना फसल कटाई के बाद मशीन/उपकरण बैंक की स्थापना, ट्रेसेबिलिटी पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए आईटी सहायता और मसाला उत्पादक समूहों द्वारा बिक्री की मात्रा में सुधार, अच्छी कृषि प्रथाओं (जीएपी) के लिए भूखंड की स्थापना और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के रखरखाव हेतु तकनीकी जनशक्ति के लिए समर्थन, मसाला बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन के आधार पर जीएपी प्लॉट और मसाला उत्पादक समूहों का कार्यालय के लिए प्रति मसाला उत्पादक समूहों को अधिकतम 25 लाख रुपये की सहायता प्रदान करती है। मसाला क्षेत्र में सक्रिय रूप से लगे पंजीकृत एफपीओ, एफपीसी, एसएचजी, एसपीएस आदि जैसी कानूनी इकाई वाला समूह सहायता के लिए पात्र है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, मसाला क्षेत्र के तहत आने वाले 15 किसान समूहों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ उठाया और 110.75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ विभिन्न फसल कटाई के बाद मशीनें स्थापित कीं, जिससे 3178 किसान लाभान्वित हुए।

ड) तिरपाल/सिलपॉलीन शीटों की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों को गुणवत्ता में सुधार के लिए मसालों के स्वच्छ सुखाने को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मसाला उत्पादक जिनके पास 0.20 से 8 हेक्टेयर तक जोत वाले जमीन है, वे सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। यह योजना सामान्य श्रेणी के लिए लागत की 50 प्रतिशत, हैअधिकतम 2,000.00 रूपये प्रति शीटऔर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लागत की 75 प्रतिशत, अधिकतम 3,000.00 रुपये प्रति शीट की सहायता प्रदान करती ।

वर्ष 2021-22 के दौरान, पूरे भारत में मसाला कृषकों को 26,940 तिरपाल और 1,400 सिलपॉलिन शीट की आपूर्ति की गई और 293.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 17,727 किसान लाभान्वित हुए।

ढ) केरल के इडुक्की जिले में छोटी इलायची के लिए मौसम आधारित फसल बीमा

इस योजना का उद्देश्य छोटी इलायची उत्पादकों को प्रतिकूल मौसम की घटनाओं जैसे कि कम वर्षा, गर्मी (तापमान), सापेक्ष आर्द्रता, जिन्हें उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला माना जाता है, आदि से बचाना है। छोटी इलायची के पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से आठ हेक्टेयर भूमि है, वे इस योजना के लिए नामांकन करने के पात्र हैं। यह योजना लघु इलायची की किसी भी प्रचलित किस्म को मोनो फसल या इंटरक्रॉप के रूप में उगाने वाले किसानों के लिए लागू है।

मसाला बोर्ड के तत्वावधान में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना में मसाला बोर्ड द्वारा प्रीमियम का 75 प्रतिशत की सहायता प्रदान करती है और प्रीमियम का 25 लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। बोर्ड का हिस्सा 16,040.00 रुपये प्रति हेक्टेयर है। (जीएसटी सहित)।

वर्ष 2021-22 के दौरान, योजना के तहत 808 किसानों से आवेदन प्राप्त हुए और बोर्ड के हिस्से के रूप में 52.99 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई।

घ) जैविक खेती

मसालों के जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021-22 में, केंचुआकम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता देने, मसालों के जैविक बीज बैंक को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएँ लागू की गईं।

अ) केंचुआ कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना

जैविक उत्पादन में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खेत में ही जैविक आदानों का उत्पादन करना आवश्यक है। उत्पादकों को जैविक कृषि आदानों, विशेष रूप से केंचुआ कम्पोस्ट का उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए, एक टन उत्पादन की क्षमता वाली एक केंचुआकम्पोस्ट इकाई हेतु इमदाद के रूप में, सामान्य कृषकों को वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत अथवा 4,500/ रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत अथवा 10,000/ रुपए प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान 335 वर्मीकंपोस्ट इकाइयों की स्थापना की गई थी, जिसमें 322 कृषकों को कुल 32.28 लाख रुपये की इमदाद दी गई।

आ) मसालों के लिए जैविक बीज बैंकों की स्थापना

जैविक बीज बैंकों के अंतर्गत शामिल करने हेतु स्वदेशी किस्में केरल में कोचीन अदरक, उत्तरपूर्वी राज्यों में नादिया अदरक, केरल में अलेप्पी फिंगर हल्दी, महाराष्ट्र में राजापोरी हल्दी, मेघालय में लकादोंग / मेघा हल्दी और तमिलनाडु में शाकीय मसाले चिह्नित किए गए। इस योजना का उद्देश्य समृद्ध आंतरिक मूल्य वाली अदरक और हल्दी तथा शाकीय मसालों की स्वदेशी किस्मों की रोपण सामग्री के गुणन के लिए उत्पादकों के खेत में जैविक बीज बैंक स्थापित करना और शुद्धता बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के स्रोत के रूप में कार्य करनया है। मसालों की इनमें से किसी भी किस्म के व्यक्तिगत उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से आठ हेक्टेयर तक की जमीन हो और जैविक प्रमाणन वाले हो, इस योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। एक उत्पादक दो हेक्टेयर प्रति लाभार्थी अधिकतम तीन साल तक के लिए योजना के तहत इमदाद का लाभ उठा सकता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत 3.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से गुवाहटी क्षेत्र में अदरक के संबंध में तीन जैविक बीज बैंकों का भुगतान किया गया है ।

ङ) मसालों की गुणवत्ता सुधार केलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

बोर्ड नियमित रूप से किसानों, राज्य कृषि/बागवानी विभागों के अधिकारियों, व्यापारियों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों आदि के लिए गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि उन्हें फसल पूर्व और बाद के वैज्ञानिक तरीकों और भंडारण प्रौद्योगिकियों और प्रमुख मसालों के लिए अद्यतन गुणवत्ता आवश्यकताओं पर शिक्षित किया जा सके।

वर्ष 2021-22 के दौरान 17.26 लाख रुपये के कुल व्यय पर 186 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत कुल 8695 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। (महिला 1032; अनु. जाति 594; अनु. जन जाति 2968) व्यय एचआरडी शीर्ष के तहत पूरा किया गया था।

च) विस्तार सलाहकार सेवा

उत्पादन पर उत्पादकों को तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण पर प्रशिक्षण और मसालों की फसल कटाई के बाद सुधार उत्पादकता बढ़ाने और मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत संपर्क, क्षेत्र दौरों, समूह बैठकों और छोटी इलायची (केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में) और बड़ी इलायची (सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में) के लिए साहित्य के वितरण के माध्यम से खेती और कट ई के बाद प्रबंधन के वैज्ञानिक पहलुओं पर उत्पादकों को तकनीकी / विस्तार सहायता की परिकल्पना की गई है।

विस्तार सलाहकार सेवा के अलावा निर्यातोन्मुखी उत्पादन स्कीम के अंतर्गत बोर्ड के उत्पादन और कटाई पश्चात कार्यक्रमों को विस्तार नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों में इलायची (छोटी और बड़ी) के लिए कुल 16,100 विस्तार दौरे किए गए और संबंधित उत्पादक क्षेत्रों में अन्य मसालों के लिए 1663 समूह बैठकें / अभियान आयोजित किए गए। वर्ष 2021-22 के दौरान विस्तार सलाहकार सेवा के तहत कुल व्यय 1,741 लाख रुपये था।

छ) छोटी इलायची उत्पादकता पुरस्कार (वर्ष 2019-20 तथा 2020-21)

केरल सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री पी प्रसाद ने 12

मार्च 2022 को मसाला बोर्ड के प्रवाल जयंती समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए मसाला बोर्ड द्वारा गठित छोटी इलायची उत्पादकता पुरस्कार वितरित किए।

उत्पादकता पुरस्कार छोटी इलायची उत्पादकों को प्रति हेक्टेयर उच्चतम उपज की उपलब्धि के आधार पर दिया जाता है। इसमें पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणियां शामिल हैं। प्रथम पुरस्कार श्रेणी में केवल एक स्थान और द्वितीय पुरस्कार श्रेणी में दो स्थान हैं, जिनमें से एक विशेष रूप से महिला उत्पादकों के लिए है। तृतीय पुरस्कार श्रेणी में केवल योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। अब तक हासिल की गई उच्चतम उत्पादकता 7689 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

इस अवसर पर जैविक छोटी इलायची उत्पादकता पुरस्कार (जैविक एससीपीए) नामक एक विशेष पुरस्कार भी वितरित किया गया, जिसमें प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र के साथ नकद पुरस्कार के रूप में 1,00,000.00 रुपये शामिल हैं। इसमें अब तक की सर्वाधिक उत्पादकता 2300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

ज) नई पहल

अ) राष्ट्रीय सतत मसाला कार्यक्रम (एन एस एस पी)

राष्ट्रीय सतत मसाला (स्पाइस) नेटवर्किंग प्रोग्राम नामक परियोजना को विश्व मसाला संगठन (डब्ल्यू.एस.ओ, अखिल भारतीय मसाला निर्यातक फोरम की तकनीकी शाखा), अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों आई.डी.एच (जो सतत व्यापार पहल का समर्थन करता है) और जी.आई.जेड, जर्मनी (जो जैवविविधता और व्यापार पर काम करता है) और मसाला क्षेत्र (सेक्टर) में जैव विविधता के लिए उचित चिंता के साथ ट्रैसेबिलिटी लाने और सुस्थिरता प्राप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्पाइसेस बोर्ड के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य मसाले मिर्च, कालीमिर्च, हल्दी, जीरा और छोटी इलायची और उत्तरपूर्वी क्षेत्र में उत्पादित मसाले हैं, ताकि इस क्षेत्र से मसालों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। तकनीकी भागीदार होने के नाते, स्पाइसेस बोर्ड ने किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन में एनएसएसपी के साथ सहयोग किया और बोर्ड की नियमित योजनाओं के तहत परियोजना क्षेत्र में कटाई के बाद की मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए किसानों का समर्थन किया।

आ) भारत में मसाला मूल्य शृंखला को मजबूत करना और क्षमता निर्माण और अभिनव हस्तक्षेपों के माध्यम से बाजार पहुंच में सुधार करना

स्पाइसेस बोर्ड ने क्षमता निर्माण में सहायता के लिए 2014 में, जीरा, सौंफ, धनिया और कालीमिर्च जैसे मसालों में एसपीएस मुद्दों को संबोधित करने के साथसाथ ज्ञान साझा करने केलिए, मानक और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) के अधीन एक संगठन, को भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और क्षमता निर्माण के माध्यम से बाजार पहुंच में सुधार शीर्षक से तीन साल की परियोजना प्रस्तुत की थी। परियोजना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और दूसरे चरण के कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है।

इ) हल्दी कृत्यक बल समिति

हल्दी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पणधारियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने और क्षेत्र के लिए मौजूदा समर्थन प्रणाली की सीमाओं की पहचान करने और सभी पणधारियों को शामिल करके समन्वित प्रयासों के माध्यम से उन्हें मजबूत करने के लिए, मसाला बोर्ड ने हल्दी कृत्यक बल समिति (टीटीएफसी) का गठन किया है। समिति में सदस्यों के रूप में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसी एंड आई), आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना के राज्य कृषि विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों के बागवानी / कृषि विभाग, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर) और हल्दी निर्यातक संघों, व्यापारी संघों और उत्पादक संघों के प्रतिनिधियों के साथ, निदेशक (विकास), मसाला बोर्ड को अध्यक्ष और उप निदेशक, मसाला बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, वारंगल को सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया है। टीटीएफसी की सिफारिशों के आधार पर, तेलंगाना राज्य में निर्यात गुणवत्ता हल्दी के उत्पादन के लिए एकीकृत परियोजना नामक एक व्यापक परियोजना तैयार की गई और उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई।

वर्ष 2021-22 के दौरान, निजामाबाद, वारंगल और हैदराबाद में मसाला बोर्ड के कार्यालयों ने तेलंगाना राज्य में उत्पादकों से आवेदनों का संग्रह और प्रक्रिया शुरू की है और बोर्ड के हल्दी बॉयलर, पॉलिशर, रैपिड करक्यूमिन परीक्षण उपकरण, सिलपॉलिन / तिरपाल शीट की आपूर्ति और समर्थन समूहों के लिए फसल कटाई के बाद मशीनों / उपकरणों की खरीद और प्रशिक्षण/ अध्ययन दौरे / एक्सपोजर यात्राओं के संचालन के लिए अनुमोदित कार्यक्रम के तहत राज्य के हल्दी क्षेत्र को 5.07 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

ई) मिर्च कृत्यक बल समिति

मिर्च क्षेत्र में मुद्दों का अध्ययन करने और मिर्च के निर्यात योग्य अधिशेष के समग्र विकास और उत्पादन के लिए कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे प्रमुख मिर्च उत्पादक राज्यों में एम.ओ.सी एंड आई, एम.ओ.ए एंड एफ.डब्ल्यू, लाइन संगठनों/ विभागों/ संस्थानों के प्रतिनिधियों और मिर्च निर्यातक/व्यापार/किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल करके टास्क फोर्स का गठन किया गया था। माननीय सांसद और स्पाइसेस बोर्ड के सदस्य श्री जी.वी.एल नरसिम्हा राव सी.टी.एफ.सी के अध्यक्ष हैं और स्पाइसेस बोर्ड के निदेशक (विकास) डॉ. ए.बी. रमाश्री समिति की उपाध्यक्षा हैं ।

कृत्यक (टास्क फोर्स) ने मिर्च की आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) में विभिन्न पणधारियों के सामने आने वाले मुद्दों पर विचारविमर्श किया और मिर्च की विभिन्न प्रकार की निर्यात संभावित किस्मों, इसके आंतरिक मूल्य, उत्पादन, फसलकटाई पश्चात् और निर्यात के मुद्दों को दर्ज किया है। समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

05

निर्यात विकास और संवर्धन

स्पाइसेस बोर्ड देश से मसालों के निर्यात के विकास, मसालों के निर्यात के गुणवत्ता प्रबंधन और इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए उत्तरदाई है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बोर्ड केंद्रीय सेक्टर योजना, मसालों में निर्यात प्रोत्साहन और गुणवत्ता सुधार के लिए एकीकृत योजना और इलायची के अनुसंधान और विकास के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को लागू कर रहा है। इस योजना में प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, गुणवत्ता मूल्यांकन के बुनियादी ढांचे की स्थापना / उन्नयन, छोटी और बड़ी इलायची के लिए अनुसंधान और विकास सहायता, जैविक उत्पादन और प्रमाणीकरण, उत्तरपूर्व क्षेत्र में जैविक मसालों को बढ़ावा देना, फसल कटाई के बाद सुधार के लिए किसानों और मसाला उत्पादक समूहों द्वारा मशीनों/उपकरणों की खरीद के लिए सहायता आदि शामिल हैं, और इन गतिविधियों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत ने 30,576 करोड़ रुपये (4,102.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 15,31,154 मीट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया। भारत के मसालों का निर्यात वर्ष 2013-14 में 13,73,539 लाख रुपये (2,268 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 8,17,250 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 30,57,644 लाख रुपये (4,102.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 15,31,154 मीट्रिक टन हो गया। यह वृद्धि मात्रा में 87 प्रतिशत, और मूल्य में (रु) में 123 प्रतिशत और (यूएसडी) में 81 प्रतिशत दर्ज की गई है। भारत के मसाला निर्यात क्षेत्र में वर्ष 2013-14 के बाद से सीएजीआर मात्रा में 8.16 प्रतिशत, मूल्य में (रु) में 10.52 प्रतिशत और (यूएसडी) में 7.69 प्रतिशत दर्ज किया गया।

विभिन्न कार्यक्रम, जिन्हें निर्यात विकास और संवर्धन योजना के तहत कार्यान्वित किया गया था उनका उद्देश्य आयात करने वाले देशों में बदलते खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने में निर्यातकों की सहायता करना था। वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने और प्रक्रियाओं को उन्नत बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा, बोर्ड मसालों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। जिन क्षेत्रों में मुख्य जोर है वे हैं व्यापार संवर्धन, उत्पाद विकास और अनुसंधान, बुनियादी ढांचा विकास, विदेशों में भारतीय मसाला ब्रांडों का प्रचार, प्रमुख मसाला उत्पादन / विपणन केंद्रों में सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण (स्पाइस पार्क) के बुनियादी ढांचे की स्थापना, जैविक मसालों/जीआई मसालों को बढ़ावा देना, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन आदि। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मसाला क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

अ) अवसंरचना का विकास

क) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र/प्रमाणन के कार्यान्वयन के लिए सहायता

इस योजना के तहत, मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा आई.एस.ओ. / एचएसीसीपी / एफएसएससी 22000 / एनपीओपी, आदि (कोषेर, हलाल, जीएमपी, एसक्यूएफ, बीआरसी, आदि सहित) के तहत मसाला निर्यातकों की प्रसंस्करण इकाइयों, इन हाउस प्रयोगशालाओं आदि का प्रत्यायन / प्रमाणीकरण प्राप्त करने, आयात करने वाले देशों की अधिकृत एजेंसियों/विदेशी खरीददार सत्यापन कार्यक्रम (एफबीवीपी), आदि द्वारा प्रमाणीकरण की लागत पर विचार किया जाता है।

बोर्ड सामान्य श्रेणी के निर्यातक के लिए प्रमाणन की लागत का 33 प्रतिशत, अधिकतम 5.00 लाख रुपए तक, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों / जम्मू

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्थापना की है, जिसमें एक विसंक्रमण इकाई भी शामिल है और इसे मेसर्स फ्लेवरिट स्पाइस ट्रेडिंग लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान स्पाइसेस पार्क छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में स्थापित सामान्य प्रसंस्करण इकाई को मेसर्स वी नेचुरल, छिंदवाड़ा को 10 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था। मेसर्स वी नेचुरल द्वारा संचालन की शुरुआत का उद्घाटन भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 27 जनवरी, 2022 को श्री पी. एस. नेरहरि, जिला कलेक्टर, छिंदवाड़ा की उपस्थिति में किया।

(ii) उद्यमियों को प्लॉट का आवंटन

छिंदवाड़ा और पुट्टडी को छोड़कर अन्य सभी स्पाइसेस पार्कों में संभावित उद्यमियों को मूल्यवर्धन और मसालों के उन्नत प्रसंस्करण के लिए अपनी प्रसंस्करण इकाइयों का विकास करने हेतु आवंटित करने के लिए भूमि निर्धारित की गई है। उद्यमी स्पाइसेस पार्क में उपलब्ध आम बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी प्रसंस्करण इकाइयों का विकास कर सकते हैं।

वर्ष 2021-2022 के दौरान, बोर्ड ने मसालों के पंजीकृत निर्यातकों से विभिन्न स्पाइसेस पार्कों में उपलब्ध खाली भूखंडों के आवंटन के लिए ईओआई आमंत्रित किया। बोर्ड को जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिलीं और गुंटूर को छोड़कर अन्य सभी पार्कों में सभी आवेदनों पर आवंटन के लिए विचार किया गया।

चूंकि गुंटूर में प्राप्त प्रतिक्रियाएं उपलब्ध भूखंडों से अधिक थीं, बोर्ड ने भूमि का आवंटन कुछ निश्चित मानदंडों, जैसे कि ईओआई आवेदकों द्वारा प्रस्तुत डीपीआर की योग्यता, गतिविधि की अनुसूची, श्रेणी, निर्यात की मात्रा, आदि, के आधार पर किया । तदनुसार, वर्ष के दौरान, बोर्ड ने मसाला प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए छह उद्यमियों को छह भूखंड आवंटित किया। इस प्रकार, स्पाइसेस पार्क, गुंटूर में कुल आवंटन 23 उद्यमियों को 55 भूखंड हैं, जिनमें से पांच इकाइयां कार्यरत हैं और सात इकाइयों का निर्माण प्रगति पर है।

स्पाइसेस पार्क जोधपुर में 31 मार्च 2022 तक 19 उद्यमियों को 23 भूखण्ड आवंटित किये गये थे, जिनमें से 10 उद्यमियों ने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है और प्रगति पर है।

स्पाइसेस पार्क, गुना के संबंध में, बोर्ड ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान तीन उद्यमियों को सात भूखंड आवंटि त किया है। इस प्रकार, 18 उद्यमियों को कुल 29 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से दो इकाइयां कार्यरत हैं।

स्पाइसेस पार्क, कोटा में समीक्षाधीन अवधि के दौरान तीन उद्यमियों को तीन भूखंड आवंटित किए गए हैं और आवंटित कुल भूखंड 13 है, जिनमें से एक इकाई का निर्माण प्रगति पर है।

विभिन्न स्पाइसेस पार्कों में उपलब्ध खाली भूखंडों को बोर्ड द्वारा वर्ष भर ईओआई आमंत्रित करके अधिसूचित किया गया है। प्राप्त अनुरोधों पर उद्यमियों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की उपलब्धता और योग्यता के आधार पर विचार किया गया।

विभिन्न स्पाइसेस पार्कों जैसे जोधपुर, कोटा और गुना में स्थापित कैंटीन, बैंक, गोदाम, प्रयोगशाला आदि जैसी सामान्य सहायक सुविधाओं के लिए जगह को भी पणधारीयों को पट्टे पर दिया गया था।

वर्ष 2021-2022 के दौरान, विभिन्न स्पाइस पार्कों में स्थापित आम प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से कुल 15,367 मीट्रिक टन मसालों का प्रसंस्करण किया गया और इनमें से 400 लाख रुपये मूल्य के 649 मीट्रिक टन मसालों का निर्यात किया गया। स्पाइसेस पार्क गुना में स्थापित कलर सॉर्टेक्स सिस्टम में कुल 407.40 मीट्रिक टन मसालों का प्रसंस्करण किया गया।

बोर्ड ने स्पाइसेस पार्क में उपलब्ध भूखंड उद्यमियों को मसालों के मूल्यवर्धन के लिए अपनी प्रसंस्करण इकाइयां विकसित करने के लिए आवंटित किया है। वर्ष 2021-2022 के दौरान स्पाइसेस पार्कों में स्थापित इन इकाइयों के माध्यम से 39,500 लाख रुपये मूल्य के कुल 44,510.81 मीट्रिक टन मसालों

का प्रसंस्करण किया गया, जिनमें से 180 लाख रुपये के 1024 मीट्रिक टन मसालों का निर्यात किया गया।

वर्ष 2021-2022 के दौरान, स्पाइसेस पार्कों में स्थापित आम भंडारण सुविधाओं में कुल 9,655 मीट्रिक टन मसालों का भंडारण किया गया था और स्पाइसेस पार्कों में उद्यमियों द्वारा स्थापित गोदामों/कोल्ड स्टोरेज इकाइयों में कुल 4,235 मीट्रिक टन मसाले और 89,945 मीट्रिक टन अन्य कृषि उत्पादों का भंडारण किया गया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान, स्पाइसेस पार्कों ने 194 महिला श्रमिकों सहित, कुल 104 स्थायी श्रमिकों और 253 अनुबंध / आकस्मिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया। स्पाइसेस पार्कों में रखरखाव/कारोबारी कार्य के लिए 227.748 लाख रुपये व्यय किया गया है।

(iii) स्पाइस कॉम्प्लेक्स सिक्किम

सिक्किम राज्य में मसालों के महत्व और राज्य से मसालों के निर्यात की संभावनाओं और अवसरों को ध्यान में रखते हुए, स्पाइसेस बोर्ड ने सिक्किम में एक स्पाइसेस परिसर स्थापित करने के लिए स्टेट सेल, वाणिज्य मंत्रालय को एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। परियोजना प्रस्ताव ने राज्य में किसानों और अन्य पणधारियों को लाभ पहुंचाने के लिए मसालों में सामान्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को सुविधाजनक बनाने और प्रदर्शित करने के लिए निर्यात योजना (टीआईईएस) के लिए व्यापार बुनियादी ढांचे के तहत वित्तीय सहायता की मांग की। सिक्किम स्पाइस कॉम्प्लेक्स को उपयुक्त भौतिक और आम बुनियादी ढांचे और सुविधाओं वाले एक स्वनिहित सुविधा के रूप में परिकल्पित किया गया है। सिक्किम में स्पाइस कॉम्प्लेक्स के घटकों में एक सामान्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन इकाई, बड़ी इलायची के लिए अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं और गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केंद्र, जैव-इनपुट उत्पादन के लिए प्रबंधन भवन सहित फसल उपरांत प्रबंधन हेतु एक ही स्थान पर बोर्ड का अनुसंधान, विकास और विपणन कार्यालय स्थापित करना भी शामिल है। सिक्किम सरकार ने सिक्किम के पूर्वी जिले के नामचेबोंग में 10 एकड़ जमीन आवंटित की है। परियोजना की कुल लागत 26.51करोड़ रुपये है। सिक्किम में स्पाइस कॉम्प्लेक्स की स्थापना की परियोजना को मंजूरी टीआईइस के तहत दी गई है और मंत्रालय द्वारा पहली किस्त के रूप में 8.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। बोर्ड ने आद्योपांत (टर्नकी) आधार पर स्पाइस कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की जिम्मेदारी एक एजेंसी के रूप में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), गंगटोक क्षेत्र को सौंपा और इसके लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

बोर्ड ने परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य विभाग, सिक्किम सरकार; बागवानी विभाग, सिक्किम; सीपीडब्ल्यूडी; सिक्किम के मसाला निर्यातक सदस्य और मसाला बोर्ड के अधिकारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) का भी गठन किया है।

वर्तमान में, समोच्च सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, स्पाइस कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए निविदा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ऑनलाइन मंगाई गई है और जुलाई 2022 में पूरा होने की उम्मीद है। बोर्ड ने सीपीडब्ल्यूडी को दूसरी किस्त के रूप में 2.90 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दिया है।

आ) व्यापार उन्नयन

क) व्यापारिक नमूने विदेश भेजना

मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात अनुबंध आम तौर पर खरीददारों को उपलब्ध कराए गए नमूनों के आधार पर संपन्न होते हैं। निर्यातकों को अनुमोदन और खरीददारों की अपेक्षाओं से मिलान करने के लिए विदेशों में अपने ग्राहकों को नमूने भेजने की आवश्यकता होती है। एक अनुबंध के लिए नमूनों को कूरियर से भेजने की उच्च लागत और कूरियर से भेजना आवश्यक नमूनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड निर्यातकों को विदेशों में नमूने भेजने के लिए कूरियर शुल्क की लागत को समायोजित करने में सहायता करता है। यह सहायता वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 250 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले व्यापार निर्यातकों और एमएसएमई निर्यातकों को प्रतिपूर्ति के रूप में सहायता सामान्य श्रेणी में कूरियर शुल्क की लागत के 50 प्रतिशत की दर से, अधिकतम प्रतिवर्ष 1.50 लाख रुपये तक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/ जम्मूकश्मीर और लद्दाख, राज्यों आईटीडीपी क्षेत्र घोषित

राज्यों और द्वीप समूहों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों) में निर्यातकों की श्रेणी में कूरियर शुल्क की लागत के 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम 2.25 लाख रुपये प्रति वर्ष तक प्रदान की गई थी। वर्ष 2021-22 के दौरान, इस योजना के तहत 1.81 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई।

ख) पैकेजिंग विकास और बारकोडिंग

शैल्फ जीवन में वृद्धि, भंडारण स्थान की आवश्यकता में कटौती और विदेशी बाजारों में भारतीय मसालों की बेहतर प्रस्तुति के लिए मौजूदा पैकेजिंग में सुधार और आधुनिक पैकेजिंग विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बोर्ड उन सभी पंजीकृत निर्यातकों की, जिन्होंने स्पाइसेस बोर्ड में अपना ब्रांड नाम पंजीकृत किया है, शैल्फ जीवन में वृद्धि, भंडारण स्थान की आवश्यकता में कटौती और विदेशी बाजारों में भारतीय मसालों की बेहतर प्रस्तुति के लिए मौजूदा पैकेजिंग में सुधार और आधुनिक पैकेजिंग विकसित करने के लिए आधुनिक पैकेजिंग विकसित करने में सहायता करता है। कार्यक्रम के तहत उभरते बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार पैकेजिंग विकास, बार कोडिंग, क्यूआर कोड, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कोड (ईपीसी)/रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग आदि जैसी गतिविधियों पर विचार किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, इस योजना के तहत 01.00 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई।

ग) उत्पाद अनुसंधान एवं विकास (पंजीकृत निर्यातकों/ संस्थानों के लिए)

मसालों को औषधीय, सौन्दर्यवर्धक, पोषण और स्वास्थ्य वर्धक मूल्यों के लिए जाना जाता है। इन उपयोगों के बारे में पारंपरिक ज्ञान का एक विशाल भंडार देश में उपलब्ध है। हालांकि, मसाले/मसाले के अर्क/मसाले के मिश्रण के प्रशंसित गुणों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी सबूत/सत्यापन अध्ययन मौजूद नहीं हैं। दस्तावेज़ीकरण/ सत्यापन का यह अभाव इन उत्पादों की विपणन क्षमता में बाधक बनता है। यह महसूस किया गया है कि यदि वैज्ञानिक तरीके से किए गए परीक्षणों और नैदानिक मूल्यांकनों के आधार पर आवश्यक दस्तावेज/सत्यापन तैयार किया जाता है, तो बहुत अधिक मूल्यवर्धन वाले उत्पादों को तैयार किया जा सकता है और इन उत्पादों का स्थापित बाजारों में वैकल्पिक दवाओं, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, न्यूट्रास्यूटिकल्स, प्रतिरक्षा बूस्टर इत्यादि के रूप में विपणन और पेटेंट (यदि आवश्यक हो) किया जा सकता है। साथ ही, देश के भीतर उत्पादित मसालों से नए अंतिम उपयोग और अनुप्रयोग विकसित करने की गुंजाइश है।

ऐसे नए उत्पादों और फॉर्मूलेशनों के निर्यात से मिलने वाला लाभ न्यूनतम मूल्यवर्धन वाले साबुत मसालों के निर्यात से प्राप्त लाभ की तुलना में असाधारण रूप से अधिक होगा। मसालों से नए अंतिम उत्पादों के विकास में अपरंपरागत अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल होता है, जिससे निर्यात की उच्च क्षमता वाले पेटेंट योग्य उत्पादों का निर्माण भी हो सकता है। यह योजना उत्पाद अनुसंधान और विकास, नैदानिक परीक्षण, संपत्तियों के सत्यापन, पेटेंट और विपणन परीक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

पंजीकृत निर्यातक और आवश्यक सुविधाओं वाले अनुसंधान एवं विकास संस्थान, योजना के तहत, उत्पाद अनुसंधान और विकास की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 25.00 लाख रुपये और नैदानिक परीक्षण और पेटेंट कराने की स्थिति में, 1.00 करोड़ रुपये, सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। साथ ही, केंद्र/राज्य के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास और सरकार के अन्य संस्थानों को, परियोजना की लागत के 100 प्रतिशत तक अधिकतम 25 लाख रुपये और यदि नैदानिक परीक्षण और पेटेंट कराना भी शामिल है तो 1.00 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड ने उत्पाद अनुसंधान एवं विकास घटक के तहत दो लाभार्थियों को 32.49 लाख रुपये की सहायता प्रदान की।

घ) भारतीय मसाला ब्रांडों का विदेशों में प्रचार

भारत से मसालों का एक बड़ा हिस्सा थोक रूप में निर्यात किया जाता है और इसे दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और सुदूर पूर्व की कम लागत वाली अर्थव्यवस्थाओं से कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है। भारत के मसाला प्रसंस्करण का केंद्र होने के नाते, मसाला क्षेत्र को और विकसित करने तथा प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर, मजबूत और अधिक अनुकूलनीय बनाने की आवश्यकता है। इस योजना का उद्देश्य विदेशी बाजारों में भारतीय ब्रांडों की पहचान और खाद्य सुरक्षा की स्पष्ट छाप बनाने में निर्यातकों की मदद करना है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य तय किए गए विदेशी बाजारों में प्रचार कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारतीय ब्रांडों के प्रवेश करने में सहायता करना है। इस कार्यक्रम के तहत, जिन निर्यातकों ने अपने ब्रांड को बोर्ड में पंजीकृत किया है, वे प्रति ब्रांड 100 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के तहत सहायता में 100 प्रतिशत स्लॉटिंग / लिस्टिंग शुल्क और प्रचार खर्च और उत्पाद विकास की 50 प्रतिशत लागत शामिल होगी ताकि निर्यातकों को विदेशों में चयनित शहरों में विशिष्ट ब्रांड स्थापित करने में मदद मिल सके।

वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड ने एक निर्यातक को ऋण की पहली किस्त के रूप में 33.33 लाख रुपये और एक निर्यातक को ऋण की दूसरी किस्त के रूप में 29.63 रुपये की राशि जारी की।

ङ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों / बैठकों और प्रशिक्षणों में भागीदारी

स्पाइसेस बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मसालों को बढ़ावा देने और निर्यातकों को अवसर उपलब्ध कराने की अपनी पहल के हिस्से के रूप में, बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेता है भारतीय मसालों की क्षमताओं का ताकि अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों के समक्ष प्रदर्शन किया जा सके। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, सामाजिक समारोहों आदि में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, बोर्ड कई प्रमुख व्यापार मेलों में भाग नहीं ले सका। हालांकि, बोर्ड ने 2021-22 के दौरान दो अंतर्राष्ट्रीय मेलों और 17 घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया।

बोर्ड निर्यातकों को भी व्यापार उत्पन्न करने / विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों / प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। बोर्ड के पंजीकृत निर्यातक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के दौरान हवाई किराए की प्रतिपूर्ति के रूप में एक निर्यातक को 0.58 लाख रुपये की सहायता प्रदान किया।

च) मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति

मसाला निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र (सीआरईएस) देश से मसालों के निर्यात के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों / जम्मूकश्मीर और लद्दाख, राज्य द्वारा अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों) और एससी / एसटी निर्यातकों और पूरे देश में एफपीओ उद्यमियों को, मसालों के निर्यात का कारोबार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, बोर्ड सीआरईएस शुल्क के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति करता है।

बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के दौरान इस घटक के तहत 16 पात्र निर्यातकों को 1.29 लाख रुपये की सहायता प्रदान किया।

इ. मार्केटिंग और सहायक सेवाएं

क) विपणन सेवाएं

स्पाइसेस बोर्ड भारत से मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात को विकसित करने, बढ़ावा देने और इलायची के घरेलू मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला लागू कर रहा है। बोर्ड फसल कटाई के उपरांत प्रबंधन, विपणन, प्रसंस्करण, मसालों की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने में दिनप्रतिदिन के आधार पर पणधारियों की सहायता करता है और निर्यातकों, किसानों और राज्य सरकारों को सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(i) पंजीकरण और लाइसेंसिंग

(a) मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी आर ई एस)

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो मसालों के निर्यात का व्यवसाय करना चाहता है, उसके पास मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का एक मान्य प्रमाण पत्र (सीआरईएस) होना चाहिए जो विदेश व्यापार नीति के अनुसार आरसीएमसी के बराबर है। दिनांक 01 अप्रैल 2021 से

प्रभावी नई अवधि के लिए, बोर्ड मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र (सीआरईएस) ऑनलाइन जारी करता है। यह प्रमाणपत्र स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2021 के अनुसार जारी होने की तारीख से तीन साल तक के लिए विधि मान्य है। बोर्ड ने सीआरईएस शुल्क के भुगतान के लिए एक ऑनलाइन गेटवे सिस्टम भी शुरूकिया है।

वर्ष 2021-2022 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के 5,662 प्रमाण पत्र जारी किए, जिनमें से 5,027 प्रमाण पत्र व्यापारी श्रेणी में और 635 प्रमाण पत्र विनिर्माता श्रेणी में थे।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी किए गए व्यापार नोटिस के अनुसार, स्पाइसेस बोर्ड ने अप्रैल 2022 से नियामक अनुपालन में कटौती करने के एक भाग के रूप में डीजीएफटी द्वारा विकसित कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म (ईआरसीएमसी) पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया शुरूकर दी है।

(ख) इलायची व्यौहारी और नीलामकर्ता लाइसेंस

कोई भी व्यक्ति जो नीलामीकर्ता या डीलर के रूप में इलायची का कारोबार करना चाहता है, उसके पास इलायची लाइसेंसिंग और विपणन नियम, 1987 के अनुसार एक मान्य लाइसेंस होना चाहिए। नियमों के अनुसार, स्पाइसेस बोर्ड इलायची (छोटी व बड़ी) के व्यापार के लिए नीलामीकर्ता और डीलर लाइसेंस जारी करता है जो कि ब्लॉक अवधि 2020-2023 के लिए मान्य है। ब्लॉक अवधि 31 अगस्त 2023 को समाप्त हो रही है।

रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान, बोर्ड ने पूरे भारत में 526 इलायची डीलर लाइसेंस जारी किए, जिनमें से 489 लाइसेंस छोटी इलायची के लिए और 37 बड़ी इलायची के लिए थे।

ब्लॉक अवधि में पुट्टडी और बोडीनायकन्नूर में ईनीलामी और कर्नाटक और महाराष्ट्र में मैनुअल नीलामी के संचालन के लिए कुल 12 ई-नीलामीकर्ता लाइसेंस और चार मैनुअल नीलामीकर्ता लाइसेंस जारी किए गए थे।

बोर्ड ने इलायची डीलर लाइसेंस और नीलामीकर्ता लाइसेंस जारी करने के लिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा विकसित राष्ट्रीय एकल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) में ऑनबोर्डिंग के लिए कार्रवाई शुरूकी।

(ii) ब्रैंड नाम का पंजीकरण

कार्यक्रम का उद्देश्य उन निर्यातकों के ब्रैंड नाम को पंजीकृत करना है जो मसाले/मसाला उत्पादों का निर्यात ब्रैंडेड उपभोक्ता पैक में करते हैं। भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) द्वारा पैकेज के परीक्षण सहित विशिष्ट मानकों के अनुपालन की पुष्टि किए जाने के बाद, तीन साल की अवधि के लिए ब्रांड नाम के पंजीकरण का प्रस्ताव दिया जाता है।

(iii) इलायची की नीलामी

(क) क्लाउडआधारित लाइव ईनीलामी प्रणाली की स्थापना

बोर्ड ने वर्ष 2007 के दौरान बोडिनायकनूर (तमिलनाडु) और पुट्टडी (केरल) में स्थित अपने दो ई-नीलामी केंद्रों में छोटी इलायची के लिए, पुर्व मैं स्थापित पारंपरिक बोली प्रणाली की जगह नई ई-नीलामी प्रणाली प्रस्तुत किया। यह प्रणाली इलायची उद्योग को बहुत अच्छी सेवा दे रही है और लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होने में योगदान देती है। ई-नीलामी प्रणाली में दोनों नीलामी केंद्रों में डीलरों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक होती है, जिसके कारण नीलामी केंद्र में उपस्थित होने के लिए राज्य की सीमाओं को पार करते हुए बारबार यात्रा करने की जरूरत होती है। नीलामी के दिन विशेष रूप से कोविड 19 महामारी की अवधि के दौरान, नीलामी केन्द्र में भौतिक भागीदारी में होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने 01 नवंबर 2021 से क्लाउड आधारित लाइव ई-नीलामी की शुरुआत की, जिसने दो नीलामी केंद्रों को जोड़कर एक साथ ई-नीलामी आयोजित करना सक्षम बनाया। इस प्रणाली में, किसान और डीलर अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी एक नीलामी केंद्र से इलायची की नीलामी में भाग ले सकते हैं, जबकि पहले नीलामी में भागीदारी के लिए किसानों

और डीलरों को संबंधित नीलामी केंद्रों तक की यात्रा करना पड़ता था। नई प्रणाली की शुरूआत ने प्रत्येक नीलामी में अधिक संख्या में डीलरों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया है।

(ख) डीलरों द्वारा पूलिंग को सीमित करके इलायची नीलामी प्रणाली में हस्तक्षेप

पणधारियों से सुझाव के आधार पर, इलायची की नीलामी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से उपयुक्त उपायों को लागू करने के लिए, बोर्ड ने इलायची के पूलिंग में हस्तक्षेप किया। तदनुसार, लाइसेंस प्राप्त नीलामीकर्ताओं द्वारा एक नीलामी में इलायची की पूलिंग पर लगाई गई 65 (पैंसठ) मीट्रिक टन की सीमा को हटा दिया गया था और लाइसेंस प्राप्त डीलरों को एक नीलामी में 25 मीट्रिक टन तक जमा करने की अनुमति दी गई है।

बोर्ड के पुट्टडी और बोडिनायकनूर में स्थित नीलामी केंद्रों में 2021-22 (अगस्त-जुलाई) की अवधि के दौरान आयोजित ईनीलामी के माध्यम से इलायची (छोटी) की बेची गई कुल मात्रा 28,730 मीट्रिक टन थी।

अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में (छोटी) इलायची और सिक्किम के सिंगतम में (बड़ी) इलायची के लिए मैनुअल नीलामी आयोजित की गई थी।

(iv) अनिवार्य नमूनन और परीक्षण कार्यक्रम

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 और स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम 1986 के प्रावधानों के तहत, स्पाइसेस बोर्ड आयात करने वाले देशों की आवश्यकता के आधार पर चयनित गंतव्यों के लिए चयनित मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात खेप का अनिवार्य नमूनन और परीक्षण करता है। वर्ष के दौरान, यूरोपीय आयोग विनियमन (ईयू) 2021/2246 दिनांक 15 दिसंबर 2021 के आधार पर, भारत से निर्दिष्ट मसालों के लिए यूरोपीय संघ में प्रवेश को नियंत्रित करने वाले आधिकारिक नियंत्रण और आपातकालीन उपायों को बढ़ा दिया गया था और खेप के प्रवेश की अनुमति के लिए एक आधिकारिक प्रमाण पत्र निर्धारित किया गया था जो 06 जनवरी 2022 से प्रभावी है। इस विनियम के अनुसार, बोर्ड ने 07 फरवरी, 2022 से यूरोपीय संघ को अधिसूचित मसालों के निर्यात के लिए बोर्ड फॉर एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) द्वारा जारी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है। यूरोपीय संघ ने ईटीओ के लिए मिर्च और अदरक के लिए एमआरएल 0.02 पीपीएम और अन्य मसालों के लिए 0.1 पीपीएम तय किया है। इसके अलावा, ईटीओ के लिए बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक प्रमाण पत्र यूरोपीय संघ में गंतव्य बंदरगाहों पर मसाले की खेप की निकासी के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। बोर्ड ने भारतीय मसाला निर्यातकों को उस खेप को भी मंजूरी देने की सुविधा प्रदान की, जो इस नियमन के लागू होने से पहले ही चली गई थी।

वर्ष 2021-22 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड की कोच्ची, मुंबई, चेन्नई, गुंटूर, तूतिकोरिन, दिल्ली, कांडला और कोलकाता में स्थित गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने अनिवार्य नमूनों में 1,27,467 मापदंडों जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन, अवैध रंग, बाहरी पदार्थ, कीटनाशक अवशेष, साल्मोनेला, ईटीओ, आदि का विश्लेषण किया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड ने यूरोपीय संघ और यूके के लिए एफ्लाटॉक्सिन और ईटीओ के 4238 आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

(v) जीरे की निर्यात खेप के भौतिक मानकों के लिए स्पाइसेस पार्क, जोधपुर में क्यूईएल की स्थापना

भारत दुनिया भर में जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान और गुजरात भारत के प्रमुख जीरा उत्पादक राज्य हैं। स्पाइसेस बोर्ड की 89वीं बोर्ड बैठक में सदस्यों ने बताया कि मसाला निर्यातकों, विनिर्माताओं, खाद्य सुरक्षा और नियामक एजेंसियों को बीज मसालों में मिलावट/संदूषण को लेकर चिंता है। यह भी बताया गया कि किसानों और निर्यातकों के पास विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में भी जीरे की गुणवत्ता के परीक्षण की सुविधा नहीं है। स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जोधपुर में एक स्पाइस पार्क की स्थापना करने के समय से ही, बोर्ड से जीरा किसानों के लाभ के लिए भौतिक मानकों के परीक्षण के लिए बुनियादी सुविधाओं वाले एक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला स्थापित करने का अनुरोध किया गया था। अनुरोध के आधार पर, स्पाइसेस बोर्ड ने निर्यात के लिए जीरा के भौतिक मापदंडों के अनिवार्य परीक्षण को संभालने के लिए स्पाइसेस पार्क जोधपुर में एक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला और नमूना प्राप्ति डेस्क (एसआरडी) की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की।

(vi) गुजरात क्षेत्र में नमूनन गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण

ईटीओ के लिए मसाले के नमूनों के परीक्षण के कार्यान्वयन के बाद, परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की मात्रा को देखते हुए गुजरात में एक नमूना प्राप्ति डेस्क की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, बोर्ड ने एसआरडी सुविधाओं का गुजरात में अहमदाबाद और कांडला में विस्तार किया।

(vii) मसालों के सीमा शुल्क नमूनों का परीक्षण

बोर्ड अग्रिम प्राधिकरण योजना (एएएस) के तहत देश में आयातित मसालों और मसाला उत्पादों के सीमा शुल्क नमूने भी उपज मूल्यांकन के लिए और मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) के निर्धारण हेतु डीजीएफटी को सिफारिश करने के लिए प्राप्त कर रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड ने सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त मसालों और मसाला उत्पादों के आयात खेप के 275 नमूनों का परीक्षण किया और परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई।

(viii) भौगोलिक संकेतों का पंजीकरण

स्पाइसेस बोर्ड ने मलाबार पेप्पर, एलेप्पी ग्रीन कार्डमम, कूर्ग ग्रीन कार्डमम, गुंटूर सन्नम मिर्च और ब्यादगी मिर्च जैसे मसालों को जीआई रजिस्ट्री में सफलतापूर्वक पंजीकृत किया है और इन पांच जीआई टैग मसालों का पंजीकृत मालिक बना हुआ है। बोर्ड ने इच्छुक उत्पादकों/निर्माता समूहों, खरीददारों/निर्यातकों को जीआई रजिस्ट्री से अधिकृत उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

एक अधिकृत उपयोगकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसे भौगोलिक संकेत माल (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 17 के तहत पंजीकृत किया गया है। स्पाइसेस बोर्ड ने अधिकृत उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जीआई रजिस्ट्री को एनओसी जारी करने के लिए किसान समूहों और निर्यातकों से आवेदन प्राप्त करना शुरू कर दिया है।

(ix) क्रेता-विक्रेता बैठकें, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम

बोर्ड निर्यात स्थलों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए और भारत के मसाला निर्यात के सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों के एकीकृत विकास के लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन, प्राथमिक प्रसंस्करण, निर्यात प्रक्रियाओं, आयात प्रलेखन पर मसाला क्षेत्र के पणधारियों के लिए सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कोविड 19 में उछाल के कारण, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया है।

क) क्रेता-विक्रेता बैठकें

मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बोर्ड प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों में क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) आयोजित कर रहा है ताकि प्रत्यक्ष बाजार संपर्क स्थापित करने के लिए मसाला उत्पादकों और निर्यातकों के बीच बातचीत का एक मंच प्रदान किया जा सके। बीएसएम उत्पादकों और निर्यातकों दोनों को एक लाभकारी स्थिति प्रदान करते हैं, जिसमें उत्पादकों को लाभदायक पारिश्रमिक के साथ उनके उत्पाद के लिए एक बाजार मिलता है, जबकि निर्यातक इसे दीर्घकालिक बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने और गुणवत्ता वाले मसालों की प्रतिस्पर्धी सोर्सिंग के मामले में फायदेमंद पाते हैं। साथ ही, निर्यातक इस अवसर का लाभ उठाकर व्यापार की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। कोविड 19 की स्थिति के कारण भौतिक आयोजनों से ध्यान हटाकर ऑनलाइन आयोजनों पर केन्द्रित करने की आवश्यकता पैदा हो गई है।

1) घरेलू क्रेता-विक्रेता बैठक

मसालों और मसालों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड देश भर के किसानों/विक्रेताओं और निर्यातकों को एक छत के नीचे लाकर घरेलू क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित कर रहा है। बीएसएम मसाला उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं को सीधे बातचीत करने और प्रभावी व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के साथसाथ मसाला क्षेत्र से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर विचार साझा करने के लिए एक आम मंच प्रदान करते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड ने निम्नलिखित घरेलू क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित किया।

2) अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें

स्पाइसेस बोर्ड भारतीय मसालों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के साथ लगातार

क्रम सं	कार्यक्रम का नाम	दिनांक
1	पूर्वोत्तर क्षेत्र की बड़ी इलायची के लिए भारतीय मसाला और खाद्य सामग्री निर्यात संघ (आईएसएफईए), मुंबई, महाराष्ट्र के निर्यातक सदस्यों के साथ आभासी क्रेता-विक्रेता बैठक	23 दिसंबर, 2021
2	अदरक के लिए कर्नाटक पर केन्द्रित ऑनलाइन क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम)	12 जनवरी, 2022
3	सिक्किम और उत्तरी बंगाल में बड़ी इलायची पर केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	17 जनवरी, 2022
4	हल्दी के लिए तेलंगाना पर केन्द्रित ऑनलाइन क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम)	12 फरवरी, 2022
5	भारत के पूर्वी क्षेत्र के मसालों के लिए ऑनलाइन क्रेता-विक्रेता बैठक	15 मार्च, 2022
6	काली मिर्च के लिए कर्नाटक पर केन्द्रित ऑनलाइन क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम)	24 मार्च, 2022
7	धनिया के लिए मध्य प्रदेश पर केन्द्रित ऑनलाइन क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम)	24 मार्च, 2022

संपर्क में है। बोर्ड दूतावासों/मिशनों के सहयोग से वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता मीट (आईबीएसएम) आयोजित कर रहा है। आईबीएसएम में संबंधित देशों के दूतावास और सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय मसाला निर्यातकों, संबंधित देशों के प्रमुख आयातकों, व्यापार संघों, वाणिज्य मंडलों, प्रमुख सुपर मार्केट चेन/डिपार्टमेंटल स्टोर्स आदि की भागीदारी भी शामिल है। यह आयोजन भारतीय निर्यातकों को दुनिया भर के आयातकों के साथ सीधे व्यापार संबंध बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता मीट का विवरण नीचे दिया गया ह।

मसाला उद्योग के पणधारियों ने बीएसएम में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और सक्रिय रूप से भाग लिया है, और बाजार में संपर्क बनाने के लिए मंच का सर्वोत्तम उपयोग किया है।

क्रम सं	कार्यक्रम का नाम	दिनांक
1	भारतीय मसालों पर अज़रबैजान केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	9 अप्रैल, 2021
2	थाईलैंड में भारतीय मसालों के अवसरों पर वेबिनार और क्रेता-विक्रेता बैठक	18 अगस्त, 2021
3	भारतीय मसालों के लिए यूएई केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	20 अक्टूबर, 2021
4	बी2बी बैठक मेसर्स वैनिस इंटरनेशनल फूड्स, यूनाइटेड किंगडम के साथ	8 दिसंबर, 2021
5	भारतीय मसालों के लिए मलेशिया केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	21 दिसंबर, 2021
6	भारतीय मसालों के लिए मोरक्को केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	8 फरवरी, 2022
7	बी2बी बैठक मेसर्स विटाफी, जीएमबीएच, जर्मनी के साथ	9 फरवरी, 2022
8	भारतीय मसालों के लिए मेक्सिको केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	17 फरवरी, 2022
9	भारतीय मसालों के लिए वियतनाम केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	23 फरवरी, 2022
10	भारतीय मसालों के लिए दक्षिण अफ्रीका केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	25 फरवरी, 2022
11	फ्रांस में भारतीय मसालों के अवसरों पर वेबिनार और क्रेता-विक्रेता बैठक	10 मार्च, 2022
12	भारतीय मसाला मेला 2022 भारतीय मसालों के लिए जापान केन्द्रित क्रेता-विक्रेता बैठक	19 मार्च, 2022

उत्सवों के बाद, बोर्ड बीएसएम में भाग लेने वाले आपूर्तिकर्ताओं (किसान/एफपीओ) और निर्यातकों के संपर्क विवरण को समेकित करता है। निर्यातकों / आपूर्तिकर्ताओं / किसानों/ एफपीओ के संपर्क विवरण प्राप्त पूछताछ के आधार पर विदेशी मिशनों / आयातकों / निर्यातकों / व्यापारियों को प्रसारित किए जाते हैं।

ख) उद्यमिता विकास कार्यक्रम

मसाले और मूल्य वर्धित मसाला उत्पाद विश्व बाजार में लगातार वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, जिससे मसाला प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में उद्यमशीलता के उपक्रमों की संभावना बढ़ रही है। स्पाइसेस बोर्ड, इसलिए पूरे भारत से प्रतिभागियों को शामिल करते हुए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि प्रगतिशील हितधारकों को मसाला व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए आकर्षित, प्रेरित और सुसज्जित किया जा सके।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को मसाला निर्यात क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में जागरूक और शिक्षित करना है, जिसमें निर्यात दस्तावेज तैयार करना और प्रक्रिया, गुणवत्ता और सुरक्षा मानक, निर्यात के लिए नियामक आवश्यकताएं, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, निर्यात रसद, निर्यात डेटा और प्रवृत्तियों का विश्लेषण, आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान, बोर्ड ने आठ उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया है, जिनका विवरण नीचे सूचीबद्ध ह।

ई) अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय (आईपीसी)

अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएन-ईएससीएपी) के तत्वावधान में स्थापित एक अंतरसरकारी संगठन है। समुदाय में अब भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया,

क्रम सं	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	समन्वय कर्ता कार्यालय	प्रतिभागियों की संख्या
1	ऑनलाइन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम त्रिपुरा से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए	23 जून, 2021	रीजनल कार्यालय गुवाहाटी / जिला कार्यालय अगरतला	115
2	ऑनलाइन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम मणिपुर से मसालों के निर्यात के लिए	29 जून, 2021	एफओ चुराचांदपुर	145
3	वर्चुअल उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्यातकों, उद्यमियों, व्यापारियों और एफपीओ के लिए	16 जुलाई, 2021	रीजनल कार्यालय निजामाबाद	205
4	वर्चुअल उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम बड़गांव, सतारा के किसानों के लिए एसबी जोधपुर और केवीके, बड़गांव के सहयोग से	15 सितंबर, 2021	रीजनल कार्यालय निजामाबाद और मुंबई	71
5	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम मुंबई क्षेत्र के मसाला निर्यातकों के लिए (निर्यातक जागरूकता कार्यक्रम)	06 दिसंबर, 2021	रीजनल कार्यालय मुंबई	40
6	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम गुजरात क्षेत्र के नए उद्यमियों / एफपीओ / एमएसएमई / निर्यातकों के लिए	17 दिसंबर, 2021	रीजनल कार्यालय उंझा	100

7	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम इलायची और अन्य मसालों के व्यापारियों, आपूर्तिकर्ताओं और व्यापारियों के लिए (व्यापारी जागरूकता कार्यक्रम)	22 दिसंबर, 2021	रीजनल कार्यालय मुंबई	10
8	चार दिवसीय वर्चुअल उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	20-23 दिसंबर, 2021	रीजनल कार्यालय वारंगल/निजामाबाद	64
9	उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कश्मीरी केसर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बाजार संवेदीकरण पर	02-.03 मार्च, 2022	रीजनल कार्यालय श्रीनगर	50
	कुल योग			**800**

देश भर के लगभग 800 पणधारी इस प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए।

श्रीलंका और वियतनाम स्थायी सदस्य के रूप में और पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस एक सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हैं। यह समुदाय एक गैरलाभकारी पेशेवर संगठन है जिसका गठन वैश्विक कालीमिर्च उद्योग के एक मंच के रूप में वैश्विक कालीमिर्च उद्योग की बेहतरी के आम मुद्दों पर चर्चा करने और समझदारीपूर्ण समाधान तलाशने के लिए किया गया है। सदस्य देशों के प्रतिनिधि रोटेशन के आधार पर आईपीसी के अध्यक्ष का पद धारण करते हैं और प्रत्येक अध्यक्ष अपने पदपर कुल एक वर्ष की अवधि तक रहता है।

आईपीसी ने कालीमिर्च के वर्तमान और उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास, विपणन और गुणवत्ता मूल्यांकन के संबंध में नीतियों और विशिष्ट रणनीतियों को तैयार करने के लिए विभिन्न स्थायी समितियों का गठन किया। प्रमुख समितियाँ निम्नलिखित हैं।

क) आईपीसी की अनुसंधान एवं विकास समिति

अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय (आईपीसी) की अनुसंधान एवं विकास समिति की 10 वीं बैठक, 25 अक्तूबर 2021 को, आईपीसी सचिवालय द्वारा संचालित, एक ऑनलाइन मंच के माध्यम से आयोजित की गई थी। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम और फिलीपींस के प्रतिनिधियों के साथसाथ सरकारी अधिकारियों ने भी आभासी बैठक में भाग लिया।

डॉ. ए.बी. रेमा श्री, निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड ने भारत की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें भारत में कालीमिर्च; प्रमुख राज्यवार क्षेत्र और प्रमुख देशवार गंतव्य और मूल सहित भारत में कालीमिर्च का उत्पादन, निर्यात और आयात; कालीमिर्च में अनुसंधान के परिणाम; कालीमिर्च में नस्ल सुधार रणनीतियाँ, नई संकर किस्में (2173), पीपीवीएफआरए के तहत पंजीकृत एक किसान किस्म, स्थिर उत्पादन स्तर बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकियां, आणविक प्रौद्योगिकी का निदान, पोलू बीटल के खिलाफ कम जोखिम वाला कीटनाशक; कालीमिर्च की खेती में मशीनीकरण; सफाई मशीनरी, ब्लैंचिंग, व्यवसाय योजना और विकास इकाई, मसाला प्रसंस्करण सुविधा; और कालीमिर्च के उत्पादन की लागत और उत्पादन की लागत को प्रभावित करने वाले प्रमुख पैरामीटर के आंकड़े शामिल थे।

ख) आईपीसी विपणन समिति

आईपीसी विपणन समिति की सातवीं बैठक, 11 नवम्बर 2021 को, आईपीसी सचिवालय द्वारा संचालित, एक ऑनलाइन मंच के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम के प्रतिनिधियों के साथसाथ सदस्य देशों के सरकारी अधिकारियों ने भी भाग लिया। श्री बी.एन. झा, निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड ने देश के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लिया, श्री जगन्नाथन के., उप निदेशक और श्री नितिन जो, उप निदेशक स्पाइसेस बोर्ड ने भी बैठक में भाग लिया।

वर्ष 2020 के लिए भारत से सर्वश्रेष्ठ निर्यातक का आईपीसी पुरस्कार, मैसर्स हर्बल आइसोलेट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोच्ची, केरल को प्रदान किया गया।

ग) आईपीसी गुणवत्ता समिति

क्यूईएल के तकनीकी कर्मचारियों ने गुणवत्ता विषय पर 30 नवंबर, 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित आईपीसी समिति की 27 वीं बैठक में भाग लिया और भारत की ओर से मसालों की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने, कालीमिर्च के निर्यात के लिए यूएसएफडीए के साथ आपसी मान्यता (ईआईसी द्वारा किया जा रहा है), जापान को कालीमिर्च के निर्यात की निगरानी के लिए एसटीडीएफ परियोजना में संलग्न करके कालीमिर्च की गुणवत्ता के उन्नयन के लिए की गई कार्रवाई पर और घरेलू खपत और आयात के लिए कालीमिर्च की गुणवत्ता की निगरानी के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा की गई कार्रवाई पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बैठक में, भारत को (रोटेशन के आधार पर) कालीमिर्च में भौतिक और रासायनिक मापदंडों के लिए वर्ष 2022 के आईपीसी प्रवीणता परीक्षा कार्यक्रम आयोजित करने वाले देश के रूप में चुना गया। बैठक में आईपीसी के गुणवत्ता मानक का कोडेक्स और आईएसओ मानक के साथ संगतिकरण पर भी विचारविमर्श किया गया।

बैठक में भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उ) मसालों के निर्यात के लिए प्रमुख हस्तक्षेप

क) जनवादी गणराज्य चीन

चीन के सामान्य प्रशासन सीमा शुल्क (जीएसीसी), जनवादी गणराज्य चीन (पीआरसी), ने आयातित खाद्य पदार्थों के विदेशी निर्माताओं के पंजीकरण और प्रशासन का विनियमन लागू किया है, और इसे खाद्य उत्पादों की 14 श्रेणियों के विदेशी उत्पादन उद्यमों के पंजीकरण के लिए निर्धारित किया है। भारत से आयातित खाद्य पदार्थों की सूची में मसाले भी शामिल हैं जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता है। बोर्ड ने भारत से जनवादी गणराज्य चीन को मसालों का निर्यात करने वाली फर्मों के पंजीकरण के लिए इन आवेदनों की सिफारिश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जीएसीसी के पंजीकरण विनियमों के अनुच्छेद नौ (9) के अनुसार भारतीय दूतावास, बीजिंग, पीआरसी के माध्यम से इस मामले को पीआरसी के सामने रखा है। तदनुसार, बोर्ड ने देश भर में लगभग सभी मसाला निर्यातकों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान की थी और जीएसीसी के साथ संशोधन/पंजीकरण में निर्यातकों की सहायता कर रहा है।

जीरा उन प्रमुख मसालों में से एक है जिसे बड़ी मात्रा में जनवादी गणराज्य चीन को निर्यात किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत ने पीआरसी को 1,02,975 मीट्रिक टन जीरे का निर्यात किया। हालांकि, पीआरसी ने कीट नाशक अवशेषों के लिए जीरे का अनिवार्य नमूनाकरण/परीक्षण/निगरानी लागू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत से पीआरसी को जीरे का निर्यात धीमा हो गया है। बोर्ड ने भारतीय दूतावास, बीजिंग के माध्यम से इस मुद्दे को पीआरसी के सामने रखा था, और तदनुसार बोर्ड ने चीन को निर्यात किए जाने के लिए निर्धारित जीरे की खेपों की अनिवार्य जांच शुरू कर दी है। इसका पीआरसी को जीरा निर्यात फिर से शुरू करने पर असर पड़ा है।

ख) खतर

भारत का मसाला निर्यात, जिसकी मात्रा वर्ष 2019-20 के दौरान 11,83,000 मीट्रिक टन और मूल्य 21,515.40 करोड़ रुपये था, वैश्विक महामारी की स्थिति के बावजूद, पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा में आठ प्रतिशत,रुपये के संदर्भ में 10 प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में आठ प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करने के अलावा, मूल्य प्राप्ति में तीन (3) बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक स्तर तक पहुँच गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत ने खतर को 140 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 12,000 मीट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया। खतर को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख मसाला उत्पाद मिर्च, करी पाउडर, जीरा, हल्दी, धनिया, छोटी (हरी) इलायची, इमली, कालीमिर्च आदि थे। इसके अलावा, भारतीय छोटी इलायची, अपने समृद्ध आंतरिक गुणों के कारण, मध्य पूर्व के लोगों की सांस्कृतिक परंपराओं में बहुत उपयोगी पाई गई है और इसलिए भविष्य में खतर को इसके निर्यात को बढ़ावा मिलने की बहुत क्षमता है।

हालांकि, निर्यातक बिरादरी द्वारा बताया गया है कि खतर का स्वास्थ्य प्राधिकरण भारतीय छोटी इलायची की निर्यात खेपों में कीटनाशक अवशेषों का विश्लेषण करने के लिए

उनकी रैंडम तरीके से जाँच कर रहा था और कुछ खेपों को अस्वीकार कर दिया गया था लेकिन उन्हें अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया था और न ही आवश्यक सहायक दस्तावेज (रसायनों/संदूषकों के ज्ञात हुए स्तर का उल्लेख करती विश्लेषणात्मक रिपोर्ट) प्रदान किया था।

बोर्ड ने भारतीय दूतावास, दोहा, खतर के माध्यम से खतर के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया और इस मामले पर कई चर्चाएं/बैठकें की, जिसके परिणामस्वरूप सितंबर 2021 में खतर द्वारा अपने एहतियाती उपायों की सूची से भारतीय इलायची को हटा दिया गया।

ग) यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ (ईयू) भारतीय मसालों के लिए प्रमुख निर्यात स्थलों में से एक है। 2020 अंत के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड को भारत से निर्यात किए जाने वाले मसालों में एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) के संभावित जोखिम के बारे में सूचित किया गया था। यूरोपीय संघ के भीतर खाद्य पदार्थों की जीवाणुनाशन के लिए ईटीओ के उपयोग के साथसाथ ईटीओ और 2 क्लोरोएथेनॉल (ईसीएच) के अवशेषों वाले खाद्य पदार्थों को यूरोपीय संघ में एमआरएल से ऊपर आयात करने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद स्पाइसेस बोर्ड ने भारतीय मसाला उद्योग को जोखिम के बारे में सलाह दी और निर्यातकों को ईटीओ पर यूरोपीय संघ के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उचित प्रयास करने के लिए सूचित किया।

आगे, मसाला खेपों का ईटीओ की उपस्थिति के लिए रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड (आरएएसएफएफ) के तहत अधिसूचित मूल कारण विश्लेषण किया गया था और उसके निष्कर्षों को डीजी सैंट के साथ साझा किया गया था, जैसा कि उनके द्वारा वांछित था। बोर्ड ने उद्योग के सहयोग से मसालों की आपूर्ति श्रृंखला में ईटीओ संदूषण के प्राकृतिक उपस्थिति की संभावना सहित संभावित स्रोतों पर एक अध्ययन किया। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा, हितधारकों द्वारा अनुपालन के लिए, यूरोपीय संघ को किये जाने वाले मसालों के निर्यात में ईटीओ संदूषण को रोकने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश विकसित किए गए थे, और इसे डीजी सैंट के साथ साझा किया गया था।

बोर्ड यूरोपीय संघ को मसालों के निर्यात के लिए ईटीओ से सबन्धित चिंताओं को सम्बोधित करने में डीजी सैंट के साथ काम करने के लिए ब्रसेल्स में भारतीय मिशन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। बोर्ड ने अन्य निर्यात प्रोत्साहन निकायों जैसे एपीडा और आईओपीईपीसी के साथ मिलकर वर्ष 2021 से ईटीओ से सम्बंधित चिंताओं पर डीजी सैंट के साथ विभिन्न तकनीकी बैठकों में भाग लिया।

डीजी सांटे के साथ बैठकों के दौरान यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले मसालों में ईटीओ एमआरएल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मसाला उद्योग द्वारा उठाए गये विभिन्न कदमों को प्रस्तुत करने के अलावा, एमआरएल को तय करने में यूरोपीय संघ की ओर से कुछ विसंगतियों, विभिन्न देशों से प्राप्त इनपुट का उपयोग करके यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित अंतिम उत्पादों के लिए भारत को ईटीओ अलर्ट अंकित करना, उचित वैज्ञानिक साक्ष्य के बिना विभिन्न मसाला उत्पादों के लिए विभेदक सीमाएं, आदि मुद्दों पर चर्चा की गयी। इसके अलावा, भारतीय मिशन ने आपूर्ति श्रृंखला में किए गए अध्ययन के प्रारंभिक परिणामों सहित भारतीय पक्ष द्वारा चिह्नित बिंदुओं को संकलित करते हुए एक श्वेत पत्र तैयार करने में सहयोग किया और उस श्वेत पत्र को आवश्यक विचार के लिए डीजी सैंट के साथ साझा किया गया।

हालांकि, यूरोपीय संघ ने 06 जनवरी, 2022 को विनियमन 2021/2246 (दिनांक 15 दिसंबर, 2021) लागू किया है, जिसमें भारत से यूरोपीय संघ को जाने वाले लगभग सभी मसालों की निर्यात खेप को ईटीओ एमआरएल के अनुपालन के लिए एक आधिकारिक प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है।

बोर्ड के प्रयासों से 06 जनवरी, 2022 से पहले भारत छोड़ चुके निर्यात खेपों के लिए, विनियमन 2021/2246 के कार्यान्वयन में, संक्रमण अवधि का 17 फरवरी, 2022 तक का न्यूनतम विस्तार प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

ईयू विनियम 2021/2246 के कार्यान्वयन के जवाब में, स्पाइसेस बोर्ड ने स्पाइसेस बोर्ड गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से मसालों के ईटीओ परीक्षण के लिए पूरे भारत में आवश्यक प्रणालियां स्थापित की हैं और 07 फरवरी, 2022 से यूरोपीय संघ को निर्यात किये जाने वाले मसालों के ईटीओ एमआरएल अनुपालन के लिए अनिवार्य परीक्षण तथा आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी करने की शुरुआत की है।

ऊ) वाणिज्य सप्ताह और आजादी का अमृत महोत्सव

आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत वाणिज्य विभाग, भारत सरकार ने भारत की व्यापार और निर्यात क्षमता को उजागर करने के लिए देश भर में 20-26 सितंबर 2021 के दौरान वाणिज्य सप्ताह मनाया। इस सप्ताह के दौरान देश के सभी 739 जिलों में आत्मनिर्भर भारत, एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का प्रदर्शन और हरित और स्वच्छ एसईजेड, खेत से विदेशी भूमि तक, निर्यातक सम्मेलन, और वणिज्य उत्सव, को उजागर करते हुए कार्यक्रम आयोजित किये गये।

वाणिज्य विभाग और देश भर में उसके सभी कार्यालयों ने सप्ताह भर चलने वाले समारोहों का आयोजन किया। स्पाइसेस बोर्ड को केरल और सिक्किम राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई थी। समारोहों के अनुरूप, स्पाइसेस बोर्ड ने आर्थिक विकास तथा निर्यात को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने की पहल की।

क) वाणिज्य उत्सव

(i) केरल में वाणिज्य उत्सव

बोर्ड ने केरल सरकार तथा अन्य आयोजन भागीदारों अर्थात वाणिज्य विभाग, भारत सरकार; विदेश व्यापार महानिदेशालय; तथा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से वाणिज्य उत्सव के हिस्से के रूप में 21-22 सितंबर 2021 के दौरान केरल को केन्द्र में रखकर भारत को एक उदयीमान आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए। कोच्ची, केरल में हाइब्रिड मोड में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन श्री सोम प्रकाश, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री द्वारा किया गया।

दो दिवसीय कार्यक्रम भारत के निर्यात और विदेशी व्यापार में सुधार पर केंद्रित था। प्रमुख निर्यातक तथा उद्योग जगत के नेता इस सभा का हिस्सा थे और उद्योग के सैकड़ों अन्य लोगों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया।

श्री वी. मुरलीधरन, विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री हैबी ईडन, एरणाकुलम से सांसद, और डॉ. के. एलंगोवन आईएएस, निर्यात आयुक्त तथा प्रमुख सचिव, उद्योग और वाणिज्य, केरल सरकार ने कार्यक्रम के दौरान हितधारकों को संबोधित किया।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के उपाध्यक्ष श्री जीमोन कोरा और विभिन्न वाणिज्य और उद्योग निकायों के कई उद्योग प्रमुख जैसे श्री स्टीफन लॉरेंस आईआरएस, निदेशक, वाणिज्य विभाग (एमओसीआई); श्री डी.वी. स्वामी आईएएस, विकास आयुक्त, सीएसईजेड; श्री के.एस. श्रीनिवास आईएएस, अध्यक्ष, एमपीईडीए; और चेरियन जेवियर, संयोजक, सीआईआई केरल स्पाइस पैनल ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

कोच्ची में वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम ने उद्योगों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया और निर्यात संभावनाएं और चुनौतियां तथा न्यू नार्मल में मसालों के अवसरों जैसे विषयों पर चर्चा की।

इसमें निर्यात संभावनाओं और चुनौतियों के विषय पर एक पैनल चर्चा भी हुई जिसमें केएस श्रीनिवास आईएएस, अध्यक्ष, एमपीईडीए (केरल समुद्री उत्पादों में संभावनाएं और चुनौतियां); डीवी स्वामी आईएएस, विकास आयुक्त, सीएसईजेड (केरल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई) में संभावनाएं और चुनौतियां); केएम हरिलाल आईटीएस, जेडीजीएफटी, कोच्ची (निर्यात सुविधा); एल आर आरती आईईएस, विशेष अधिकारी (डब्ल्यूटीओ सेल), एमआईडीएच, केरल सरकार (केरल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में संभावनाएं और चुनौतियां); डॉ संजय दवे, पूर्व सलाहकार एफएसएसएआई (खाद्य सुरक्षा संभावनाएं और चुनौतियां); रंजीत रामचंद्रन, सीईओ, प्लांट लिपिड्स प्राइवेट लिमिटेड (मसाला प्रसंस्करण में संभावनाएं और चुनौतियां); और डॉ डी रामनाथन, सीईओ सीताराम आयुर्वेद (आयुर्वेद संभावनाएं और चुनौतियां) ने भाग लिया।

न्यू नार्मल में मसालों के अवसरों पर सत्र

महामारी की अवधि में मसालों में अवसरों तथा चुनौतियों के अन्वेषण तथा सम्बोधन के लिए, वाणिज्य उत्सव के दूसरे दिन उद्योग ने न्यू नार्मल में मसालों के अवसर के विषय पर बात की। कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल मोड पर किया गया था और कार्यक्रम का उद्घाटन स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष श्री ए जी तंकप्पन ने किया।

श्री पी. मुत्तुमारन, क्षेत्रीय निदेशक, एफएसएसएआई, चेन्नई; श्री डी. सत्यन, सचिव, स्पाइसेस बोर्ड ; श्री बी.एन. झा, निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड ; श्री संजय मारीवाला, एसोसिएशन ऑफ हर्बल एंड न्यूट्रास्युटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया (छशष) के संस्थापकअध्यक्ष तथा ओमनी एक्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; श्री जॉन कुरुविला, निदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई); श्री अजू जैकब, निदेशक (स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन), सिंथाइट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड; श्री संजय शर्मा, सीईओ, एमटीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड; श्री एस. चंद्रशेखर, बिजनेस हेड, ओलम एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोच्ची; श्री बालू मलिकेल, प्रबंध निदेशक, एके फ्लेवर्स एंड एरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री राजीव पालिचा, बिजनेस हेड, नेडस्पाइस प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड; श्री जी ए बालकृष्णन, भूमि नेचुरल्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, निर्यातकों, तथा मसाला उद्योग के पणधारियों ने मसालों पर चर्चा में भाग लिया।

इकोसिस्टम प्लेयर्स की भूमिका पर विस्तृत विषयों जैसे कृषि अनुसंधान, किसानों के लिए अनुसंधान और विस्तार, जैव विविधता कानून, खाद्य प्रौद्योगिकियों में प्रगति, वृक्षारोपण क्षेत्र, जैव विविधता के अनुकूल दृष्टिकोण, स्थिरता और जलवायु परिवर्तन, कृषि प्रसंस्करण, और मसाला अनुसंधान तथा सर्वोत्तम कृषि पद्धतियां पर एक पैनल चर्चा भी हुई। श्री रामकुमार मेनन, अध्यक्ष, वर्ल्ड स्पाइस आर्गेनाईजेशन तथा प्रबंध निदेशक, जेएसजी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड; डॉ ए.के. सिंह, उप निदेशक, सामान्य (बागवानी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली; डॉ आर चंद्र बाबू, कुलपति, केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर; डॉ जॉर्ज थॉमस, अध्यक्ष, केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड, तिरुवनंतपुरम; डॉ श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह, निदेशक, सीएसआईआर केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर; डॉ अनीता करुण, निदेशक (कार्यवाहक), केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरकोड; डॉ पूनम पांडे, सलाहकार जैव विविधता के लिए निजी व्यापार कार्रवाई पर वैश्विक परियोजना, जीआईजेड, जर्मनी भारतीय कार्यालय; श्री वेणुगोपालन वी.वी., वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख, कृषि प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी प्रभाग, सीएसआईआर राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईएसटी), तिरुवनंतपुरम और डॉ लिजो थॉमस, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि अर्थशास्त्र, आईसीएआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट ने पैनल चर्चा में अपने विचार और राय प्रस्तुत की।

(ii) सिक्किम में वाणिज्य उत्सव

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार ने डीजीएफटी और स्पाइसेस बोर्ड के सहयोग से 21 सितंबर 2021 को राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव का तथा 22 सितंबर 2021 को राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने पर पैनल चर्चा का आयोजन किया।

भारत उदयीमान आर्थिक शक्ति के रूप में विषय पर वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय, जीरो पॉइंट, गंगटोक पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री कादो शेरिंग नमका, सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार ने किया था।

श्री मान बहादुर छेत्री, अध्यक्ष, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार, श्री एच के शर्मा आईएएस, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार, श्री अमित शर्मा आईटीएस, विदेश व्यापार के उप महानिदेशक, कोलकाता, श्री सोनी विरदी, सदस्य, सीआईआई सिक्किम चैप्टर तथा श्री रवि कुमार आईएफएस, निदेशक (एमएसएमई), वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार ने कार्यक्रम के दौरान पणधारियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर स्पाइस बोर्ड की बड़ी इलायची पुनर्रोपण योजना के तहत दस लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

श्री काडो शेरिंग नमका, सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार ने प्रदर्शनी स्टालों का भी उद्घाट न किया जिसमें 35 उद्यमियों, एसएचजी और एफपीओ ने भाग लिया और अपने उत्पादों जैसे; मसाले, अचार, कृषि उत्पाद, हथकरघा, हस्तशिल्प, खिलौने, कन्फेक्शनरी, बांस आधारित उत्पाद आदि को प्रदर्शित किया।

पैनल चर्चा

वाणिज्य सप्ताह के हिस्से के रूप में, 22 सितंबर 2021 को सिक्किम में विभिन्न क्षेत्रों की निर्यात संभावनाओं और चुनौतियों विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन उद्योग भवन, अपर तडोंग के कांफ्रेंस हॉल में किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता श्री एच. के. शर्मा आईएएस, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार ने की थी। श्री रवि कुमार आईएफएस, निदेशक, एमएसएमई,

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, श्री डी. आर. शर्मा, सहायक निदेशक एमएसएमई डीआई; श्री दीपक वर्मा जीएम जुवेंटस हेल्थकेयर लिमिटेड, पूर्वी सिक्किम; सुश्री प्रियंका प्रधान, छोटेन ग्रुप, मरचक; श्री एम एस रामलिंगम, उप निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड; श्री जीवन शर्मा, महाप्रबंधक, सिमफेड; सुश्री केसांग दीकी बरफुंगपा, संयुक्त महाप्रबंधक, सिक्किम दुग्ध संघ; सुश्री सृजना छेत्री, अवर सचिव, यूडीडी; सुश्री रीना राय, स्टूडियो माटो, पकयोंग की एक नवोदित उद्यमी; श्री देवाकर बसनेत, सीआईआई सिक्किम चैप्टर के प्रतिनिधि; श्री शशिकांत गुप्ता, हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी हस्तशिल्प सेवा केंद्र, कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार; और श्री वी. जी. भट, उप महाप्रबंधक, नाबार्ड ने पैनल चर्चा में भाग लिया।

एक्सपोर्टर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स कॉन्क्लेव

(i) केरल में एक्सपोर्टर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स कॉन्क्लेव

एक्सपोर्टर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स कॉन्क्लेव 24 सितंबर 2021 को मैस्कॉट होटल, तिरुवनंतपुरम में वाणिज्य सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। कॉन्क्लेव का सहआयोजन वाणिज्य विभाग, भारत सरकार; उद्योग और वाणिज्य विभाग, केरल सरकार; स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, विदेश व्यापार महानिदेशालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। कॉन्क्लेव में केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, शीर्ष नौकरशाहों, उद्योग जगत के कप्तान और नेताओं की एक लंबी कतार ने भाग लिया था। इस आयोजन में प्रमुख निर्यात नेताओं और औद्योगिक प्रमुखों ने भी भाग लिया। कॉन्क्लेव में निर्यात उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और समस्याओं पर सक्रिय रूप से चर्चा की गई और समाधान खोजने और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां निर्धारित की गईं। आगे निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के अलावा, इसने उद्यमिता को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों पर चर्चा करने और विकसित करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन ने सम्मेलन का उद्घाटन किया तथा श्री एम.बी. राजेश, केरल विधान सभा अध्यक्ष; श्री पी. राजीव, उद्योग और वाणिज्य मंत्री और वृक्षारोपण निदेशालय, केरल सरकार; डॉ के एलंगोवन, निर्यात आयुक्त और प्रमुख सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, केरल सरकार; श्री ए जी तंकप्पन, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड; डी. सत्यन आईएफएस, सचिव, स्पाइसेस बोर्ड; श्री सुरेष कुमार आईएएस, संयुक्त सचिव (ईपीसीएपी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार; श्री के. एम. हरिलाल आईटीएस, संयुक्त निदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय; श्री एम. जी. राजमणिकम आईएएस, प्रबंध निदेशक, केएसआईडीसी; और श्री डी. वी. स्वामी आईएएस, विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र कोच्ची ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। एक पैनल चर्चा भी हुई जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं ने संबंधित उद्योगों में आर्थिक विकास और निर्यात वृद्धि के अवसरों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

(ii) सिक्किम में एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव

जिला उद्योग केंद्र, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और स्पाइसेस बोर्ड के सहयोग से 24 सितंबर 2021 को सिक्किम के उद्योग भवन, तदोंग में तथा उत्तरी सिक्किम के केवीके हॉल, मंगन में एक मेगा कार्यक्रम के रूप में पूर्वी जिले में बहुक्षेत्रीय उद्यमिता विकास तथा निर्यातक सम्मेलन का आयोजन किया। सिक्किम के दक्षिण और पश्चिम जिलों के लिए, यह कार्यक्रम 26 सितंबर 2021 को डीआईसी हॉल, जोरेथांग में आयोजित किया गया था।

- **पूर्वी जिला, सिक्किम में निर्यातक सम्मेलन**

  श्री काडो शेरिंग नमका, सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार ने 24 सितंबर 2021 को सिक्किम के पूर्वी जिले में निर्यातक सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री एम रविकुमार आईएफएस, निदेशक, एमएसएमई, वाणिज्य और उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार ; श्री रॉबिन पं. सेवा, एसडीएम, पूर्वी जिला; सुश्री अबीगैल जॉर्ज लामा, उपाध्यक्ष, महिला चैंबर ऑफ कॉमर्स, सिक्किम चैप्टर; श्री अमित शर्मा, उप डीजीएफटी, कोलकाता; श्री एम एस रामलिंगम, उप निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड ; श्री एम एस रामलिंगम, उप निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड ; श्री त्शेफेल तेनजिंग, अध्यक्ष, नाथुला सीमा व्यापार; सुश्री दिव्या राय, सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड; श्री सिकंदर अली खान, शाखा प्रबंधक, नेडफी; सुश्री चोडेन ग्यात्सो एससीएस, महाप्रबंधक, डीआईसी (पूर्व/उत्तर); और श्री प्रमोद प्रधान, सहायक निदेशक, डीआईसी (पूर्व) ने सम्मेलन में भाग लिया और प्रतिभागियों को संबोधित किया।

- **उत्तरी जिला, सिक्किम में निर्यातकों का सम्मेलन**

  वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार के तहत जिला उद्योग केंद्र (ई/एन), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और स्पाइसेस बोर्ड भारत ने 24 सितंबर 2021 को उत्तरी सिक्किम के केवीके हॉल, मंगन में निर्यातक सम्मेलन एवं बहुक्षेत्रीय उद्यमिता विकास का आयोजन किया। श्री शेरिंग वांग्याल भूटिया, माननीय मुख्य मंत्री के अतिरिक्त राजनीतिक सचिव, उत्तरी जिला, सिक्किम ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

  श्री सोनम लेपचा, अपर जिला कलेक्टर, उत्तर जिला; डॉ. टी.एन. डेका, वैज्ञानिक, स्पाइसेस बोर्ड ; सुश्री मार्मित लेप्चा, सीईओ, ऑर्गेनिक वैली एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जोंगू; श्री डी.डी. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, वाणिज्य और उद्योग, सिक्किम सरकार; डॉ. डेचेन ओ. कालोन, संयुक्त निदेशक, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग, उत्तर जिला; श्री सोनम दादुल भूटिया, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग उत्तर जिला; श्री एनचुंग भूटिया, संयुक्त निदेशक, कृषि; सुश्री हिसे ल्हामू लेप्चा, बागवानी विकास अधिकारी; सुश्री बिंद्या गुरुंग, सहायक जिला डेयरी अधिकारी, उत्तर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड और सुश्री सुसान राय, शाखा प्रबंधक, सिस्को बैंक, मंगन ने सम्मेलन में भाग लिया और उत्तरी सिक्किम में संबंधित विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के बारे में बताया।

  कॉन्क्लेव के एक भाग के तौर पर, उसी स्थान पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी जहां चार एसएचजी नामतः सकनून एसएचजी; पेमा एसएचजी; बयूल एसएचजी और नूम अमू सक्युम एसएचजी; और तीन सहकारिताओं नामतः ऑर्गेनिक वैली एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड; पससिंगदंग बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड; नागा नामगोर बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।

- **दक्षिण और पश्चिम जिलों, सिक्किम में निर्यातकों का सम्मेलन**

  सिक्किम के दक्षिण और पश्चिम जिलों के निर्यातक सम्मेलन का आयोजन 26 सितंबर 2021 को डीआईसी हॉल, जोरेथांग में किया गया था।

  श्री मान बहादुर छेत्री, अध्यक्ष, वाणिज्य और उद्योग विभाग, सिक्किम सरकार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सुश्री सलोनी प्रधान, एसडीएम, जोरेथांग; सुश्री रेशमी आर., सहायक निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड; श्री अजय राय, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, सिक्किम; श्री एल.बी. सुब्बा, सहायक निदेशक, डीआईसी जोरेथांग; श्री मोहन नंबांग, उपनिरीक्षक, जिला उद्योग केंद्र (दक्षिण और पश्चिम); श्री ए. डी. राय, सहायक निदेशक जिला उद्योग केंद्र (दक्षिण और पश्चिम) और सुश्री जुलेन छेत्री, निरीक्षक, डीआईसी, जोरेथांग ने कार्यक्रम में भाग लिया।

घ) 75000 किलो छोटी इलायची की विशेष ई-नीलामी

स्पाइसेस बोर्ड ने रविवार, 26 सितंबर 2021 को केरल के इडुक्की के पुट्टडी में बोर्ड के ई-नीलामी केंद्र पर 75000 किलोग्राम छोटी इलायची की बिक्री के लिए एक विशाल इलायची विशेष ई-नीलामी का आयोजन किया। ई-नीलामी ने मसाला समुदाय को एक साथ इकट्ठा किया और इलायची की इस सबसे बड़ी ई-नीलामी में भाग लेने के लिए मसाला उत्पादकों को देश के मसाला व्यापारियों से जुड़ने में सक्षम बनाया।

नीलामी की शुरुआत 75 किलो इलायची की पहली खेप के साथ हुई, जिसने उच्चतम कीमत 2413 रुपये प्रति किग्रा प्राप्त की। नीलामी में चौवन बोलीदाताओं ने भाग लिया। बोलीदाताओं की सक्रिय भागीदारी ने नीलामी में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की और नीलामी की औसत कीमत रु. 1128/ रही।

नीलामी रिपोर्ट

इलायची की विशेष ई नीलामी 26 सितंबर 2021

लॉट की कुल संख्या	-	258
लाई गई कुल मात्रा	-	75000 किग्रा
बेची गई मात्रा	-	75000 किग्रा
प्रतिभागियों की संख्या	-	54
अधिकतम मूल्य	-	रु. 2413/किग्रा

औसत मूल्य - रु. 1128.30/किग्रा

न्यूनतम मूल्य - रु. 828/किग्रा

ङ) जिलों में उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम

केरल के सभी 14 जिलों में वाणिज्य सप्ताह समारोह के हिस्से के तौर पर बहुक्षेत्रीय उद्यमिता विकास के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2630 सितंबर 2021 के दौरान आयोजित उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कुल 876 लोग लाभान्वित हुए।

च) सुगंधोत्सव पूरे भारत में मसाले के पौधे रोपना

वाणिज्य सप्ताह के हिस्से के रूप में, स्पाइसेस बोर्ड ने 26 सितंबर 2021 को देश भर में मसालों के पौधे रोपने के लिए एक अभियान चलाया, जिसका नाम सुगंधोत्सव रखा गया। इस पहल के माध्यम से बोर्ड ने एक दिन में 75000 मसाले के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। इस कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न मसाला उत्पादक क्षेत्रों तथा स्पाइसेस बोर्ड के कार्यालयों से 7500 से अधिक मसाला किसानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, स्पाइसेस बोर्ड की अनुसंधान शाखा ने मैलाडुंपारा, इडुक्की जिला, केरल स्थित अपने शोध फार्म के इलायची नर्सरी में 7,500 इलायची के पौधे लगाए ताकि उन्हें मसाला कृषक समुदाय के लाभ के लिए कईकई गुणा बढ़ाया जा सके और आगामी रोपण सीजन के लिए 75,000 गुणवत्ता रोपण सामग्री वितरित की जा सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में उच्च उपज देने वाली इलायची और कालीमिर्च की किस्में जो कीट / रोगों के लिए प्रतिरोधी हैं, को खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया।

सुगंधोत्सव उत्सव में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और महाराष्ट्र शामिल हैं। लगाए गए मसाले के पौधे छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कालीमिर्च, मिर्च, सौंफ, मेथी, अदरक, हल्दी, लौंग, दालचीनी, कड़ी पत्ता, पुदीना, अनार, आदि थे।

छ) इम्यून बूस्टिंग स्पाइस पाउच का जनता को वितरण

आजादी का अमृत महोत्सव और वाणिज्य सप्ताह के एक हिस्से के रूप में, स्पाइसेस बोर्ड ने देश भर के प्रमुख मसाला ब्रांडों के सहयोग से प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों वाले मसालों के पाउच को फ्रंटलाइन योद्धाओं और जनता के बीच वितरित किया। बोर्ड ने देश भर में ऐसे 200000 से अधिक पाउच वितरित किए।

सप्ताह भर चलने वाले वाणिज्य सप्ताह समारोह ने उत्पादन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में भारत की संभावना और क्षमता पर प्रकाश डाला। इस आयोजन ने प्रदर्शित किया कि कैसे राष्ट्र चुनौतियों से लड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है, प्रभावी चर्चा तथा सहकारी प्रयासों के माध्यम से अनछुए अवसरों को उजागर करते हुए एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति बन सकता है।

ज) बीजीय मसाला कृत्यक बल समिति

बीजीय मसाला क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पणधारियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने तथा क्षेत्र के लिए मौजूदा समर्थन प्रणाली की सीमाओं की पहचान करने और सभी पणधारियों को शामिल करके समन्वित प्रयासों के माध्यम से उन्हें मजबूत करने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड ने एक बीजीय मसाला कृत्यक बल समिति का गठन किया है (झझ्खभ)। बीजीय मसाला कृत्यक बल समिति का गठन, स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 की धारा 5 और स्पाइसेस बोर्ड नियम 1987 के नियम 11 और 13 के अनुसार, निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड की अध्यक्षता में हुआ। चूंकि किसी भी संगठन के पास बीजिय मसाले की आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला पर पूर्ण जनादेश नहीं है, विभिन्न संगठनों/संस्थानों के प्रतिनिधि को कृत्यक बल समिति के लिए नामित किया गया है, अर्थात; मसाला निर्यातकों/व्यापारियों/विनिर्माण संघों के सक्रिय समर्थन के साथ एमओए, एमओसी, राज्य बागवानी/कृषि विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालय। टास्क फोर्स द्वारा जिन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा वे हैं।

(i) गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान (बीजिय मसालों के प्रमुख उत्पादक) राज्यों में बीजिय मसाला किसानों और निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याएं, उत्पादन में अंतराल की पहचान और निर्यात गुणवत्ता वाले बीज मसाले की सोर्सिंग।

(ii) तकनीकी मामलों पर किसानों/व्यापारियों और निर्यातकों को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए संस्थागत बुनियादी ढांचे की पहचान, बाजार आसूचना

का प्रसार, घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय मांगों की भविष्यवाणी करना और आगे के बाजार संबंधों को बढ़ाना;

(iii) मिलावट और कीटनाशक मुद्दों की जाँच के लिए बीजिय मसाला क्षेत्र में आवश्यक तकनीकी हस्तक्षेप की पहचान समिति किसी मुद्दे पर अधिदेश रखने वाली संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू की जाने वाली सिफारिश प्रस्तुत कर सकती है।

झ. भारतीय मसालों के लिए ब्लॉकचेन-संचालित ट्रेसबिलिटी सिस्टम

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भारत के एक्सेलेरेटर लैब और स्पाइसेस बोर्ड ने व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारतीय मसालों के लिए एक ब्लॉकचेन आधारित ट्रैसेबिलिटी इंटरफेस बनाने के उद्देश्य से 5 अप्रैल 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। ब्लॉकचैन, एक खुले और साझा इलेक्ट्रॉनिक बहीखाते पर लेनदेन रिकॉर्ड करने की विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया है, किसानों, दलालों, वितरकों, प्रोसेसर, खुदरा विकेताओं, नियामकों और उपभोक्ताओं सहित एक जटिल नेटवर्क में डेटा प्रबंधन में आसानी और पारदर्शिता की अनुमति देती है, और इस प्रकार आपूर्ति को सरल बनाती है।

मसाला किसानों को निर्यातकों से जोड़ने के लिए स्पाइसेस बोर्ड भारत द्वारा विकसित ईस्पाइस बाजार पोर्टल के साथ ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसबिलिटी इंटरफेस को एकीकृत किया जा रहा है।

06

व्यापार सूचना सेवा

विपणन विभाग की व्यापार सूचना सेवा मसालों के निर्यात, आयात, क्षेत्र, उत्पादन, नीलामी और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है।

सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी निर्यात की दैनिक सूची (डीएलई) और वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता द्वारा प्रदान किया गया निर्यात डेटा भारत से मसालों के अनुमानित निर्यात को संकलित करने के लिए सूचना का प्रमुख स्रोत है। इसी तरह, सीमा शुल्क द्वारा जारी आयात की दैनिक सूची (डीएलआई) और वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात डेटा भारत में मसालों के आयात का अनुमान लगाने के स्रोत हैं। बोर्ड मसालों के निर्यात/आयात से सम्बंधित विवरण त्रैमासिक आधार पर संकलित कर रहा है और मसालों के निर्यात और आयात के आंकड़े वेबसाइट और मंत्रालय/विभागों के माध्यम से अपने पणधारियों को नियमित रूप से प्रसारित कर रहा है। इस उद्देश्य से, बोर्ड कोचीन, जेएनपीटी, चेन्नई, तूतिकोरिन, मुंद्रा, कोलकाता, पेट्रापोल, मोहाधीपुर, रक्सुअल, अमृतसर, आदि जैसे सभी प्रमुख बंदरगाहों और डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता से डीएलई और डीएलआई दोनों नियमित रूप से एकत्र कर रहा है, और इस उद्देश्य से बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भी जानकारी एकत्र की जाती है।

बोर्ड अपनी वेबसाइट और प्रकाशनों के माध्यम से नियमित आधार पर भारत और विदेशों में स्थित प्रमुख बाजारों से सम्बंधित मसालों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का संकलन और अंतिम उपयोगकर्ताओं तक प्रसार कर रहा है। मूल्य विवरणों को एकत्र करने का प्रमुख स्रोत इंडिया पिपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन; एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी; मर्चेंट एसोसिएशन; इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, जिनेवा; और इंटरनेशनल पिपर कम्युनिटी, इंडोनेशिया जैसी एजेंसियां हैं। इन सभी सूचनाओं को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सदस्यता के माध्यम से एकत्र किया जाता है।

चूंकि स्पाइसेस बोर्ड इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन के विकास के लिए जिम्मेदार है, इसलिए व्यापार सूचना सेवा द्वारा बोर्ड के फील्ड सेट अप के माध्यम से किए गए फील्ड सैंपल अध्ययन की सहायता से इन मसालों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का अनुमान लगाया जाता है। संकलन के लिए अन्य मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन का विवरण राज्य के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी/कृषि/बागवानी विभागों/डीएएसडी से एकत्र किया जाता है। सभी मसालों के क्षेत्र और उत्पादन की जानकारी बोर्ड के प्रकाशनों के साथसाथ वेबसाइट के माध्यम से पणधारियों और नीति निर्माताओं को प्रसारित की जाती है।

निर्यातकों का पंजीकरण (विनियमों) के अनुसार, मसालों के सभी पंजीकृत निर्यातकों को अपनी तिमाही निर्यात विवरणी बोर्ड को प्रस्तुत करनी होती है। व्यापार सूचना सेवा पंजीकृत निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक निर्यात विवरणियों को संकलित करती है और मसालों के निर्यातकवार निर्यात के डेटाबेस का रखरखाव करती है।

इस डेटाबेस का उपयोग करके, प्रत्येक मसाले के प्रमुख निर्यातकों का विवरण संकलित किया जाता है और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।

स्पाइसेस बोर्ड इलायची के व्यापार के लिए बोडिनायकन्नूर और पुट्टडी में बोर्ड द्वारा विकसित ईनीलामी केंद्रों के माध्यम से ईनीलामी आयोजित कर रहा है। इलायची की नीलामी की दैनिक मात्रा और कीमत का विवरण दैनिक आधार पर संकलित और हमारी वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित

किया जाता है। नीलामी बिक्री और औसत कीमतों का समेकित विवरण बोर्ड के प्रकाशन के माध्यम से संकलित और प्रसारित किए जाते हैं।

प्रमुख विदेशी बाजारों सहित विभिन्न बाजार केंद्रों के लिए विभिन्न मसालों के साप्ताहिक घरेलू मूल्य का संकलन उद्योग के हितधारकों के लाभ के लिए साप्ताहिक आधार पर (वेबसाइट पर) स्पाइसेस मार्केट नामक बोर्ड के प्रकाशन के माध्यम से एकत्र, संकलित और प्रकाशित किए जाते हैं।

क) मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन

वर्ष 2020-21 की तुलना में, 2021-22 के लिए छोटी व बड़ी इलायची का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता तालिका और तालिका में दी गई है। अन्य मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन तालिका में दिए गए हैं।

तालिका-I इलायची (छोटी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

राज्य	2021-22				2020-21			
	कुल क्षेत्र (हे.)	उपजवाला क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे. टन)	उपज (कि. ग्रा./हे.)	कुल क्षेत्र (हे.)	उपजवाला क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे. टन)	उपज (कि. ग्रा./हे.)
केरल	39143	29426	21270	722.85	39143	29406	20570	699.50
कर्नाटक	25135	14414	697	48.36	25135	14204	579	40.73
तमिल नाडु	4912	2786	1373	492.79	4912	2786	1372	492.28
कुल	**69190**	**46626**	**23340**	**500.72**	**69190**	**46396**	**22520**	**485.38**

स्रोत क्षेत्रनमूना अध्ययन के आधार पर अनुमान

तालिका-II इलायची (बडी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्वादन

राज्य	2021-22				2020-21			
	कुल क्षेत्र (हे.)	उपजवाला क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे. टन)	उपज (कि. ग्रा./हे.)	कुल क्षेत्र (हे.)	उपजवाला क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे. टन)	उपज (कि. ग्रा./हे.)
सिक्किम	23312	17189	4990	290.30	23312	17105	4970	286.88
पश्चिम बंगाल	3305	3159	1044	330.60	3305	3159	1100	347.89
अरुणाचल प्रदेश	11684	6853	1695	247.31	11403	6749	1662	246.26
नागालैंड	6537	4280	1079	252.05	6499	4244	1066	251.27
मणिपुर	201	52	4.49	85.70	182	40	4.39	110.03
कुल	**45039**	**31533**	**8812**	**279.45**	**44701**	**31297**	**8803**	**281.28**

स्रोत स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान

तालिका-III प्रमुख मसालों का क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टेयर में उत्पादन टनों में)

मसाला	2021-22 (अग्रिम अनु.)		2020-21	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
कालीमिर्च	288118	60000	309335	65000
इलायची (छोटी)	69190	23340	69190	22520
इलायची (बडी)	45039	8812	44701	8803
मिर्च	694313	1866108	702047	2049213
अदरक	190686	2120643	204839	2224837
हल्दी	349642	1330932	292876	1123857
धनिया	631698	800742	656458	891317
जीरा	1036713	725651	1087010	795310
अजवाइन	4331	6103	4566	6510
बड़ी सौंफ	82224	137280	82767	137388
मेथी	167468	248203	156156	241183
लहसुन	401167	3277428	392149	3189777
इमली	44994	162038	41631	156289
लौंग	2210	1335	1937	1179
जायफल	24080	15384	24431	15595
अन्य सहित कुल योग	**4421920**	**10875765**	**4485885**	**11039883**
मिलियन टन में कुल योग		**10.88**		**11.04**

स्रोत : राज्य आर्थिकी व सांख्यिकी निदेशालय /कृषि / बागवानी विभाग / सुपारी व मसाले विकास निदेशालय, कोषिक्कोड

(1) कालीमिर्च उत्पादन व्यापार आकलन (2) इलायची का स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमानित

ख) इलायची (छोटी) की नीलाम बिक्री और कीमतें

वर्ष 2021-22 (अगस्त 2021-जुलाई 2022) और वर्ष 2020-21 (अगस्त 2020-जुलाई 2021) के लिए इलायची (छोटी) की राज्यवार नीलामी बिक्री और भारित औसत कीमतें तालिका IV में दी गई हैं।

तालिका-IV इलायची (छोटी) की नीलामी बिक्री और मूल्य

(मात्रा टनों में, मूल्य रुपये/कि.ग्रा. में)

राज्य	2021-22 (अगस्त-मई)		2020-21 (अगस्त - जुलाई)	
	नीलामित मात्रा	भारित औसत नीलामित मूल्य	नीलामित मात्रा	भारित औसत नीलामित मूल्य
केरल और तमिलनाडु (इ-नीलामी)	28730	1002.50	21330	1475.61
कर्नाटक	10	850.58	5	913.92
महाराष्ट्र	-	-	62	1612.31
कुल	**28740**	**935.26**	**21397**	**1475.88**

स्रोत लाइसेंसधारी नीलामीकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्टें

ग) इलायची (बड़ी) की कीमतें

वर्ष 2021-22 और 2020-21 के लिए गान्तोक और सिलिगुडी बाज़ारों में इलयाची (बड़ी) की औसत थोक कीमतें तालिका V में दी गई हैं।

तालिका-V इलायची (बड़ी) की औसत थोक कीमतें

(मूल्य रुपये/कि.ग्रा. में)

केंद्र	ग्रेड	2021-22	2020-21
गंन्तोक	बड़ादाना	589.38	422.05
सिलीगुड़ी	बड़ादाना	657.32	505.55

स्रोत प्रादेशिक कार्यालय, गांतोक से प्राप्त

घ) अन्य प्रमुख मसालों की कीमतें

प्रमुख मसालों की औसत कीमतें नीचे दी गई हैं। इन कीमतों को गौण, स्रोतों, जैसेकि चेंबर ऑफ़ कॉमर्स, इंडियन पेप्पर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन (आई पी एस टी ए), मर्चेंट्स एसोसिएशन आदि द्वारा तैयार की गई बाज़ार समीक्षाओं से एकत्रित किया गया है। मुख्य बाज़ार केंद्रों में प्रमुख मसालों की कीमतें नीचे तालिका VI में दी गई हैं।

तालिका - VI मुख्य विपणन केन्द्रों में प्रमुख मसालों की कीमतें (मुल्य रुपये/कि.ग्रा. में)

मसाला	विपणि	2021-22	2020-21
कालीमिर्च (एम जी 1)	कोच्ची	460.53	342.31
मिर्च	गुंटूर	112.67	102.72
हल्दी	ईरोड	71.71	61.55
धनिया	रामगंज	69.79	59.21
जीरा	ऊंझा	143.41	127.37
बड़ी सौंफ	चेन्नई	140.10	94.23
मेथी	चेन्नई	88.69	72.59
लहसुन	चेन्नई	73.89	85.43
खसखस बीज	चेन्नई	1572.21	753.14
अजोवन बीज	चेन्नई	170.62	134.69
सरसों	चेन्नई	84.90	59.92
इमली	चेन्नई	134.60	138.73
केसर	दिल्ली	174430.50	79500.00
लौंग	कोच्ची	699.69	543.91
जायफ़ल (बिना छिलके के)	कोच्ची	524.25	448.15
जावित्री	कोच्ची	1031.56	1095.37

वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान (मूल्य के अवरोही क्रम में) भारत से मसालों के मदवार अनुमानित निर्यात और 2022 में परिवर्तन का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण तालिका VII में दिया गया है।

तालिका - VII वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान भारत से मसालों का अनुमानित निर्यात (मात्रा टनों में और मूल्य लाख रुपये में)						
मद	2021-22 (अ)		2020-21		2021-22 में % परिवर्तन	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
मिर्च	557,168	858,188.59	649,815	924,126.56	-14%	-7%
मसाला तेल व तैलीराल	21,921	447,837.64	16,997	340,568.76	29%	31%
पुदीना उत्पाद (3)	36,254	444,144.10	27,519	366,713.38	32%	21%
जीरा	216,996	334,433.87	298,423	425,154.66	-27%	-21%
हल्दी	153,154	178,433.66	183,868	172,264.56	-17%	4%
इलायची(छोटी)	10,572	137,570.44	6,486	110,346.58	63%	25%
करी पाउडर/पेस्ट	51,682	114,702.91	51,347	117,064.38	1%	-2%
अन्य मसाले (2)	68,582	102,231.50	54,908	88,958.81	25%	15%
अदरक	147,614	83,734.25	145,974	84,982.34	1%	-2%
कालीमिर्च	21,863	75,331.23	19,980	57,068.74	9%	32%
धनिया	48,658	48,251.38	57,359	49,627.93	-15%	-3%
बड़ी सौंफ	40,136	41,186.17	33,742	29,396.40	19%	40%
अन्य बीज (1)	46,842	40,164.57	68,266	42,629.21	-31%	-6%
मेथी	32,403	26,285.83	40,340	26,703.34	-20%	-1%
जायफल व जावित्री	3,596	21,798.70	3,812	19,115.33	-6%	14%
लहसुन	22,181	18,619.80	17,643	14,971.04	26%	24%
इलायची (बड़ी)	1,984	15,454.42	1,220	9,635.74	63%	60%
अजवाइन	7,579	9,854.19	7,438	9,815.24	2%	0.40%
कुल (अन्य सहित)	**1,531,154.40**	**3,057,644.24**	**1,758,985**	**3,097,331.96**	**-13%**	**-1%**
मूल्य दशलक्ष अमरीकी डॉलर में		**4,102.29**		**4,178.80**		**-2%**

(अ) अनुमान

(1) में मसाले का पौधा (अजोवन बीज), सोआ बीज, खसखस बीज, सौंफ, सरसों आदि शामिल हैं।

(2) में हींग, दालचीनी, कैसिया, केम्बोज, केसर , मसाले(एन ई एस) आदि शामिल हैं।

(3) में मेंथोल, मेंथाल क्रिस्टल और पुदीना तेल शामिल हैं।

स्रोत डीजीसीआई व एस, कोलकाता//वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से ही लिया है.

भारतीय मसाला निर्यात बास्केट के प्रमुख योगदानकर्ता

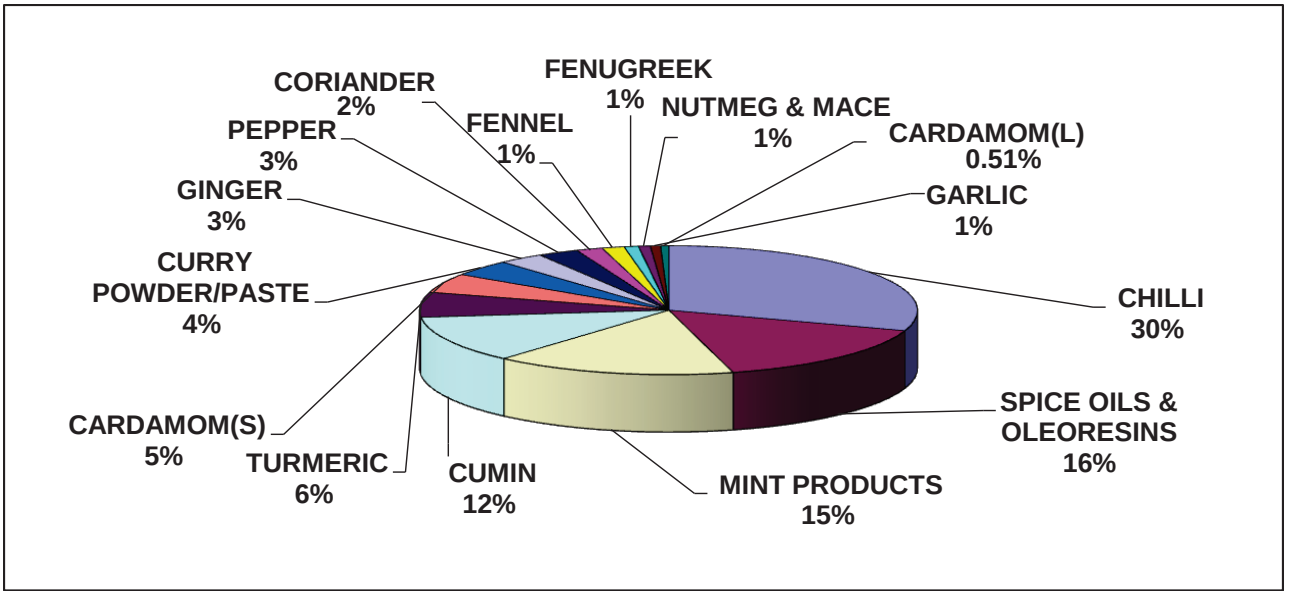

मद	मूल्य (लाख रुपए)
मिर्च	8,58,188.59
मसाला तेल व तैलीराल	4,47,837.64
पुदीना उत्पाद	4,44,144.18
जीरा	3,34,433.87
हल्दी	1,78,433.66
इलायची(छोटी)	1,37,570.44
करी पाउडर/पेस्ट	1,15,834.51
अदरक	83,734.24
कालीमिर्च	75,393.13
धनिया	48,251.38
बडी सौंफ	41,186.17
मेथी	26,285.82
जायफल व जावित्री	21,798.70
लहसुन	18,619.81
इलायची(बडी)	15,454.42
अन्य	2,10,478.00

प्रमुख गंतव्य

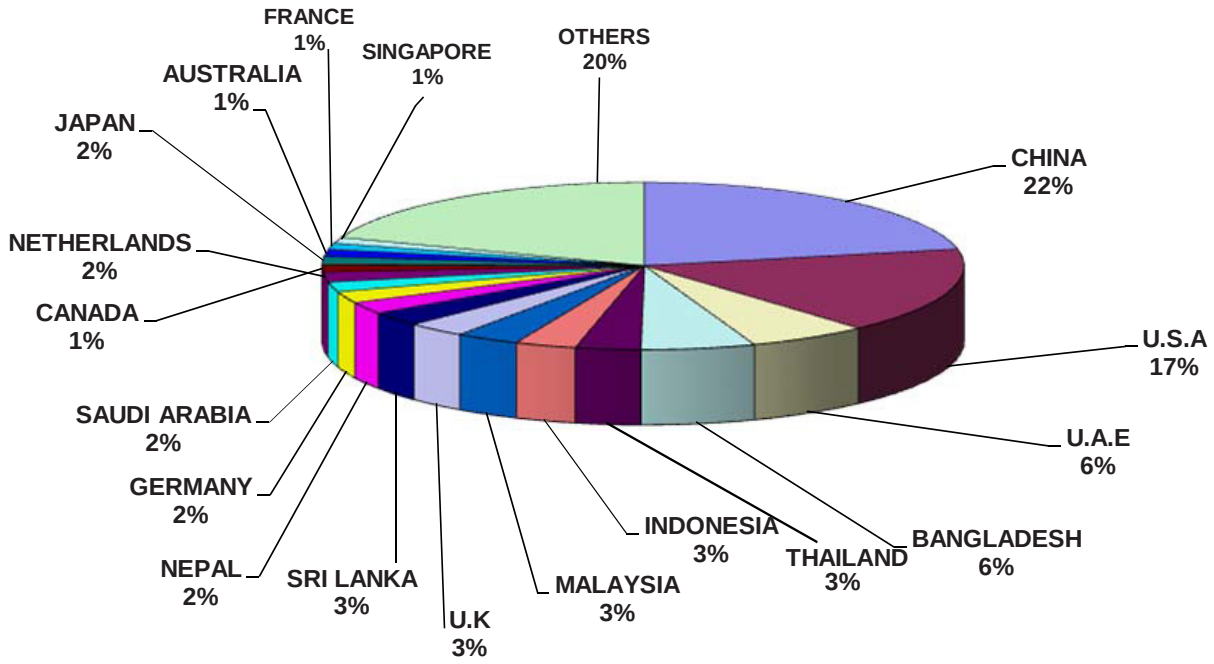

देश	मूल्य (करोड रुपए)
चीन	6669.27
यू एस ए	5067.35
यू ए ई	1863.50
बंगलादेश	1742.64
थाईलैंड	997.19
इंदोनेशिया	935.29
मलेशिया	971.42
यू के	910.50
श्रीलंका	842.21
नेपाल	703.58
जर्मनी	679.49
साउदी अरब	582.45
नेथरलैंड	597.03
कनाडा	438.93
जापान	468.26
ऑस्ट्रेलिया	415.53
फ्रेंस	369.90
सिंगपुर	357.47
अन्य	5964.43

07

प्रचार एवं संवर्धन

स्पाइसेस बोर्ड की प्रतिष्ठा बढ़ाने और मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रचार अनुभाग ने, अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान, विभिन्न कार्यकलाप चलाए हैं। एक अच्छे संवर्धन तंत्र तैयार करना महत्वपूर्ण है। भारतीय मसालों, इसके विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों, उपयोगों और लाभों आदि के बारे में सार्वजानिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार के हर अवसर का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान विभिन्न चैनलों का उपयोग करके स्पाइसेस बोर्ड की गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जानकारी का भी प्रचारप्रसार किया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख आकर्षण में व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में भागीदारी, विज्ञापन अभियानों, ऑनलाइन प्रचार अभियानों और पत्रिकाओं, ब्रोशर आदि के मुद्रण और प्रकाशन शामिल हैं।

अ) प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी

व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी मसाला उद्योग के विभिन्न पणधारियों तक पहुंचने का एक बेहतरीन उपकरण है। वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड ने प्रमुख व्यापार मेलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और भाग लेने वाले मेलों की सूची नीचे दी जाती है;

स्पाइसेस बोर्ड द्वारा भाग लिए गए धरेलू मेलों की सूची

क्रमांक	आयोजन का नाम	स्थान	आयोजन की तारीख
1	अल्लुरिंग, राजस्थान 2021	उदयपुर, राजस्थान	46 अगस्त, 2021
2	ब्रिक्स व्यापार मेला 2021	आभासी	16-18 अगस्त, 2021
3	डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश 2021	सोलन, हिमाचल प्रदेश	28-30 सितंबर, 2021
4	षैनिंग उत्तर प्रदेश 2021	वाराणसी, यूपी	19-21 अक्तूबर, 2021
5	एफआई इंइयि़ा एवं एचआई 2021	नई दिल्ली	20-22 अक्तूबर, 2021
6	बायोफैक इंडिया 2021	ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर	28-30 अक्तूबर, 2021
7	किसान मेला	आरएआरएस, चिंतापल्ली	22 नवंबर, 2021
8	एग्रो ऑर्गेनिक इंडिया एक्सपो 21	पणजी, गोवा	24 दिसंबर, 2021
9	डेस्टिनेशन त्रिपुरा	अगरतला	9-10 दिसंबर, 2021
10	एसआईएएल इंडिया 2021	नई दिल्ली	9-11 दिसंबर, 2021
11	एग्रोविज़न 2021	नागपुर, महाराष्ट्र	24-27 दिसंबर, 2021
12	उज्ज्वल उत्तर प्रदेश 2021	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	24-26 दिसंबर, 2021
13	प्रतीक्षा 2021	के वी के, वायनाड	27-31 दिसंबर, 2021
14	इंडस फूड 2022	ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर	8-10 जनवरी, 2022

15	नोर्थ बंगाल फ्लेवर फेस्टिवल	सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल	17-21 फरवरी, 2022
16	एग्रोफूड बिवरेज प्रो वर्ल्ड एक्सपो	वाली, मुंबई	46 मार्च, 2022
17	षैनिंग महाराष्ट्र 2022	फलटन, महाराष्ट्र	25-27 मार्च, 2022

स्पाइसेस बोर्ड द्वारा भाग लिए गए अंर्राष्ट्रीय मेलों की सूची

क्रमांक	आयोजन का नाम	स्थान	आयोजन की तारीख
1	यूकेआईएफई मैनुफैक्चरिंग 2022	लंदन, यूके	21-23 मार्च, 2022
2	उज़फूड 2022	ताशकंद, उजबेकिस्तान	29-31 मार्च, 2022

आ) प्रचार अभियान

कोविड19 महामारी के बाद, लोगों में प्रतिरक्षा और स्वस्थ खाद्य के बारे में जागरूकता बढ़ी है। स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने और मसालों पर प्रामाणिक जानकारी के प्रसार के लिए, मसाला बोर्ड ने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के साथ मिलकर अगस्त 2021 में एक प्रचार अभियान-"इम्यूनी की-इंडियन की टू इम्युनिटी" चलाया। इस अभियान ने, प्रतिरक्षा बढ़ाने के रूप में दैनिक आहार में मसालों को शामिल करने के लाभों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के अलावा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मसालों के उपयोग पर चर्चा की।

अभियान का मुख्य आकर्षण 14 अगस्त 2021 को आयोजित "प्रतिरक्षा बढ़ाने में मसाले कैसे मदद करते हैं" विषय पर वेबिनार था। श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, आईएएस, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री डी. सत्यन आईएफएस, सचिव और अध्यक्ष, मसाला बोर्ड; डॉ. ए.बी. रेमा श्री, निदेशक (अनुसंधान), मसाला बोर्ड; डॉ गोपकुमार एस, चिकित्सा अधीक्षक, सरकारी आयुर्वेद कॉलेज, कण्णूर; डॉ डी.सी. कटोच, वरिष्ठ सीएमओ (एसएजी) सीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; डॉ बेनी एंटनी, सहसंस्थापक और संयुक्त एमडी; अर्जुन नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड; और डॉ शिखा शर्मा, संस्थापक और एमडी, न्यूट्रीवेल हेल्थ (इंडिया) प्रा. लिमिटेड की उपस्थिति से वेबिनार की शोभा बढ़ाई गई।

इ) ऑनलाइन प्रचार अभियान

प्रचार अनुभाग ने वर्ष 2021-22 में भारतीय मसालों और स्पाइसेस बोर्ड की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू ट्यूब, लिंकेड इन और गूगल विज्ञापनों जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। ऑनलाइन दर्शकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बनाए गए, सोशल मीडिया अभियानों ने मसालों के बारे में इनकी वानस्पतिक और भौगोलिक जानकारी, व्यापारिक डेटा, चिकित्सकीय और रसोई सम्बंधित पहलुओं आदि सहित, जागरूकता पैदा की।

ई) स्पाइस एक्स्चेंज इंडिया-स्पाइसेस बोर्ड का बी2बी पोर्टल

प्रचार अनुभाग ने सेवा प्रदाता मेसर्स ट्राइडेंट एक्जीबिटर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के माध्यम से स्पाइस बोर्ड के 3डी वर्चुअल पोर्टल स्पाइस एक्सचेंज इंडिया को विकसित करने का बीड़ा उठाया है, ताकि महामारी द्वारा निर्मित बाजार लिंकेज में हुई अंतर को दूर किया जा सके, और इस प्रक्रिया में, इसने भारतीय मसाला उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापार के अपार अवसरों के द्वार खोल दिए हैं।

इस पोर्टल को श्री सोम प्रकाश, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा 20 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। पोर्टल से व्यापार करने में आसानी की सुविधा होने की उम्मीद है, और यह 24 x 7 वर्चुअल ऑफिस स्पेस जैसी सुविधाओं से लैस है। भारतीय मसाला ब्रांडों के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिफारिश मॉडल, बाजार की जानकारी, वैश्विक मसाला व्यापार डेटा तक पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक सहित विभिन्न निर्यात संवर्धन गतिविधियों को आयोजित करने के लिए बोर्ड को प्रावधान देता है। यह पोर्टल मसाला क्षेत्र में उद्यमियों की मदद करने के लिए बोर्ड द्वारा पहचाना गया एक प्रमुख हस्तक्षेप है। पोर्टल को www.spicexchangeindia.com पर एक्सेस किया जा सकता है।

उ) पत्रिकाएं

क) स्पाइस इंडिया

आवधिक प्रकाशन, स्पाइस इंडिया जो पांच अलगअलग भाषाओं-अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तमिल में मासिक रूप में और तेलुगू में त्रैमासिक अंक के रूप में प्रकाशित होता है।

ख) फॉरेन ट्रेड इंक्वायरी बुलेटिन

स्पाइसेस बोर्ड मसालों के निर्यात की सुविधा के लिए विदेशी व्यापार मेलों से, ईमेल के द्वारा और बोर्ड के कार्यालयों में सीधे प्राप्त होने वाले सभी व्यापारिक पूछताछ को, फॉरेन ट्रेड इंक्वायरी बुलेटिन (एफटीईबी) नाम के एक पाक्षिक बुलेटिन में संकलित और प्रकाशित करता है। यह प्रकाशन इसके ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है।

ग) अन्य प्रकाशन

वर्ष 2021-22 के दौरान छपी पुस्तिकाएं और ब्रोशर निम्नलिखित हैं

क) स्पाइसेस बोर्ड इंडिया पर सामान्य ब्रोशर।

ख) स्पाइस एक्स्चेंज इंडिया एवं स्पाइस हाउस प्रमाणीकरण पर सामान्य ब्रोशर।

ऊ) विज्ञापनों को जारी किया गया

वर्ष के दौरान स्पाइसेस बोर्ड में रिक्तियों, निविदाओं आदि के बारे में विज्ञापन जारी किए गए। इसके अलावा, स्पाइसेस बोर्ड के बारे में सामान्य जानकारी और इलायची के प्रचार के लिए भी विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन जारी किए गए थे।

ऊ) प्रेस विज्ञप्तियां

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, निर्यात निष्पादन और रूझानों, स्पाइसेस बोर्ड की पहलों, गतिविधियों और बोर्ड द्वारा आयोजित प्रमुख मेलों का विवरण देने वाली प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की गईं।

08

कोडेक्स सेल और हस्तक्षेप

क. मसालों और पाक शाकों संबंधी कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच)

कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग(सीएसी) द्वारा वर्ष 2013 में मसालों और पाक शाकों संबंधी कोडेक्स वस्तु समिति(सीसीएससीएच) का गठन किया गया था, जिसमें मसालों और पाक शाकों के लिए विश्व भर में विज्ञान आधारित गुणवत्ता मानकों का विस्तार करने का अधिदेश दिया गया था। भारत इस समिति की मेजबानी और अध्यक्षता करता है, जिसमें स्पाइसेस बोर्ड इंडिया इसका सचिवालय है। इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष डॉ एम.आर. सुदर्शन (सेवानिवृत्त निदेशक अनुसंधान, स्पाइसेस बोर्ड) हैं। अब तक, भारत की ओर से स्पाइसेस बोर्ड द्वारा समिति के पांच सत्रों अर्थात् कोच्ची में 2014 में सीसीएससीएच 1, गोवा में 2015 में सीसीएससीएच 2, चेन्नई में 2017 में सीसीएससीएच 3, तिरुवनंतपुरम में 2019 में सीसीएससीएच 4 और आभासी रूप से अप्रैल 2021 के दौरान सीसीएससीएच 5 का आयोजन किया गया है। वर्तमान में मसालों के लिए आठ पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कोडेक्स मानक हैं।

सीसीएससीएच 5

मसालों और पाक शाकों संबंधी कोडेक्स समिति(सीसीएससीएच 5) का पाँचवाँ सत्र 20-29 अप्रैल, 2021 के दौरान आयोजित किया गया था। सत्र में 65 सदस्य देशों के 275 पंजीकरणकर्ताओं, एक सदस्य संगठन (यूरोपीय संघ) और 11 अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक संगठनों के साथ सीसीएससीएच सत्र में अब तक की सबसे अधिक भागीदारी देखी गई। सीसीएससीएच 5 चार और नए मसालों अर्थात् लौंग, अजवायन, तुलसी, और अदरक के लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप देने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, और उसे अभिग्रहण करने के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (सीएसी) को भेज दिया गया था। सीएसी ने नवंबर, 2021 में आयोजित अपने चालीसवें सत्र के दौरान मानकों का अभिग्रहण किया।

आगामी सत्र (सीसीएससीएच 6)

मसालों और पाक शाकों संबंधी कोडेक्स समिति(सीसीएससीएच 6) का छठा सत्र 26 सितंबर से 03 अक्टूबर 2022 तक कोडेक्स सचिवालय और कोडेक्स इंडिया की सहमति से आभासी रूप से आयोजित होने वाला है। जिसकी तिथि आधिकारिक तौर पर कोडेक्स वेबसाइट में प्रकाशित की गई है। आगामी सत्र की तैयारी का कार्य प्रगति पर है। इस सत्र के लिए केसर, जायफल, मिर्च कालीमिर्च/पैपरिका, छोटी इलायची, हल्दी, सूखी फलियों और बेरियों पर समूह मानकों का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

ख. अन्य कोडेक्स समिति की बैठकें

अ) कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (सीएसी)

कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (सीएसी44) का 44वां सत्र 8-18 नवंबर 2021 के दौरान आभासी रूप से आयोजित किया गया था। सीसीएससीएच अध्यक्ष और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिकों ने सत्र में सहभागिता की। चार नए मसालों, अर्थात् तुलसी, लौंग, अदरक और अजवायन, के मानक जिन्हें सीसीएससीएच 5 समिति द्वारा अभिग्रहण करने के लिए अग्रेषित किया गया था, जिसको आयोग द्वारा अभिग्रहण किया गया था। वर्तमान में, मसालों के लिए आठ कोडेक्स मानक प्रकाशित हैं और आधिकारिक कोडेक्स वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

कोडेक्स ने अपनी सीएसी44 पत्रिका वर्चुअल रियलिटी का एक वर्ष प्रकाशित किया, जिसमें सीसीएससीएच समिति पर एक लेख शामिल है, जिसका शीर्षक है कोडेक्स की नवीनतम कमोडिटी समिति सीसीएससीएच चेयर द्वारा साझा किए गए इनपुट के आधार पर सीसीएससीएच 5 में अपने कार्य एजेंडा के साथ आगे बढ़ रही है ।

स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों ने भी वर्ष 2021-2022 के दौरान आभासी रूप से निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया

- विश्लेषण और नमूनन की विधि संबंधी कोडेक्स समिति (सीसीएमएएस 41)
- खाद्य पदार्थों में संदूषकों संबंधी कोडेक्स समिति (सीसीसीएफ 14)
- नाशीजीवनाशी अवशेषों संबंधी कोडेक्स समिति (सीसीपीआर 52)
- कोडेक्स गतिविधियों और मानक निर्धारण प्रक्रिया संबंधी जागरूकता कार्यशाला
- खाद्य योजकों संबंधी कोडेक्स समिति (सीसीएफए 52)
- खाद्य लेबलिंग संबंधी कोडेक्स समिति (सीसीएफएल46)
- खाद्य आयात एवं निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली संबंधी कोडेक्स समिति (सीसीएफआईसीएस)

ग. CCSCH.IN (सीसीएससीएच की आधिकारिक वेबसाइट)

CCSCH.IN वेबसाइट (http:\\ccsch.in) को अद्यतन किया गया है ताकि पिछले सत्र की रिपोर्ट, दस्तावेजों और संबंधित प्रकाशित समाचारों सहित मसालों और पाक शाकों संबंधी कोडेक्स समिति की अद्यतन स्थिति को दर्शाया जा सके। कोडेक्स वेबसाइट में प्रकाशित मसालों के लिए सभी कोडेक्स मानक भभझभ.श वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

घ. मसालों, पाक शाकों और कॉनडिमेंट्स अनुभागीय समिति, एफएडी 9

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की खाद्य और कृषि अनुभागीय समिति (एफएडी9) की 18वीं बैठक 15 जून, 2021 को आभासी रूप से आयोजित हुई थी। डॉ. ए.बी. रेमा श्री, निदेशक (अनुसंधान), स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की थी। पूरे भारत के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, मसाला उद्योग, उपभोक्ता समूहों इत्यादि के सदस्यों और पणधारियों ने बैठक में भाग लिया।

समिति में लिए गए निर्णय के संबंध में, स्पाइसेस बोर्ड वैज्ञानिक की अध्यक्षता में एक तकनीकी पैनल ने इलायची के लिए भारतीय मानक (आईएस 1907-1984) के संशोधन पर काम किया और अंतिम टिप्पणी एफएडी 9 को सौंपी।

ङ. आईएसओ/टीसी 34/सीएजी

आईएसओ/टीसी 34/सीएजी (अध्यक्ष सलाहकार समूह) की 14वीं बैठक 6 और 13 दिसंबर 2021 को आभासी रूप से आयोजित की गई थी। आईएसओ/टीसी 34/सीएज 7 (मसाले और पाक शाकों संबंधी आईएसओ समिति) के अध्यक्ष के रूप में, निदेशक (अनुसंधान), स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक में भाग लिया और एससी 7 समिति की गतिविधियों और वर्तमान स्थिति पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

च. राष्ट्रीय मसाला गुणवत्ता और सुरक्षा समिति (एनसीएसक्यूएस)

सचिव के आदेश के अनुसार, गुणवत्ता और सुरक्षा मुद्दों सहित भारतीय मसालों और उनके निर्यात को प्रभावित करने वाली चुनौतियों और तकनीकी मुद्दों के समाधान के लिए एक सलाहकार समिति, अर्थात् राष्ट्रीय मसालों की गुणवत्ता और सुरक्षा समिति (एनसीएसक्युएस) का गठन किया गया था।

समिति में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि, मसाला उत्पादक, निर्यातक और अन्य विशेषज्ञ और मसाला क्षेत्र के पणधारी शामिल हैं। इस समिति के सचिवालय के रूप में कोडेक्स सेल कार्य कर रहा है।

09

गुणवत्ता में सुधार

कोच्ची में स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (क्यूईएल) को वर्ष 1989 में बोर्ड की अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला के रूप में स्थापित की गई थी किया गया था। क्यूईएल, कोच्ची को 1997 से आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, 1999 से आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश मानक संस्थान, यू.के .द्वारा प्रमाणित किया गया है और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सितंबर 2004 से परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार से आईएसओ/आईईसी 17025 प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की भी मान्यता प्राप्त है। गुणवत्ता को प्रमुख प्रतिबद्धता माना जा रहा है, क्यूईएल, कोच्ची ने गुणवत्ता प्रणालियों को उन्नत करके अपनी साख हमेशा बनाए रखी है और ऐसा करना जारी है। प्रयोगशाला को नवीनतम उन्नत प्रणालियों के अंतर्गत; ब्रिटिश मानक संस्थान, यूके द्वारा आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 14001:2015 की मान्यता मिली है और एनएबीएल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार द्वारा आईएसओ/आईईसी 17025:2017 की मान्यता मिली है।

स्पाइसेस बोर्ड ने भारत से निर्यात किए गए मसाले उपयुक्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हों और ग्राहकों को समय पर, विश्वसनीय और सटीक परीक्षण परिणाम प्रदान करने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं की स्थापना करके पूरे भारत में अपनी पहुंच का विस्तार किया है। अब प्रमुख उत्पादक/निर्यात केंद्रों, अर्थात् चेन्नई, गुंटूर, मुंबई, नई दिल्ली, तूतिकोरिन, कांडला और कोलकात्ता में सात क्षेत्रीय क्यूईएल प्रवृत्त हैं। बीजीय मसालों के लिए स्पाइसेस पार्क, जोधपुर, राजस्थान में और पुदीने के तेल के परीक्षण के लिए रायबरेली में प्रस्तावित क्यूईएल स्थापित किए जा रहे हैं। कोच्ची, मुंबई, गुंटूर, चेन्नई, दिल्ली और तूतिकोरिन की प्रयोगशालाएँ एनबीएल द्वारा आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार मान्यता प्राप्त हैं और अन्य प्रयोगशालाएँ मावन्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

क्यूईएल स्पाइसेस बोर्ड के अनिवार्य निरीक्षण के अंतर्गत माल के नमूनों का विश्लेषण करते हैं, भारतीय मसाला उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएँ प्रदान करते हैं और देश में उत्पादित और संसाधित मसालों की गुणवत्ता की निगरानी में मदद करते हैं। आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं के अनुसार विश्लेषण करने के लिए ये प्रयोगशालाएँ परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित हैं।

प्रयोगशाला की विश्लेषणात्मक सेवाओं से संबंधित दस्तावेज, वर्कशीट के निर्माण और विश्लेषणात्मक परिणामों को प्रस्तुत करने सहित, क्वाडमास नामक एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं और इसे लगातार संशोधित किया जाता है। क्यूआर कोड और डिजिटल हस्ताक्षर को शामिल करके विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रारूप के संशोधन के साथ क्वाडमास का अद्यतन किया गया था। मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं के उपयोग के लिए प्रयोगशालाओं के सॉफ्टवेयर का विस्तार प्रक्रियाधीन है।

मसाले और मसाला उत्पादों के लिए अनिवार्य निर्यात निरीक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा निजी प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए योजना कार्यान्वित की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत एनएबीएल मान्यता प्राप्त छह निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं को एथिलीन ऑक्साइड अवशेषों के परीक्षण के लिए मान्यता दी गई थी। उनकी सेवाओं का उपयोग यूरोपीय संघ को निर्यात खेप के परीक्षण के लिए किया जाता है।

क. विश्लेषणात्मक सेवाएँ

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रयोगशाला ने मिर्च, मिर्च उत्पादों, हल्दी पाउडर और अन्य खाद्य उत्पादों की खेप के अनिवार्य नमूने के अंतर्गत सुडान डाई फऔर एल्फाटॉक्सिन की उपस्थिति के लिए मिर्च और मिर्च उत्पादों के अनिवार्य

नमूनों का विश्लेषण जारी रखा। इसके अलावा, चीनी लेपित सैंफ के बीज (सनसेट येल्लो के लिए), करी पत्ते (यूरोपीय संघ का कीटनाशकों, जैसे प्रोफेनोफोस, ट्रायजोफोस और एंडोसल्फान के लिए), जीरा (बाहरी पदार्थ और अन्य बीजों के लिए) और मिर्च, जीरा और मसाले के निर्यात परेषण का (अमेरिका के साल्मोनेला के लिए) बोर्ड द्वारा लागू अनिवार्य निरीक्षण और परीक्षण के अनुसार विश्लेषण किया।

इस अवधि के दौरान मिर्च, जीरा, हल्दी, कालीमिर्च, मेथी और छोटी इलायची जैसे मसालों और मसाला उत्पादों का साबुत और पिसे रूप में परीक्षण, भारत से जापान (तेल और तैलीराल को छोड़कर) कीटनाशक अवशेषों जैसे आईप्रोबेनफोस, प्रोफेनोफोस, ट्रायजोफोस, एथियन, फोरेट के लिए आयातित कालीमिर्च की खेपों में पैराथियान, क्लोरपाइरीफोस और मिथाइल पैराथियान और पिपेरीन और तैलीराल सामग्री का विश्लेषण भी किया गया।

मसाले और मसाला उत्पादों में सामान्य भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंडों के अलावा, अन्य अवैध रंगों (अर्थात पैरा रैड, रोडामाइन बी, बटर येलो, सूडान रेड 7 बी और सूडान ऑरेंज जी), ओक्राटॉक्सिन ए, कालीमिर्च में खनिज तेल का पता लगाने, इलायची में अवैध रंगद्रव्य तथा कैसिया/दालचीनी, आदि क्युमोरिन सामग्री जैसे विभिन्न मापदंडों के लिए भी विश्लेषणात्मक सेवाएँ प्रदान की गईं।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, क्यूईएल ने सऊदी अरब को मसालों (छोटी इलायची) की निर्यात खेप के अनिवार्य परीक्षण के लिए विश्लेषणात्मक सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया। परीक्षण मापदंडों में एसिटामिप्रिड, साइहलोथ्रिन, साइपरमेथ्रिन आइसोमर्स, प्रोफेनोफोस, ट्रायज़ोफोस और डिथियोकार्बामेट्स (डीटीसी) शामिल हैं। इस अवधि के दौरान नौ नाशकजीवनाशी अवशेषों के लिए चीन को निर्यात खेपों का परीक्षण भी शुरू किया गया था।

क्यूईएल अपने ग्राहकों को वेबसाइट पर इस परीक्षण का दायरा उपलब्ध कराते हैं और इसे और अधिक नाशकजीवनाशी मापदंडों सहित संशोधित किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रयोगशाला ने कुल 1,27,467 पैरामीटरों का विश्लेषण किया, जिसमें एफ्लाटॉक्सिन, अवैध रंजक, कीटनाशक अवशेष, साल्मोनेला एसपीपी आदि शामिल है।

अनिवार्य निरीक्षण और परीक्षण के दायरे के विस्तार की आवश्यकता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, सऊदी अरब, आदि जैसे विभिन्न आयातक देशों को किए गए निर्यात की अस्वीकृति की लगातार समीक्षा की जाती है।

क्यूईएल	संख्या			
	प्राप्त नमूने	परीक्षित पैरामीटर	आवश्यक परीक्षित पैरामीटर	अस्वीकृत आवश्यक नमूने
कोच्ची	13429	25756	23815	195
तूतिकोरिन	4451	6948	3853	38
चेन्नई	19421	22701	19196	457
गुंटूर	7560	12106	6871	43
मुंबई	16340	29969	26540	617
नरेला	2018	3507	1933	49
कांडला	12196	24286	23942	310
कोलकात्ता	1807	2194	2194	0
कुल	**77,222**	**1,27,467**	**1,08,344**	**1,709**

ख. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

इस अवधि के दौरान, प्रयोगशाला कर्मियों की तकनीकी क्षमताओं में सुधार लाने और प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विभिन्न गुणवत्ता प्रणालियों की आवश्यकताओं को अद्यतन करने के एक भाग के रूप में, तकनीकी कर्मचारियों ने निम्नलिखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं में भाग लिया।

(1) आईएसओ 17025:2017 के अनुसार प्रयोगशाला प्रणाली और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम ऑनलाइन प्रशिक्षण 26-29 अप्रैल 2021 और 05-06 अगस्त 2021 के दौरान।

(2) आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार मापन और निर्णय नियम की अनिश्चितता पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। 07 सितंबर 2021 को ऑनलाइन में।

(3) पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) आंतरिक लेखा परीक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (आईएसओ 14001:2015) पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 18-19 फरवरी 2022 के दौरान ऑनलाइन।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शैक्षिक दौरे पर मुख्य रूप से स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लगभग 200 आगंतुकों ने क्यूईएल, कोच्ची का दौरा किया और उन्हें क्यूईएल द्वारा किए गए विभिन्न विश्लेषणों और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई।

ग. प्रशिक्षण कार्यक्रम

अ. क्यूईएल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्यूईएल, कोलकाता ने 04-08 अक्टूबर 2021, 06-10 दिसंबर 2021 और 31 जनवरी से 04 फरवरी 2022 के दौरान मानव खाद्य (पीसीक्यूआई एचएफ) में योग्य व्यक्तियों के लिए निवारक नियंत्रण पर खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड में आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत मसाला उद्योग के तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में मसालों का निर्यात कर रहे हैं।

क्यूईएल, मुंबई ने 25-26 अक्टूबर 2021 के दौरान मसाले उद्योग में जोखिम विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) का महत्व और यूरोपीय संघ को निर्यात किए गए मसालों में एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) संदूषण को रोकने पर मसाला बोर्ड के दिशानिर्देश पर प्रशिक्षण आयोजित किया। कुल 11 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।

आ. छात्र इंटर्नशिप/शैक्षणिक परियोजना कार्य

(1) क्यूईएल, कोच्ची ने स्नातकोत्तर के चार छात्रों को मार्गदर्शन और शोध प्रबंध की सुविधा और विभिन्न कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के तीन छात्रों को प्रशिक्षुता की सुविधा प्रदान की।

(2) क्यूईएल, तूतीकोरिन ने पांच बीएससी(खाद्य पोषण और आहार विज्ञान) छात्रों को मसालों और मसाला उत्पादों के रासायनिक और सूक्ष्मजैविक परीक्षण पर प्रशिक्षण प्रदान किया

घ. आईएसओ प्रणाली संबंधित गतिविधियाँ

1. क्यूईएल, चेन्नई ने मार्च 2021 में आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के लिए एनएबीएल लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक पूरा किया और मान्यता का नवीकरण किया।
2. क्यूईएल, मुंबई ने आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के लिए डेस्कटॉप लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की ।
3. क्यूईएल, नरेला ने आईएसओ/आईईसी 17025:2017के अनुसार एनएबीएल डेस्कटॉप लेखापरीक्षा की।
4. क्यूईएल कोच्ची ने आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार 8 जुलाई 2021 को और आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 14001:2015 के अनुसार 30-31 जुलाई 2021 को एनएबीएल डेस्कटॉप ऑडिट किया था।

ङ. स्पाइसेस बोर्ड नमूना जाँच कार्यक्रम/अन्य प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम में भागीदारी

1. क्यूईएल, चेन्नई ने इन मापदंडों के लिए अंतरप्रयोगशाला जांच नमूना (आईएलसी) कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया था; एफ्लाटॉक्सिन, सूडान डाईज, नमी, वाष्पशील तेल, करक्यूमिन, पाइपरिन, कैप्साइसिन, रंग मूल्य, जीरा में बाहरी पदार्थ और जीरे में अन्य बीज। परिणाम जेड स्कोर की सीमा के भीतर थे और जहां भी विचलन देखा गया था, सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।
2. एफएपीएएस ट्रयोलजी, एवजीसी एएक्सआईओ प्रोफिश्यन्सी टेस्टिंग, आईटीसी अनलिटिकल सर्वीसस,

फेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, योंटस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, और आश्वी पीटी प्रोवाइडर्स जैसी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत क्यूईएल, कोच्ची, तूतिकोरिन, चेन्नई, नरेला, गुंटूर, मुंबई, कांटला और कोलकात्ता ने नमी, वाष्पशील तेल, रंग मूल्य, कैप्सेइसिन, एसिड अघुलनशील राख, एफ्लाटॉक्सिनबी1, एफ्लाटॉक्सिनबी 2, एफ्लाटॉक्सिनजी 1, एफ्लाटॉक्सिनजी2, कुल एफ्लाटॉक्सिन, ओकैटॉक्सिन-ए, सूडान, सूडान, सूडान, सूडानफ, सूडान ऑरेंज, साल्मोनेला एसपीपी और ई.कोली जैसे विभिन्न भौतिक, रासायनिक, अवशिष्ट और सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंडों में भाग लिया था। परिणाम जेड स्कोर की सीमा के भीतर थे और जहां भी विचलन देखा गया था, सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।

3. क्यूईएल कोच्ची ने एफ्लाटॉक्सिनबी 1, एफ्लाटॉक्सिनबी 2, एफ्लाटॉक्सिनजी 1, एफ्लाटॉक्सिनजी 2, टोटल एफ्लाटॉक्सिन, ओकैटॉक्सिन ए, सूडान, सूडान, नमी, वाष्पशील तेल, कुल राख और एसिड अघुलनशील राख और एलाटॉक्सिन, ओकैटॉक्सिन ए, प्रोफेनोफोस, एथियन, कार्बेन्डाजिम, क्लोरपाइरीफोस, साइपरमेथ्रिन, कार्बोसल्फान, साइफ्लुथ्रिन, डाइसल्फोटन, मैलाथियान आदि के लिए एफएपीएएस जैसे प्रवीणता परीक्षण (पीटी) कार्यक्रमों और विभिन्न अन्य रासायनिक मापदंडों जैसे कैप्साइसिन, रंग मूल्य, पिपेरिन, बाहरी पदार्थ, अन्य बीजों, करक्यूमिन के लिए आईएलसी कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भागीदारी पूरी की। क्यूईएल कोच्ची ने डिथियोकारबयामेट्स पैरामीटर के लिए आई अल सी कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। परिणाम जेड स्कोर की सीमा के भीतर थे।

च. परियोजनाएँ/मानकीकरण कार्य जिनका प्रारंभ हुआ है

1. क्यूईएल, चेन्नई ने मसालों में एथिलीन ऑक्साइड का विश्लेषण शुरू किया।

2. क्यूईएल, कोलकाता ने एलसीएमएस / एमएस का उपयोग करते हुए सूडान डाई, एचपीएलसी का उपयोग करके हल्दी में सूडान डाई और यूएफएलसी का उपयोग करके यूरोपीय संघ को खेप के लिए एफ्लाटॉक्सिन जैसे मापदंडों के लिए परीक्षण शुरू किया।

3. क्यूईएल, कांडला ने सऊदी अरब की आवश्यकताओं के अनुसार इलायची नाशकजीवनाशी अवशेषों का विश्लेषण शुरू किया और चीन को निर्यात के लिए जीरे में नाशकजीवनाशी अवशेषों का विश्लेषण भी शुरू किया।

4. क्यूईएल, कोच्ची ने चीन को मसालों की निर्यात खेपों के परीक्षण के लिए विश्लेषणात्मक सेवा प्रदान करना शुरू किया। परीक्षण मापदंडों में डिसल्फोटॉन, एसेफेट, प्रोफेनोफोस, क्लोरपाइरीफोस, कार्बोसल्फान, साइपरमेथ्रिन आइसोमर्स, मैलाथियान, कार्बेन्डाजिम और साइफ्लुथ्रिन आइसोमर्स शामिल हैं।

5. क्यूईएल, कोच्ची लगभग 120 कीटनाशकों के मानकीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया में है।

6. क्यूईएल ने मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को शामिल करके यूरोपीय संघ के देशों को मसाले और मसाला उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) के अनिवार्य परीक्षण के लिए विश्लेषणात्मक सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया है। प्रयोगशाला मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के उपयोग के लिए क्वाडमास सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है।

छ. प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उपकरणों की खरीद

1. चेन्नई प्रयोगशाला में एलसीएमएस/एमएस स्थापित किया गया था और 17 नवंबर 2021 को कीटनाशक अवशेषों के परीक्षण शुरू करने के लिए उपकरण चालू किया गया था।

2. क्यूईएल, कोलकाता में एलसीएमएस/एमएस, नाइट्रोजन पीक जेनरेटर, लो टेम्परेचर कैबिनेट और हाईस्पीड सेंट्रीफ्यूज जैसे उपकरणों की स्थापना पूरी हो चुकी है और सूडान डाई के लिए परीक्षण शुरू हो गया है।

3. क्यूईएल, गुंटूर ने उपकरण जीरो बी टाइप 1 और टाइप 2 उच्च गुणवत्ता वाले जल शोधन प्रणाली की स्थापना पूरी कर ली है।

4. क्यूईएल कोच्ची ने एलसीएमएस/एमएस (वाटर्स मेक) खरीदा और उपकरण 16 जुलाई 2021 को कमीशन किया गया। इसके अलावा, नाइट्रोजन पीक जेनरेटर, कोल्ड स्टोरेज कैबिनेट डीप फ्रीजर, हाईस्पीड और रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज की स्थापना का काम पूरा हो गया है।

10

निर्यातोन्मुखी अनुसंधान

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई) ने मुख्य रूप से फसल सुधार, जैव प्रौद्योगिकी, पोषक तत्व प्रबंधन और मिट्टी विश्लेषण के आधार पर फसल उत्पादन अध्ययन, और छोटी तथा बड़ी इलायची में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन पर आधारित फसल संरक्षण अध्ययन और अन्य मसालों पर समीक्षाधीन अवधि के दौरान अनुकूली परीक्षणों पर अनुसंधान कार्यक्रम चलाए। विभिन्न विस्तार गतिविधियों जैसे परामर्श, वैज्ञानिककिसान बातचीत(इंटरफेस), मसाला क्लीनिक, वेबिनार, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, श्रव्य और दृश्य मीडिया और प्रकाशनों के माध्यम से किसानों और लक्षित समूहों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का विस्तार किया गया। आईसीआरआई ने रणनीति विकसित की और इलायची में कीटनाशक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता पैदा की, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), एकीकृत रोग प्रबंधन (आईडीएम) और एकीकृत पोषक प्रबंधन (आईएनएम) प्रणालियों के साथसाथ जैविक खेती के व्यवहार को प्रोत्साहित किया।

क. फसल सुधार

अ) छोटी इलायची

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, छोटी इलायची जर्मप्लाज्म की अनूठी पहुंच को मैलाडुम्पारा (545 नग) और सकलेशपुर (264 नग) के आईसीआरआई फार्म के जीन बैंक में संरक्षित किया गया था। आईसीआरआई, मैलाडुम्पारा ने प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक उन्नयन और मूल्यांकन के माध्यम से वांछनीय जैविक और अजैविक लक्षणों के साथ एक नया आशाजनक बेहतर इलायची क्लोन (परिग्रहण संख्या 594) विकसित किया है। इस क्लोन को केरल के इलायची क्षेत्र में केरल स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स के माध्यम से एक किस्म के रूप में जारी करने का प्रस्ताव है।

छोटी इलायची में संकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में, आईसीआरआई ने दो संकर किस्म विकसित किए जो इडुक्की जिले के इलायची क्षेत्रों के लिए आशाजनक और उपयुक्त थे। इन दो संकरों को लगातार चार वर्षों तक विकसित, मूल्यांकन किया गया है और केरल स्टेट वैरायटल रिलीज कमेटी फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए किस्म रिलीज प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। एक विशेष कार्यक्रम के रूप में गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन करने के लिए खेत में प्रत्येक लोकप्रिय किस्म की डेवेलप्ड सॅकर नर्सरी विकसित की।

आ) बडी इलायची

वर्ष 2021-22 के दौरान , पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें बड़ी इलायची के छह अद्वितीय संग्रह एकत्र किए गए थे, जिन्हें निगरानी और अवलोकन के लिए अलग क्षेत्रों में लगाया गया था।

ख. जैव प्रौद्योगिकी

अ) छोटी इलायची

छोटी इलायची की कुल 50 किस्मों की आण्विक प्रोफाइलिंग की गई, जिसमें जारी की गई किस्मों के साथसाथ भूप्रजाति भी शामिल हैं। विभिन्न परिग्रहणों की पासपोर्ट डेटा शीट संकलित की जा रही हैं।

आ) बडी इलायची

बड़ी इलायची के लिए प्लांट डिस्क्रिप्टर विकसित किया गया था जो इसके करीबी संबंधी एलेटेरिया इलायची (आईपीजीआरआई, 1994) के विवरण के आधार पर विकसित किया गया था और डीयूएस दिशानिर्देश (पीपीवी और एफआरए 2009) जो जर्मप्लाज्म के संग्रह और प्रलेखन के लिए महत्वपूर्ण हैं। विकसित नया एलसीसीवी (बड़ी इलायची चिरके वायरस) चिरके वायरस अनुक्रमण के लिए विशिष्ट प्राइमर। ट्रांसक्रिप्टोम अध्ययन के लिए बड़ी इलायची से न्यूक्लिक एसिड अलग करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित और अनुकूलित किया गया।

ग. कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान

अ) छोटी इलायची

आमतौर पर किसानों द्वारा पालन की जाने वाली विभिन्न पर्ण अनुप्रयोग व्यवहारों पर अध्ययन के परिणाम इंगित करते हैं कि पानी में घुलनशील उर्वरकों के अनुप्रयोग (1 की दर से 19:19:19) के परिणामस्वरूप बहुत अच्छी उपज हुई है। इलायची की वृद्धि और उपज गुण उपचार में काफी बेहतर थे, जहां नाइट्रोजन उर्वरक की अनुशंसित खुराक के साथ नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया था। उर्वरकों (आरडीएफ) एफवाईएम की अनुशंसित खुराक दो (2) मिली / लीटर की दर से सिलिकन पर्ण स्प्रे 10 ग्राम/पौधे की दर से सिलिकन मिट्टी के प्रयोग के साथ अन्य उपचारों की तुलना में काफी अधिक कैप्सूल उपज दर्ज की है। दो (2) मिली/लीटर की दर से सिलिकॉन पर्ण स्प्रे 10 ग्राम/पौधे सिलिकॉन मिट्टी के अनुप्रयोग की दर से अनुप्रयोग कैप्सूल के साथसाथ शूट पर लीफ बाइट, क्लंप रोट, थ्रिप्स और बोरर क्षति की कम से कम घटनाओं को रिकोड किया। बेहतर रंग प्रतिधारण के लिए इलायची प्रसंस्करण के प्रारंभिक चरण के दौरान अनुप्रयोग हेतु सोडियम बाइकार्बोनेट की डोज का मानकीकरण।

इलायची ट्रैक्ट का मृदा उर्वरता आकलन आधारित एकीकृत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और जलवायु अनुकूल इलायची की खेती के लिए ऐप आधारित उर्वरक सिफारिश पर सहयोगी अनुसंधान परियोजना के तहत बारह मापदंडों के लिए 1,076 मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया गया, कुल 12,912 पैरामीटर और भूसंदर्भित डेटा को डिजिटलीकृत किया गया। इडुक्की जिले के इलायची उगाने वाले इलाकों के दीर्घकालिक जलवायु डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि अधिकतम तापमान बढ़ रहा है और न्यूनतम तापमान कम हो रहा है, इस प्रकार तापमान सीमा बढ़ रही है जो इलायची जैसी थर्मोसेंसटिव फसलों के लिए हानिकारक हो सकती है। इडुक्की जिले के इलायची उगाने वाले इलाकों में खुले कुएं, बोरवेल और जलधारा से लिए गए पानी के नमूनों से एमआरएल मूल्यों के नीचे एलसीएमएस / एमएस में पुष्टि करण विश्लेषण के माध्यम से पचास कीटनाशक अणुओं का पता चला था।

आ) बडी इलायची

आईसीएआर बारापानी में मेघालय में विविध जैविक प्रबंधन व्यवहारों के तहत बड़ी इलायची की उत्पादन क्षमता का प्रयोग पूरा किया गया। 0.5 की दर से बोरेक्स के पर्ण अनुप्रयोग के साथसाथ 2.5 किग्रा/हेक्टेयर की दर से बोरेक्स के मृदा अनुप्रयोग से 2.40 के लाभ लागत अनुपात के साथ उच्चतम शुष्क उपज (515.78 किग्रा/हेक्टेयर) दर्ज की गई। सतही मल्चिंग उपचार में मिट्टी में नमी की मात्रा (21.01) काफी अधिक दर्ज की गई। उच्चतम शुष्क उपज (552.33 किग्रा/हेक्टेयर) को 3.14 के उच्चतम लाभ लागत अनुपात के साथ ढलान के आरपार विधिवत भरे हुए बायोमास के उपचार में प्राप्त किया गया था।

घ पादप रोगविज्ञान

अ) छोटी इलायची

स्वस्थ हुई इलायची से ओजोन के अनुप्रयोग द्वारा कीटनाशक को हटाने के लिए एक अध्ययन किया गया। परिणाम में पाया गया कि ओजोन से एसिटामिप्रिड (46.15), इमिडाक्लोप्रिड (82.25), मैनकोज़ेब (86.69), और मेटलैक्सिल (94.44) के अवशेषों को हटाया जा सकता है। प्रयोगशाला स्थितियों के तहत छोटी इलायची और जैवनियंत्रित अभिकर्मकों (ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास) के प्रमुख रोगजनकों के खिलाफ सतह स्टेरिलेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की विभिन्न सांद्रता (0.5,1 और 1.5) में परीक्षण किया गया था। यह साबित हो गया है कि परीक्षण किए गए सभी सांद्रता में रोगजनकों और जैवनियंत्रित अभिकर्मकों की वृद्धि पूरी तरह से बाधित है।

छोटी इलायची के राइज़ोम और जड़ से दो एंडोफाइटिक बैक्टीरिया को अलग किया गया, जो फ्यूसैरियम ऑक्सीस्पोरम रोग़जनक़ के मायसेलियल विकास के 82 प्रतिशत और 66 प्रतिशत अवरोध को दर्शाता है इसकी क्रमश ऑक्सीस्पोरम और स्यूडोमोनास और बेसिलस एसपी. के रूप में पहचान की गई थी। इलायची के लीफ ब्लाइट रोग के नियंत्रण के लिए एक फील्ड परीक्षण में चार कवकनाशी का मूल्यांकन किया गया। टेबुकोनाजोल के प्रयोग से पर्ण चित्ती की घट ना सबसे कम हुई थी, इसके बाद हेक्साकोनाजोल था ।

आ) बडी इलायची

मुरझाए पत्ते (फल्र्ड लीफ) रोग पर विस्तृत जांच की गई। विभिन्न किस्मों में, सरमना की खेती में सबसे अधिक घटना दर्ज की गई और ज़ोंगुस गोल्सी ने सबसे कम घटना दर्ज की। खेत और किसानों के खेत की सभी किस्मों में मुरझाया हुआ पत्ता रोग की घटना देखी गई। आईसीआरआई के

फार्मों और किसानों के खेतों में रोग निगरानी की गई। खेत में ओला पत्थर प्रभावित पौधों में झुलसा की घटना (40) अधिक देखी गई।

ङ कीट विज्ञान

अ) छोटी इलायची

प्रमुख कीट जैसे थ्रिप्स और बोरर के खिलाफ खेत की स्थिति के अनुसार कीटनाशकों के बिना छिड़काव वाली पंद्रह छोटी इलायची की किस्मों / किसान किस्मों की जांच की। जिन किस्मों की जांच की गई, उनमें एमसीसी 260 में सबसे ज्यादा कीट संक्रमण दर्ज किया गया। अधिकांश किसानों द्वारा नकली और सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड्स के साथ ऑर्गनोफॉस्फोरस (ओपी) समूह कीटनाशकों के संयोजन के अंधाधुंध उपयोग के कारण, इडुक्की क्षेत्र के अधिकांश स्थानों में कैप्सूल, पैनिकल्स और लीफ शीथ पर थ्रिप्स की क्षति 80-90 से अधिक थी। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों ने भी कैप्सूल और पैनिकल्स पर अधिक थ्रिप्स क्षति को प्रेरित किया।

आ) बडी इलायची

काबी और पांगथांग अनुसंधान फार्मों में कैप्सूल बोरर द्वारा क्षति की तीव्रता और कीट के हॉट स्पॉट क्षेत्रों की पहचान के तहत कुछ स्थानों पर अवलोकन दर्ज किए गए थे। यह देखा गया कि दोनों खेतों में पिछले वर्षों की तुलना में घटनाओं में वृद्धि हुई थी। बड़ी इलायची के बागानों से एकत्र किए गए मिट्टी के नमूनों में छह नेमाटोड प्रजातियां अर्थात् हेलिकोट इलेकस एसपीपी., होपलोलैमस एसपी., टायलेनचोरिन्चस एनुलैटस, प्रेटिलेनचस एसपी, मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा और क्रिकोनेमेटिड्स के विभिन्न स्तर के नेमाटोड काउंट की पहचान की गई थी और बड़ी इलायची की जड़ से जुड़ी दो प्रजातियों को भी अलग किया गया।

बड़ी इलायची के गोदामों में पहली बार भंडारण कीट अलमंड मोथ की घटना की सूचना मिली थी। आईसीएआरसेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीएचईटी), लुधियाना, पंजाब की मदद से इस कीट की पहचान की गई थी।

च. प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

अ) छोटी इलायची

1. अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईसीआरआई द्वारा विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए चार एक्सपोजर दौरे आयोजित किए गए और इन एक्सपोजर दौरों से 167 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

2. बायोएजेंट उत्पादन

स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस (1233 लीटर) और ट्राइकोडर्मा का तरल सूत्रीकरण इलायची में सड़न रोग के प्रबंधन के लिए हर्जियानम (988 लीटर) का उत्पादन और आपूर्ति किसानों को आईसीआरआई, मैलाडुम्पारा से की गई थी। छोटी इलायची में रूट ग्रब के स्थायी प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर गुणा और 80,770 ईपीएन शवों की आपूर्ति की। ट्राइकोडर्मा हरज़ियानम (तरल) 190 एल, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम (कॉफी की भूसी) 237 किग्रा और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस (तरल) 253 लीटर का उत्पादन और आपूर्ति आरआरएस, सकलेशपुर से की गई थी।

3. वेबिनार और स्पाइस क्लीनिक

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, मैलाडुम्पारा द्वारा अठारह वेबिनार आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों में 1374 किसानों ने भाग लिया। तीन मोबाइल स्पाइस क्लीनिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और नैदानिक क्षेत्र के दौरे और कृषि सलाहकार सेवाओं के माध्यम से 65 किसान लाभान्वित हुए।

4. मृदा परीक्षण सेवा परामर्शिका और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन

आईसीआरआई, मैलाडुम्पारा ने काली मिर्च (रूटेड पॉलीबैग 8494 नग) और इलायची सकॅर्स (26837) की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन किया और स्पाइस उत्पादक किसानों को आपूर्ति की गई। कर्नाटक क्षेत्र के लिए आईसीआरआई, आरआरएस, सकलेशपुर द्वारा स्पाइस उत्पादक किसानों को इलायची के प्राथमिक रोपण (3850), इलायची के द्वितीयक रोपण (6432), काली मिर्च (रूट कटिंग) (1983) और इलायची उन्नत पौध (2472) की आपूर्ति की गई।

केरल के इडुक्की जिले के इलायची हिल रिजर्व से 1734 मिट्टी के नमूनों के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल करते हुए बीस हजार आठ सौ आठ (20,808) मिट्टी की उर्वरता मापदंडों का परीक्षण किया गया और निशुल्क उर्वरक सिफारिशें दी गईं।

आ) बडी इलायची

सिक्किम के चार जिलों के साथसाथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले में बड़ी इलायची की खेती के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 19 मसाला क्लीनिकों का संचालन किया गया। मसाला प्रसंस्करण की गुणवत्ता में सुधार के लिए एआईसीआरपीएस की वित्तीय सहायता से अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के तहत सिक्किम के अनुसूचित जाति के किसानों में सोलह डेलमार्क बहुउद्देशीय विद्युत ड्रायर वितरित किए गए।

छ. सामान्य

अ) आईसीआरआई ने 1416 दिसंबर, 2021 तक बोलगट्टी पैलेस, कोच्चि में वृक्षारोपण फसल संगोष्ठी (प्लाक्रोसिम XXIV) का आयोजन किया है। विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के लगभग 270 वैज्ञानिकों ने सहभागिता की और संगोष्ठी में 243 शोध लेख प्रस्तुत किए। प्लाक्रोसिम XXIV के दौरान इंडियन सोसाइटी फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स (आईएसपीसी) द्वारा जम्मूकश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में केसर, मिर्च और काला जीरा की खेती की संभावनाएं एक केस स्टडी शीर्षक वाले लेख के लिए एम.ए अंसार अली, के. धनपाल और ए.बी रेमा श्री को सर्वश्रेष्ठ मूल शोध पत्र पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। आईसीआरआई के वैज्ञानिकों ने प्लाक्रोसिम XXIV में 50 शोध पत्र प्रस्तुत किए।

आ) वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हुईं

i. छोटी इलायची की खेती के तरीके (प्लाक्रोसिम XXIV के दौरान जारी) .

ii. सार पुस्तक का शीर्षक महामारी और उससे परे से मुकाबला बागान फसल क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार (प्लाक्रोसिम XXIV के दौरान जारी)।

iii. स्मारिका प्लाक्रोसिम XXIV (प्लाक्रोसिम XXIV के दौरान जारी)।

आईसीआरआई आरआरएस, गंगटोक ने किसानों के लाभ के लिए अंग्रेजी और नेपाली भाषाओं में बड़ी इलायची के झुलसा रोग और इसके प्रबंधन पर एक पैम्फलेट जारी किया ।

ज. बाह्य रूप से वित्त पोषित और सहयोगात्मक परियोजनाएं

आईसीआरआई ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है।

अ. मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना आई.सी.ए.आर., नई दिल्ली आई.सी. आर.आई., मैलाडुम्पारा; आई.सी.आर.आई. आर.आर. एस., सकलेशपुर और आई.सी.आर.आई., आर.आर. एस., गंगटोक ए.आई.सी.आर.पी.एस. के मान्यता प्राप्त सहचयन केंद्र हैं।

आ. इलायची भूभाग के जीआईएस आधारित मिट्टी उर्वरता मूल्यांकन को एकीकृत करना और जलवायु लचीला इलायची की खेती के लिए ऐप आधारित उर्वरक सिफारिश नामक सहयोगी परियोजना के तहत भौगोलिक स्थानों से एक हजार इकतीस मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उर्वरता मानकों को सारणीबद्ध किया गया। कांठीपारा, उडुंबंचोला और चतुरंगपारा गांवों के विश्लेषणात्मक डेटा को मिट्टी की उर्वरता मानचित्रण और जीआईएस विश्लेषण के लिए भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई) (सहयोगी संस्थान) को आगे संचरण के लिए सारणीबद्ध किया गया था।

इ. इडुक्की जिले के इलायची की खेती वाले क्षेत्रों में कीटनाशकों के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन शीर्षक वाली परियोजना मार्च, 2022 में समाप्त हुई थी। इस परियोजना को भूजल निदेशालय, भूजल विभाग, केरल सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इलायची हिल रिजर्व (सीएचआर) में जलाशयों से लिए गए लगभग 337 जल के नमूनों का वर्ष 2021-22 के दौरान ऑर्गेनो क्लोरीन, ऑर्गेनो फास्फोरस और कीटनाशकों के कार्बामेट समूह के लिए विश्लेषण किया गया था।

ई. राज्य बागवानी मिशन, केरल सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए 194.00 लाख रुपये की कुल लागत पर भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, मैलाडुम्पारा की गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला को मजबूत करके इलायची हिल रिजर्व के लिए एक व्यापक निगरानी प्रणाली की स्थापना शीर्षक वाली एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी और परियोजना के तहत जीसीएमएस/एमएस, फ्लैश क्रोमैटोग्राफी, नाइट्रोजन इवेपोरेटर और जल शोधन प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उ. छोटी इलायची में कवकनाशी (फंगिसाइड) फ्लुपीकोलाइड 4.44 फोसेटाइल छन 66.67 उक्ष के नए अणुओं का मूल्यांकन कैप्सूल रोट और राइज़ोम रोट रोगों के खिलाफ किया गया था। यह पाया गया है कि इस कवकनाशी (फंगिसाइड) के 0.2 की दर से छिड़काव और भीगोने से इलायची में सड़न रोगों की घटनाओं में काफी कमी आई है। इस पेड अप ट्रायल को मेसर्स बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

ऊ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पांच अलगअलग कृषि जलवायु स्थानों में नए अणु, एसेफेट 95 एसजी (हंक) का मूल्यांकन किया। छोटी इलायची में प्रमुख कीटों थ्रिप्स और शूट बोरर के खिलाफ एसेफेट (हंक) 95 एसजी 1000 ग्राम/हेक्टेयर का छिड़काव प्रभावी पाया गया है। इस पेड अप ट्रायल को रैलिस इंडिया द्वारा वित्त पोषित किया गया है और मार्च, 2022 को पूरा किया गया है।

11

सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रमण

सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ के साथ स्पाइसेस बोर्ड की गतिविधियों में काफी बदलाव आया है। कई मैनुअल संचालन को ऑनलाइन सिस्टम से बदल दिया गया है जो बोर्ड के विभिन्न विभागों के कार्यभार को प्रभावी ढंग से कम करता है और उनके संचालन के समय को कम करता है। ईडीपी विभाग उनके साथ काम करके बोर्ड के विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। वास्तव में, यह पूरी प्रणाली को तेज और अधिक उत्पादी बनाता है और बोर्ड को अधिक कुशलता से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है।

1. ईडीपी विभाग की मुख्य गतिविधियां

- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए बोर्ड के विभिन्न विभागों और कार्यालयों को सलाह देना, उनका मार्गदर्शन और सहायता करना।
- मौजूदा एप्लिकेशन, मैसेजिंग समाधान, इंटरनेट और वेबसाइट रखरखाव के लिए हेल्प डेस्क प्रबंधन।
- हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और परिधीय उपकरण जैसे संगठन के व्यापक आईटी संसाधनों का प्रशासन।
- प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, एकीकरण और कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार करना।
- आईटी अवसंरचना का उन्नयन।
- आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर के सुचारू कामकाज के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को परिभाषित और कार्यान्वित करना।
- डेटा प्रासेसिंग।
- नए सिस्टम (या मौजूदा सिस्टम में संशोधन) की आवश्यकता की पहचान करना और उपयोगकर्ताओं के अनुरोधों का जवाब देना।
- सूचना प्रणाली और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की डिजाइन, विकास, प्रलेखन, परीक्षण, कार्यान्वयन और रखरखाव।
- बोर्ड की वेबसाइट indianspices.com, spicesboard.in, indianspices.org.in, worldspicecongress.com and ccsch.in. l
- कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार और संचालित करना।

2. 2021-22 की प्रमुख उपलब्धियां

- क्लाउड आधारित ई-नीलामी प्रणाली, जो स्पाइसेस पार्क पुट्टडी, इडुक्की और बोडिनायकनूर, तमिलनाडु में स्पाइसेस बोर्ड के ई-नीलामी केंद्रों पर एक साथ ई-नीलामी आयोजित करने की सुविधा प्रदान करती है, लागू की गई। नई प्रणाली इलायची के व्यापार में उच्च क्षमता और पारदर्शिता लाने में मदद करती है।
- निर्यातकों और किसानों की सुविधा के लिए स्पाइस बोर्ड के साथ प्रश्न पूछने / उठाने के लिए वर्चुअल ऑफिस बनाया गया और वेबसाइट "indianspices.com" में जोड़ा गया।
- निर्यातकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी अपने सीआरईएस लाइसेंस में किसी भी संशोधन के लिए ऑनलाइन भुगतान करने और इसे ऑनलाइन संसाधित करने के लिए सीआरईएस आवेदन की सुविधा का उन्नयन।

3. निर्यात समर्थन प्रणाली सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को निम्नलिखित नई सुविधाओं को शामिल करने के लिए अपग्रेड किया गया था

i. निर्यातक विवरणी प्रस्तुत करना

ii. नमूना तैयार प्रमाण पत्र (एसडीसी)

iii. यूके के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र

iv. ईटीओ पैरामीटर परीक्षण और ईटीओ के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना

4. क्वाडमास सॉफ्टवेयर से उत्पन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट को संशोधित किया गया है और इसमें डिजिटल हस्ताक्षर और क्यूआर कोड शामिल हैं। अब डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट क्लाउड सर्वर में उपलब्ध है जो रिपोर्ट के मुद्रण की आवश्यकता से बचाती है और रिपोर्ट को अब ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। किसानों की सहायता करने और विभिन्न कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किसान मोबाइल ऐप विकसित किया गया था।

5. सार्वजनिक वेबसाइट: indianspices.com का उन्नयन किया गया।

6. सार्वजनिक और आंतरिक विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का उन्नयन किया गया ।

12

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का 22) संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को प्राप्त हुई थी। अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के क्रम में, सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अधीन की जानकारी सुरक्शित रूप से प्राप्त करने हेतु नागरिकों को सूचना के अधिकार का एक व्यावहारिक शासन व्यवस्था स्थापित करना है। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत अधिसूचित कुछ सूचना को छोड़कर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नागरिक, बोर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकता है। नागरिक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर बोर्ड के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया है और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। बोर्ड ने केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रेषित सूचना के प्रसारण के समायोजन हेतु उपनिदेशक (लेखापरीक्षा और सतर्कता) को समन्वयक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया है। मुख्यालय में एक सहायक समन्वयक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को भी नामित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्रसारण के लिए बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत मुख्यालय में सात केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अनुसंधान स्टेशन, मैलाडुंपारा, इडुक्की में एक केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को पदनामित किया गया है। निदेशक (अनुसंधान), स्पाइसेस बोर्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपनिदेशक (लेखापरीक्षा और सतर्कता) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उप निदेशक (ईडीपी) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत दायित्वों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड के पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। बोर्ड ने हर सूचना, जो प्रकट करना अपेक्षित है, को स्वप्रेरणा से, ऐसे प्ररूप और रीति में बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए आवश्यक जानकारी का ऐसे प्रकार और रूप में प्रकट किया है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) जनता के लिए सहज रूप से पहुँच योग्य है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, भौतिक रूप से और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 66 सूचना का अधिकार आवेदन प्राप्त हुए। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 16 अपीलें भी प्राप्त हुईं और निर्धारित समय के भीतर सभी मामलों में सूचना का प्रसार किया गया। इस अवधि के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। आरटीई पंजीकरण शुल्क के रूप में 100/ रुपए प्राप्त हुए। केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित क्रम के अनुसार त्रैमासिक आरटीआई विवरणी (पहली तिमाही से चौथी तिमाही तक) का अद्यतनीकरण किया गया।

भविष्य की ओर

स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ, वैश्विक मसाला क्षेत्र एक पुनरुत्थान की राह पर है, जो खाद्य में अधिक प्राकृतिक उत्पादों और घटकों के लिए बदलती ग्राहक प्राथमिकताओं से संवर्धित है। यह भारत के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करता है, क्योंकि हम मसालों की दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक हैं। मसाले स्वाद और रंग देने वाले एजेंटों एवं परिरक्षक पदार्थों के रूप में उपयोग में हैं, और रिकॉर्ड किए गए इतिहास से परे हैं। हालांकि, मसालों और उनके सक्रिय अवयवों के उपयोग पर स्वास्थ्य विकारों के लिए संभावित सुधारात्मक या निवारक एजेंटों के रूप में बढ़ती रुचि के साथसाथ उच्च अंत मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए मसालों के औद्योगिक अनुप्रयोगों में वृद्धि ने मसाला उद्योग, विशेष रूप से न्यूट्रास्युटिकल और आहार पूरक क्षेत्रों के साथसाथ मसाला तेल, तैलीराल और अन्य नए उत्पादों के लिए कई संभावित रास्ते की शुरुआत की है।

वैश्विक मसाला क्षेत्र में नए विकास ने भारतीय उद्योग को बदलती वैश्विक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने हेतु खुद का कौशल बढ़ाने और उसको लैस करने की आवश्यकता है।

आयातक देशों के खाद्य नियमों ने खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के बारे में बढ़ती वैश्विक जागरूकता के साथ तालमेल बिठाया है, और खाद्य सुरक्षा नियमों के सख्त होने की एक सामान्य प्रवृत्ति है। मसालों के लिए, दुनिया भर में नियमित आधार पर नई नियामक आवश्यकताएं उभर रही हैं, और आने वाले वर्षों में भारतीय मसाला क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक प्रमुख मसालों के निर्यात योग्य अधिशेष उत्पादन बनाए रखना होगा जो इन नियमों के अनुरूप हैं।

इस मुद्दे को दो स्तरों पर संबोधित किया जाना चाहिए। पहला, मसाला उत्पादकों के स्तर पर जागरूकता और क्षमता निर्माण का सृजन होना चाहिए। दूसरे, भारतीय मसाला निर्यात को नवीनतम विश्वव्यापी नियामक आवश्यकताओं के साथ अद्यतन एक मजबूत निर्यात खेप निगरानी प्रणाली से गुजरना चाहिए। मसाला बोर्ड पूरे भारत में मसाला उत्पादन और निर्यात केंद्रों में इन दोनों पहलुओं को संबोधित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

भविष्य के हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र होंगे

- खरीददारों और उपभोक्ताओं द्वारा मांगे गए मसालों और मसालों के उत्पादों के स्थान परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले अवसरों का दोहन करने के लिए प्रसंस्करण और विनिर्माण क्षमताओं तथा अवसंरचना का उन्नयन/अनुकूलन करना।
- उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और रणनीतियों के साथ नवीन उत्पादन प्रणालियों का विकास जो गुणवत्ता की चिंताओं के साथसाथ अन्य आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए खरीदारों की गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।
- उच्च खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ट्रैसेबिलिटी और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला का सुव्यवस्थित और कुशल प्रबंधन।
- उत्पादन और प्रसंस्करण के दौरान गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के मानकों को बढ़ाने के लिए किसानों और निर्माताओं को सबसे परिष्कृत तकनीकों और अद्यतन जानकारी के साथ सशक्त बनाना।

- मसालों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती गुणों की पहचान, प्रलेखन, उत्पाद विकास और विपणन के उद्देश्य से न्यूट्रास्युटिकल/फार्मास्युटिकल/आहार पूरक क्षेत्र में अनुसंधान और निवेश में वृद्धि।
- मसाला उत्पादन क्षेत्र में नियमित जागरूकता निर्माण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण परियोजनाओं का उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियमों के अनुरूप मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यूईएल) को मसाला गुणवत्ता और सुरक्षा में उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में उन्नत करना, नवीनतम उपकरण और बुनियादी ढांचे के साथसाथ प्रशिक्षित जनशक्ति के साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्यूईएल खाद्य विश्लेषण में आधुनिक नियामक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
- भारत भर में सभी प्रमुख निर्यात केंद्रों में गुणवत्ता और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए एक व्यापक और अद्यतन निगरानी प्रणाली बनाए रखना, जिसमें भारतीय मसाला निर्यात खेपों के नियामक अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड के क्यूईएल के साथसाथ पैनल में शामिल और मान्यता प्राप्त तृतीयपक्ष प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
- बाजार और उत्पाद विकास नए उत्पादों के विकास के जरिए मौजूदा बाजारों में भारतीय मसालों की उपस्थिति को मजबूत करना और गैर-पारंपरिक बाजारों में प्रवेश करना ।
- ब्रांड का प्रचार भारतीय मसाले ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए, इसके आंतरिक गुणों और गुणवत्ता व सुरक्षा अनुपालन केलिए केंद्रित हस्तक्षेप ।
- क्षेत्र के सतत विकास के उद्देश्य से नीतिगत हस्तक्षेपों को संचालित करने हेतु प्रमुख मसाला उत्पादक और ग्राहक देशों में नियामक निकायों और व्यापार समर्थक संस्थानों के साथ सक्रिय हस्तक्षेप।

स्पाइसेस बोर्ड, भारतीय मसाला उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र बनने और वैश्विक बाजारों में स्वच्छ, सुरक्षित और मूल्यवर्धित मसालों और मसाला उत्पादों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनने के उद्देश्य को पूरा करने केलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों साथसाथ अपनी केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना के अधीन परिकल्पित सुविचारित कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

2.	**परिसंपत्तियां**	
2.1	**मूल्यह्रास घटाकर स्थिर परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 8) ₹ 179.50 करोड़**	
2.1.1	बोर्ड ने प्रयोगशाला उपकरणों के आयात के लिए साख-पत्र खोलने हेतु बैंक में सावधि जमा करते समय प्रयोगशाला उपकरणों के लिए ₹ 1.74 करोड़ की राशि का स्थिर परिसंपत्तियों में पूंजीकरण किया। फिर भी, 31 मार्च, 2022 तक प्रयोगशाला उपकरण न तो प्राप्त हुए और न ही भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों की अत्युक्ति हुई और अनुसूचित बैंकों की चालू परिसंपत्तियों-जमाओं में ₹ 1.74 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।	बोर्ड के विभिन्न स्थानों पर स्थापित गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के लिए प्रयोगशाला उपकरणों और पुर्जों के आयात के खिलाफ गारंटी के रूप में बोर्ड साख पत्र खोलता था। साख पत्र को 100 प्रतिशत सावधि जमा द्वारा समर्थित किया गया था। कृपया ध्यान दें कि सभी मामलों में भुगतान एक बार में नहीं किया जाता है। भुगतान साख पत्र की राशि से निबंधन व शर्तों के अनुसार किश्तों में दिया जाएगा। चूंकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड द्वारा पहले से ही किए गए उपकरणों की खरीद को हमारे खातों में दर्शाया जाना है। यदि इसे सावधि जमा माना जाता है, तो लेखा पुस्तकों के अनुसार व्यय, प्राप्त अनुदान के पूर्ण उपयोग के लिए प्रदान किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार नहीं होगा। बोर्ड लैब उपकरणों की खरीद के लिए खोले गए साख पत्र को व्यय के रूप में दिखाता था ताकि यह दिखाया जा सके कि राशि पहले से ही प्रतिबद्ध है और बोर्ड की प्रणाली के अनुसार प्राप्ति और अदायगी लेखे में अप्रयुक्त शेष से बचने के लिए, प्रणाली में सावधि जमा खाता हेतु प्रणाली में बैंक बुक से एक अंतरण प्रविष्टि का सृजन करके सावधि जमा सृजित की जाती है। ऐसे मामले में व्यय का अद्यतन नहीं किया जाएगा। इसलिए, यदि साख पत्र को सावधि जमा के रूप में माना जाता है, तो व्यय को अद्यतन नहीं किया जाएगा और उतनी ही राशि अप्रयुक्त रह जाएगी। 1.74 करोड़ रुपये के लिए साख पत्र खोला गया, जिसमें से 0.97 करोड़ रुपये आईसीआरआई मैलाडुम्पारा के लिए जीसीएमएस-एमएस की खरीद के लिए बाहरी वित्त पोषित परियोजना से संबंधित हैं। इसका खुलासा लेखाओं पर टिप्पणी में किया गया है। शेष रु. 0.77 करोड़ क्यूईएल में प्रयोगशाला उपकरण की खरीद के संबंध में है । एक अतिरिक्त प्रकटीकरण के रूप में, हमने अपने लेखाओं पर टिप्पणी में दोनों साख पत्र शामिल किए हैं।
2.2	**चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) ₹ 225.22 करोड़**	

2.2.1	शेष की किसी पुष्टि के बिना पाँच से अधिक वर्षों केलिए बकाया अग्रिम/प्राप्य राशियों केलिए प्रावधान न करने के कारण उपरोक्त की ₹ 2.27 करोड़ की अत्युक्ति हुई है। बोर्ड को ज्ञात नहीं है कि किससे राशि प्राप्य है। अतः, इन प्राप्य राशियों की वसूली संदिग्ध है और इसकेलिए प्रावधान बनाना होगा। प्रावधान न बनाने के परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिम कि अत्युक्ति हुई है और घाटे में ₹ 2.27 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है। स्पाइसेस बोर्ड की वर्ष 2020-21 की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रावधान न करने पर एक टिप्पणी शामिल की गई थी।	लेखापरीक्षा पैरा पहले की अवधि से संबंधित है। बोर्ड लेखापरीक्षा प्रश्न में उल्लिखित अवधि से संबंधित इन शेषों के मिलान कार्य करने के लिए योग्य कर्मियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।
2.2.2	गुजरात सरकार ने ₹ 4.78 करोड़ की राशि के लिए मसाला पार्क स्थापित करने हेतु स्पाइसेस बोर्ड को मेहसाना में 67.35 हेक्टेयर भूमि आवंटित की (2010)। बोर्ड ने कब्जा ली गई भूमि (37 हेक्टर) की राशि के रूप में ₹ 2.63 करोड़ का पूंजीकरण(2015) किया और ₹ 2.16 करोड़ की शेष राशि को चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि के तहत अग्रिम के रूप में दिखाया गया था। बाद में बोर्ड ने कब्जे में ली गई भूमि को वापस सौंप दिया और मसाला पार्क परियोजना रद्द होने की वजह से गुजरात सरकार से राशि की वापसी का अनुरोध किया (2016)। ऐसे में ₹ 2.63 करोड़ के मूल्य की पूंजीकृत भूमि को वापस किया जाना चाहिए था। भूमि के लिए भुगतान की गई कुल 4.78 करोड़ की राशि को चालू संपत्ति के तहत प्राप्य राशि (विविध देनदार) के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों तथा अग्रिम में क्रमशः ₹ 2.63 करोड़ और ₹ 2.16 करोड़ की अत्युक्ति हुई यही और चालू परिसंपत्तियों के अधीन प्राप्य राशियों(विविध देनदार) में ₹ 4.78 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है।	राशि की वापसी के लिए वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से गुजरात राज्य सरकार के साथ मामले को पहले ही उठाया जा चुका है। गुजरात सरकार से एक बार यह प्राप्त हो जाने के बाद प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक प्रविष्टियां पारित की जाएंगी और इसे लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।
(आ)	**आय और व्यय लेखा**	
3	**व्यय**	

3.1.1	**(स्थापना खर्च (अनुसूची 21) ₹ 55.01 करोड़)** जैसे कि 31 मार्च, 2022 को है, बोर्ड ने सेवानिवृत्ति लाभों पर ₹ 348.72 करोड़ की बीमांकिक देनदारियों के खिलाफ ₹ 251.00 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके परिणामस्वरूप व्यय और चालू देनदारियों में ₹ 97.72 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है। इसके अलावा, बोर्ड ने, जैसे कि 31 मार्च, 2022 को है, बीमांकिक देनदारी सुनिश्चित नहीं किया है। वर्ष 2020-2021 की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संक्षिप्त प्रावधान पर एक टिप्पणी जारी की गई थी।	बोर्ड ने 31.03.2021 को बोर्ड की पेंशनभोगी देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन किया है। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड की देनदारी 348.72 करोड़ रुपये है। (उपदान 18.54 करोड़ रुपये; पेंशन 319.07 करोड़ रुपये; छुट्टी नकदीकरण11.10 करोड़ रुपये) यह 01.01.2004 से पहले और बाद में शामिल हुए कर्मचारियों के विवरण पर विचार करने के बाद निकाला गया है। 01.01.2004 से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में उपदान, छुट्टी नकदीकरण एवं मासिक पेंशन का बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। 01.01.2004 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों के संबंध में उपदान और छुट्टी नकदीकरण के लिए बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है और हम एनएसडीएल के माध्यम से कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान को नई पेंशन योजना में भेज रहे हैं। कुल 348.72 करोड़ रुपए के मूल्य में से बोर्ड ने 31.03.2022 तक प्रावधान के लिए पहले ही 251.00 करोड़ रुपये प्रदान कर चुका है। चूंकि यह एक अत्यधिक काल्पनिक घटना है, यदि हम एक वित्तीय वर्ष में कुल राशि प्रदान करते हैं तो आय पर अधिक व्यय का प्रभाव मंत्रालय से प्राप्त अनुदान की तुलना में इतना अधिक होगा। उसी के प्रभाव को लेखाओं पर टिप्पणी में भी बताया गया है। बोर्ड शेष 97.72 करोड़ रुपये की राशि को भी समान रूप से एक अवधि में बांट देगा।
इ)	**सामान्य**	
	नोट संख्या 3 - स्पाइसेस बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि केलिए उद्दिष्ट निधि, के अनुसार, बोर्ड ने विश्लेषण शुल्क से प्राप्त आय से उद्दिष्ट निधि-पेंशन देनदारियों में ₹ 10.00 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। पिछले वर्षों के दौरान भी समान राशियों का अंतरण किया गया था। जैसे कि 31 मार्च, 2022 को है, पेंशन निधि से कुल ₹ 101.26 की राशि सावधि जमा में निवेश किया है। फिर भी, बोर्ड की वार्षिक पेंशन देनदारियाँ इस कार्य केलिए सृजित उद्दिष्ट निधि से पूरी नहीं होती और इसे भारत सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त सामान्य सहायता अनुदान से व्यय किया जाता है।	बोर्ड ने 31.03.2021 को बोर्ड की पेंशन संबंधी देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन किया है। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड की पेंशन देनदारी 319.07 करोड़ रुपये है। 31/03/2022 को पेंशन देयता को पूरा करने के लिए निर्धारित धनराशि केवल 101.26 करोड़ रुपये है, जो वास्तविक देयता से काफी कम है। इसलिए, जब तक फंड पूरी तरह से सृजित नहीं हो जाता, तब तक के लिए सामान्य फंड से चालू खर्च को पूरा किया जाता है।
संलग्नक		
क	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**	

	वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने बोर्ड के 83 शाखा कार्यालयों में से केवल छह कार्यालयों की लेखापरीक्षा चलाई थी । वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं चलाई गई थी।	लेखापरीक्षा एवं सतर्कता अनुभाग में केवल उप निदेशक (लेखापरीक्षा एवं सतर्कता) का एक पद है और उप निदेशक (लेखापरीक्षा एवं सतर्कता) की सहायता केलिए अन्य विभागों से एक निजी सहायक को तैनात किया गया है। एक बार भर्ती नियम स्वीकृत हो जाने के बाद और भर्ती के बाद लेखापरीक्षा एवं सतर्कता अनुभाग में पर्याप्त कर्मचारी तैनात हो जाएंगे। अब लेखापरीक्षा एवं सतर्कता अनुभाग में सिर्फ दो कर्मचारियों के साथ सभी 83 कार्यालयों की लेखापरीक्षा करना कठिन है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2020-21 में इस वर्ष 10 कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई थी, दो वर्षों में छह कार्यालयों का या लगभग 20 कार्यालय की लेखापरीक्षा की गई थी । इसके अलावा, आई पी ए आई को बोर्ड में जनशक्ति की कमी के कारण लेखापरीक्षा करने का काम सौंपा गया है और अगली लेखापरीक्षा तक बोर्ड के अधिकांश कार्यालयों की लेखापरीक्षा की जाएगी ।
ख	**आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता**	
	सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 229 (xi) के अनुसार, बोर्ड ने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किया है।	बोर्ड के अनुमोदित योजना-बजट और एमटीएफ़ योजनाअवधि के दौरान निर्मोचित निधि का विवरण नीचे दिया गया है वर्ष / अनुमोदित बजट (करोड़ रुपए में) / निर्मोचित निधि (करोड़ रुपए में) 2017-18 / 172.25 / 97.01 2018-19 / 151.00 / 90.93 2019-20 / 168.53 / 105.00 2020-21 / 120.00 / 100.65 2021-22 / 115.50 / 115.50 चूंकि स्वीकृत बजट और प्रत्येक वर्ष जारी किए गए वास्तविक निधि में पर्याप्त अंतर होता है, इसलिए स्वीकृत बजट आवंटन के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करना यथार्थवादी नहीं हो सकता है। इसे देखते हुए बोर्ड के प्रशासनिक मंत्रालय ने एमटीएफ़ योजना अवधि के दौरान एक समझौता ज्ञापन के लिए जोर नहीं दिया था। इसलिए, बोर्ड ने उपरोक्त अवधि के दौरान मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किया है।
ख	**स्थिर परिसंपत्तियों और मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**	
	वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड ने अपने क्षेत्राधिकार के यहीं के 83 इकाइयों में से 25 की स्थिर परिसंपत्तियों एवं मालसूचियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्यालय की स्थिर परिसंपत्तियों एवं मालसूचियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया है।	दिनांक 31.03.2022 तक सभी कार्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा चुका है और अधिकारी संपत्ति रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। भौतिक सत्यापन के अलावा सभी कार्यालयों से अनुरोध किया गया है कि सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित निपटान के लिए निपटान और अनुपयोगी संपत्तियों की सूची तैयार करें। आईपीएआई को सभी कार्यालयों की लेखापरीक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है। सभी संपत्तियों का आईपीएआई द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन परिणामी लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया जाएगा।
घ	**सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता**	
	बोर्ड सांविधिक देयों का नियमित भुगतान करता है।	

IN PICTURES
SPICES BOARD
2021-22

वाणिज्य सप्ताह
Vanijya Saptah
20 - 26 September, 2021

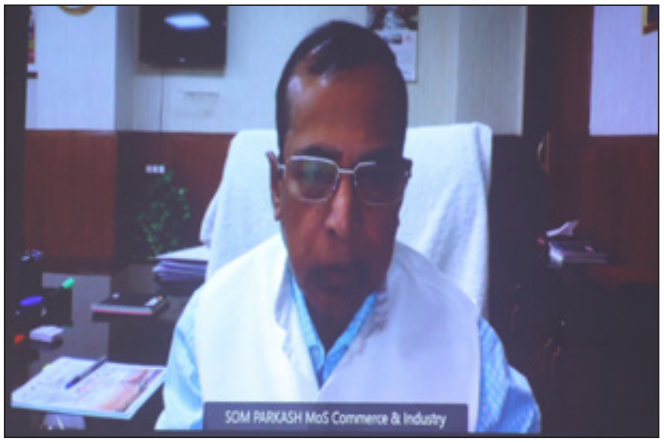

Shri Som Parkash, Hon'ble Union Minister of State for Commerce and Industry inaugurating the Vanijya Utsav on 21st September 2021

Special e-Auction of Small Cardamom on 26th September 2021 as part of the Vanijya Saptah

Inauguration of Vanijya Utsav at Kerala, 21-22 September 2021

Planting of spices as part of Sugandhotsav across India

Planting of Chilli seedlings as part of Sugandhotsav

Exporters and Industry Leaders Conclave at East Sikkim on 24th September 2021

Shri Kado Tshering Namka, Advisor, Department of Commerce and Industries, Government of Sikkim inaugurating the exhibition organised as part of the Vanijya Utsav at Sikkim

Shri V. Muraleedharan, Hon'ble Union Minister of State for External Affairs inaugurating the Exporters and Industry Leaders Conclave

Distribution of immune boosting spices

Distribution of immune boosting spices

Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board delivering the welcome address during the Coral Jubilee Celebration of Spices Board

Shri A.G. Thankappan, Chairman, Spices Board addressing the gathering during the inauguration of Coral Jubilee Celebrations

Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Government of India interacts with the farmers, exporters and other stakeholders of the spice industry

Shri P. Prasad, Hon'ble Minister of Agriculture, Government of Kerala inaugurating the Distribution of Small Cardamom Productivity Awards & Weather Based Crop Insurance Policy for Small Cardamom

Distribution of policy documents to the beneficiaries of Weather Based Crop Insurance Scheme for Small Cardamom

PARTNERSHIPS FOR SYNERGY

Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board interacts with Shri Prem Singh Tamang, Hon'ble Chief Minister of Sikkim on the Board's schemes and activities

Chilli Task Force Committee visits chilli fields in Andhra Pradesh

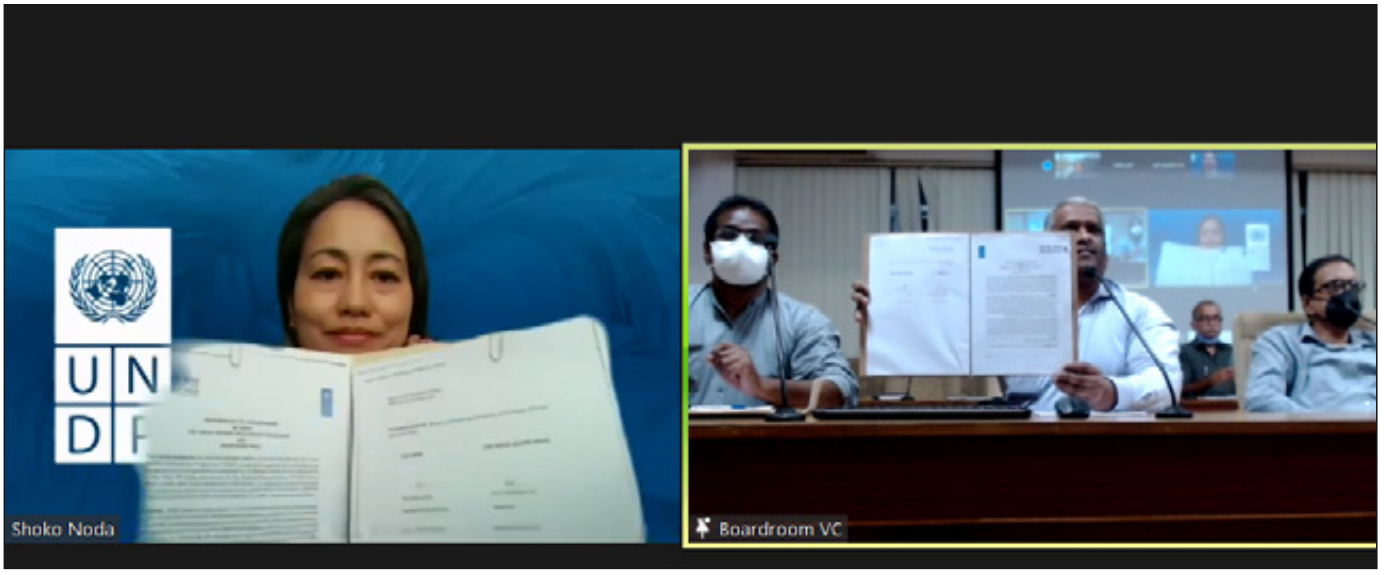

MoU signed by Spices Board and UNDP India's Accelerator Lab to develop blockchain-enabled traceability interface for Indian spices

Demonstration of Technology- Pepper thresher and grader, organised under the collaborative project for strengthening spice value chain in India, on 15th March 2022 at Paderu.

Distribution of pepper threshers under the project "Strengthening spice value chain in India and improving market access through capacity building and innovative interventions to farmers".

Spices Board; after signing MoU with Rubber Board and Digital University of Kerala to develop GIS based soil fertility assessment & app based fertilizer recommendation for cardamom

PLACROSYM XXIV

Inauguration of the 24th PLACROSYM by Dr R. Chandra Babu, Vice chancellor, Kerala Agricultural University on 14th December 2021

Shri A.P.M. Mohammed Hanish IAS, Principal Secretary, Department of Industry, Commerce and Plantation, Government of Kerala addressing the gathering

Release of high-yielding clone of Small Cardamom (accession no. MCC 594) developed by the Indian Cardamom Research Institute, Myladumpara

Shri K. S. Srinivas IAS, Chairman, MPEDA inaugurating the exhibition at PLACROSYM XXIV

Release of Package of Practices of Small Cardamom by Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board, Shri A.G. Thankappan, Chairman, Spices Board and Dr R. Chandra Babu, Vice chancellor, Kerala Agricultural University

View of the delegates attending PLACROSYM XXIV

Launch of Spice Xchange India platform by Shri Som Parkash, Hon'ble Union Minister of State for Commerce and Industry

Adv. Dean Kuriakose, MP inaugurating the Cloud Based Live e- Auction for Small Cardamom at Spices Park, Puttady

Ms Parul Singh, Deputy Secretary, MoC during the inaugural session of IBSM with focus on Morocco held on 8th February 2022

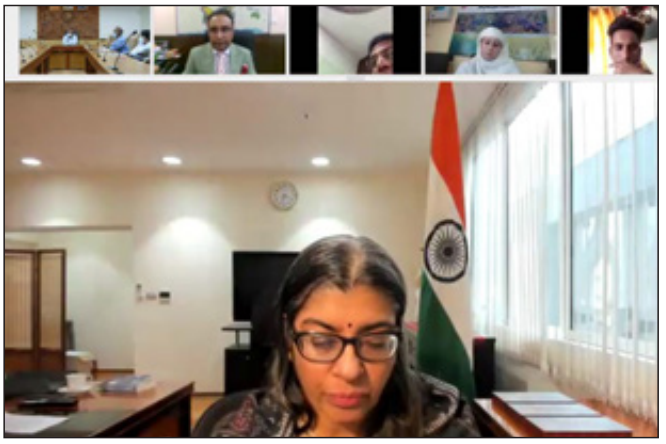

Ms Suchitra Durai, Ambassador of India to Thailand during the inaugural session of IBSM with focus on Thailand held on 18th August 2021

Buyer Seller interaction at Spices Board's pavilion in Uzfood, Uzbekistan

Spices Board's stall in IFE London 2022

OUTREACH PROGRAMMES FOR PRODUCTION AND QUALITY IMPROVEMENT

OUTREACH PROGRAMMES FOR PRODUCTION AND QUALITY IMPROVEMENT

Skill Development Training programme at Bodinayakanur, Tamil Nadu

Secretary, Spices Board interacting with the representatives of Federation of Indian Spice Stakeholders (FISS)

Quality Improvement Training Programme for the spice farmers in Assam

Quality Improvement Training Programme on seed spices

Market Linkage Programme on Turmeric at Nizamabad

Distribution of certificates to the participants of Training Programme on Importance of HACCP in Spices Industry and Spices Board's Guidelines on Preventing ETO Contamination in Spices Exported to the EU.

OUTREACH PROGRAMMES FOR PRODUCTION AND QUALITY IMPROVEMENT

Director (Research) and a team of Scientists from Indian Cardamom Research Institute visit Small Cardamom plantation

Regional Seminar on Good Agricultural and Hygienic Practices for Turmeric organised at Thuravoor, Kerala

Exposure visit arranged for students at Indian Cardamom Research Institute, Myladumpara

Shri G.V.L. Narasimha Rao, Chairman and members of Chilli Task Force Committee visit Thrips infestation area in Prakasam district, Andhra Pradesh

Participants of Entrepreneurship Development Programme for Sikkim and West Bengal

Installation of Rapid Curcumin Testing Device at APMC, Nizamabad

OUTREACH PROGRAMMES FOR PRODUCTION AND QUALITY IMPROVEMENT

Quality Improvement Training Programme on Mint organised by Spices Board Regional Office, Barabanki

Market Linkage Programme focusing on market access and value addition of coriander and garlic from Hadoti region on 8th February 2022

Regional seminar on production, post-harvest improvement & marketing of spices for sustainable livelihood on 28th February 2022 in West Sikkim.

Dignitaries attending the inaugural session of the webinar on " Diverging from Conventional Applications: Indian Spices for Flavours of the World' on 3rd March 2022

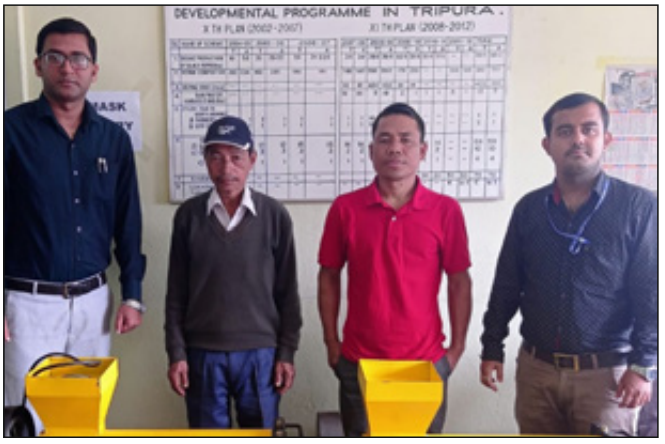

Distribution of pepper threshers to black pepper farmers in Tripura

Distribution of Turmeric Boilers

BOARD MEMBERS

Shri A.G. Thankappan
Chairman

Shri D. Sathiyan
Secretary

Shri Stany Joseph Pothen
Vice Chairman

Adv. Dean Kuriakose
Hon'ble MP, Member

Shri B.Y. Raghavendra
Hon'ble MP, Member

Shri G.V.L. Narasimha Rao
Hon'ble MP, Member

Dr Varghese Sebastian Moolan
Member

Ms Annu Shree Poonia
Member

Shri P. Vikram Reddy
Member

Dr Dasam Umamaheswara Raju
Member

Shri Bhojraj Saraswat
Member

Shri Rajendra Kasat
Member

Shri T.T. Jose
Member

Shri Nandyala Satyanara
Member

The Horticulture Commissioner
Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare
Govt of India

The Economic Adviser
Ministry of Commerce & Industry
Govt of India

Ms Anita Tripathi
Deputy Secretary
Ministry of Labour & Employment
Govt of India

The Director
ICAR - Indian Institute of Spices Research

The Director
Indian Institute of Packaging

GENERAL ADMINISTRATION & SKILL DEVELOPMENT

Shri Subodh Kumar, Director (OL), Dept. of Commerce giving away the Rajbhahsa Rolling Trophy to Shri B.Venkateson, Director (Development)

Shri Jijesh T. Das, Director (Admn) along with Shri Biju D.Shenoy, Sr. Hindi Translator receiving the Award instituted by Kochi TOLIC for the best performance of Official Language Policy

Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board addressing the ITS Probationary Officers on 29th July 2021

Cleaning the premises of Spices Park, Puttady as part of Swachhta Pakhwada

Distribution of rooted black pepper cuttings to students as part of Spices Board day on 26th February 2022.

Spices Board's campaign as part of Swachhta Pakhwada 2021

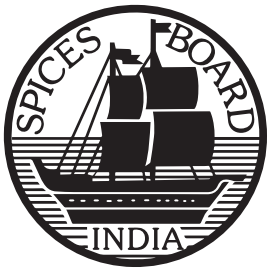

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

Annual Report 2021-22

SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry, Government of India)
Sugandha Bhavan, P.B. No: 2277, Palarivattom P.O.
Ernakulam-682 025
www.indianspices.com

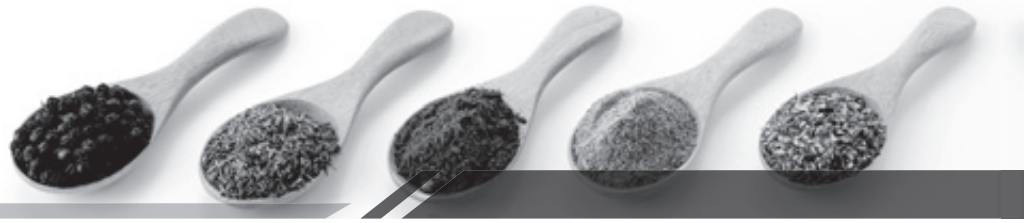

Compiled and Edited by:

Dr Joji Mathew
Deputy Director

Shri Nithin Joe
Deputy Director

Shri T.P. Prathyush
Deputy Director

Shri Biju D. Shenoy
Senior Hindi Translator

Ms Aneenamol P.S.
Editor

Technical Support:
Shri R. Jayachandran
EDP Assistant

CONTENTS

Coral Jubilee of Spices Board -A Recap 5

Executive Summary 8

1. Constitution and Functions 13
2. Administration 16
3. Finance and Accounts 22
4. Export Oriented Production and Post-harvest Improvement of Spices 23
5. Export Development and Promotion 33
6. Trade Information Service 53
7. Publicity and Promotion 61
8. Codex Cell and Interventions 64
9. Quality Improvement 66
10. Export Oriented Research 70
11. Information Technology and Electronic Data Processing 75
12. Implementation of Right to Information Act, 2005 77

Way Forward 78

Appendix 80

1. Paras in Statutory Audit Report 2021-22

Coral Jubilee of Spices Board-A Recap

Spices Board Completes 35 Glorious Years in Service of the Nation

Spices Board India, the apex organization for the export promotion of Indian spices under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, serves as the connecting link between international spice importers and Indian exporters since its inception in 1987. On 26 February 2022, Spices Board India completed 35 glorious years in service of the nation.

Spices Board was formed under the Spices Board Act, 1986 by the merger of erstwhile Cardamom Board and Spices Export Promotion Council. Since then, the Board has been working for export promotion of Indian spices in international markets, for the excellence of Indian spices and spice industry, and for the holistic development of the spices sector. The Board has been an effective link between the Indian spice exporters and importers abroad. Over the years, the Board expanded its reach and branched out with a pan Indian presence to cater to all the requirements of the spices sector. In 2020, with successful restructuring, the Board has transformed into a lean and efficient organization.

Globally, Indian spices remain the most sought-after owing to their exquisite flavour, taste, aroma and in some cases, their medicinal and nutraceutical properties. India's strength is the diversified production base in spices. India produces 75 out of the 109 spices listed out by the International Organization for Standardization (ISO), earning the name 'Spice Bowl of the World'. Indian spices export basket also is diverse and vibrant with around 225 spices and spice products which are exported to more than 180 countries. Indian spice exports contribute nine per cent to India's total agri-export and over 40 per cent of India's horticultural exports.

The Board's proactive and innovative interventions have contributed to sustain and reinforce India's leadership in the global spice trade. India remains the leading producer, consumer and exporter of spices and spice products and is developing into a global hub in processing and value addition of spices. The Board works in close association with all categories of stakeholders; spice growers, exporters, trade promotion and regulatory bodies of importing countries, inter-governmental organizations, etc. The aim of the Indian spice industry is to become the global hub for processing and value addition of spices and the premier supplier of clean, safe and value -added spices and spices products to the industrial and retail segments of the global spices market.

Some of the key achievements/ interventions in the past 35 years by Spices Board in the spices sector are as follows:

- Export of spices from India has grown steadily over the years. The exports crossed a historic landmark of 4 billion US$ during 2020-21 for the first time ever. Spices exports increased from US$ 229.90 million in 1987 to US$ 4.1 billion in 2021-22. In rupee terms, the growth is 300 crore in 1987 to 30576 crore in 2022. During the period, India has emerged as a global hub for spices processing and value addition.

- Established eight state of the art Spices Parks across India bringing common processing / value addition facilities for farmers and exportation units of the exporters in the same hub.
- Established eight Quality Evaluation Laboratories at the major production/ processing/ exporting centres to assess and certify the quality of spices for exports, to meet the requirement of importing countries.
- Launched the pioneering platform of business convergence for international spice industry, a biennial event, the 'World Spice Congress' and has organized 13 editions so far in various cities of India.
- The Board's relentless efforts resulted in setting up of an exclusive Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) under Codex Alimentarius Commission, Rome, the international organization under FAO and WHO, in 2014 for developing international standards, guidelines and codes of practices for spices and culinary herbs. India chairs the committee and the Board serves as its Secretariat. So far, in five CCSCH sessions, quality standards for eight spices have been developed- black/white/ green pepper, cumin, thyme, garlic, cloves, oregano, basil and ginger.
- Indian spices sector boasts of Geographical Indication (GI) registration for 26 indigenous spice varieties and holds potential for many more. Spices Board has obtained GI registration for five spices; the Alleppey Green Cardamom, Coorg Green Cardamom, Malabar Pepper, Guntur Sannam Chilli and Byadagi Chilli.
- Launched key collaborative projects with various national and international agencies, for the advancement of spices, like INDGAP (Good Agricultural Practices) Certification with the Quality Council of India; Strengthening spice value chain in India and improving Market access through capacity building and innovative interventions with STDF of WTO and FAO; National Sustainable Spice Programme in collaboration with the World Spice Organization (WSO), All India Spices Exporters Forum (AISEF), IDH and GIZ, Germany; Development of Blockchain platform for Spices in collaboration with UNDP's Accelerator Lab, etc.
- Indian Cardamom Research Institute, the Board's research wing, released the following superior varieties of Small and Large Cardamom:

Small Cardamom:
ICRI-1, ICRI-2, ICRI-5, ICRI-6, ICRI-7 for Kerala Zone;
ICRI-3, ICRI-8 for Karnataka Zone;
ICRI-4 for Tamil Nadu Zone

Large Cardamom:
ICRI Sikkim 1 & ICRI Sikkim 2:

- The period between 1987 to 2022 also witnessed a surge in production and productivity of Small and Large Cardamom. The production of Small Cardamom increased from 3200 MT in 1987 to 23340 MT in 2022, whereas its productivity increased from 46 kg/ha in 1987 to 500.59 kg/ha in 2022. The growth in production of Large Cardamom during the period was 3250 MT to 8812 MT. Its productivity increased from 96 kg/ha in 1987 to 279.45 kg/ha in 2022.
- The Board has always been at the forefront to adopt technological advancements for the benefit of the Indian spices sector. The Board implemented e- auction system for Small Cardamom at its auction centres at Puttady, Kerala and Bodinayakanur, Tamil Nadu which was upgraded to Cloud Based Live e-Auction in 2021, connecting the auction centres digitally.
- The Board successfully implemented the e-office system in 2013 in a bid to achieve faster and more transparent inter and intra governmental communication throughout its offices.

- Launched Spice Xchange India, a unique digital platform which boasts of integration of spice trade data and AI based matchmaking, for export facilitation, by connecting India's spice exporters with buyers from around the globe.

Spices Board has been synthesizing success in the spices sector with its multifarious activities that are aimed at holistic development and increased exports. The elated journey of Spices Board in these 35 years has been a fruitful one. The Board is keen to increase export of spices from the country through resilient and efficient programmes and interventions and the aim is to sustain the competitive edge of the Indian spice industry with added thrust on high-end value addition and new product development to cater to the specific requirements of varied consumers around the globe, while remaining committed to ensuring food safety, quality, and sustainability. May the coming years of the Board be a catalyst to usher more glory and success for the Indian spices sector.

Coral Jubilee Celebrations of Spices Board

Coral Jubilee celebrations of the Board commenced on 26 February 2022, in a hybrid event which was inaugurated by Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Textiles, Commerce and Industry and Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India. The inaugural ceremony witnessed spices farmers and exporters joining the celebrations from across the country and interacting with the Minister, fuelling discussions and deliberations for future development of the Indian spice industry.

Shri Piyush Goyal launched both the postal stamp and Weather Based Crop Insurance Scheme during the event, which was coordinated from Hotel Monsoon Empress, Kochi, in the presence of Spices Board officials, exporters, farmers and various other stakeholders of the spice industry. The Minister had a fruitful interaction with the spices farmers and exporters from various parts of the country, including Kochi, Nizamabad, Warangal, Mumbai, Unjha, Jodhpur, Guwahati, Gangtok and Kashmir.

Shri Piyush Goyal, during the inaugural address thanked everyone for recognizing the pivotal role that Spices Board has played since its inception in promoting Indian spices all across the world. He opined, "Spices Board, which acts as the crucial link between Indian exporters and importers all over the world, has helped to propel international exports. The exports have increased phenomenally by 115 per cent in volume and 84 per cent in value in the last 7 years between 2014 – 21 reaching the historic height of US dollars 4.18 billion last year which in turn has increased the income of our *annadathas*, our farmers all over the country".

The Minister also laid out '4 Masala Mantras' before the spice industry to make the sector even more spicy:

- Indian spices to be the Brand Ambassador of Quality.
- Focus on packaging to promote Brand India.
- Promote Spice Tourism.
- Create unicorns in the spices sector.

Concluding his address, the Minister asked Spices Board to set a target of doubling the exports to 10 billion dollars by 2027 and then further double in the next five years 2032. He urged the spice industry to prepare for 2047- Amrit Kaal: 100 years of Indian independence, and asked the Board to collectively work to make the spices sector the flagbearer of India's exports so that the world recognizes the brand India with our delicious spice products.

Spices Board is celebrating its Coral Jubilee with a series of events involving all key stakeholders of the spice community such as spice growers, farmers, traders, auctioneers, and exporters.

EXECUTIVE SUMMARY

Spices Board is the flagship organization under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India for the development and worldwide promotion of Indian spices. The Board has been spearheading activities for excellence of Indian spices to help the Indian spice industry to attain the vision of becoming the international processing hub and premier supplier of clean and value- added spices and herbs to the industrial, retail and food service segments of the global spices market. The Board has made quality and hygiene the cornerstones for its development and promotional strategies.

During 2021-22, despite the continuance of COVID-19 pandemic, spices export from India continued its upward trend and has crossed the US $ 4.10 billion mark. The estimated export of spices during 2021-22 was 15,31,154 MT valued ₹ 30,576.44 crore (US $4,102.29 million) against 17,58,985 MT valued ₹ 30,973.32 crore (US $ 4,178.80 million) achieved during the previous financial year. Indian spice export basket contains 225 spices and spices products which were exported to more than 180 destinations globally during the period under report. The leading importers of Indian spices were China, USA, Bangladesh, Thailand, UAE, Sri Lanka, Malaysia, UK, Indonesia, and Germany.

In the year 2021-22, the export of Small and Large Cardamom attained an exponential growth of 63 per cent in quantity when compared to the previous year. Export of spice oils and oleoresins increased by 29 per cent in quantity and 31 per cent in value. Registering an increase of 32 per cent in quantity, India exported 36254 MT of mint and mint products valued at ₹ 444,144.10 lakh. In value terms, the export of Indian black pepper increased by 32 per cent and the total export of black pepper during the period under report was 21863 MT valued at ₹ 75,331.23 lakh. Export of spices such as fennel, garlic, celery and other spices including asafoetida, cinnamon, cassia, cambodge, saffron, spices (nes), etc., were also on the increasing trend. In value terms, chilli, spice oils and oleoresins, mint products, cumin and turmeric were the largest exported items.

For the new period with effect from 01 April 2021, the Board issues Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) online. This certificate is valid for three years from the date of issuance as per Spices Board (Registration of Exporters) (Amendment) Regulations, 2021. The Board has introduced an online gateway system also for the payment of CRES fee. During the year, the Board issued 5,662 Certificates of Registration as Exporter of Spices, of which 5,027 were in merchant category and 635 in manufacturer category. The Board also introduced 'Cloud Based Live e-Auction' system for auction of Small Cardamom with effect from 01 November 2021, which enabled to conduct the e-auctions simultaneously, linking the two auction centres at Puttady, Kerala and Bodinayakanur, Tamil Nadu.

During the period under report, the Board issued 526 Cardamom dealer licences all over India, of which 489 licences were for Small Cardamom and 37 for Large Cardamom. A total of 12 e-Auctioneer licences and four Manual auctioneer licences were issued for conducting e-auctions at Puttady and Bodinayakanur and manual auctions in Karnataka and Maharashtra

for the block period 2020-23. A total of 28730 MT of Small Cardamom was sold through the e-auction facilities of the Board at Puttady, Kerala and Bodinayakanur, Tamil Nadu during July 2021- August 2022. Production of Small and Large Cardamom during 2021-22 was 23, 340 MT and 8812 MT respectively with a productivity of 500.58 kg/ha in Small Cardamom and 279.45 kg/ha in Large Cardamom.

The budget approved for the Board during 2021-22 was ₹ 11,550.00 lakh. An amount of ₹ 6,896.00 lakh against grants, ₹ 3,055.00 lakh against subsidies, ₹ 849.00 lakh towards provision for the North Eastern Region; ₹ 400.00 lakh towards provision for SC sub plan; and ₹ 350.00 lakh towards provision for Tribal sub plan were received by the Board from the Government of India during 2021-22. The Board has generated Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) of ₹ 2,323.44 lakh from analytical charges for quality testing services rendered by the Quality Evaluation Laboratory, sale of seedlings from nurseries and farm products of research farms, subscription and advertisement charges, exporters' registration fee, interest on advance, interest on short term deposits, etc., in 2021-22. The total expenditure of the Board during 2021-22 was ₹ 12,061.49 lakh.

With a view to promote the export of spices, the Board organized seven domestic buyer seller meets and 12 international buyer seller meets during 2021-22. To attract, motivate and equip the progressive stakeholders to enter into the spices business, Spices Board has been organizing Entrepreneurship Development Training Programmes, involving participants from across India. During the year, the Board organized eight Entrepreneurship Development Training Programmes benefitting more than 800 participants.

During 2021-22, the Board participated in 17 domestic trade fairs and two international trade fairs with an aim to promote Indian spices globally. To address the gap in building market linkages created by the pandemic, Spices Board's 3D virtual portal 'Spice Xchange India' was developed and launched for providing business opportunities to benefit Indian spice entrepreneurs. The portal was launched by Shri Som Parkash, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry, Government of India on 20 January 2022. The portal is expected to facilitate ease of doing business, and is equipped with features like 24 x7 virtual office space for Indian spice brands, Artificial Intelligence (AI) based recommendation model, market information, access to global spice trade data and provision to the Board to organize various export promotion activities including international buyer seller meets.

United Nations Development Programme (UNDP) India's Accelerator Lab and Spices Board signed a Memorandum of Understanding (MoU) on 5 April 2021 with the aim to build a blockchain based traceability interface for Indian spices to enhance transparency in trading. The blockchain based traceability interface is being integrated with the e-Spice Bazaar portal developed by Spices Board India for connecting spice farmers with exporters.

Spices Board, with a view to empower the farmers to get better price realization and wider markets for their produce, has established eight crop specific Spices Parks in major production/ market centres. The objective of the Park is to have an integrated operation for processing, value-addition, packaging and storage of spices and spice products. The common processing facilities for cleaning, grading, packing, steam sterilization, etc., will help the farmers to improve quality of the produce and fetch better price.

During 2021–22, through implementation of Replanting / New Planting programme, the Board aided with replanting 431.59 ha of Small Cardamom in the financial assistance of ₹ 430.17 lakh as subsidy, benefiting 1337 growers.

Assistance was also given for replanting / new planting of 766.77 ha of Large Cardamom and ₹ 521.09 lakh was arranged as subsidy, benefiting 2976 growers.

The Departmental Nurseries of the Board produced 1,55,010 cardamom planting materials, 1,03,647 rooted pepper cuttings, and 8,631 pepper nucleus planting materials and distributed to the growers. Under Certified Nursery Scheme, 198 small cardamom units (19,80,000 planting materials) and 171.5 Large Cardamom units (17,15,000 planting materials) were established with the financial assistance of ₹ 108.78 lakh. Under Irrigation and Land Development Scheme, 24 water storage structures and 16 rainwater harvesting structures were constructed besides the installation of 101 irrigation pump sets and four micro irrigation systems, benefiting 145 farmers with a financial assistance of ₹ 28.33 lakh in 2021-22.

Under the Post-harvest Quality Improvement Programme, 49 improved cardamom curing devices for Small Cardamom and four improved cardamom curing devices for Large Cardamom were set up at a total expenditure of ₹ 66.63 lakh. For curing Large Cardamom, 49 Modified Bhatti units were constructed with a financial assistance of ₹ 10.68 lakh. The Board extended assistance for installing 83 power operated seed spice threshers at a total subsidy of ₹ 66.46 lakh; 339 pepper threshers at a total subsidy of ₹ 59.89 lakh; 116 turmeric steam boiling units at a financial assistance of ₹ 181.96 lakh, 188 spices polishing units at a financial assistance of ₹ 165.80 lakh and 200 nutmeg/clove dryers to the tune of ₹ 55.23 lakh. Further, assistance for establishing five mint distillation units, five spices grading machines and 30 spices washing machines were provided with a total financial implication of ₹ 25.65 lakh. Under Quality Gap Bridging Groups, 15 farmer groups under spices sector were assisted for installation of various post-harvest machines with a financial assistance of ₹110.75 lakh, benefiting 3178 farmers. In addition, 26,940 tarpaulin sheets and 1,400 silpaulin sheets were supplied to the spices growers across India and provided a financial assistance of ₹293.00 lakh.

In order to promote organic production of spices, 335 vermicompost units were set up benefiting 322 growers at a total financial assistance of ₹ 32.28 lakh and three organic seed banks were set up for ginger and turmeric with a financial assistance of ₹ 3.00 lakh. Quality Improvement Trainings were extended to 8695 personnel under 186 training programmes during 2021–22 with a total expenditure of ₹17.26 lakh. During 2021-22, a total of 16,100 extension visits were made and 1663 group meetings/ campaigns were organized for Cardamom (Small and Large) in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Kalimpong and Darjeeling districts of West Bengal and for other spices in the respective growing areas. The total expenditure under extension advisory service was ₹ 1,741 lakh during 2021–22.

Spices Board launched the ' Weather Based Crop Insurance Scheme' in association with Agricultural Insurance Company of India Ltd in February 2022 for the betterment of cardamom growers. The Scheme is initially implemented in Idukki district of Kerala on a pilot basis with the objective to protect Small Cardamom growers against the adverse weather incidences such as deficit or excess rainfall, heat (temperature), and relative humidity, which are deemed to adversely affect the production. Under this scheme, 808 applications were received and provided an assistance of ₹ 52.99 lakh as the Board's share.

During 2021-22, under Trade Promotion Schemes, assistance of ₹ 100.13 lakh was provided to eligible exporters under various components. Under the scheme 'Assistance for implementation of food safety and quality assurance mechanisms/

certifications' assistance was provided to an eligible exporter with a financial implication of ₹ 1.01 lakh.

The Quality Evaluation Laboratories (QEL) of the Board at Kochi, Mumbai, Delhi, Chennai, Guntur, Tuticorin, and Kandla continued to provide analytical services and mandatory testing and certification of export consignments of select spices during the year. The proposed QELs at Spices Park, Jodhpur, Rajasthan for seed spices and at Raebareli for testing mint oil are being established. During the financial year 2021-22, the Laboratory analysed a total of 1,27,467 parameters including aflatoxin, illegal dyes, pesticide residues, Salmonella spp., etc.

The fifth session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH5), which is hosted and chaired by India with Spices Board India as its Secretariat, was held virtually during 20 - 29 April, 2021. The session witnessed the highest participation ever with 275 registrants from 65 member countries, one member organization (European Union) and 11 international observer organizations. CCSCH5 concluded successfully with finalization of quality standards for four more new spices, viz. clove, oregano, basil, and ginger. The Codex Alimentarius Commission adopted the standards during its forty-fourth session held in November 2021.

As part of the hybridization programme in Small Cardamom, Indian Cardamom Research Institute (ICRI) developed two hybrids which were promising and suitable for the cardamom tracts of Idukki district. These two hybrids are developed, evaluated for four consecutive years and initiated action for submitting the variety release proposal to Kerala State Varietal Release Committee for Plantation Crops. Under collaborative research project on 'Integrating Geographical Information System (GIS) based Soil Fertility Assessment of Cardamom Tract and App based Fertilizer Recommendation for Climate Resilient Cardamom Cultivation', 1,076 soil samples were analysed for twelve parameters, totalling 12,912 parameters and the Geo Referenced Data was digitalized.

Eighteen webinars were conducted by the ICRI, Myladumpara and 1374 farmers attended these programmes. Three mobile spice clinic programmes were also conducted and 65 farmers benefitted from the programme through diagnostic field visits and farm advisory services. Twenty Thousand Eight Hundred and Eight (20,808) soil fertility parameters covering primary, secondary and micronutrients were tested for 1734 soil samples from Cardamom Hill Reserve of Idukki district in Kerala, and Tamil Nadu and fertilizer recommendations were given.

The 90th and 91st Board meetings of Spices Board were held at Kochi in hybrid mode on 7 May 2021 and 22 September 2021 respectively.

As part of the Azadi ka Amrit Mahotsav celebrations, Department of Commerce under the Ministry of Commerce & Industry, Government of India celebrated 'Vanijya Saptah' during 20- 26 September 2021 across the country to highlight India's potential for trade and exports. Spices Board was given the responsibility of coordinating the programmes organized in the states of Kerala and Sikkim. In unison with the celebrations, Spices Board took initiative to organize a series of events focusing on economic growth and promotion of exports including 'Vanijya Utsav', Exporters and Industry Leaders Conclave, Special e-Auction of 75000 kg Small Cardamom, Entrepreneurship Training Programmes, Sugandhotsav: Planting of Spice Seedlings across India, and Distribution of Immune Boosting Spice Sachets to public.

The Official Language section of Spices Board formulated and carried out programmes to promote use of Hindi as Official Language (OL) besides monitoring and guiding the

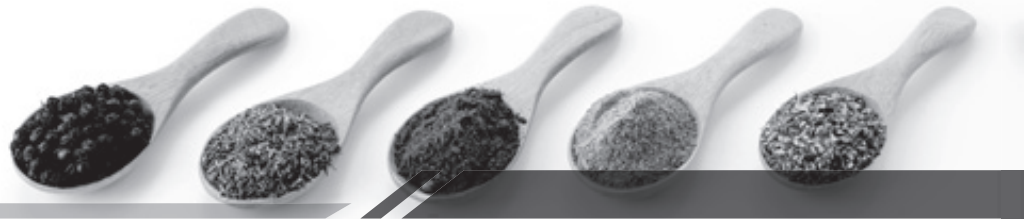

implementation of OL policy in the offices of the Board. In line with the Annual Programme as well as the orders issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs with regard to the use of Hindi as Official Language, the OL section continued its efforts to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2021 -22.

Spices Board effectively implemented the RTI Act, 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard during 2021-22. . The Board has disclosed every information required to be disclosed suo motu in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act 2005] through the Board's official website. During 2021-22, a total of 66 RTI applications were received through the online portal and physically. Thirteen appeals were also received under the RTI Act and information was disseminated to all the cases within the stipulated time.

(ix) Market any spice, if it considers necessary in the interest of promotion of export;

(x) Provide warehousing facilities abroad for spices;

(xi) Collect statistics with regard to spices for compilation and publication;

(xii) Import with prior approval of the Central Government any spice for sale; and

(xiii) Advise the Central Government on matters relating to import and export of spices.

b) The Board may also:

(i) Promote cooperative efforts among growers of cardamom;

(ii) Ensure remunerative returns to growers of cardamom;

(iii) Provide financial or other assistance for improved methods of cultivation and processing of cardamom, for replanting cardamom and for extension of cardamom growing areas;

(iv) Regulate the sale of cardamom and stabilization of the prices of cardamom;

(v) Provide training in cardamom testing and fixing grade standards of cardamom;

(vi) Increase the consumption of cardamom and carry on propaganda for that purpose;

(vii) Register and license brokers (including auctioneers) of cardamom and persons engaged in the business of cardamom;

(viii) Improve the marketing of cardamom;

(ix) Collect statistics from growers, dealers and such other persons as may be prescribed on any matter relating to the cardamom industry, publish statistics so collected or portions thereof, extracts therefrom;

(x) Secure better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers; and

(xi) Undertake, assist, or encourage scientific, technological, and economic research.

D. Spices under the purview of the Board

The following 52 spices (table below) are listed in the schedule of the Spices Board Act:

1	Cardamom	27	Pepper long
2	Pepper	28	Star anise
3	Chilli	29	Sweet flag
4	Ginger	30	Greater Galanga
5	Turmeric	31	Horseradish
6	Coriander	32	Caper
7	Cumin	33	Clove
8	Fennel	34	Asafoetida
9	Fenugreek	35	Cambodge
10	Celery	36	Hyssop
11	Aniseed	37	Juniper berry
12	Bishop's weed	38	Bayleaf
13	Caraway	39	Lovage
14	Dill	40	Marjoram
15	Cinnamon	41	Nutmeg
16	Cassia	42	Mace
17	Garlic	43	Basil
18	Curry leaf	44	Poppy seed
19	Kokam	45	All-Spice
20	Mint	46	Rosemary
21	Mustard	47	Sage
22	Parsley	48	Savory
23	Pomegranate seed	49	Thyme
24	Saffron	50	Oregano
25	Vanilla	51	Tarragon
26	Tejpat	52	Tamarind

[In any form including curry powders, spice oils, oleoresins and other mixtures where spice content is predominant]

Organogram of Spices Board

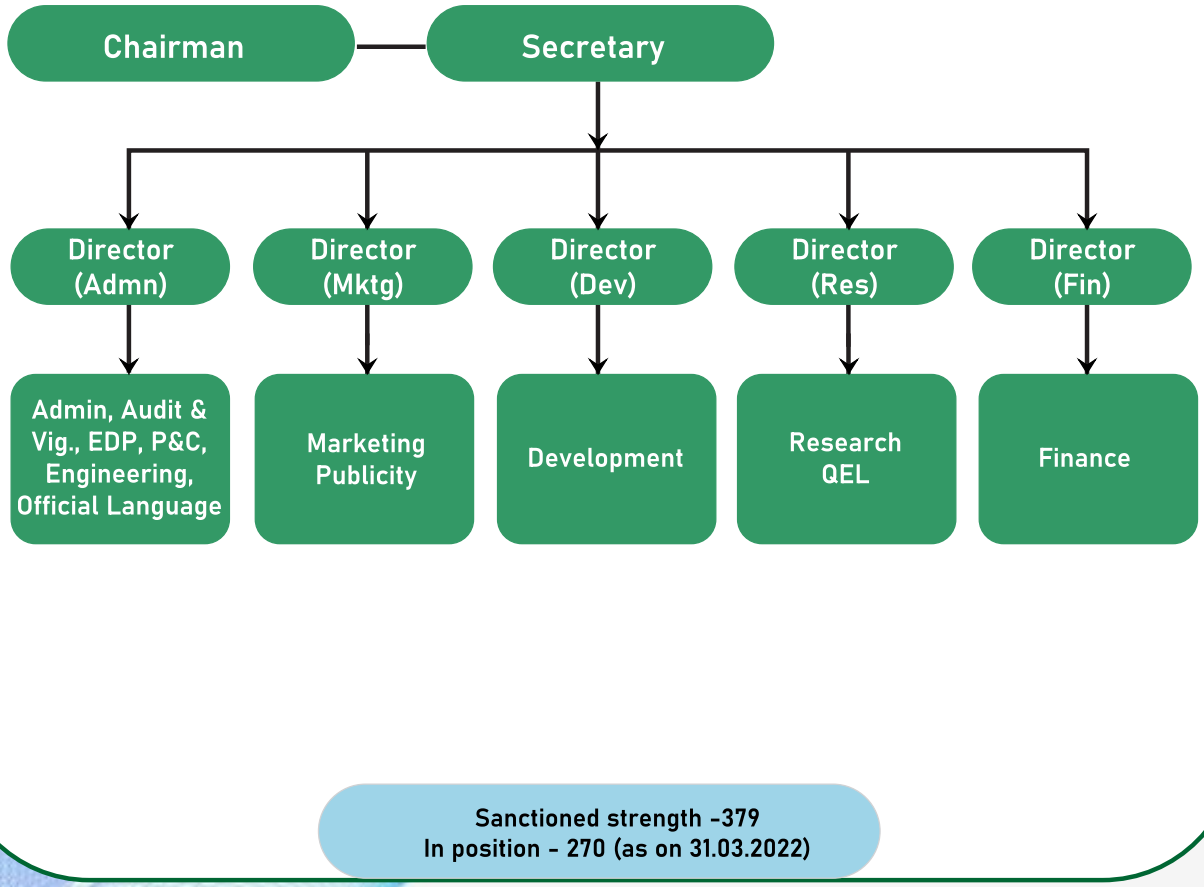

Sanctioned strength -379
In position - 270 (as on 31.03.2022)

02

ADMINISTRATION

A. Administration

During 2021-22, Shri A.G. Thankappan took the charge of the Chairman, Spices Board on 09 September, 2021 from Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board who was holding the additional charge of the Chairman, Spices Board. Shri D. Sathiyan IFS continued to serve as the Secretary, Spices Board during the period under report.

Dr Rema Shree A. B. continued as Director (Research) and held additional charge of Director(Finance) during the period under report and held the additional charge of Director(Development) upto 03 May, 2021.

Shri Devananda Shenoy, Deputy Director (Development) held the charge of Director (Development) for the period from 08 July, 2021 to 31 July, 2021. Shri B Venkateson, Deputy Director(Development) held the charge of Director(Development) for rest of the period under report.

Shri P. M. Suresh Kumar continued as Director (Administration) and held additional charge of Director (Marketing) upto 31 July 2021. Shri Jijesh T. Das, Deputy Director (Electronic Data Processing) and Shri B. N. Jha, Deputy Director (Marketing) held the charge of Director(Administration) and Director(Marketing) respectively from 02 August 2021.

The sanctioned staff strength of Spices Board as per the approved restructuring proposal is 379. Against the sanctioned strength of 379, as on 31 March, 2022, the existing staff strength of Spices Board is 270 consisting of 76 Group A, 87 Group B, and 107 Group C.

The Board granted promotion to 28 employees and granted financial upgradation under MACP to 11 employees during the period under report. The Board engaged five Marketing Consultants to support export promotion activities.

The Board engaged over 167 unemployed youth from the SC/ST category in the graduate/ postgraduate level as trainees for imparting training in analytical services in the Quality Evaluation Laboratories, agricultural extension services in the Field Offices and Research Stations, and official works in the departments of Accounts, Publicity and Library.

a) Reservation for SC/ST/OBC in appointments and promotions

The Board is properly implementing the post-based reservation roster for SC/ST/OBC. The instructions issued by the Government from time to time in this regard are also strictly adhered to. As on 31 March, 2022 there were 152 (OBC-84, SC-38 and ST-30) employees belonging to SC/ST and OBC categories. No appointment was made during the period under report due to pending approval of the Recruitment Regulation of Spices Board. The Ministry vide Letter No.5/6/2018-Plant-D dated 04.02.2020 has directed the Board not to go ahead with recruitment till the RR is approved by the Ministry.

b) Welfare of women

As on 31 March, 2022, the total strength of women employees in the Board in Group A, B, and C categories was 73. The grievances of

women employees were timely and properly attended to. A Group-A level woman officer of the Board has been appointed as the 'Women Welfare Officer' to sort out the difficulties/ problems, if any, or to bring them to the notice of the higher authorities along with suggestions for possible solutions.

c) SC/ST/OBC welfare

The Board had constituted SC/ST and OBC Committees for looking after the welfare of the employees and to sort out their problems. The Board had nominated a Liaison Officer for reservation matters relating to SC/ST/OBC.

d) Welfare of persons with disabilities

Spices Board had constituted Committees for looking after the welfare of the employees and to sort out their problems. The Board had nominated a Liaison Officer for reservation matters related to persons with disabilities. The Board has also implemented reservation in promotion to the persons with disabilities as per the instructions from the Government.

e) Functional network of Spices Board

The Head Office of Spices Board is located at Kochi in Kerala. Further, the Board has offices across the country which include Export Promotion Offices, Development Offices for Small and Large Cardamom, Quality Evaluation Laboratories (QEL), Research Stations and Spices Parks.

The following offices of the Board functioned during 2021-22:

(i) Export Promotion Offices:

Sl. No	Location	State/UT
1	Paderu	Andhra Pradesh
2	Warangal	Andhra Pradesh
3	Guntur	Andhra Pradesh
4	Guwahati	Assam
5	Patna	Bihar
6	Jagdalpur	Chhattisgarh
7	New Delhi	Delhi
8	Ponda	Goa
9	Ahmedabad	Gujarat
10	Unjha	Gujarat
11	Una	Himachal Pradesh
12	Srinagar	Jammu & Kashmir
13	Bangalore	Karnataka
14	Mumbai	Maharashtra
15	Shillong	Meghalaya
16	Aizawl	Mizoram
17	Koraput	Odisha
18	Jodhpur	Rajasthan
19	Chennai	Tamil Nadu
20	Nagercoil	Tamil Nadu
21	Nizamabad	Telangana
22	Hyderabad	Telangana
23	Agartala	Tripura
24	Barabanki	Uttar Pradesh
25	Kolkata	West Bengal

(ii) Development Offices/Farms

Research and Development of Small Cardamom		
Sl.No	Location	State
1	Adimali	Kerala
2	Elappara	Kerala
3	Kalpetta	Kerala
4	Kattappana	Kerala
5	Kumily	Kerala
6	Nedumkandam	Kerala
7	Pampadumpara	Kerala
8	Peermade	Kerala
9	Puttady	Kerala
10	Rajakkad	Kerala
11	Rajakumari	Kerala
12	Santhanpara	Kerala

13	Udumbanchola	Kerala
14	Bodinayakanur	Tamil Nadu
15	Erode	Tamil Nadu
16	Bathlagundu	Tamil Nadu
17	Aigoor (farm)	Karnataka
18	Belagola (farm)	Karnataka
19	Beligeri (farm)	Karnataka
20	Bettadamane(farm)	Karnataka
21	Sakleshpur	Karnataka
22	Haveri	Karnataka
23	Koppa	Karnataka
24	Madikeri	Karnataka
25	Mudigere	Karnataka
26	Shivamogga	Karnataka
27	Sirsi	Karnataka
28	Somwarpet	Karnataka
29	Vanagur	Karnataka
30	Yeslur (farm)	Karnataka

Research and Development of Large Cardamom		
Sl.No	Location	State
1	Itanagar	Arunachal Pradesh
2	Namsai	Arunachal Pradesh
3	Pasighat	Arunachal Pradesh
4	Roing	Arunachal Pradesh
5	Ziro	Arunachal Pradesh
6	Dimapur	Nagaland
7	Kohima	Nagaland
8	Gangtok	Sikkim
9	Geyzing	Sikkim
10	Jorethang	Sikkim
11	Mangan	Sikkim
12	Kalimpong	West Bengal
13	Sukhiapokhri	West Bengal

(iii) Research Stations

1	Myladumpara	Kerala
2	Donigal-Sakleshpur	Karnataka
3	Thadiyankudissai	Tamil Nadu
4	Tadong	Sikkim

(iv) Quality Evaluation Laboratories (QELS)

1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Kandla	Gujarat
3	Kochi	Kerala
4	Mumbai	Maharashtra
5	Narela	New Delhi
6	Chennai	Tamil Nadu
7	Tuticorin	Tamil Nadu
8	Kolkata	West Bengal

(v) Spices Parks

1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Puttady	Kerala
3	Chhindwara	Madhya Pradesh
4	Guna	Madhya Pradesh
5	Jodhpur	Rajasthan
6	Ramganj Mandi (Kota)	Rajasthan
7	Sivaganga	Tamil Nadu
8	Raebareli	Uttar Pradesh

f) Activities during 2021-22

(i) Procurement of goods and services

All the outsourced services like Security, Housekeeping, Electrician, etc., were procured through Government e-Marketplace (GeM). Purchase of products like computers, printers, stationery, etc., were also made through GeM (more than 80 per cent of the total purchase was done through GeM).

(ii) Implementation of Swachh Bharat Mission activities

All the activities notified by the Ministry as part of implementation of Swachh Bharat Mission have successfully been implemented in Spices Board and reports including photos were forwarded to the Ministry.

(iii) Board meetings during 2021-22

Two Board meetings were conducted during the year as detailed below:

a) 90th Board Meeting at Spices Board, Head Office Kochi in Hybrid Mode on 07 May 2021.

b) 91st Board Meeting at Spices Board, Head Office Kochi in Hybrid Mode on 22 September 2021.

(iv) Maintenance of Outstation Offices

Maintenance of the Head Office of the Board located at Kochi and 82 offices across the country which include Export Promotion Offices, Development Offices, eight Quality Evaluation Laboratories (QELs), four Research Stations and eight Spices Parks was attended to.

(v) Observance of Days of National Importance

Days of National Importance notified by the Government of India have been observed in Spices Board. Following such days were observed during the year 2021-22:-

a) Rashtriya Ekta Divas

b) Azadi Ka Amrit Mahotsav

c) Yoga Day

d) All other days of National Importance like Independence Day, Republic Day, Constitution Day, etc.

(vi) Measures to control spread of COVID-19

The following measures were ensured to check the spread of COVID-19 in the office:

a) Checking temperature at the office entrance.

b) Facility for hand sanitizing at office premises.

c) Distribution of sanitizer to all the staff members at HO.

d) Sanitizing office premises when COVID positive cases were detected in the office.

e) Sanitizing office vehicles after journeys.

f) Adherence to all the regulations and directions from the Ministry regarding COVID-19 pandemic.

B. Implementation of Official Language Policy

The Official Language section in Spices Board HO is the nodal point responsible to assist the Board to formulate and carry out programmes to promote use of Hindi as Official Language (OL) and also to monitor and guideline implementation of OL policy in the offices of the Board. In line with the Annual Programme as well as the orders issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs with regard to the use of Hindi as Official Language, the OL section, with concurrence and approval of the Secretary and the Official Language Implementation Committee of the Board, continued its efforts to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2021 -22.

Major activities and achievements:

(i) Translation

Major translation work [English to Hindi and vice versa] undertaken were of the;

- Documents coming under section 3(3) of OL Act, like General Orders [Circulars], Tender Documents, Advertisements, Press Releases, Notifications, VIP references, etc.
- Annual Report & Audit Report 2020-21 and other administrative reports of the Board placed before the Parliament.

- Letters received in Hindi and replies thereof.
- Material for visiting cards, rubber stamps for the officials in service and mementos for the officials retiring from the service of the Board.
- Materials such as banners, backdrops, invitation cards, programme sheets, etc., for various official functions arranged by the Board.

(ii) Implementation of OL policy

1) OLIC meetings

Four OLIC meetings, in the tune of one in each quarter, were convened on 28 June, 2021 (April-June 2021), 22 September, 2021(July-September 2021), 06 January, 2022 (October-December 2021) and 21 March 2022 (January-March 2022) respectively. All the meetings were presided over by the Secretary, Spices Board.

2) Hindi workshop

A Hindi orientation programme was organized on 12 July, 2021 through online medium for the staff members working in all the offices under Gangtok region. The programme was organized by the Deputy Director, Spices Board Regional Office, Gangtok. The Officers-in-Charge of all the offices in the region attended the workshop. A Hindi workshop was organized for the staff members working in Head office on 10 December, 2021. Information was provided to the participants about the latest techniques to increase the use of Hindi in the Office. They were made aware of the OL policy as well as the Board's activities to implement the OL policy with a thrust on ensuring compliance of check-points effectively.

3) Subscription to Hindi newspaper/ magazines

Subscription to Hindi newspaper Daily Hindi Milap and Hindi magazines namely Sarita and Vanita were continued.

4) Official Language inspection

Spices Board Regional Office, Gangtok, Sikkim was inspected on 28 December, 2021 by the Third Sub-Committee of the Hon'ble Parliamentary Committee on Official Language. Representatives of the Board's Regional Office, Headquarters and the Ministry attended the inspection meeting. The suggestions made by the committee were noted and are being acted upon.

An Official Language inspection of Spices Board Regional Office, Guwahati was conducted by Shri Badri Yadav, Assistant Director(Impl), Regional Implementation Office (NER), Guwahati on 09 March, 2022. The Officer-in-Charge, Regional Office, Guwahati briefed on the activities related to implementation of Official Language Policy in the office, which was followed by an interaction with the officers and staff.

5) Hindi Day/Fortnight celebrations 2021

September 14, 2021 was celebrated as Hindi Diwas in the Board. The inaugural session of Hindi Fortnight Celebrations during 14-28 September, 2021 was organized on the same day through video conferencing, which was attended by all the officials of the Board. Various competitions were organized through online for the staff members in connection with the Hindi Fortnight Celebrations 2021. The celebrations became a grand success with very good response from the officials of the Board.

As per the guidelines of the Ministry of Home Affairs, in connection with the Hindi Divas/Week/ Fortnight/Month in September, 2021, at least ten posters/banners/standees or one or two digital displays of some prominent persons in Hindi language should be made to display by all the Central Government Offices apart from other activities. Accordingly, the Board has prepared ten posters containing quotes of eminent personalities and displayed them at prominent places so that the officers of the Board were

reminded of the statutory and constitutional obligation towards Hindi. The intention was to inspire and encourage our personnel to do more and more official work in Hindi. Necessary directions were also issued to the subordinate offices in this regard.

Organizing quiz competition in Hindi as part of Hindi Pakhwada and Azadi Ka Amrit Mahotsav

As a special programme of Hindi Pakhwada 2021 and as a spirit of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Board organized an online quiz on the topic Forgotten Heroes of Freedom Struggle (1857-1947) for the students of Kochi centric schools. More than 400 students from about 35 schools participated in the competition. Trophies and certificates were presented to the winners on the occasion of the closing ceremony of Hindi Pakhwada.

The valedictory function of Hindi fortnight celebrations was organized on 08 March, 2022. Shri Subodh Kumar, Director (Official Language), Department of Commerce, Government of India was the special guest at the function. Trophies/cash awards/certificates for the prize winners of the various Hindi competitions conducted for the staff members of the Head Office, Commendable work done by the staff in Hindi, Rajbhasha Pratibha Puraskar, Rajbhasha Rolling/Runner up trophy for sections, Award for the Special Effort in implementing OL Policy for the year 2020-21, etc., were given away during the function. Certificates of winners of outstation offices were sent by post to the Heads of respective offices.

6) Participation in the programmes arranged by TOLIC

The Secretary, Spices Board and Senior Hindi Translator participated in the meeting of Town Official Language Implementation Committee (Government Office), Kochi organized through online on 16 October 2021.

7) In-service training

Twelve Officials were nominated for Parangat Training for the January-May 2022 session organized by the Hindi Teaching Scheme. Also, one employee was nominated for Pragya training.

iii) Spice India (Hindi)

Facilitated release of the Board's monthly magazine 'Spice India' in Hindi.

C. Library and Documentation Service

The Board's Library has a good collection of books and periodicals with computerised bibliographic database. The process of strengthening the library and documentation unit was continued by addition of new books and periodicals. During 2021 - 22, 223 new books were added and continued the subscription of about 155 periodicals. Library continued the regular services like issue and return of books and periodicals, current awareness services, daily information services, e- paper reading and accessing open access journals and commenced the 'spice news service'. Reference facilities including guidelines were provided to about 10 students and research scholars from various institutions. Besides the regular activities, information was compiled on organic farming, climatic change, Indian agriculture, black pepper, cardamom, ginger, turmeric, chilli, garlic, mint, seed spices, tree spices, oils, and oleoresins.

03

FINANCE AND ACCOUNTS

The schemes, projects and programmes of Spices Board are financed through grants and subsidies from the Government of India. The expenditure on Administration is partly met through Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) generated from various activities of the Board.

The budget approved for the Board during 2021-22 was ₹ 11,550.00 lakh. An amount of ₹ 6,896.00 lakh against grants, Rs 3,055.00 lakh against subsidies, ₹ 849.00 lakh towards provision for the North Eastern Region; ₹ 400.00 lakh towards provision for SC sub plan; and ₹ 350.00 lakh towards provision for Tribal sub plan have been received by the Board from the Government of India during 2021-22. The Board has generated an IEBR of ₹ 2,323.44 lakh from analytical charges for quality testing services rendered by the Quality Evaluation Laboratory, sale of seedlings from nurseries and farm products of research farms, subscription and advertisement charges, exporters' registration fee, interest on advance, interest on short term deposits, etc., in 2021-22. The total expenditure of the Board during 2021-22 was ₹ 12,061.49 lakh, the break-up of which is given below:

Head of Account	Expenditure (₹Lakh)
Export Oriented Production	4,040.43
Export Development & Promotion	2,500.92
Export Oriented Research	757.90
Quality Improvement	1,271.44
HRD & Works	246.49
Establishment	3,244.31
Total	**12,061.49**

The Board has also been implementing certain ongoing projects and programmes with grants received from other Government Departments and National agencies such as ICAR, ASIDE and others. The details of grants received and expenditure incurred for such projects during 2021-22 are given below :-

Programmes	Grants Received (₹lakh)	Expenditure (₹ lakh) (*)
ASIDE IIPM	0.00	3.89
ICAR - AICRPS	13.96	33.49
Bayer Project	16.80	0.00
SHM Kerala Project – ICRI	194.00	0.00
WTO-STDF	25.84	31.36
Arunamala Tribal Settlement Project	0.00	4.11
Women Scientist Scheme	5.50	6.55
DUS Test centre	1.00	0.98
Total	**257.10**	**80.38**

(*) Expenditure includes grants received in the previous years and utilized in FY 2021-22, as well.

The paras in the statutory Audit Report 2021-22 on Spices Board are placed as Appendix I.

04

EXPORT ORIENTED PRODUCTION AND POST-HARVEST IMPROVEMENT OF SPICES

Spices Board is responsible for the overall development of Cardamom (Small and Large) in terms of improving production, productivity and quality. The Board is also implementing post-harvest improvement programmes for production of quality spices for export. Various development programmes and post-harvest quality improvement programmes of the Board are included under the head 'Export Oriented Production'.

The development programmes are implemented through the extension network of the Board consisting of Regional Offices, Divisional Offices and Field Offices. The Board is maintaining five Departmental Nurseries in the major cardamom growing areas in Karnataka to cater to the requirements of quality planting materials for the spice growers.

Spice Development Agencies (SDAs)

Spices Board had established 11 Spice Development Agencies (SDAs) to promote development and marketing of spices and enable better coordination with various state, central and allied agencies/institutions for implementing programmes for research, production, marketing, quality improvement and export of spices grown in the country. With effect from 17 September, 2021, vide the Ministry's Letter No. 2/21/2020-Plant-D, the SDAs have been merged with District Export Hub (DEH) scheme monitored by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT).

Saffron Production & Export Development Agency (SPEDA)

Spices Board established Saffron the Production & Export Development Agency (SPEDA) at Srinagar, Jammu and Kashmir for promoting development, marketing, quality, export and domestic consumption of saffron. The SPEDA is co-chaired by the Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry and the Chief Secretary, Government of Jammu & Kashmir.

Export Oriented Production of Spices

The various programmes implemented under the scheme 'Export Oriented Production of Spices' during the year 2021-22 are detailed as follows:

A. Cardamom (Small)

Small Cardamom is grown mainly in the Western Ghats of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Majority of cardamom holdings are small and marginal. The total area under Small Cardamom during 2021-22 was 72,298 hectares (ha) with an estimated production of 24,154 metric tonnes. The programmes implemented for development of Small Cardamom are given below:

a) Replanting/New Planting

Objective of this programme is to motivate the growers to improve production and productivity through systematic replanting of the diseased,

old, senile and uneconomic plantations and to take up area expansion of Small Cardamom in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka by encouraging marginal growers and providing them financial assistance for replantation/new plantation. The growers are offered a subsidy of ₹ 1,00,000/- for General and ₹ 2,10,000/- for SC and ST farmers per ha in Kerala and Tamil Nadu, and ₹ 75,000/- for General and ₹ 1,68,000/- for SC and ST farmers per ha in Karnataka, towards 33.33 per cent and 75 per cent respectively for the cost of replanting and maintenance during gestation period, payable in two equal annual installments. Registered small and marginal cardamom growers owning up to eight (8) ha are eligible for benefit under this scheme.

During 2021–22, the development department, through implementation of this programme, has provided assistance for replanting 431.59 ha of Small Cardamom. Under the scheme, financial assistance of ₹ 430.17 lakh (which includes the 1st installment of 2021-22 and 2nd installment of 2020-21) was provided as subsidy, benefitting 1337 growers.

b) Production and distribution of quality planting materials

Production and distribution of disease free, healthy and quality planting materials were taken up by the Board's Departmental Nurseries. The planting materials produced in the five Departmental Nurseries were distributed at a nominal rate to growers.

During 2021–22, a total of 1,55,010 cardamom planting materials, 1,03,647 rooted pepper cuttings, and 8,631 pepper nucleus planting materials were produced and distributed to 849 growers from the five Departmental Nurseries in the Karnataka region.

c) Planting material production

In order to produce disease free, healthy and quality planting materials for the ensuing season, farmers were motivated to produce cardamom suckers in their own field. Planting materials produced in the certified nurseries will be used for replanting / gap filling by the applicants (not more than 50 per cent) and the balance will be supplied to neighbouring/needy farmers at an optimum price not exceeding the market price.

During 2021-22, under this programme 198 units (i.e.,19,80,000 planting materials) were established covering 399 beneficiary farmers with the financial assistance of ₹ 45.27 lakhs.

d) Irrigation and land development

Irrigation during summer months is essential in cardamom plantations for getting higher yield. This programme aims at promoting irrigation in cardamom plantations by augmenting water resources by constructing irrigation structures like farm ponds, tanks, wells, rainwater harvesting devices, installation of irrigation equipment and soil conservation works. The Board is implementing the programme in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka.

(i) Construction of storage structures

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail benefit under the scheme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, subsidy to an individual is restricted for only one construction i.e., farm pond or well or storage tank. The minimum capacity of irrigation structure should be 25 cubic meter for availing maximum subsidy under the programme. The subsidy offered under the scheme is 50 per cent of the actual cost or ₹ 30,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹ 45,000/- to SC/ST category whichever is less.

(ii) Installation of irrigation equipment

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail the subsidy under the scheme

under IP set/gravity irrigation equipment. In the case of sprinkler/drip/micro irrigation, registered cardamom growers having land holding size of 0.40 ha to 8.00 ha are eligible to avail the subsidy. The scale of assistance offered is 50 per cent of the actual cost or ₹ 5,000/- for gravity irrigation; ₹ 15,000/- for irrigation pump set; ₹ 32,000/- for sprinkler/drip/micro irrigation whichever is less to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹ 11,250/- for gravity irrigation; ₹ 45,000/- for irrigation pump set; ₹ 95,000 /-for sprinkler/drip/micro irrigation whichever is less to SC/ST category.

(iii) Construction of rainwater harvesting structure

Registered cardamom growers having a landholding size of 0.10 ha to 8 ha are eligible to avail benefits under the scheme. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. Subsidy at the rate of 33.33 per cent of the actual cost limited to ₹ 18,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost limited to ₹ 40,000/- to SC/ST category whichever is less is extended for the construction of 200 cubic metre capacity tank.

During 2021–22, a total number of 24 water storage structures and 10 rainwater harvesting structures were constructed. Also, 23 irrigation pump sets and four micro irrigation systems were installed benefiting 61 farmers with the financial assistance of ₹ 13.28 lakh.

B. Development Programmes for the North East

Cardamom (Large)

Large Cardamom is mainly grown in the sub-Himalayan tracts of Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal. The total area under Large Cardamom in Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal and Sikkim during 2021–22 was 26,617 ha with an estimated production of 6,034 MT. The total Large Cardamom growing area under Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland in 2021–22 was 18,422 ha with a production of 2,778 MT. Non availability of quality planting materials, presence of senile, old and uneconomic plants and incidence of blight diseases are the major challenges affecting Large Cardamom production. Keeping this in view, the Board implemented the following programmes for Large Cardamom:

a) Replanting/New Planting

Large Cardamom is mainly grown by small and marginal farmers belonging to weaker sections of the society. The objective of the scheme is to motivate the growers to adopt replanting in a systematic way to increase productivity. It is difficult for cardamom farmers to meet the cost of replanting / new planting due to higher investment. The scheme provides an assistance of 33.33 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of new planting in non-traditional areas and replanting in traditional areas as well as maintenance during gestation period (1st and 2nd years) as subsidy subject to a maximum of ₹ 33,600/- and ₹ 75,000/- per hectare respectively payable in two equal annual installments.

During 2021–22, the development wing through its field units implemented this programme and provided assistance for replanting / new planting of 766.77 ha (which includes backlog cases i.e., 2nd installment of 2018–19; 1st and 2nd installments of 2019-20 and 1st and 2nd installments of 2020-21) of Large Cardamom and ₹ 521.09 lakh (which includes backlog payments i.e., 2nd installment of 2018–19, 1st and 2nd installments of 2019-20 and 1st and 2nd installment of 2020-21) was arranged as subsidy, benefitting 2976 growers.

b) Planting material production

In order to produce disease free, healthy and quality planting materials for the ensuing season, farmers were motivated to produce cardamom suckers in their own field.

During 2021–22 under this programme, 171.5 units (i.e., 17,15,000 planting materials) were established covering 400 beneficiary farmers with the financial assistance of ₹ 63.51 lakh.

c) Irrigation schemes

Large Cardamom is mainly grown as a rainfed crop. Vagaries of climate often affect its production. The long dry spell from November to March coincides with severe winter resulting in retardation of growth which adversely affects production. In order to increase water resources as well as to install irrigation equipment in Large Cardamom plantations for enabling irrigation to combat long dry spells during winter months and to increase the productivity and quality, the Board is implementing the programmes in the North Eastern region and Darjeeling district of West Bengal.

d) Construction of storage structures

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail benefit under the scheme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the subsidy to an individual is restricted for only one construction i.e., farm pond or well or storage tank. The minimum capacity of irrigation structure should be 25 cubic metre for availing maximum subsidy under the programme. The subsidy offered under the scheme is 50 per cent of the actual cost or ₹ 30,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹ 45,000/- to SC/ST category, whichever is less.

(i) Installation of irrigation equipment

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail the subsidy under the scheme under IP set/gravity irrigation equipment. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the subsidy to an individual is restricted for only one unit. The scale of assistance under irrigation equipment/gravity irrigation equipment is 50 per cent of actual cost or ₹ 15,000/- to General category and 75 per cent of actual cost or ₹ 20,000/- to SC/ST category, whichever is less.

(ii) Construction of rainwater harvesting structures

Registered cardamom growers having a land holding size of 0.10 ha to 8 ha are eligible to avail the benefits under the scheme. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. Subsidy at the rate of 33.33 per cent of the actual cost, limited to ₹ 18,000/- for General category and 75 per cent of actual cost or ₹ 40,000/- to SC/ST category is allowed for the construction of 200 cubic metre capacity tank.

During 2021–22, a total number of six rainwater harvesting structures were constructed and 78 irrigation pump sets were installed for Large Cardamom benefiting 84 farmers with the financial assistance of ₹ 15.05 lakh.

C. Promotion of Exportable Surplus of Identified Spices in the North East

a) Cultivation of Lakadong turmeric

The objective of the scheme is to promote the cultivation of Lakadong turmeric for exports. The turmeric growers of North East India having land holding size of 0.10 to 8 ha are eligible to avail the assistance. The scheme provides an assistance of 50 per cent of cost of planting material as assistance subject to a maximum of ₹ 30,000/- per ha.

During 2021-22, the development wing through its field units implemented this programme and provided assistance for 219 farmers of the North Eastern states covering 88.66 ha of Lakadong turmeric area.

b) Cultivation of specific ginger varieties in North East

The objective of the scheme is to promote the cultivation of specific ginger varieties in North East for exports. The ginger growers of the North East having land holding size of 0.10 to 8 ha are eligible to avail the assistance. The scheme provides an assistance of 50 per cent of cost of planting material as assistance subject to a maximum of ₹ 30,000 per ha.

During 2021-22, the development wing through its field units implemented this programme and provided assistance for 131 farmers of the North Eastern states covering 47.65 ha of North-East ginger area.

D. Post-harvest Improvement of Spices

a) Supply of improved cardamom curing devices for Small Cardamom

The objective of the scheme is to motivate the growers to adopt improved cardamom curing devices for drying cardamom to produce good quality cardamom for export. The scheme provides an assistance of 33.33 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the dryer subject to a maximum of ₹ 150,000/- for General and ₹ 3,37,500/- for SC and ST farmers respectively as subsidy.

During 2021–22, 49 improved cardamom curing devices were set up at a total subsidy of ₹ 57.68 lakh, benefitting 49 growers.

b) Supply of improved cardamom curing devices for Large Cardamom

The objective of the scheme is to motivate the growers to adopt improved cardamom curing devices for drying cardamom to produce good quality cardamom for export. The scheme provides an assistance of 75 per cent for NE/SC/ST farmers towards the cost of the dryer including transportation from South India subject to a maximum of ₹ 3,75,000/- as subsidy.

During 2021–22, four improved cardamom curing devices were set up with financial assistance of about ₹ 8.95 lakh, benefitting four growers.

c) Supply of Large Cardamom dryers (Sawo dryer/Modified Bhatti/Approved equivalent dryer)

The objective of the scheme is to motivate the farming community to adopt scientific curing methods for improving the quality of Large Cardamom. The scheme provides subsidy at the rate of 33.33 per cent of total cost for General and 75 per cent for SC and ST farmers subject to a maximum of ₹ 16,000/-per unit for General and ₹ 28,000/-unit for NE/SC/ST farmers respectively.

During 2021–22, a total of 49 Modified Bhatti units were constructed with financial assistance of ₹ 10.68 lakh, benefitting 49 growers.

d) Supply of seed spice threshers

The harvesting and post-harvest practices followed by some of the seed spice growers are generally unhygienic which result in contamination of the products with foreign matters like stalks, dirt, sand, stem bits, etc. The seeds are separated by beating the harvested and dried plants with bamboo sticks, rubbing the plants manually by hand, etc. In order to separate the seeds from the dried plants and to produce clean spices, Spices Board popularizes the use of threshers which are operated manually or by using power.

The Board is providing 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for

the cost of the thresher as subsidy subject to a maximum of ₹ 75,000/-and ₹ 1,12,000/- respectively for General and SC/ST farmers.

During 2021–22, the department extended assistance for installing 83 power operated threshers in the farmers' fields and a total subsidy of ₹ 66.46 lakh was given, benefiting 83 growers.

e) Supply of pepper threshers

The objective of the scheme is to motivate the pepper growers to produce good quality pepper for export by promoting installation of pepper threshers for hygienic separation of pepper berries from the spikes. The scheme provides an assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the thresher subject to a maximum of ₹ 19,000/- for General and ₹ 28,000/- for SC and ST farmers respectively as subsidy.

During 2021–22, 339 threshers were set up at a total subsidy of ₹ 59.89 lakh, benefitting 339 growers.

f) Supply of turmeric steam boiling units

The programme is intended to assist the turmeric growers to adopt improved scientific methods for processing turmeric using steam boiling units. This provides better colour and quality to the final produce. Spices Board popularizes the use of large-scale turmeric boiling units among growers for production of quality turmeric, suitable for exports. The subsidy provided under this programme is 50 per cent for General and 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the actual cost of the boiling unit or ₹ 1,88,000/- for General and ₹ 2,82,000/- for NE/SC/ST farmers respectively whichever is less.

During 2021–22, a total number of 116 turmeric steam boiling units were supplied at a financial assistance of ₹ 181.96 lakh, benefitting 116 growers.

g) Supply of polisher for spices

The programme aims at motivating and assisting the spices growers especially turmeric and Small Cardamom growers, growers, group, spice producer societies / spice farmer producer company and so on, to adopt polishing of spices by supplying improved polishers at subsidized rates to produce quality spices suitable for exports. The subsidy provided under this programme is 50 per cent for General and 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the actual cost of the polishing unit or ₹ 94,000/- for General and ₹ 1,40,000/- for NE/SC/ST farmers respectively, whichever is less.

During 2021–22, 188 spices polishing units were supplied at a financial assistance of ₹ 165.80 lakh, benefiting 188 growers.

h) Supply of Nutmeg/Clove dryer

The objective of the scheme is to popularize mechanical dryers among the growers to produce quality nutmeg, mace and clove. The scheme provides an assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the cost of the dryer subject to a maximum of ₹ 37,500/- for General and ₹ 56,000/- for NE/SC/ST farmers respectively as subsidy.

During 2021–22, assistance was given, for setting up of 200 nutmeg/clove dryers, to the tune of ₹ 55.23 lakh, thereby benefitting 200 growers.

i) Supply of mint distillation unit

The objective of the scheme is to motivate the mint growers to set up modern field distillation units lined with stainless steel in their fields to improve the efficiency of distillation unit as well as to improve the quality of oil for exports. The scheme provides an assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the distillation unit subject to a maximum of ₹ 1,88,000/- for General category and ₹ 2,80,000/- for SC and ST farmers respectively as subsidy.

During 2021–22, a total of five mint distillation units were set up at a total subsidy of ₹ 7.55 lakh, benefitting five growers.

j) Supply of Spices cleaners/graders/spiral gravity separators

The objective of the scheme is to popularize the spice cleaners/graders/spiral gravity separators to increase profitability in production of spices by way of mechanization and improve the quality of spices for export. The scheme provides an assistance of 50 per cent of cost of unit, subject to a maximum of ₹ 44,000/- per unit for General category and 75 per cent subject to a maximum of ₹ 66,000/- per unit for NE/SC/ST farmers.

During 2021–22, a total of five spices grading machines were installed at a financial assistance of ₹ 2.20 lakh, benefitting five growers.

k) Supply of Spices washing machines

The objective of the scheme is to popularize the spice washing machines to increase profitability in production of spices by way of mechanization and to improve the quality of spices for exports. The scheme provides an assistance of 50 per cent of the cost of unit, subject to a maximum of ₹ 53,000/- per unit for General category and 75 per cent subject to a maximum of ₹ 80,000/- per unit for NE/SC/ST farmers.

During 2021–22, a total of 30 spices washing machines were installed at a financial assistance of ₹ 15.90 lakh, benefiting 30 growers.

l) Quality Gap Bridging Groups - Spice producers' groups in identified clusters

The objective of the scheme is to capacitate the spice producers to produce spices with quality, safety and traceability through supporting identified groups. The scheme provides an assistance of a maximum of ₹ 25 lakh per Spice Producers' Groups for setting up of post-harvest machine /equipment bank, IT support for joining online platform on traceability and improving quantum of sale by the Spice Producers' Groups, establishment of plot for Good Agricultural Practices (GAP) and support for technical manpower for maintenance of online platforms, GAP plot and office of the Spice Producers' Groups based on MoU with Spices Board. A group with legal entity such as registered FPO, FPC, SHG, SPS, etc. actively engaged in spices sector is eligible for the assistance.

During 2021–22, 15 farmer groups coming under the spices sector availed benefits through this programme and installed various post-harvest machines with a financial assistance of ₹ 110.75 lakh, benefiting 3178 farmers.

m) Supply of tarpaulin / silpaulin sheets

The objective of the scheme is to motivate the growers to adopt hygienic drying of spices for improving the quality. Spice growers having land holdings from 0.20 to 8 ha are eligible to avail the assistance. The scheme provides an assistance of 50 per cent of cost, subject to a maximum of ₹ 2,000.00 per sheet for General category and 75 per cent subject to a maximum of ₹ 3,000.00 per sheet for SC/ST farmers.

During 2021–22, 26,940 tarpaulin sheets and 1,400 silpaulin sheets were supplied to the spices growers across India and provided a financial assistance of ₹ 293.00 lakh benefitting 17,727 farmers.

n) Weather based crop insurance for Small Cardamom in Idukki district of Kerala

The objective of the scheme is to protect small cardamom growers against the adverse weather incidences such as deficit or excess rainfall, heat (temperature), relative humidity, etc., which are deemed to adversely affect the production. Registered cardamom growers of Small Cardamom having land holding size of 0.10 ha to 8 ha are eligible to enroll for the scheme.

The scheme is applicable for farmers growing any prevailing variety of Small Cardamom as mono crop or intercrop. Agriculture Insurance Company of India Ltd (AIC) is the Implementing Agency of this scheme under the aegis of Spices Board. The scheme provides an assistance of 75 per cent of the premium by Spices Board and 25 per cent by the beneficiary. The Board's share is ₹ 16,040.00 per ha. (Including GST).

During 2021-22, 808 farmer applications were received under the scheme and provided assistance of ₹ 52.99 lakh as the Board's share.

E. Organic Farming

In order to promote organic production of spices, support for setting up vermicompost units, and promoting organic seed banks of spices were implemented in 2021–22.

a) Setting up of Vermicompost Units

It is necessary to produce organic inputs in the farm itself to maintain soil fertility in organic production. In order to enable the growers to produce organic farm inputs, particularly vermicompost, ₹ 4,500.00 as subsidy at the rate of 33.33 per cent of financial assistance to the General category growers and ₹ 10,000.00- at the rate of 75 per cent subsidy to the SC/ ST farmers is offered to set up a unit having a capacity of one tonne output of vermicompost.

During 2021–22, a total number of 335 vermicompost units were set up benefitting 322 growers at a total subsidy of ₹ 32.28 lakh.

b) Establishing Organic Seed Banks for spices

Indigenous varieties viz., Cochin ginger in Kerala, Nadia ginger in North Eastern states, Rajapori turmeric in Maharastra, Lakadong/ Megha turmeric in Meghalaya and herbal spices in Tamil Nadu are identified for coverage under organic seed bank. The objective of the scheme is to establish organic seed banks in the growers' field for multiplication of planting materials of indigenous varieties of ginger and turmeric having rich intrinsic value and herbal spices to retain purity and serve as a source for quality planting materials. Individual growers of any of these varieties of spices having holding size from 0.10 to 8 ha and organic certification are eligible to avail benefits under the scheme. A grower can avail subsidy under the scheme for a maximum of three years upto two ha per beneficiary.

During 2021–22, the payment for three organic seed banks with regard to ginger and turmeric effected in Guwahati region with the financial assistance of ₹ 3.00 lakh under ST category.

F. Training Programme for Quality Improvement of Spices (QITP)

The Board is regularly conducting quality improvement training programmes for farmers, officials of state agriculture / horticulture departments, traders, members of NGOs, etc., for educating them on scientific methods of pre and post-harvest and storage technologies and updated quality requirements for major spices.

A total of 8695 personnel were trained under 186 training programmes during 2021–22 at a total expenditure of ₹ 17.26 lakh. (Female: 1032; SC: 594; ST: 2968) The expenditure was met under the HRD head.

G. Extension Advisory Service

Training on transfer of technical know-how to growers on production and post-harvest improvement of spices is an important factor in increasing productivity and improving quality of spices. This programme envisages technical/ extension support to growers on the scientific aspects of cultivation and post-harvest management through personal contact, field visits, group meetings and through distribution of literature for Small Cardamom (in the states

of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka) and for Large Cardamom (in the states of Sikkim and West Bengal).

Besides extension advisory service, the production and post- harvest programmes of the Board under the scheme 'Export Oriented Production' are implemented through the extension network.

During 2021-22, a total of 16,100 extension visits were made and 1663 group meetings/ campaigns were organized for Cardamom (Small and Large) in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Kalimpong and Darjeeling districts of West Bengal and for other spices in the respective growing areas. The total expenditure under extension advisory service was ₹ 1,741 lakh during 2021–22.

H. Small Cardamom Productivity Awards (2019-20 and 2020-21)

Shri P. Prasad, Honourable Minister of Agriculture, Government of Kerala distributed the Small Cardamom Productivity Awards instituted by Spices Board for the years 2019-20 and 2020-21 in an event organized as part of the Coral Jubilee Celebrations of Spices Board on 12th March 2022.

The productivity award is given to Small Cardamom growers based on the achievement of highest yield per hectare. It consists of first, second and third categories. There is only one position in first prize category and two positions in second prize category of which one is exclusively for woman grower. In third prize category only certificate of merit is awarded. The highest productivity achieved so far is 7689 kg/ha.

A special award titled 'Organic Small Cardamom Productivity Award' (Organic SCPA) which includes ₹ 1,00,000.00 as cash award with citation and certificate was also distributed during the event. The highest productivity achieved in this so far is 2300 kg/ha.

I. New Initiatives

a) National Sustainable Spice Programme (NSSP)

The project titled National Sustainable Spice Networking Programme is being implemented in collaboration with the World Spice Organisation (WSO, the technical wing of All India Spices Exporters Forum (AISEF)), International agencies - IDH (which supports the sustainable trade initiative) and GIZ, Germany (which works on biodiversity and trade) and Spices Board for ensuring food safety, and bringing in traceability and achieving sustainability with due concern for biodiversity in the spices sector. The focus spices under the programme are Chilli, Pepper, Turmeric, Cumin, Small Cardamom and the spices produced in NE region so as to give a boost the production and export of spices from the region. Being the technological partner, Spices Board collaborated with NSSP in conducting farmers, training programme and supported farmers to procure post-harvest machines and devices in the project area under the Board's regular schemes.

b) Strengthening spice value chain in India and improving market access through capacity building

Spices Board had submitted a three-year project titled 'Strengthening Spice Value Chain in India and Improving Market Access Through Capacity Building' to the Standards and Trade Development Facility (STDF), an organization under WTO, in 2014 for assistance in capacity building and knowledge sharing as well as to address SPS issues in spices namely cumin, fennel, coriander and black pepper. First phase of the project was completed successfully and the second phase of implementation is under progress.

c) Turmeric Task Force Committee (TTFC)

In order to address the concerns expressed by various stakeholders pertaining to the turmeric sector and to identify the limitations of the existing support system for the sector and to strengthen them through coordinated efforts involving all stakeholders, Spices Board has constituted a Turmeric Task Force Committee (TTFC). The Committee consists of Director (Development), Spices Board as the Chairman and Deputy Director, Spices Board Regional Office, Warangal as the Member Secretary with representatives from the Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare (MoA&FW), Ministry of Commerce and Industry (MoC&I), State Agricultural Universities of Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana, Horticulture/Agriculture departments of the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Meghalaya, Odisha, Tamil Nadu and Telangana, Indian Institute of Spices Research (IISR) and turmeric exporters' associations, traders' associations and growers associations as members. Based on the recommendations of the TTFC, a comprehensive project titled 'Integrated Project for Production of Export Quality Turmeric in Telangana State' was prepared and submitted to the Ministry of Commerce and Industry for approval and other line departments for initiating suitable action. During 2021-22, Spices Board's offices at Nizamabad, Warangal and Hyderabad have initiated collection and processing of applications from the growers in Telangana state and provided financial assistance to the tune of ₹ 5.07 crore, to the Turmeric Sector of the State under the Board's approved programmes such as supply of turmeric boilers, polishers, rapid curcumin testing devices, silpauline/ tarpaulin sheets and for supporting groups for procuring post-harvest machines/devices and conducting trainings/study tour/exposure visits.

d) Chilli Task Force Committee (CTFC)

In order to study the issues in the chilli sector and to derive programmes for overall development and production of exportable surplus of chilli, a task force was constituted by including representatives of the Ministry of Commerce and Industry (MoC&I), Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare (MoA&FW), line organizations departments/ institutions in the major chilli producing states such as Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Telangana, and representatives of chilli exporters / traders / farmers. The Hon'ble MP and Spices Board Member Shri G Narasimha Rao is the Chairman and Dr A. B. Rema Shree, Director (Development), Spices Board is the Vice Chairperson of the committee.

The task force deliberated on the issues faced by various stakeholders in the supply chain of chilli and has recorded different types of export potential varieties, their intrinsic value, and issues in production, harvest, post-harvest and export of chillies. The report of the committee is being submitted.

05

EXPORT DEVELOPMENT AND PROMOTION

Spices Board is mandated for development of export of spices from the country, quality management of spices exports and improvement of production and productivity of cardamom (Small and Large). In order to achieve this objective, the Board has been implementing various programmes and activities under the Central Sector Scheme, Integrated Scheme for Export Promotion and Quality Improvement in Spices and Research and Development of Cardamom. This scheme includes infrastructure development for processing and value addition, establishment/ upgradation of quality evaluation infrastructure, research and development support for Small and Large Cardamom, organic production & certification, promotion of organic spices from the North East region, assistance for procuring post-harvest improvement machines/ equipment by the farmers and spice producer groups, etc., and these activities have fetched good results.

During 2021-22, India exported 15,31,154 MT of spices and spice products valued at ₹ 30,576 crore (4,102.29 million US$). India's export of spices increased from 8,17,250 MT valued at ₹ 13,73,539 lakh (2,268 million US$) in 2013-14 to 15,31,154 MT valued at ₹ 30,57,644 lakh (4,102.29 million US$) in 2021-22 registering an increase of 87 per cent in volume, 123 per cent in value (₹) and 81 per cent in value (USD). The spices export sector of India registered a CAGR of 8.16 per cent in volume, 10.52 per cent in value (₹) and 7.69 per cent in value (USD) since 2013-14.

The various programmes implemented under the scheme 'Export Development and Promotion' intend to support the exporters to meet the changing food safety standards in the importing countries. Besides encouraging adoption of scientific practices and process upgradation, the Board focuses on quality and food safety in the whole supply chain of spices. The major thrust areas are trade promotion, product development and research, infrastructure development, promotion of Indian spice brands abroad, and setting up of infrastructure for common cleaning, grading, processing, packing and storing (Spices Park) in major spice growing/marketing centres, promotion of organic spices/GI spices, organizing buyer seller meets, etc. Special programmes were also undertaken for spices sector in the North Eastern region.

A. Infrastructure Development

a) Assistance for implementation of food safety and quality assurance mechanisms/ certifications

Under this scheme, cost of accreditation/ certification of processing units, in-house laboratories, etc., of spices exporters under ISO/ HACCP/ FSSC 22000/ NPOP, etc. (including KOSHER, HALAL, GMP, SQF, BRC, etc.) by recognized agencies, certification by authorized agencies of importing countries / Foreign Buyer Verification Programme (FBVP), etc. are considered.

The Board proposes to give 33 per cent of the cost of certification subject to a maximum of ₹ 5.00 lakh for General category exporters and 75 per cent of the cost of certification subject to a maximum of ₹ 7.50 lakh for SC/ST exporters, FPO exporters and exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region) and other Himalayan States/J&K and Ladakh, States notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep).

During 2021-22, assistance provided under the scheme was ₹ 1.01 lakh to an eligible exporter.

b) Setting up and maintenance of infrastructure for common processing (Spices Parks)

Spices Board, with a view to empower the farmers to get better price realization and wider markets for their produce, has established eight crop specific Spices Parks in major production/market centres. The objective of the Park is to have an integrated operation for cultivation, post-harvesting, processing, value addition, packaging and storage of spices and spice products. The common processing facilities for cleaning, grading, packing, steam sterilization, etc., will help the farmers to improve the quality of the produce and thus result in a higher price realization.

The crop specific Spices Parks established by the Board in the major production/market centres, are as below:

Sl No	Location/State	Spices Covered	Land Area (Acre)
1	Chhindwara, Madhya Pradesh	Chilli & Garlic	10.00
2	Puttady, Kerala	Pepper & Cardamom	12.50
3	Jodhpur, Rajasthan	Cumin & Coriander	60.00
4	Guna, Madhya Pradesh	Coriander	100.00
5	Sivaganga, Tamil Nadu	Chilli & Turmeric	75.00
6	Guntur, Andhra Pradesh	Chilli	125.00
7	Kota, Rajasthan	Coriander	30.00
8	Rae Bareli, Uttar Pradesh	Mint	11.79

All the Parks have well established common processing unit for processing, value addition and storage of spices and spice products and the units in all the Parks except Rae Bareli are functioning presently through the operators identified by the Board. With respect to Spices Park, Rae Bareli, the Board has taken initiative to lease out the space for establishing common processing facilities by the exporters.

(i) Common Processing Units in Spices Parks

The tenure of the existing operators in Spices Park, Guntur was completed in November 2021 and the Board invited an Expression of Interest (EoI) from the registered exporters of spices for identifying the operator. Accordingly, the unit was leased out to M/s Nature Spices, Kottayam.

As the earlier lessee of the common processing facilities at Spices Park, Guna surrendered the facilities, the Board initiated action for identifying the operator by inviting EoI and the facilities were leased out to M/s Mayank Industries, Guna.

With regard to Spices Park, Sivaganga, the Board has obtained required statutory approval from the Directorate of Town and Country Planning (DTCP), Sivaganga for running the common processing unit in January 2022. Upon approval, the Board leased out the common processing facilities to M/s Season Fresh Agro Food, Sivaganga. With support of the Board, the operator

The Board has allotted plots available in the Spices Parks to entrepreneurs for developing their own processing units for value addition of spices. A total of 44,510.81 MT spices valued at ₹ 39,500 lakh was processed through these units established in the Spices Parks during 2021-2022 of which 1024 MT of spices worth ₹ 180 lakh was exported.

A total of 9,655 MT spices was stored in the common storage facilities set up in the Spices Parks and a total of 4,235 MT spices and 89,945 MT other agri products were stored in the warehouses / cold storage units established by the entrepreneurs in the Spices Parks during 2021-2022.

During 2021-22, the Spices Parks provided employment to 140 permanent workers and 215 contract/casual workers including 194 women workers. An expenditure of ₹ 144.35 lakh was incurred for maintenance/ undertaking works in the Spices Parks.

c) Spice Complex Sikkim

Considering the importance of spices in the state of Sikkim and the scope and opportunities for export of spices from the state, Spices Board submitted a project proposal to the States Cell, Ministry of Commerce to set up a Spice Complex in Sikkim. The project proposal sought financial assistance under the Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) to facilitate and demonstrate common processing and value addition in spices to benefit the farmers and other stakeholders in the state. The Sikkim Spice Complex is envisaged as a self-contained facility with appropriate physical and common infrastructure and amenities. The components of the Spice Complex in Sikkim include common processing & value addition unit, research and development (R&D) facilities for Large Cardamom and post-harvest management including quality testing facilities, training centre, bio-input production and administration building to house the Board's Research, Development and Marketing offices in a single location. The Government of Sikkim has allotted 10 acres of land at Namcheybong in East district of Sikkim. The total cost of the project is ₹ 26.51 crore. The project is approved under TIES and an amount of ₹ 8.87 crore has been released by the Ministry as first installment for establishment of the Spice Complex at Sikkim. The Board entrusted Central Public Works Department (CPWD), Gangtok region as the agency to establish the Spice Complex on a turnkey basis and has executed MoU with the CPWD.

The Board has also constituted a Project Monitoring Committee (PMC) to ensure timely completion of the project by including representatives from the Department of Commerce, Government of Sikkim; Department of Horticulture, Sikkim; CPWD; Spice Exporter member from Sikkim and Officials of Spices Board.

Currently, the contour survey has been completed, the tender for construction of Spice Complex is floated online by CPWD and is expected to be completed in July 2022. The Board has released an amount of ₹ 2.90 crore as 2nd installment to CPWD.

B. Trade Promotion

a) Sending business samples abroad

Export contracts of spices and spice products in general are concluded based on samples provided to the buyers. Exporters are required to send samples to their customers abroad for approval and to match the requirements of the buyers. Considering the higher cost of couriering samples and number of samples required to be couriered for a contract, the Board supports exporters to offset the cost of courier charges for sending samples abroad. The assistance is provided as reimbursement to Merchant Exporters with annual turnover not more than ₹ 250 crore during FY 2020-21 and MSME exporters at the rate of 50 per cent of the cost of courier

charges subject to a maximum of ₹ 1.50 lakh for general category per annum and 75 per cent of the courier charges subject to a maximum of ₹ 2.25 lakh for SC/ST exporters, FPO exporters and exporters in NE region (including Sikkim & Darjeeling region) and other Himalayan States/ J& K and Ladakh, States notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep), per annum. During 2021-22, an assistance of ₹ 181 lakh was provided under this scheme.

b) Packaging development & barcoding

There is a felt need to improve the existing packaging and develop modern packaging for increased shelf life, reduction in storage space and better presentation of Indian spices in markets abroad. The Board assists all registered exporters who have registered their brand names with Spices Board, to improve the existing packaging and develop modern packaging to increase shelf life, reduce storage space and for better presentation of Indian spices in the markets abroad. Under the programme, activities such as Packaging Development, Bar coding, QR code, Electronic Product Code (EPC) / Radio Frequency Identification (RFID) tags, etc., are considered, as per the emerging market requirements. During 2021-22, an assistance of ₹ 01.00 lakh was provided under this scheme.

c) Product research & development (For Registered Exporters/ Institutions)

Spices are known to have medicinal, cosmetic, nutritional and health values. A vast body of traditional knowledge about such uses is available in the country. However, sufficient documented evidence / validation studies do not exist to establish the acclaimed properties of spice / spice extracts / spice mixes. The absence of documentation / validation prevents the marketability of such products. It is felt that if the required documentation/ validation is generated on the basis of scientifically conducted trials and clinical evaluation, products can be formulated with very high value addition and these products can be marketed and patented (if required) in the established markets as alternative medicines, functional foods, nutraceuticals, immunity boosters, etc. Also, there is scope for deriving new end uses and applications from the spices produced within the country.

The returns from exports of such new products and formulations would be phenomenally higher than the value realized by exporting whole spices with minimal value addition. Development of new end products from spices involves scientific research in the areas of unconventional applications, which can further lead to creation of patentable products with higher potential for exports. The scheme offers financial assistance for product research and development, clinical trials, validation of properties, and patenting and test marketing. Registered exporters and R&D institutions having required facilities are eligible to avail assistance under the scheme, to the tune of 50 per cent of the cost of product research and development subject to a maximum of ₹ 25.00 lakh and ₹ 1.00 crore, if clinical trials and patenting are involved. Also, for Central/State Universities, R&D and other institutions of the Government, assistance is up to 100 per cent of the cost of the project subject to a maximum of ₹ 25 lakh and ₹1.00 crore, if clinical trials and patenting are involved. During 2021- 22, the Board provided an assistance of ₹ 32.49 lakh under the component for product research and development to two beneficiaries.

d) Promotion of Indian spice brands abroad

A considerable portion of spices from India is exported in bulk form and is subjected to stiff international competition from low-cost economies of South East Asia, Africa and the Far East. India being the hub for spice processing, the spice sector needs to evolve to be better, stronger and more adaptable than the competitors. The scheme aims to assist exporters in penetration of Indian brands in overseas markets with clear mark of traceability and food safety.

The objective of the programme is to assist penetration of Indian brands in the identified overseas markets, through a series of promotional programmes. Under this programme, exporters who have registered their brand with the Board can avail the financial assistance as interest free loan of up to ₹ 100 lakh per brand. Assistance under the programme cover 100 per cent of slotting / listing fee and promotional expenditure and 50 per cent of the cost of product development, so as to help the exporters to position specified brands in the identified outlets in selected cities abroad.

During 2021-22, the Board released an amount of ₹ 33.33 lakh towards the first installment of loan to one exporter and an amount of ₹ 29.63 lakh as second installment of loan to one exporter.

e) Participation in international trade fairs/ exhibitions/ meetings and trainings

Spices Board functions as an international link between the Indian exporters and the importers abroad. As part of its initiatives for promotion of Indian spices in international markets and to provide opportunities for exporters, the Board participates in international fairs, exhibitions, etc., to showcase the capabilities of Indian spices to the international buyers. During the reporting period, due to restrictions imposed by the government in domestic as well as international travel, social gatherings, etc., the Board could not participate in many of the major trade fairs. However, the Board participated in two international fairs and 17 domestic exhibitions during 2021-22.

The Board also encourages exporters to participate in international fairs/exhibitions to generate/ develop business. The registered exporters of the Board are eligible to avail assistance for participation in international trade fairs/exhibitions. During 2021-22, the Board provided assistance of ₹ 0.58 lakh as reimbursement of air fare to one exporter.

f) Reimbursement of fees for Certificate of Registration as Exporter of Spices

Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) is mandatory for export of spices from the country. In order to encourage the entrepreneurs in NE region (including Sikkim & Darjeeling region) and other Himalayan states/ J&K and Ladakh, State Notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep) and SC/ST exporters and Farmer Producer Organisations (FPOs) across the country, to undertake export business in spices, the Board reimburses part of CRES fee.

During 2021- 22, the Board provided assistance of ₹ 1.29 lakh under this component to 16 eligible exporters.

C. Marketing and Auxiliary Services

a) Marketing services

Spices Board is implementing a series of programmes to develop and promote the export of spices and spice products from India and to strengthen the domestic marketing of cardamom. The Board assists stakeholders on a day-to-day basis to sort out various issues faced with regard to post-harvest management, marketing, processing, quality improvement, etc., of spices and provides advice and technical support to exporters, farmers and state governments.

(i) Registration & licensing

(a) Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES)

As per Spices Board Act, 1986, any person who would like to carry on the business of export of spices should have a valid Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) which is equivalent to RCMC as per the Foreign Trade Policy. For the new period with effect from 01 April 2021, the Board issues the Certificate of Registration as Exporter of Spices online. This certificate is valid for

three years from the date of issuance as per Spices Board (Registration of Exporters) (Amendment) Regulations, 2021. The Board has also introduced an online gateway system for the payment of CRES fee.

During 2021-22, Spices Board issued 5,662 Certificates of Registration as Exporter of Spices, of which 5,027 certificates were in merchant category and 635 certificates were in manufacturer category.

As per the trade notice issued by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Spices Board initiated the process of on-boarding onto the Common Digital Platform (eRCMC) developed by the DGFT as a part of minimizing regulatory compliance with effect from April 2022.

(b) Cardamom Dealer & Auctioneer Licence

Any person who wishes to carry on the cardamom business as an auctioneer or dealer should have a valid licence as per the Cardamom Licensing & Marketing Rules, 1987. In accordance with the rules, Spices Board issues the Auctioneer & Dealer Licence for trading Cardamom (Small & Large) which is valid for the block period 2020-2023. The block period ends on 31st August 2023.

During the period under report, the Board issued 526 Cardamom Dealer Licences all over India, of which 489 licences were for Small Cardamom and 37 for Large Cardamom.

A total of 12 e-Auctioneer licences and four Manual auctioneer licences were issued for conducting e-auctions at Puttady and Bodinayakanur and manual auctions in Karnataka and Maharashtra for the block period.

The Board initiated action for on-boarding into the National Single Window System (NSWS) developed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), for issuance of cardamom dealer licence and auctioneer licence.

ii) Registration of brand name

The objective of the programme is to register the brand names of exporters, who export spices/spice products in branded consumer packs. Registration of brand name is offered for a period of three years, after confirming compliance with specific parameters, including testing of the package by the Indian Institute of Packaging (IIP).

iii) Auction for cardamom

(a) Establishment of cloud-based live e-auction system

The Board introduced the e-auction system, for Small Cardamom at its two auction centres located at Bodinayakanur (Tamil Nadu) and Puttady (Kerala) in 2007 replacing the erstwhile traditional outcry system. This system has been serving the cardamom industry very well and contributed to increased transparency in transactions and better price realization for the farmers. The e-auction system required physical presence of the dealers at both the auction centres which demanded frequent travel crossing the state borders to be present at the auction centre. Considering the practical difficulties in physical participation in the auction centre on the day of auction, particularly during the COVID- 19 pandemic period, the Board introduced 'Cloud Based Live e-Auction' with effect from 01st November 2021, which enabled to conduct the e-auctions simultaneously, linking the two auction centres. In this system, the farmers and dealers can take part in the cardamom auctions from any one of the auction centres as per their convenience unlike the earlier participation of the farmers and dealers in

the auction by traveling to the respective auction centres. Introduction of the new system has set a way for participation of more dealers in each auction.

(b) Intervention to cardamom auction system by limiting the pooling by the dealers

Based on the suggestions from the stakeholders, to bring in suitable measures to streamline the auction system of cardamom, the Board intervened in the pooling of Cardamom. Accordingly, the ceiling of 65 (Sixty-five) MT imposed for pooling of cardamom in an auction by the licensed auctioneers was removed and the licensed dealers are allowed to pool up to 25 MT in an auction.

A total quantity of 28,730 MT of Cardamom (Small) was sold through e-auctions conducted at the Board's Puttady and Bodinayakanur auction centres during the period 2021-22 (Aug. – Jul.).

Manual auctions were also conducted in other states, viz., Karnataka and Maharashtra for Cardamom (Small) and at Singtam in Sikkim for Cardamom (Large).

iv) Mandatory sampling and testing programme

Under the provisions of the Spices Board Act, 1986 and Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989, Spices Board is undertaking Mandatory Sampling & Testing of export consignments of selected spices and spice products to selected destinations based on the requirement of importing countries. During the year, based on the European Commission Regulation (EU) 2021/2246 dated 15 December 2021, the official controls and emergency measures governing the entry into the EU for specified spices from India were increased and an Official Certificate was prescribed for permitting entry of the consignments with effect from 06 January 2022. In accordance with this regulation, the Board has made it mandatory to have cleared Analytical Report issued by the Board for Ethylene Oxide (ETO), for export of notified spices to the EU with effect from 07 February, 2022. The EU has fixed the MRL for ETO at 0.02 ppm for chilli and ginger, and 0.1 ppm for other spices. Further, Official Certificate issued by the Board for ETO is a mandatory requirement for clearance of the spice consignments at the destination ports in the EU. The Board also facilitated the Indian spice exporters in clearing the consignments which were departed before the regulation.

During 2021-22, Spices Board's Quality Evaluation Laboratories at Kochi, Mumbai, Chennai, Guntur, Tuticorin, Delhi, Kandla and Kolkata have analyzed 1,27,467 parameters such as Aflatoxin, Illegal dyes, Extraneous matters, Pesticide residues, Salmonella, ETO, etc., in mandatory samples. During the year under report, the Board has issued 4238 Official Certificates for aflatoxin and ETO meant for the EU and UK.

v) Establishment of QEL at Spices Park, Jodhpur for physical parameters for export consignments of cumin

India is the largest producer of cumin worldwide. Rajasthan and Gujarat are the major cumin producing states in India. In the 89th Board Meeting of Spices Board, the members informed that spice exporters, manufacturers, food safety and regulatory agencies were concerned about adulteration/contamination in the seed spices. It was also informed that the farmers and exporters did not have facility for testing the quality of cumin even in university laboratories. Since Spices Board has established a Spices Park in Jodhpur, the Board was requested to establish a Quality Evaluation Laboratory with basic facilities for testing physical parameters for the benefit of cumin farmers. Based on the request, Spices Board initiated the process for

establishing a Quality Evaluation Laboratory and Sample Receiving Desk (SRD) in Spices Park Jodhpur to handle the mandatory testing of the physical parameters of cumin seeds for export.

vi) Strengthening of sampling activities in Gujarat Region

Subsequent to the implementation of testing of spice samples for ETO, there was a felt need for a Sample Receiving Desk in Gujarat, considering the volume of the samples being tested. Accordingly, the Board extended the SRD facilities in Ahmedabad and Kandla in Gujarat.

vii) Testing of customs samples of spices

The Board is also receiving customs samples of spices and spice products, imported into the country under Advance Authorization Scheme (AAS) for yield assessment and to recommend to the DGFT for the fixation of Standard Input Output Norms (SION). During 2021-22, the Board tested 275 samples of import consignments of spices and spice products received from the Customs Department and test reports were issued.

viii) Geographical Indications registration

Spices Board has successfully registered spices viz., Malabar Pepper, Alleppey Green Cardamom, Coorg Green Cardamom, Guntur Sannam Chilli and Byadagi Chilli with the GI registry and remains the Registered Proprietor of these five GI-tagged spices. The Board has issued guidelines to the Producers / Producer Groups, Buyers / Exporters interested in getting 'Authorized User Certificate' from the GI Registry. An authorized user is a person who has been registered under Section 17 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999. Spices Board started receiving applications from farmers' groups and exporters for issuance of NOC to GI registry for getting the Authorized User Certificate.

ix) Buyer Seller Meets , Seminars and training programmes

The Board has been conducting seminars and training programmes for the stakeholders of spices sector on post-harvest management, primary processing, export procedures, import documentation for the integrated development of various levels of value chain to ensure sustainable development of India's spice export in compliance with the quality and safety standards of export destinations. Due to the surge in COVID-19, the Board has organized the trainings through virtual platform during the financial year 2021-22.

a) Buyer Seller Meets

With a view to promote the export of spices, the Board has been conducting buyer seller meets (BSMs) across the major spice producing regions so as to provide a platform for interaction between the spice growers and exporters for establishing direct market linkages. The BSMs offer a win-win situation to both the growers and exporters wherein the growers get a market for their produce along with remunerative returns, whereas the exporters find it beneficial in terms of establishing long term backward linkages and competitive sourcing of quality spices. Also, the exporters can grab this opportunity to put forward the trade issues before the authorities. The COVID-19 situation, has necessitated a shift in focus from physical events to online events.

1) Domestic Buyer Seller Meets

With a view to promote the export of spices and spices products, the Board has been organizing domestic buyer seller meets (BSMs) by bringing the farmers/ sellers and the exporters from across the country under one roof. The BSMs provide a common platform for the buyers and sellers of the spices industry, to interact directly and establish effective business linkages as well as to reflect upon the pertinent issues grappling the spice sector. During 2021-22, the Board conducted following domestic buyer seller meets:

Sl No	Name of the Programme	Date
1	Virtual Buyer Seller Meet for Large Cardamom from NE region with the exporter members of Indian Spice and Food Stuff Exporters Association (ISFEA), Mumbai, Maharashtra	23 December, 2021
2	Online Buyer Seller Meet (BSM) for Ginger with focus on Karnataka	12 January, 2022
3	Buyer Seller Meet with focus on Large Cardamom in Sikkim and North Bengal	17 January, 2022
4	Online Buyer Seller Meet (BSM) for Turmeric with focus on Telangana	12 February, 2022
5	Online Buyer Seller Meet for Spices of Eastern Region of India	15 March, 2022
6	Online Buyer Seller Meet (BSM) for Black Pepper with focus on Karnataka	24 March, 2022
7	Online Buyer Seller Meet (BSM) for Coriander with focus on Madhya Pradesh	24 March, 2022

2) International Buyer Seller Meets

Spices Board is in constant touch with the Indian Missions abroad for promotion of Indian spices. The Board, in association with the Embassies / Missions, has been conducting International Buyer Seller Meets (IBSMs) through virtual platform. The IBSM involves the participation of Indian spice exporters, leading importers in the respective countries, trade associations, chambers of commerce, leading supermarket chains /departmental stores, etc., besides the representatives of Embassy and Government delegates of the countries concerned. The event offers a platform for the Indian exporters to build direct business linkages with the importers across the globe. Details of International Buyer Seller Meets organized during 2021-22 are given below:

Sl No	Name of the Programme	Date
1	Buyer Seller Meet on Indian Spices with Focus on Azerbaijan	9 April, 2021
2	Webinar on Opportunities of Indian Spices in Thailand and Buyer Seller Meet	18 August, 2021
3	Buyer Seller Meet for Indian Spices with Focus on UAE	20 October,2021
4	B2B Meeting with M/s. Wanis International Foods, United Kingdom	8 December, 2021
5	Buyer Seller Meet for Indian Spices with Focus on Malaysia	21 December, 2021
6	Buyer Seller Meet for Indian Spices with Focus on Morocco	8 February, 2022
7	B2B Meeting with M/s. Vitafy, GmbH, Germany	9 February, 2022
8	Buyer Seller Meet for Indian Spices with Focus on Mexico	17 February, 2022
9	Buyer Seller Meet for Indian Spices with Focus on Vietnam	23 February, 2022
10	Buyer Seller Meet for Indian Spices with Focus on South Africa	25 February, 2022
11	Webinar on Opportunities of Indian Spices in France & Buyer Seller Meet	10March, 2022
12	Indian Spice Fair 2022- Buyer Seller Meet for Indian Spices with Focus on Japan	19 March, 2022

The stakeholders of the spice industry have shown keen interest and actively participated in the BSMs, so as to make the best use of the platform, to build market linkages.

After the events, the Board consolidates the contact details of suppliers (farmer/FPO) and exporters who participated in the BSMs. The contact details of exporters/ suppliers/farmers/ FPOs are disseminated to overseas missions/ importers/exporters/traders based on enquiries received.

b) Entrepreneurship Development Programmes

Spices and value-added spice products have been registering a steady growth in world market, thereby enhancing the potential for entrepreneurial ventures in spice processing and value addition. Spices Board, so as to attract, motivate and equip the progressive stakeholders to enter into the spices business, has been organizing Entrepreneurship Development Training Programmes, involving participants from across India. The main purpose of the programme is to sensitize and educate the participants on various aspects of the spice export sector, including export documentation & procedure, quality and safety standards, regulatory requirements for exports, international marketing, export logistics, analyzing export data and trends, etc. During FY 2021-2022, the Board organized eight Entrepreneurship Development Training Programmes, details of which are enlisted below:

Sl No	Name of the programme	Date	Coordinating Office	No. of participants
1	Online Entrepreneurship Development Training Programme for Promotion of Export from Tripura	23 June, 2021	RO Guwahati / DO Agartala	115
2	Online Entrepreneurship Development Training Programme for Spices Export from Manipur	29 June, 2021	FO Churachandpur	145
3	Virtual Entrepreneurship Development Training Programme for Exporters, Entrepreneurs, Traders and FPOs	16 July, 2021	RO Nizamabad	205
4	Virtual Entrepreneurship Development Programme for farmers of Bargaon, Satara in association with SB Jodhpur & KVK, Bargaon	15 September, 2021	RO Nizamabad & Mumbai	71
5	Entrepreneurship Development Training Programme for Spice Exporters from Mumbai Region (Exporters' Awareness Programme)	06 December, 2021	RO Mumbai	40
6	Entrepreneurship Development Training Programme for new entrepreneurs/FPOs/MSME/ exporters from Gujarat Region	17 December, 2021	RO Unjha	100

7	Entrepreneurship Development Training Programme for the Dealers, Suppliers and Traders of Cardamom and other spices ('Traders' Awareness Programme')	22 December, 2021	RO Mumbai	10
8	Four-day Virtual Entrepreneurship Development Training Programme	20-23 December, 2021	RO Warangal/ Nizamabad	64
9	Entrepreneurship Development Training Programme on Market Sensitization to Boost Export of Kashmir Saffron	02-.03 March, 2022	RO Srinagar	50
	Total			**800**

A total of 800 stakeholders across the country were benefitted by the trainings.

D) International Pepper Community (IPC)

The International Pepper Community is an intergovernmental organization under the auspices of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP). The Community now includes India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Vietnam as permanent members and Papua New Guinea, and Philippines as associate members. The Community is a non-profit professional organization designed as a platform for the global pepper industry to discuss the common issues and seek sensible solutions for the betterment of global pepper industry. Representative of the member countries hold the office of the Chairman of IPC on rotation basis and each Chairman hold office of the IPC for a period of one year.

IPC has formed different Standing Committees to frame policies and specific strategies in respect of Research & Development, Marketing and Quality evaluation of Pepper for addressing current and emerging issues. The major committees are:

a) IPC Committee on Research & Development

The 10th Meeting of the International Pepper Community (IPC) Committee on Research & Development was held on 25 October, 2021 via an online platform hosted by the IPC Secretariat. Delegates from India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Viet Nam and the Philippines as well as the government officials attended the virtual meeting.

Dr A. B. Rema Shree, Director, Spices Board presented India's report which covered the statistic of black pepper in India; major state wise area and production, export and import of pepper from India including the major country-wise destination and origin; research outcome in black pepper; black pepper breeding strategies, new hybrid varieties (HP-2173); a farmer variety registered under PPVFRA; technologies for sustaining production; diagnostic of molecular technology; low risk insecticide against Pollu beetle; mechanization in black pepper cultivation; cleaning machinery; blanching, business planning & development unit, spice processing facility; and cost of production of black pepper & key parameters affecting the cost of production.

b) IPC Committee on Marketing

The 7th Meeting of the IPC Committee on Marketing was held on 11th November, 2021 via an online platform hosted by the IPC Secretariat. The meeting was attended by the delegates from India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Viet Nam as well as Government officials from

the member countries. Shri B. N. Jha, Director (Marketing), Spices Board attended the meeting as the country delegate, Shri Jagannathan K., Deputy Director and Shri Nithin Joe, Deputy Director, Spices Board also attended the meeting.

The IPC award for the best exporter from India for the year 2020, was awarded to M/s Herbal Isolates Pvt Ltd, Kochi, Kerala.

c) IPC Committee on Quality

Technical staff from QEL attended the 27th Meeting of the IPC committee on Quality held virtually on 30 November, 2021 and presented the report on behalf of India on actions taken for upgradation of quality of black pepper by engagement in STDF project for strengthening spice value chain, mutual recognition with USFDA for export of black pepper (being done by EIC), monitoring export of black pepper to Japan and also on the action taken by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) for monitoring quality of black pepper for domestic consumption and import.

In the meeting, India was identified (on rotation basis) as the country to conduct IPC Proficiency Test Programme for the year 2022 for physical and chemical parameters in black pepper. The meeting also deliberated on harmonization of the IPC Quality Standard with CODEX and ISO Standard .

The meeting was attended by delegates from India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Viet Nam.

E. Major Interventions for Export of Spices

a) People's Republic of China

The General Administration of Customs of China (GACC), People's Republic of China (PRC), has implemented the 'Regulations on the Registration and Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food', and has stipulated for registration of overseas production enterprises of 14 categories of food products. Spices are also included in the list of imported foods from India that require registration. The Board as the competent authority to recommend these applications for registration of the firms which export spices from India to People's Republic of China, in accordance with the article nine (9)of Registration regulations of the GACC, has taken up the matter with PRC through the Indian Embassy, Beijing, PRC. Accordingly, the Board had facilitated the registration of almost all the spice exporters across the country and is being assisting the exporters for modifying /registering with GACC.

Cumin is one of the major spices which is being exported in large quantities to the People's Republic of China. During the year 2020-21, India exported 1,02,975 MT of cumin to PRC. However, the PRC has imposed mandatory sampling / testing/ monitoring of cumin for pesticide residues, which has resulted in slowing down the export of cumin from India to PRC. The Board through Indian Embassy, Beijing had taken up the issue with the PRC, and accordingly the Board had started mandatory screening of cumin consignments which are intended for export to China. This has impacted in resumption of cumin export to the PRC.

b) Qatar

India's spice exports, with a volume of 11,83,000 MT valued at ₹ 21,515.40 crore during 2019-20, scaled the landmark level of three (3) billion US$ in value realization, besides recording a growth rate of eight per cent in volume, 10 per cent in rupee terms and eight per cent in dollar terms over the previous year, despite the global pandemic situation.

During 2019-20, India exported around 12,000 MT of spices and spice products to Qatar valued at ₹ 140 crore. The major spice products exported to Qatar were chilli, curry powder, cumin, turmeric,

coriander, Small (Green) Cardamom, tamarind, pepper, etc. Further, Indian Small Cardamom, owing to its rich intrinsic qualities, has found applications intertwined with the cultural traditions of the people of the Middle East and hence holds potential for future promotion of exports to Qatar.

However, it has been reported by the exporter fraternity that Qatar Health Authorities were randomly checking export consignments of Indian Small Cardamom for analysing pesticide residues and some consignments were rejected without clearly specifying the reason for rejection or providing necessary supporting documents (analytical reports with the detected level of chemicals/contaminants).

The Board took up the issue with Qatari authorities through the Indian Embassy, Doha, Qatar and had a series of discussions/meetings on the matter, which resulted in the removal of Indian Cardamom from the list of precautionary measures imposed by Qatar, in September 2021.

c) European Union

The European Union (EU) is one of the major export destinations for Indian Spices. During the end of 2020, Spices Board was informed about the potential risk of Ethylene Oxide (ETO) in spices exported from India. The use of ETO for the sterilization of foodstuffs within the EU as well as the import of foodstuffs containing residues of ETO and 2-chloroethanol (ECH) above the MRLs into the EU were not permitted. Subsequently, Spices Board advised the Indian spice industry, about the risk and informed the exporters to ensure compliance with the EU norms on ETO and to exercise due diligence.

Further, root cause analysis for the spice consignments notified under the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) for the presence of ETO was conducted and the findings were shared with the DG SANTE, as desired by them. The Board, in association with the industry conducted a study on possible sources of ETO contamination along the supply chain in spices, including chances for natural occurrence. Also, detailed guidelines on preventing ETO contamination in spices exports to the EU were developed by the Board, for compliance by the stakeholders and the same was shared to the DG SANTE.

The Board has been actively engaging with the Indian Mission at Brussels for working with the DG SANTE in addressing the ETO concern for export of spices to the European Union. The Board along with other export promotion bodies such as APEDA and IOPEPC attended various technical meetings with the DG SANTE on the ETO concern since 2021. In addition to presenting the various steps taken by the Indian spice sector to ensure compliance of spices exported to the EU for ETO MRLs, some of the inconsistencies at the side of the EU in fixing MRLs, marking ETO alert to India for end products originated within EU using inputs from various countries, differential limits for various spice items without proper scientific evidence, etc., were discussed with the DG SANTE during the meetings. Further, the Indian Mission coordinated the preparation of a white paper compiling the points flagged by the Indian side, including the preliminary results from the study conducted across the supply chain and the white paper was shared with the DG SANTE for needful consideration.

However, the EU has implemented Regulation 2021/2246 (dated 15 December, 2021) on 06 January, 2022, wherein export consignments of almost all spices from India to the EU were required to have an official certificate for compliance with ETO MRLs.

The Board's efforts could help to obtain a minimal extension of transition period, till 17 February, 2022, in implementation of the regulation 2021/2246, for export consignments which have left India before 06 January, 2022.

In response to the implementation of the EU Regulation 2021/2246, Spices Board has put in place necessary systems across India for ETO testing of spices, through the network of Spices Board Quality Evaluation Laboratories and accredited laboratories and introduced mandatory testing and issuance of Official Certificate for compliance of spices meant for export to the EU with ETO MRLs, with effect from 07 February, 2022.

F. Vanijya Saptah & 'Azadi ka Amrit Mahotsav'

As part of the Azadi ka Amrit Mahotsav celebrations, Department of Commerce under the Ministry of Commerce & Industry, Government of India celebrated 'Vanijya Saptah' during 20- 26 September 2021 across the country to highlight India's potential for trade and exports. During the week, events were organized across the country highlighting 'Aatmanirbhar Bharat', 'Showcasing India as a Rising Economic Force', 'Green & Swachh SEZs', Handholding sessions focusing on 'From Farm to Foreign Lands', 'Exporter Conclaves', and 'Vanijya Utsav', covering all 739 districts of the country.

The Department of Commerce and all its offices across the country organized the weeklong celebrations. Spices Board was given the responsibility of coordinating the programmes organized in the states of Kerala and Sikkim. In unison with the celebrations, Spices Board took initiative to organize a series of events focusing on economic growth and promotion of exports.

a) Vanijya Utsav

(i) Vanijya Utsav in Kerala

The Board in association with the Government of Kerala and other organizing partners, viz. the Department of Commerce, Government of India; Directorate General of Foreign Trade; and Confederation of Indian Industry, conducted programmes to showcase India as a Rising Economic Force with Focus on Kerala as part of the Vanijya Utsav during 21- 22 September 2021. The programme organised in hybrid mode at Kochi, Kerala was inaugurated by Shri Som Parkash, the Union Minister of State for Commerce and Industry.

The dual day programme focused on improving India's exports and foreign trade. Leading exporters and industry leaders were part of the gathering and hundreds of others from the industry took part in the program through virtual mode.

Shri V. Muraleedharan, the Minister of State for External Affairs, Government of India, Shri Hibi Eden, Member of Parliament from Ernakulam, and Dr K. Ellangovan IAS, Export Commissioner and Principal Secretary, Industries and Commerce, Government of Kerala also addressed the stakeholders during the event.

Shri Geemon Korah, Vice Chairman, Confederation of Indian Industry (CII) and several industry heads from various commerce and industry bodies such as Shri Stephen Lawrence IRS, Director, Department of Commerce (MoCI); Shri D. V. Swami IAS, Development Commissioner, CSEZ; Shri K. S. Srinivas IAS, Chairman MPEDA; and Shri Cherian Xavier, Convenor, CII Kerala Spice Panel addressed the event.

Vanijya Utsav programme at Kochi focused on addressing the challenges faced by the industries and discussed topics such as export prospects & challenges and opportunities for spices in the new normal. It also had a panel discussion on the topic 'Export prospects & challenges' which was participated by Shri K. S. Srinivas IAS, Chairman, MPEDA(Kerala: prospects & challenges' in Marine Products); Shri D. V. Swami IAS, Development Commissioner, CSEZ (Kerala : prospects & challenges in Micro, Small and Medium Enterprises Sector (MSME)); Shri K. M. Harilal ITS, JDGFT, Kochi (Export facilitation); Ms L. R. Arathi IES, Special Officer (WTO Cell), MIDH, Government of Kerala (Kerala: prospects

& challenges in agriculture and allied sector); Dr Sanjay Dave, Former Advisor FSSAI (Food Safety : Prospects & Challenges); Shri Ranjit Ramachandran, CEO, Plant Lipids Pvt Ltd (Prospects & Challenges in spice processing); and Dr D. Ramanathan, CEO Sitaram Ayurveda (Ayurveda: prospects & challenges).

Session on Opportunities in Spices in the New Normal

To explore and address the opportunities and challenges in spices in the pandemic period, the second day of Vanijya Utsav witnessed the industry speaking about 'Opportunities of Spices in the New Normal'. The programme was organized on virtual mode and Shri A. G. Thankappan, Chairman, Spices Board inaugurated the programme.

Shri P. Muthumaran, Regional Director, FSSAI, Chennai; Shri D. Sathiyan, Secretary, Spices Board; Shri B. N. Jha, Director (Marketing), Spices Board; Shri Sanjay Mariwala, Founder-President of the Association of Herbal and Nutraceuticals Manufacturers of India (AHNMI) and Executive Chairman and Managing Director of Omni Active Health Technologies Ltd.; Shri John Kuruvila, Director, Confederation of Indian Industry (CII); Shri Aju Jacob, Director (Strategic Operations), Synthite Industries Pvt Ltd; Shri Sanjay Sharma, CEO, MTR Foods Pvt. Ltd.; Shri S. Chandrashekar, Business Head, Olam Agro India Pvt. Ltd., Kochi; Shri Balu Maliakel, Managing Director, Akay Flavours and Aromatics Pvt. Ltd., Shri Rajiv Palicha, Business Head, Nedspice Processing Pvt. Ltd.; Shri G. A Balakrishnan, Bhumi Naturals and Exports Pvt. Ltd., exporters, and stakeholders of the spices industry participated in the discussions on spices.

There was also a panel discussion on 'Role of Eco-system Players' detailing topics such as agri research, research and extension to farmers, biodiversity laws, advances in food technologies, plantation sector, biodiversity friendly approaches, sustainability and climate change, agro processing, and spice research and best agricultural practices. Shri Ramkumar Menon, Chairman, World Spice Organisation & Managing Director, JSG Trading Company Pvt. Ltd; Dr A. K. Singh, Deputy Director, General (Horticulture), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi; Dr R. Chandra Babu, Vice-Chancellor, Kerala Agricultural University, Thrissur; Dr George Thomas, Chairman, Kerala State Biodiversity Board , Thiruvananthapuram; Dr Sridevi Annapurna Singh, Director, CSIR Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysore; Dr Anitha Karun, Director (Acting), The Central Plantation Crops Research Institute, Kasaragod, Dr Poonam Pandey, Advisor - Global Project on Private Business Action for Biodiversity, GIZ, Germany – Indian office; Shri Venugopalan V. V., Senior Principal Scientist & Head, Agro Processing Technology Division, CSIR – National Institute for Interdisciplinary Science and Technology (NIIST), Thiruvananthapuram and Dr Lijo Thomas, Senior Scientist – Agri. Economics, ICAR - Indian Institute of Spice Research, Calicut presented their views and opinion in the panel discussion.

(ii) Vanijya Utsav in Sikkim

Department of Commerce and Industries, Government of Sikkim in association with DGFT and Spices Board organized state level Vanijya Utsav on 21 September 2021 and panel discussion on promoting exports from the state on 22 September 2021.

Vanijya Utsav programme with the theme "India as the Rising Economic Force", was held at the Directorate of Handicrafts and Handloom, Zero Point, Gangtok. Shri Kado Tshering Namka, Advisor, Department of Commerce & Industries, Government of Sikkim inaugurated the programme . Shri Man Bahadur Chettri, Chairman, Department of Commerce and Industries, Government of Sikkim, Shri

H. K. Sharma IAS, Secretary, Department of Commerce and Industries, Government of Sikkim; Shri Amit Sharma ITS, Deputy Director General of Foreign Trade, Kolkata, Shri Soni Virdi, Member, CII Sikkim Chapter and Shri Ravi Kumar IFS, Director (MSME), Department of Commerce and Industries, Government of Sikkim addressed the stakeholders during the event. On the side lines of the programme, financial assistance was provided to ten beneficiaries under Large Cardamom Replanting Scheme of the Spices Board.

Shri Kado Tshering Namka, Advisor, Department of Commerce & Industries, Government of Sikkim also inaugurated the exhibition stalls in which 35 entrepreneurs, SHGs, and FPOs participated and displayed their products viz. spices, pickles, agri products, handloom, handicrafts, toys, confectionery, bamboo-based products, etc.

b) Panel Discussion

As part of Vanijya Saptah, a panel discussion was held at the Conference Hall of Udyog Bhawan, Upper Tadong on 22 September 2021 on 'Export Prospects & Challenges of Various Sectors in Sikkim'. Shri H. K. Sharma IAS, Secretary, Department of Commerce and Industries, Government of Sikkim chaired the meeting. Shri Ravi Kumar IFS, Director, MSME, Department of Commerce and Industries; Shri D. R. Sharma, Assistant Director MSME- DI; Shri Deepak Verma GM Zuventus Healthcare Ltd., East Sikkim; Ms Priyanka Pradhan from Choten group, Marchak; Shri M. S. Ramalingam, Deputy Director, Spices Board; Shri Jiwan Sharma, General Manager, SIMFED; Ms Kesang Diki Barfungpa, Joint GM, Sikkim Milk Union; Ms. Srijana Chettri, Under Secretary, UDD ; Ms Reena Rai, Studio MAATO, a budding Entrepreneur from Pakyong; Shri Dewakar Basnet, representative of CII Sikkim Chapter; Shri Shashikant Gupta, Handicraft Promotion Officer, Handicrafts Service Centre, Ministry of Textiles, Government of India; and Shri V. G. Bhat, DGM, NABARD took part in the panel discussion.

c) Exporters and Industry Leaders Conclave

(i) Exporters and Industry Leaders Conclave in Kerala

Exporters and Industry Leaders Conclave was organized as part of the Vanijya Saptah celebrations, at Mascot Hotel, Thiruvananthapuram on 24 September 2021. The Conclave was co-organized jointly by the Department of Commerce, Government of India; Department of Industries and Commerce, Government of Kerala; Spices Board India; Directorate General of Foreign Trade; and Confederation of Indian Industry. A big line up of central and state ministers, top bureaucrats, industry captains and leaders attended the conclave. Major export leaders and industrial heads also took part in the event. The conclave actively discussed challenges and problems faced by the export industry to find solutions and set policies to encourage exports. Besides promoting further export potential, it also provided a platform to discuss and develop further employment opportunities by promoting entrepreneurship.

Shri V. Muraleedharan, the Union Minister of State for External Affairs inaugurated the conclave. Shri M. B. Rajesh, Speaker of Kerala Legislative Assembly; Shri P. Rajeeve, Minister for Industries & Commerce and Plantation Directorate, Government of Kerala; Dr K. Ellangovan, Export Commissioner & Principal Secretary, Department of Industries and Commerce, Government of Kerala; Shri A. G. Thankappan, Chairman, Spices Board; Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board; Shri Suresh Kumar IAS, Joint Secretary (EP-CAP), Ministry of Commerce and Industry, Government of India; Shri K. M. Harilal ITS, Joint Director, Directorate General of Foreign Trade; Shri M. G. Rajamanickam IAS, Managing Director, KSIDC; and Shri D. V. Swami IAS, Development Commissioner, Special Economic Zone, Kochi also addressed the participants. There was also a panel discussion wherein leaders from various

sectors presented their views on opportunities for economic development and export growth in respective industries.

(ii) Exporters Conclave in Sikkim

The District Industries Centre, Department of Commerce & Industries, Government of Sikkim in association with the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) and Spices Board organized "Exporters Conclave & Multisectoral Entrepreneurial Development in East District" as a mega event, at Udyog Bhawan, Tadong in Sikkim and North Sikkim at KVK Hall, Mangan on 24 September 2021. For the South and West districts of Sikkim, the event was organised at DIC Hall, Jorethang on 26 September 2021.

- **Exporters Conclave in East district, Sikkim**

  Shri Kado Tshering Namka, Advisor, Department of Commerce & Industries, Government of Sikkim inaugurated the Exporters conclave and exhibition in East district of Sikkim on 24 September 2021. Shri M. Ravikumar IFS, Director, MSME, Department of Commerce & Industries, Government of Sikkim; Shri Robin Pd. Seva, SDM, East district; Ms. Abigail George Lama, Vice President, Women's Chamber of Commerce, Sikkim Chapter; Shri Amit Sharma, Deputy DGFT, Kolkata; Shri M. S. Ramalingam, Deputy Director, Spices Board; Shri Tshephel Tenzing, President, Nathula Border Trade; Ms Divya Rai, Assistant General Manager, NABARD; Shri Sikandar Ali Khan, Branch Manager, NEDFI; Ms. Choden Gyatso SCS, General Manager, DIC (East/North); and Shri Pramod Pradhan, Assistant Director, DIC (East) took part in the conclave and addressed the participants.

- **Exporters Conclave in North district, Sikkim**

  District Industries Centre (E/N) under Department of Commerce and Industries, Government of Sikkim, Directorate General of Foreign Trade (DGFT) and Spices Board India organized the Exporters Conclave & Multisectoral Entrepreneurial Development in North Sikkim at KVK Hall, Mangan on 24 September 2021. Shri Tshering Wangyal Bhutia, Additional Political Secretary to the hon'ble Chief Minister, North district, Sikkim inaugurated the programme.

  Shri Sonam Lepcha, Additional District Collector, North district; Dr T.N. Deka, Scientist, Spices Board; Ms Marmit Lepcha, CEO, Organic Valley FPO Cooperative Society Ltd., Dzongu; Shri D. D. Sharma, Additional Director, Commerce and Industries, Government of Sikkim; Dr Dechen O. Kaleon, Joint Director, Department of Animal Husbandry and Veterinary Services, North district Shri Sonam Dadul Bhutia, Additional Registrar, Cooperation Dept., North district , Sikkim; Shri Enchung Bhutia, Joint Director, Agriculture; Ms Hissay Lhamu Lepcha, Horticulture Development Officer; Ms Bindhya Gurung, Assistant District Dairy Officer, North District Cooperative Milk Producers Union Ltd. and Ms Susan Rai, Branch Manager, SISCO Bank, Mangan took part in the conclave and spoke about the schemes implemented by the respective departments in North Sikkim .

  As a part of the Conclave, an exhibition was held in the same venue where four SHGs namely Saknoon SHG; Pema SHG; Bayul SHG and Noom Amu Sakchum SHG; and three Cooperatives viz., Organic Valley FPO Cooperative Society Ltd.; Passingdang Multipurpose Cooperative Society Ltd.; Naga Namgore Multipurpose Cooperative Society Ltd. exhibited their products.

- **Exporters Conclave in South and West districts, Sikkim**

  The exporters conclave in South and West districts of Sikkim was organized at DIC Hall, Jorethang on 26 September 2021.

Shri Man Bahadur Chettri, Chairman, Department of Commerce & Industries, Government of Sikkim inaugurated the programme. Ms Saloni Pradhan, SDM, Jorethang; Ms Resmi R., Assistant Director, Spices Board; Shri Ajay Rai, Assistant Registrar, Co-operative Department, Sikkim; Shri L. B Subba, Assistant Director, DIC Jorethang; Shri Mohan Nambang, Sub-Inspector, District Industries Centre (South & West); Shri A. D. Rai, Assistant Director, District Industries Centre (South & West) and Ms Julyan Chettri, Inspector, DIC, Jorethang participated in the programme.

d) Special e-auction of 75000kg Small Cardamom

Spices Board organized a mammoth cardamom special e-auction for cardamom on Sunday, 26th September 2021 at the Board's e-auction centre at Puttady in Idukki, Kerala to enable sale of 75000 kg of Small Cardamom. The e-auction brought together the spice community enabling the spice growers to connect with the spice traders in the country to participate in this largest e-auction of cardamom.

The auction commenced with the first lot having 75 kg cardamom which also fetched the highest price of ₹2413/kg. Fifty -four bidders participated in the auction. The active involvement of the bidders increased the competitiveness in the auction and the average price of the auction fetched ₹ 1128/-.

AUCTION REPORT

Total No. of Lots	258
Quantity Arrived	75000 kg
Quantity Sold	75000 kg
No. of participants	54
Maximum Price	₹ 2413/kg
Average Price	₹ 1128.30/kg
Minimum Price	₹ 828/kg

e) Entrepreneurship Training Programmes in districts

Training programmes aimed at multi sectoral entrepreneurship development were conducted in all the 14 districts of Kerala as part of the Vanijya Saptah Celebrations. Through the entrepreneurship training programmes organized during 26-30 September 2021, a total of 876 people benefitted.

f) Sugandhotsav: Planting of Spice Seedlings Across India

As part of the Vanijya Saptah, Spices Board organized a drive for planting of spices seedlings across the country, named as 'Sugandhotsav', on 26 September 2021. The Board through this initiative, aimed at planting 75000 spice seedlings in a single day. More than 7500 spice farmers from various spice growing regions and Spices Board's offices across the nation actively participated in the programme.

Indian Cardamom Research Institute, the research wing of Spices Board planted 7,500 cardamom suckers in the cardamom nursery at its research farm at Myladumpara, Idukki district, Kerala to mass multiply them and distribute 75,000 quality planting materials for the forthcoming planting season for the benefit of spice farming community. High-yielding cardamom and pepper varieties which are resistant to pests/diseases were promoted for cultivation as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav.

Sugandhotsav celebration covered the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, West Bengal, Sikkim, Assam, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Meghalaya, and Maharashtra. The spices seedlings planted were of Small Cardamom, Large Cardamom, black pepper, chilli, fennel, fenugreek, ginger, turmeric, clove, cinnamon, curry leaf, mint, pomegranate, etc.

g) Distribution of Immune Boosting Spice Sachets to public

As a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav and Vanijya Saptah, Spices Board in collaboration with major spice brands across the country distributed sachets of spices having immune boosting properties to the front-line warriors and public. The Board distributed more than 200000 such sachets across the country.

The weeklong Vanijya Saptah celebrations highlighted the potential and capability of India in production, manufacturing and service sectors. The event demonstrated how the nation can rise to battle the challenges, uncovering the unexplored opportunities through effective discussion and cooperative efforts to become a leading global economic force.

G. Seed Spices Task Force Committee

In order to address the concerns expressed by various stakeholders pertaining to seed spices sector and to identify the limitations of the existing support system for the sector and to strengthen them through coordinated efforts involving all stakeholders, Spices Board has constituted a Seed Spices Task Force Committee (SSTFC). Seed Spices Task Force Committee is constituted under the Chairmanship of the Director (Marketing), Spices Board, as per Section 5 of the Spices Board Act 1986 & Rules 11 and 13 of the Spices Board Rules 1987. Since no organisation has complete mandate over seed spices supply and value chain, the representative from various organisations / institutions has been nominated to the Task Force Committee namely; MoA, MoC, State Horti / Agri Departments, State Agriculture Universities, along with the active support of the Spices Exporters/Traders/Manufactures associations. The issues that shall be focused by the task force are:

- Problems faced by the seed spices farmers and exporters in the states of Gujarat, Madhya Pradesh, and Rajasthan (major producers of seed spices), and identification of gaps in production and sourcing of export quality seed spice.
- Identification of Institutional infrastructure to effectively support the farmers / traders and exporters on technical matters, dissemination of market intelligence, forecasting domestic/ international demands and enhancing forward market linkages.
- Identification of technological interventions needed in the seed spices sector for checking adulteration and pesticide issues.

The committee may come up with recommendations to be taken up by the respective agencies having mandate over the issue.

H. Blockchain-Enabled Traceability System for Indian Spices

United Nations Development Programme (UNDP) India's Accelerator Lab and Spices Board signed a Memorandum of Understanding (MoU) on 5 April 2021 with the aim to build a blockchain based traceability interface for Indian spices to enhance transparency in trading. Blockchain, the decentralized process of recording transactions on an open and shared electronic ledger, allows for ease and transparency in data management across a complex network, including, farmers, brokers, distributors, processors, retailers, regulators, and consumers, thus simplifying the supply chain.

The blockchain based traceability interface is being integrated with the e-Spice Bazaar portal developed by Spices Board India for connecting spice farmers with exporters.

06

TRADE INFORMATION SERVICE

Trade Information Service of the Marketing Department is responsible for the collection, compilation, analysis and dissemination of statistics relating to exports, imports, area, production, auction, and domestic prices of spices.

The major source of information for compiling the estimated export of spices from India is the Daily List of Exports (DLE) released by the Customs authority and the export data provided by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata. Similarly, the Daily List of Imports (DLI) released by the Customs and the import data provided by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata are the sources for estimating the import of spices into India. The Board is compiling the export/ import details of spices on a quarterly basis and disseminating the export and import figures of spices to stakeholders through website and Ministry/Departments on a regular basis. For this purpose, the Board regularly collects both the DLE and DLI from all major ports like Cochin, JNPT, Chennai, Tuticorin, Mundra, Kolkata, Petrapole, Mohadhipur, Raxual, Amritsar etc./ DGCI&S, Kolkata and information is also collected through the Regional Offices of the Board.

The Board compiles and disseminates information on prices of spices for major markets in India and abroad on regular basis to the end-users through its website and publications. The major sources for collecting the price details are agencies like India Pepper and Spice Trade Association, Agricultural Produce Marketing Committees, Merchants Associations, International Trade Centre, Geneva, and International Pepper Community, Indonesia. All these information are also collected through the Regional Offices of the Board and subscription to the international agencies.

Since the Board is responsible for the production development of Cardamom (Small & Large), the area, production and productivity of these spices are estimated by Trade Information Service by the support of the field sample study conducted through the field set up of the Board. Area and production of other spices are collected from the State Economics and Statistics/Agriculture/ Horticulture Departments/DASD for compilation. Information on area and production of all spices has been disseminated through the Board's publications as well as the website to the stakeholders and policy makers.

As per the Registration of Exporters (Regulations), all the registered exporters of spices have to submit their quarterly export returns to the Board. Trade Information Service is compiling the Quarterly Export Returns submitted by the registered exporters and maintaining the database of exporter wise export of spices. By using this database, the details of leading exporters of each spice are compiled and published on the Board's website.

Spices Board is conducting e-auction for trading of Cardamom through e-auction centres developed by the Board at Bodinayakanur and Puttady. The details on daily auction quantity and average price of cardamom are compiled and

published on a daily basis through the Board's website. The consolidated details on auction sale and average prices are compiled and disseminated through the Board's publication.

Weekly domestic price of different spices for different market centres including major overseas markets were collected, compiled and published through the publication of the Board namely Spices Market on a weekly basis (on website) for the benefit of stakeholders of the industry.

A) Area and production of spices

The area, production and productivity of Cardamom (Small) and Cardamom (Large) for 2021-22 compared to 2020-21 are given in Table I & II. Area and production of other spices is given in Table-III.

Table-I: Area and Production of Cardamom (Small)

State	2021-22				2020-21			
	Total Area (ha)	Yielding Area (ha)	Prodn. (MT)	Yield (Kg/ ha)	Total Area (ha)	Yielding Area (ha)	Prodn. (MT)	Yield (Kg/ha)
Kerala	39143	29426	21270	722.85	39143	29406	20570	699.50
Karnataka	25135	14414	697	48.36	25135	14204	579	40.73
Tamil Nadu	4912	2786	1373	492.79	4912	2786	1372	492.28
Total	**69190**	**46626**	**23340**	**500.72**	**69190**	**46396**	**22520**	**485.38**

Source: Estimate based on field sample study.

Table-II : Area and Production of Cardamom (Large)

State	2021-22				2020-21			
	Total Area (ha)	Yielding Area (ha)	Prodn. (MT)	Yield (Kg/ha)	Total Area (ha)	Yielding Area (ha)	Prodn. (MT)	Yield (Kg/ha)
Sikkim	23312	17189	4990	290.30	23312	17105	4970	286.88
West Bengal	3305	3159	1044	330.60	3305	3159	1100	347.89
Arunachal Pradesh	11684	6853	1695	247.31	11403	6749	1662	246.26
Nagaland	6537	4280	1079	252.05	6499	4244	1066	251.27
Manipur	201	52	4.49	85.70	182	40	4.39	110.03
Total	**45039**	**31533**	**8812**	**279.45**	**44701**	**31297**	**8803**	**281.28**

Source: Estimate by Spices Board.

Table-III: Area and Production of Major Spices

Spices	2021-22(ADV.EST)		2020-21	
	Area	Prodn.	Area	Prodn.
Pepper	288118	60000	309335	65000
Cardamom(Small)	69190	23340	69190	22520
Cardamom(Large)	45039	8812	44701	8803
Chillies	694313	1866108	702047	2049213
Ginger	190686	2120643	204839	2224837
Turmeric	349642	1330932	292876	1123857
Coriander	631698	800742	656458	891317
Cumin	1036713	725651	1087010	795310
Celery	4331	6103	4566	6510
Fennel	82224	137280	82767	137388
Fenugreek	167468	248203	156156	241183
Garlic	401167	3277428	392149	3189777
Tamarind	44994	162038	41631	156289
Clove	2210	1335	1937	1179
Nutmeg	24080	15384	24431	15595
Grand total including others	**4421920**	**10875765**	**4485885**	**11039883**
Grand total in Mil. Tonnes		**10.88**		**11.04**

Source: State Directorate of Eco. & Stat. /Agri./Horti. Departments, Directorate of Arecanut & Spices Development, Kozhikode; Pepper Production : Trade Estimate; Cardamoms estimated by Spices Board.

B. Auction Sales and Prices of Cardamom (Small):

The state-wise auction sales and weighted average price of Cardamom (Small) for 2021-22 (August 2021-July 2022) and 2020-21 (August 2020-July 2021) are given in Table-IV.

Table-IV: Auction sales & prices of Cardamom (Small)

(Qty. in Tonnes, Price in ₹/kg.)

State	2021-22(August-July)		2020-21 (August-July)	
	Quantity auctioned	Weighted average auction price	Quantity auctioned	Weighted average auction price
Kerala and Tamil Nadu (e-auction)	28730	1002.50	21330	1475.61
Karnataka	10	850.58	5	913.92
Maharashtra	-	-	62	1612.31
Total	**28740**	**935.26**	**21397**	**1475.88**

Source: Reports received from licenced auctioneers

C. Prices of Cardamom (Large)

The average wholesale prices of Cardamom (Large) at Gangtok and Siliguri markets for 2021-22 and 2020-21 are given in Table V.

Table-V: Average wholesale prices of Cardamom (Large)

(Price in ₹/kg.)

Centre	Grade	2021-22	2020-21
Gangtok	Badadana	589.38	422.05
Siliguri	Badadana	657.32	505.55

Source : Regional Office of the Board, Gangtok.

D. Prices of Other Major Spices

The average domestic prices of major spices are given below. These prices were collected from secondary sources like Chamber of Commerce, Indian Pepper and Spice Trade Association, Market reviews prepared by the Merchants Associations, etc. Prices of major spices in important market centers are given in Table VI.

Table-VI: Prices of major spices in important market centers (Price in ₹/kg.)

Spice	Market	2021-22	2020-21
Black Pepper(MG-1)	Cochin	460.53	342.31
Chillies	Guntur	112.67	102.72
Turmeric	Erode	71.71	61.55
Coriander	Ramaganj	69.79	59.21
Cumin	Unjha	143.41	127.37
Fennel	Chennai	140.10	94.23
Fenugreek	Chennai	88.69	72.59
Garlic	Chennai	73.89	85.43
Poppy seed	Chennai	1572.21	753.14
Ajwan seed	Chennai	170.62	134.69
Mustard	Chennai	84.90	59.92
Tamarind	Chennai	134.60	138.73
Saffron	Delhi	174430.50	79500.00
Clove	Cochin	699.69	543.91
Nutmeg(without shell)	Cochin	524.25	448.15
Mace	Cochin	1031.56	1095.37

E. Export Performance of Spices from India

During 2021-22, despite the continuance of COVID-19 pandemic, spices export from India continued its upward trend and has crossed the US $ 4.10 billion mark. The estimated export of spices during 2021-22 was 15,31,154 MT valued ₹30,576.44 crore (US $4,102.29 million) against 17,58,985 MT valued ₹30,973.32 crore (US$ 4,178.80 million) achieved during the previous financial year. Compared to the previous year, the export has shown a decline of 13 per cent in volume, one per cent in rupee terms of value and two per cent in dollar terms of value.

During 2021-22, the export of Cardamom (Small & Large), pepper, garlic, celery, fennel, other spices such as tamarind, asafoetida, etc., increased both in terms of volume and value as compared to 2020-21.

In the case of value-added products, export of spice oils & oleoresins increased both in terms of volume and value; export of mint products increased in terms of volume and value during the period.

During 2021-22, a total volume of 10,572 MT of Cardamom (Small) valued ₹ 1,375.70 crore was exported as against 6,486 MT valued ₹1,103.47 crore of the previous year, registering an increase of 63 per cent in volume and 25 per cent in value. Export of Cardamom (Large) during the period was 1,984 MT valued at ₹154.54 crore as against 1,220 MT valued ₹ 96.36 crore of the previous year, thereby recording an increase of 63 per cent in volume and 60 per cent in value.

Registering a decline of 14 per cent in volume and seven per cent in value of exports, a total volume of 557,168 MT of chilli valued ₹ 8,581.88 crore was exported in 2021-22 as against 649,815 MT valued ₹ 9,241.26 crore of the previous year. A total of 147,614 MT of ginger valued ₹837.34 crore was exported during 2021-22 against the 145,974 MT valued ₹ 849.82 crore of the previous year. The increase in export of ginger is once per cent (1%) in volume and a decline of two per cent (2%) in value.

Export of turmeric during the year was 153,154 MT valued ₹1,784.33 crore as against 183,868 MT valued ₹1,722.65 crore of last year marking a decrease of 17 per cent in volume and an increase of four per cent (4%) in value. A total of 48,658 MT of coriander valued ₹482.51 crore was exported in 2021-22 against the 57,359 MT valued ₹496.28 crore in the previous year. The decrease in exports is 15 per cent in volume and three per cent (3%) in value.

During 2021-22, export of cumin registered a decline of 27 per cent in volume and 21 per cent in value with the total exports amounting to 216,996 MT valued ₹ 3,344.33 crore. The export of cumin during the previous year was 298,423 MT valued ₹ 4,251.55 crore. Export of fennel during the year was 40,136 MT valued ₹ 411.86 crore with an increase of 19 per cent in volume and 40 per cent in value compared to the previous year's figures of 33,742 MT valued ₹ 293.96 crore.

Export of celery registered an increase of two per cent (2%) in volume and 0.4 per cent in value during the year with the total exports reaching up to 7,579 MT valued ₹98.54 crore; whereas the previous year's export was 7,438 MT valued ₹98.15 crore. A total of 32,403 MT of fenugreek valued ₹ 262.86 crore was exported from the country during 2021-22, against the 40,340 MT valued ₹ 267.03 crore of the previous year, with a decrease of 20 per cent in volume and one per cent (1%) in value.

A total volume of 3,596 MT of nutmeg & mace valued ₹217.98 crore was exported in 2021-22 as against 3,812 MT valued ₹191.15 crore of the previous year registering a decrease of six per cent in volume and an increase of 14 per cent in value.

During 2021-22, a total volume of 21,921 MT of spice oils & oleoresins valued ₹ 4,478.38 crore

Major Contributors in Indian Spice Export Basket

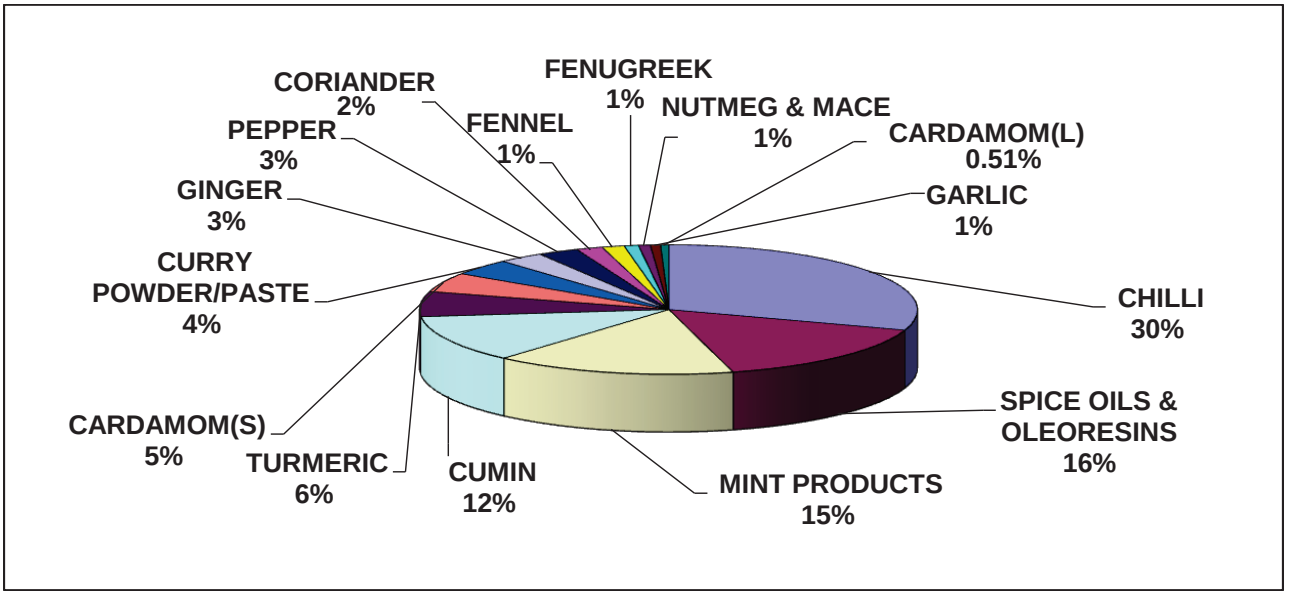

Item	Value (₹ lakhs)
Chilli	8,58,188.59
Spice Oils & Oleoresins	4,47,837.64
Mint Products	4,44,144.18
Cumin	3,34,433.87
Turmeric	1,78,433.66
Cardamom (S)	1,37,570.44
Curry Powder/Paste	1,15,834.51
Ginger	83,734.24
Pepper	75,393.13
Coriander	48,251.38
Fennel	41,186.17
Fenugreek	26,285.82
Nutmeg & Mace	21,798.70
Garlic	18,619.81
Cardamom(L)	15,454.42
Others	2,10,478.00

Major Destinations

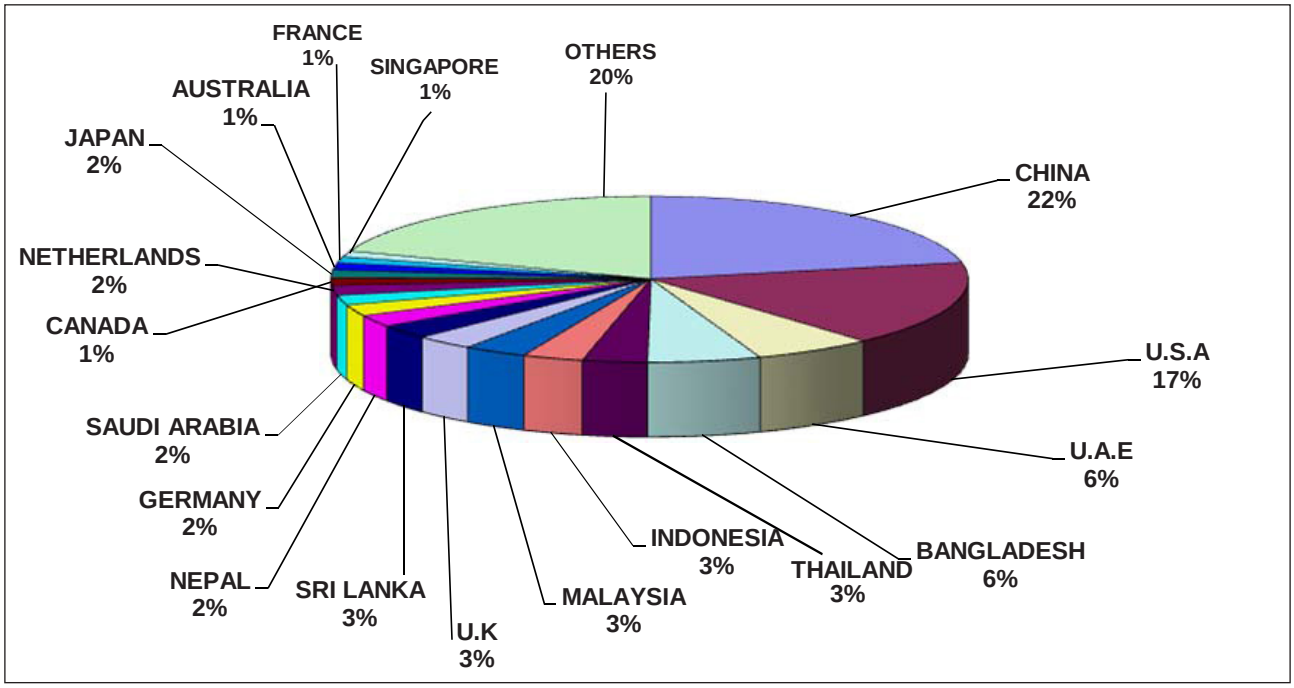

Country	Value (₹ Cr)
China	6669.27
USA	5067.35
UAE	1863.50
Bangladesh	1742.64
Thailand	997.19
Indonesia	935.29
Malaysia	971.42
UK	910.50
Sri Lanka	842.21
Nepal	703.58
Germany	679.49
Saudi Arabia	582.45
Netherlands	597.03
Canada	438.93
Japan	468.26
Australia	415.53
France	369.90
Singapore	357.47
Others	5964.43

07

PUBLICITY AND PROMOTION

During the period April 2021 to March 2022, the Publicity Section carried out various activities for enhancing the reputation of Spices Board and for promotion of spices export. Every promotional opportunity was made use of to enhance the public awareness on Indian spices, various value-added spice products, uses and benefits, etc. Information on the activities and schemes of Spices Board were also disseminated using various channels during the period 2021-22.

The major highlights of 2021-22 include participation in trade fairs / exhibitions, advertisement campaigns, online promotional campaigns, and printing and publication of magazines, brochures, etc.

A. Participation in Exhibitions/Trade Fairs

Participation in trade fairs and exhibitions is one of the finest tools for reaching out to the various stakeholders of the spice industry. During the financial year, the Board ensured its participation in major trade fairs and the list of fairs attended is given below:

List of Domestic Fairs Participated by Spices Board

Sl. No.	Event Name	Place	Event Date
1	Alluring Rajasthan 2021	Udaipur, Rajasthan	4-6 August, 2021
2	BRICS Trade Fair 2021	Virtual	16-18 August, 2021
3	Destination Himachal Pradesh 2021	Solan, Himachal Pradesh	28-30 September, 2021
4	Shining Uttar Pradesh 2021	Varanasi, Uttar Pradesh	19-21 October, 2021
5	Fi India & Hi 2021	New Delhi	20-22 October, 2021
6	Biofach India 2021	Greater Noida, Delhi NCR	28-30 October, 2021
7	Kisan Mela	RARS, Chintappally	22 November, 2021
8	Agro + Organic India Expo'21	Panaji, Goa	2-4 December, 2021
9	Destination Tripura	Agartala	9-10 December, 2021
10	SIAL India 2021	New Delhi	9-11 December, 2021
11	Agrovision 2021	Nagpur, Maharashtra	24-27 December, 2021
12	Ujjwal Uttar Pradesh 2021	Gorakhpur, Uttar Pradesh	24-26 December, 2021
13	Prathiksha 2021	KVK, Wayanad	27-31 December, 2021
14	Indus Food 2022	Greater Noida, Delhi NCR	8-10 January, 2022

15	North Bengal Flower Festival	Siliguri, West Bengal	17-21 February, 2022
16	Agro+Food & Beverage Pro World Expo	Worli, Mumbai	4-6 March, 2022
17	Shining Maharashtra 2022	Phaltan, Maharashtra	25-27 March, 2022

List of International Fairs Participated by Spices Board

Sl. No.	Event Name	Place	Event Date
1	IFE Manufacturing 2022	London, UK	21-23 March, 2022
2	UzFood 2022	Tashkent, Uzbekistan	29-31 March, 2022

B. Promotional Campaign on Immunity Boosting Properties of Spices

Post the COVID-19 pandemic, there has been an increased awareness among the public on immunity and healthy food. With a view to promote the health benefits and disseminate authentic information on spices, Spices Board in association with the Times of India Group ran a promotional campaign 'Immuni Key: Indian Key to Immunity' in August 2021. The campaign aroused discussions on using spices for health management besides creating awareness among the masses on the benefits of including spices in daily diet, as immunity enhancers.

The main highlight of the campaign was the webinar on the topic 'How Spices Help in Boosting the Immunity' organized on 14 August 2021. The webinar was graced by the presence of Shri Diwakar Nath Misra IAS, Joint Secretary, Ministry of Commerce and Industry; Shri D. Sathiyan IFS, the Secretary and Chairman, Spices Board; Dr A. B. Rema Shree, Director (Research), Spices Board; Dr Gopakumar S., Medical Superintendent, Government Ayurveda College, Kannur; Dr D. C. Katoch, Senior CMO (SAG) CGHS, Ministry of Health and Family Welfare; Dr Benny Antony, Co- founder and Joint MD, Arjuna Natural Private Limited; and Dr Shikha Sharma, Founder & MD, Nutriwel Health (India) Pvt. Ltd.

C. Online Promotional Campaigns

The publicity department made use of the various social media platforms like Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn and Google ads for promotion of Indian spices and Spices Board's activities in 2021-22. Designed to educate the online viewers, the social media campaigns created awareness on spices including its botanical and geographical information, trade data, therapeutic and culinary aspects, etc.

D. Spice Xchange India-Spices Board's B2B Portal

The Publicity Section took the lead in developing Spices Board's 3D virtual portal 'Spice Xchange India' through the service provider M/s Trident Exhibitors Pvt Ltd, New Delhi to address the gap in building market linkages created by the pandemic, and in the process, has opened the doors for immense business opportunities to benefit Indian spice entrepreneurs.

The portal was launched by Shri Som Parkash, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry, Government of India on 20 January 2022. The portal is expected to facilitate Ease of Doing Business, and is equipped with features like 24 x7 virtual office space for Indian spice brands, Artificial Intelligence based recommendation model, market information, access to global spice trade data and provision to the Board

to organize various export promotion activities including International Buyer-Seller Meets. This portal is a key intervention identified by the Board to help the entrepreneurs in spices sector. The portal can be accessed at www.spicexchangeindia.com.

E. Periodicals

a) Spice India

The periodical publication, Spice India is being published in five different languages; English, Hindi, Malayalam, Kannada and Tamil, as a monthly and as a quarterly in Telugu. The periodicals were published regularly during this period.

b) Foreign Trade Enquiries Bulletin

Spices Board compiles and publishes trade enquiries received from overseas trade fairs, e-mail and direct enquires to the Board's offices as a fortnightly bulletin named as Foreign Trade Enquiries Bulletin (FTEB) to facilitate export of spices. The publication is sent through email to the subscribers.

c) Other Publications

Booklets and brochures printed during 2021-22 were:

a) General Brochure on Spices Board India

b) General Brochure on Spice Xchange India & Spice House Certification

F. Release of Advertisements

Advertisements on vacancies in Spices Board, tenders, etc., were released during the year. Besides these, advertisements on general information on Spices Board and for promotion of cardamom and advertorials were also released through various newspapers and magazines.

G. Press Releases

Press releases detailing the export performance and trends, initiatives, activities, and major events organised by Spices Board, etc., were released during FY 2021-22.

08

CODEX CELL AND INTERVENTIONS

A. Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)

The Codex Commodity Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) was constituted by the Codex Alimentarius Commission (CAC) in 2013 with the mandate of elaborating worldwide, science-based quality standards for spices and culinary herbs. This Committee is hosted and chaired by India, with Spices Board India as its Secretariat. Dr M.R. Sudharshan (Retired Director (Research), Spices Board) is the current Chairman of this Committee. So far, five sessions of the committee have been organized by Spices Board on behalf of India, viz. CCSCH1 in 2014 at Kochi, CCSCH2 in 2015 at Goa, CCSCH3 in 2017 at Chennai, CCSCH4 in 2019 at Thiruvananthapuram and CCSCH5, virtually during April 2021. Presently there are eight full-fledged international Codex standards for spices.

a) CCSCH5

The fifth session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH5) was held virtually during 20 - 29 April, 2021. The session witnessed the highest participation ever in a CCSCH session, with 275 registrants from 65 member countries, one member organization (European Union) and 11 international observer organizations. CCSCH5 concluded successfully with finalization of quality standards for four more new spices, viz. clove, oregano, basil, and ginger, and the same was forwarded to the Codex Alimentarius Commission (CAC) for adoption. The CAC adopted the standards during its forty fourth session held in November 2021.

b) Upcoming Session (CCSCH6)

The sixth session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH6) is scheduled to be held virtually from 26 September to 03 October 2022, with the concurrence of Codex Secretariat and Codex India. The date is officially published in the Codex website. The preparatory work for the upcoming session is in progress. Draft standards for saffron, nutmeg, chilli peppers/paprika, Small Cardamom, turmeric, group standards on dried fruits and berries are progressing for this session.

B. Other Codex Committee Meetings

a) Codex Alimentarius Commission (CAC)

44th session of the Codex Alimentarius Commission (CAC44) was held virtually during 8-18 November 2021. The CCSCH Chair and Scientists from Quality Evaluation Laboratory, Spices Board attended the session. The four new spice standards viz. basil, clove, ginger and oregano, which were forwarded for adoption by the CCSCH5 committee, were adopted by the commission. Currently, eight Codex standards for spices are published and available in the official Codex website.

Codex published its CAC44 magazine 'A year of virtual reality', which covers an article on the CCSCH committee, titled 'Codex's newest commodity committee forges ahead with its work agenda at CCSCH5' based on the inputs shared by the CCSCH Chair.

Spices Board officials also attended the following meetings virtually during 2021-2022:

- Codex Committee on Method of Analysis and Sampling (CCMAS41)
- Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF14)
- Codex Committee on Pesticide Residue (CCPR52)
- Awareness workshop on Codex Activities and Standard Setting Process
- Codex Committee on Food Additive (CCFA52)
- Codex Committee on Food Labelling (CCFL46)
- Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS)

C. CCSCH.IN (Official website of CCSCH)

The CCSCH.IN website (http://ccsch.in) has been updated to reflect the latest status of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs, including the previous session's report, documents and the related news published. All the Codex standards for spices published in the Codex website, are also available in the CCSCH.IN website.

D. Spices, Culinary Herbs and Condiments Sectional Committee (FAD- 9)

The 18th meeting of the Food and Agriculture Sectional Committee (FAD-9) of the Bureau of Indian Standards (BIS), was held virtually on 15 June, 2021. The meeting was chaired by Dr A. B. Rema Shree, Director (Research), Spices Board. The meeting was attended by members and stakeholders from various R&D organizations, academic institutions, spice industry, consumer groups, etc., across India.

With respect to the decision taken in the committee, a technical panel chaired by Spices Board Scientist, carried out work on the revision of the Indian standard for cardamom (IS 1907 – 1984) and final comments submitted to FAD9.

E. ISO/TC34/CAG

14th meeting of ISO/TC 34/CAG (Chairman Advisory Group) was held virtually on 6th & 13th December 2021. As the chair of the ISO/TC34/SC7 (ISO committee for Spices and Culinary Herbs), Director (Research), Spices Board attended the meeting and gave a brief presentation on the activities and current status of the SC7 committee.

F. National Committee on Spices Quality & Safety (NCSQS)

As per the order of the Secretary, an advisory committee, viz. 'National Committee on Spices Quality & Safety (NCSQS)', was constituted to address the challenges and technical issues affecting Indian spices and their exports, including quality and safety issues.

The committee consists of representatives from various research institutions, spice growers, exporters and other experts and stakeholders of the spice sector. Codex cell is functioning as the Secretariat for this committee.

09

QUALITY IMPROVEMENT

The Quality Evaluation Laboratory (QEL) of Spices Board at Kochi was established as the Board's first of its kind laboratory in the year 1989. QEL, Kochi is certified under ISO 9001 Quality Management System since 1997, ISO 14001 Environmental Management System since 1999 by the British Standards Institution, UK and is also accredited under ISO/IEC:17025 Laboratory Quality Management System since September 2004 by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), Department of Science & Technology (DST), Government of India. Quality being considered the prime commitment, QEL, Kochi had always maintained and continues to maintain its credentials by consistently upgrading the quality systems. The lab had got its accreditation under the latest upgraded systems; ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 by the British Standards Institution, UK and ISO/IEC 17025:2017 by the NABL, DST, Government of India.

With the objective that spices exported from India conform to specifications laid down by appropriate national/international organizations and also to provide the customers timely, reliable and accurate test results, Spices Board has expanded its reach throughout India by establishing its Regional Quality Evaluation Laboratories. Seven Regional QELs are now in operation at major producing/ exporting centers viz. Chennai, Guntur, Mumbai, New Delhi, Tuticorin, Kandla and Kolkata. The proposed QELs at Spices Park, Jodhpur, Rajasthan for seed spices and at Raebareli for testing mint oil are being established. The laboratories at Kochi, Mumbai, Guntur, Chennai, Delhi and Tuticorin are accredited as per ISO/IEC 17025:2017 by NABL and the other laboratories are in the process of obtaining accreditation.

QELs undertake analysis of consignment samples under the mandatory inspection of Spices Board, provide analytical services to the Indian spice industry and help to monitor the quality of spices produced and processed in the country. The laboratories are equipped with sophisticated instruments to undertake the analysis as per the requirements of importing countries.

The documentation pertinent to analytical services of the laboratory is managed through a software system called "QUADMAS" and the same is being constantly modified to suit the current needs of analytical service. Updating of the QUADMAS was done with modification of analytical report format by including QR Code and Digital Signature. Extension of the laboratories' software for use of the recognized private labs is under process.

The scheme for recognition of private laboratories was implemented by the Board to augment the mandatory export inspection programme for spices and spice products. Under this programme, six NABL accredited private testing laboratories were recognized for testing Ethylene Oxide residues. Their services are utilized for testing export consignments to the EU.

A. Analytical Services

During the FY 2021-22, the Laboratory continued the analysis of mandatory samples of chilli and chilli products for the presence of Sudan dye I-IV and Aflatoxin under the mandatory sampling of consignments of chillies, chilli products, turmeric powder and other food products containing chilli. In addition, analysis of export consignments of curry leaves (for pesticides namely profenofos, triazophos and endosulfan to the EU), cumin seeds (for extraneous matter and other seeds) and chilli, cumin and spice mixes (for Salmonella to the US) were done as per the mandatory inspection and testing implemented by the Board.

Testing of spices and spice products such as chilli, cumin, turmeric, black pepper, fenugreek and Small Cardamom in whole and ground form, exported from India to Japan (excluding oils & oleoresins) for pesticides residues like Iprobenfos, Profenofos, Triazophos, Ethion, Phorate, Parathion, Chlorpyrifos and Methyl Parathion, and the analysis of piperine and oleoresin content in imported black pepper consignments were also done during the period.

Analytical services were also provided for various parameters like other illegal dyes (viz Para Red, Rhodamine B, Butter Yellow, Sudan Red 7B & Sudan Orange G), Ochratoxin A, mineral oil in black pepper, illegal colourants in cardamom, coumarin content in cassia/ cinnamon, etc., apart from the general physical, chemical and microbiological parameters in spices and spice products.

During the period under report, QEL started providing the analytical service for the mandatory testing of export consignments of spices (Small Cardamom) to Saudi Arabia. The test parameters include Acetamiprid, Cyhalothrin, Cypermethrin isomers, Profenophos, Triazophos and Dithiocarbamates (DTC). Testing of export consignments to China for nine pesticide residues was also commenced during the period.

QELs make available to its customers, scope of its testing on the website and the same was revised including more pesticide parameters.

During the financial year 2021-22, the Laboratory analysed a total of 1,27,467 parameters including aflatoxin, illegal dyes, pesticide residues, Salmonella spp., etc.

QEL	Number of			
	Samples received	Parameters tested	Mandatory parameters tested	Rejected mandatory samples
Kochi	13429	25756	23815	195
Tuticorin	4451	6948	3853	38
Chennai	19421	22701	19196	457
Guntur	7560	12106	6871	43
Mumbai	16340	29969	26540	617
Narela	2018	3507	1933	49
Kandla	12196	24286	23942	310
Kolkata	1807	2194	2194	0
Total	**77,222**	**1,27,467**	**1,08,344**	**1,709**

Monitoring of rejections of export to various importing countries like the USA, EU, Japan, Saudi Arabia, etc., are consistently reviewed for the need for expansion of scope of mandatory inspection and testing.

B. Human Resources Development Programme

During the period, as a part of improving the technical capabilities of the laboratory personnel and updating the requirements of various quality systems adopted by the laboratory, the following National/ International training programmes/workshops were attended by the technical staff;

1) Laboratory System & Internal Audit Programme as per ISO 17025: 2017 - Online training – during 26-29 April 2021 and 05-06 August 2021.
2) One day training programme on "Uncertainty of Measurement and Decision Rule as per ISO/IEC 17025:2017". - Online on 07 September 2021.
3) Two-day training programme on "Environmental Management Systems (EMS) Internal Auditor Training Course (ISO 14001:2015)" – Online during 18-19 February 2022.

Around 200 visitors mainly graduate and post graduate students on educational tour visited QEL, Kochi during the last financial year and they were briefed on the various analyses and activities undertaken by the QEL.

C. Training Programmes

a. Training programmes conducted by QEL

1. QEL, Kolkata conducted Food Safety Trainings on Preventive Controls for Qualified Individuals in Human Food (PCQI HF) in online mode during 04-08 October 2021, 06-10 December 2021 and 31 January to 04 February 2022. Technical personnel from spice industry who are mainly exporting spices to the USA were trained under this programme.
2. QEL, Mumbai conducted training on 'Importance of Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) in Spices Industry' and 'Spices Board's Guidelines on Preventing Ethylene Oxide (ETO) Contamination in Spices Exported to the EU' during 25-26 October 2021. A total of 11 participants were trained.

b. Student internship/Academic project works

1) QEL, Kochi provided guidance and dissertation facilities to four students of post-graduation and internship facilities to three students from different colleges/ universities.
2) QEL, Tuticorin provided training on Chemical and Microbiological Testing of Spices and Spice Products to five B.Sc. (Food Nutrition and Dietetics) students.

D. ISO Systems Related Activities

1. QEL, Chennai successfully completed NABL audit for ISO/IEC: 17025:2017 in March 2021 and renewed the accreditation.
2. QEL, Mumbai successfully completed the desktop audit for ISO/IEC: 17025:2017.
3. QEL, Narela, underwent the NABL desktop audit as per ISO/IEC: 17025:2017.
4. QEL, Kochi had undergone NABL desktop audit as per ISO/IEC: 17025:2017 on 08 July 2021 and ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 on 30 - 31 July 2021.

E. Spices Board Check Samples Programme/ Participation in other Proficiency Testing Programme

1. QEL, Chennai, had successfully organized Inter-Laboratory Check Sample (ILC) programme for parameters; Aflatoxins, Sudan Dyes, Moisture, Volatile oil, Curcumin, Piperine, Capsaicin, Colour value, Extraneous matter in cumin and other seeds in cumin. The results were well within the limit of "Z" score and corrective action was taken wherever deviation was observed.

2. Under the proficiency-testing programme conducted by various international/ national agencies like FAPAS, Trilogy, LGC AXIO Proficiency Testing, ITC Analytical Services, Fare Labs Pvt. Ltd., Yontus Life Sciences Pvt. Ltd., and Aashvi PT Providers, QEL, Kochi, Tuticorin, Chennai, Narela, Guntur, Mumbai, Kandla and Kolkata participated in various physical, chemical, residual and microbiological parameters like; Moisture, Volatile Oil, Colour value, Capsaicin, Acid Insoluble Ash, Aflatoxin-B1, Aflatoxin-B2, Aflatoxin-G1, Aflatoxin-G2, Total Aflatoxin, Ochratoxin A, Sudan-I, Sudan-II, Sudan-III, Sudan-IV, Sudan Orange, Salmonella spp. and E.coli. The results were well within the limit of "Z" score and corrective action was taken wherever deviation was observed.
3. QEL Kochi successfully completed participation in proficiency testing (PT) programmes like FAPAS for Aflatoxin-B1, Aflatoxin-B2, Aflatoxin-G1, Aflatoxin-G2, Total Aflatoxin, Ochratoxin A, Sudan-I, Sudan-III, moisture, volatile oil, total ash and acid insoluble ash and ILC programme for Aflatoxin, Ochratoxin A, Profenophos, Ethion, Carbendazim, Chlorpyrifos, Cypermethrin, Carbosulfan, Cyfluthrin, Disulfoton, Malathion and various other chemical parameters like capsaicin, colour value, piperine, extraneous matter, other seeds, curcumin, etc. QEL Kochi successfully organized ILC programme for the parameter 'Dithiocarbamates'. The results were well within the limit of "Z" score.

F. Projects/Standardization Works Undertaken

1. QEL, Chennai started the analysis of Ethylene Oxide in spices.
2. QEL, Kolkata commenced testing for parameters like Sudan Dyes using LCMS/ MS, Sudan Dyes in turmeric using HPLC and Aflatoxin for the consignments to the EU using UFLC.
3. QEL, Kandla started the analysis of pesticide residues in cardamom as per the requirements of Saudi Arabia and also started the analysis of pesticide residues in cumin for export to China.
4. QEL, Kochi started providing analytical service for the testing of export consignments of spices to China. The test parameters include Disulfoton, Acephate, Profenofos, Chlorpyrifos, Carbosulfan, Cypermethrin isomers, Malathion, Carbendazim and Cyfluthrin isomers.
5. QEL, Kochi is in the process of standardization and validation of around 120 pesticides.
6. QELs started providing analytical service for the mandatory testing of Ethylene Oxide (ETO) in spices and spice products to EU countries by engaging recognized laboratories. The laboratory is in the process of upgrading the QUADMAS software for the use of recognized laboratories.

G. Strengthening of Lab's Infrastructure and Purchase of Equipment

1. LCMS/MS was installed at Chennai lab and the equipment was commissioned on 17 November 2021 to commence testing for Pesticide Residue.
2. At QEL, Kolkata installation of equipment like LCMS/MS, Nitrogen Peak Generator, Low Temperature Cabinet and High-speed Centrifuge has been completed and commenced testing for Sudan dyes.
3. QEL, Guntur has completed installation of equipment- Zero b Type 1 and Type 2 High-Quality Water Purification System.
4. QEL, Kochi purchased LCMS/MS (Waters make) and the equipment was commissioned on 16 July 2021. In addition, installation of Nitrogen Peak Generator, Cold Storage Cabinet Deep Freezer, High-speed and Refrigerated Centrifuge has been completed.

10

EXPORT ORIENTED RESEARCH

Indian Cardamom Research Institute (ICRI) undertook research programmes mainly on Crop improvement, Biotechnology, Crop production studies based on nutrient management and soil analysis, and Crop protection studies based on Integrated Pest and Disease Management in Small and Large Cardamom and adaptive trials on other spices during the reporting period. Transfer of technology was extended to farmers and targeted groups through various extension activities such as advisories, scientist-farmer interface, spice clinics, webinars, workshops, training programmes, audio and visual media and publications. ICRI developed strategies and created awareness to minimize pesticide usage in cardamom, encouraged the practice of Integrated Pest Management (IPM), Integrated Disease Management (IDM) and Integrated Nutrient Management (INM) systems as well as organic farming.

A. Crop Improvement

a) Small Cardamom

During the reporting period, unique accessions of Small Cardamom germplasm were conserved in the gene bank of ICRI farm at Myladumpara (545 nos) and Sakleshpur (264 nos). ICRI, Myladumpara has developed a new promising superior cardamom clone (accession no. 594) with desirable biotic and abiotic characters, through natural selection, genetic upgradation and evaluation. This clone is proposed for release as a variety in the cardamom tract of Kerala through Kerala State Variety Release Committee for Plantation Crops.

As part of the hybridization programme in Small Cardamom, ICRI developed two hybrids which were promising and suitable for the cardamom tracts of Idukki district. These two hybrids are developed, evaluated for four consecutive years and initiated action for submitting the variety release proposal to Kerala State Varietal Release Committee for Plantation Crops. Developed sucker nursery of each popular cultivar in the farm in order to produce quality planting material as a special programme.

b) Large Cardamom

During 2021-22, a survey was conducted in Kalimpong district of West Bengal and collected six unique accessions of Large Cardamom, which were planted in isolated areas for monitoring and observation.

B. Biotechnology

a) Small Cardamom

Molecular profiling of 50 accessions of Small Cardamom including released varieties as well as landraces was carried out. Passport data sheets of different accessions are under compilation.

b) Large Cardamom

Plant descriptor was developed for Large Cardamom based on the description of its close relative Elettaria cardamomum (IPGRI, 1994) and DUS guidelines (PPV & FRA 2009) which is vital for collection and documentation of germplasm. Developed new LCCV (Large Cardamom Chirke Virus) – specific primer for Chirke virus indexing. Developed and optimized

protocol for nucleic acid isolation from Large Cardamom for transcriptome studies.

C. Agronomy and Soil Science

a) Small Cardamom

The results of the studies on various foliar application practices generally followed by the farmers indicated that the application of water-soluble fertilizers (19:19:19 at the rate of 1%) has resulted in higher yield. Growth and yield attributes of Cardamom were significantly superior in treatment, where Nano urea was sprayed along with recommended dose of Nitrogenous fertilizer. Application of Silicon foliar spray at the rate of two (2) ml/l+ Silicon soil application at the rate of 10 g/plant along with recommended dose of fertilizers (RDF) +FYM has recorded significantly higher capsule yield as compared to other treatments. Application of Silicon foliar spray at the rate of two (2) ml/l+ Silicon soil application at the rate of 10 g/plant recorded the least incidence of leaf blight, clump rot, thrips and borer damage on capsule as well as shoot. Standardized the dose of sodium bicarbonate for application during precuring stage of cardamom processing for better colour retention.

Under collaborative research project on 'Integrating Geographical Information System (GIS) based Soil Fertility Assessment of Cardamom Tract and App based Fertilizer Recommendation for Climate Resilient Cardamom Cultivation', 1,076 soil samples were analysed for twelve parameters, totalling 12,912 parameters and the Geo Referenced Data was digitalized. Analysis of long-term climatic data of cardamom growing tracts of Idukki district revealed that the maximum temperature is increasing and minimum temperature is decreasing, thus widening the temperature range which might be harmful to the thermosensitive crops like cardamom. Fifty pesticide molecules were detected through confirmatory analysis in LCMS/MS below the MRL values, from the water samples drawn from open well, bore well and stream in cardamom growing tracts of Idukki district.

b) Large Cardamom

Concluded the experiment 'Production Potential of Large Cardamom under Diverse Organic Management Practices in Meghalaya' at ICAR Barapani. Foliar application of Borax at the rate of 0.5% along with soil application of Borax at the rate of 2.5 kg/ha recorded highest dry yield (515.78 kg/ha) with a benefit-cost ratio of 2.40. Significantly higher soil moisture content (21.01%) was recorded in surface mulching treatment. Highest dry yield (552.33 kg/ha) was obtained in treatment 'trench across the slope duly filled with biomass' with the highest benefit-cost ratio of 3.14.

D. Plant Pathology

a) Small Cardamom

A study was undertaken for removal of pesticide from cured cardamom through the application of ozone. The result found that ozone could remove the residue of Acetamiprid (46.15%), Imidacloprid (82.25 %), Mancozeb (86.69 %), and Metalaxyl (94.44%). The surface sterilant, Hydrogen peroxide was tested in different concentrations (0.5%, 1% and 1.5%) against major pathogens of Small Cardamom and biocontrol agents (Trichoderma and Pseudomonas) under laboratory conditions. It is proved that the growth of pathogens and biocontrol agents are totally inhibited in all the concentration tested. Two endophytic bacteria were isolated from rhizome and root of Small Cardamom which showed 82 per cent and 66 per cent inhibition of mycelial growth of the pathogen Fusarium oxysporum and are identified as Pseudomonas and Bacillus sp. respectively. Four fungicides were evaluated in a field trial for the control of leaf blight disease of cardamom. The least incidence of leaf blight was with Tebuconazole followed by Hexaconazole.

b) Large Cardamom

Detailed investigation on 'Furled Leaf' disease was undertaken. Among various cultivars, Sermna cultivar recorded highest incidence and Dzongu Golsey recorded the least incidence. Incidence of furled leaf disease was noticed in all the cultivars in farm and farmers' field. Disease surveillance was carried out in ICRI farms and in farmers' field. High incidence of blight (40%) was noticed in hail stone affected plants in farm.

E. Entomology

a) Small Cardamom

Screened fifteen Small Cardamom cultivars/ farmers' varieties in pesticide unsprayed field condition against major insect pest viz., thrips and borer. Among the cultivars screened, MCC 260 recorded highest pest infestation. The thrips damage on capsules, panicles and leaf sheaths were more than 80-90 per cent in majority of the locations in Idukki region, due to indiscriminate application of spurious and combination of synthetic pyrethroids with organophosphorus (OP) group insecticides by the majority of farmers and the climate change effects also induced more thrips damage on capsules & panicles.

b) Large Cardamom

Observations were recorded on the damage intensity by capsule borer in Kabi and Pangthang research farms and a few places under identification of hot spot areas of the pest. It was observed that incidence has increased compared to previous years in both the farms. Six nematode species viz., Helicotylecchus spp., Hoplolaimus sp., Tylenchorhynchus annulatus, Pratylenchus sp., Meloidogyne incognita and Criconematids with different level of nematode count were identified in soil samples collected from Large Cardamom plantations and also isolated two species associated with the root of Large Cardamom. Incidence of storage pest 'Almond moth' in Large Cardamom Godowns was reported for the first time. The pest was identified with the help of ICAR – Central Institute of Post-harvest Engineering & Technology (CIPHET), Ludhiana, Punjab.

F. Transfer of Technology

a) Small Cardamom

1. Short term training programmes

Four exposure visits were organised by ICRI for the students of various institutes and 167 students benefitted through these exposure visits.

2. Bio-agent Production

Liquid formulation of Pseudomonas fluorescens (1233 litres) and Trichoderma harzianum (988 liters) were produced and supplied to the farmers for management of rot disease in cardamom from ICRI, Myladumpara. Mass multiplied and supplied 80, 770 EPN Cadavers for the sustainable management of root grub in Small Cardamom. Trichoderma harzianum (Liquid) 190 L, Trichoderma harzianum (coffee husk) - 237 kg and Pseudomonas fluorescence (Liquid) 253 litres were produced and supplied from Regional Research Station (RRS), Sakleshpur.

3. Webinars and Spice Clinics

Eighteen webinars were conducted by Indian Cardamom Research Institute, Myladumpara and 1374 farmers attended these programmes. Three mobile spice clinic programmes were also conducted and 65 farmers benefitted from the programme through diagnostic field visits and farm advisory services.

4. Advisory soil testing service and quality planting materials production

ICRI, Myladumpara produced quality planting materials of black pepper (rooted polybags -8494 nos) and cardamom suckers (26837) and were supplied to the spice farmers. Cardamom primary seedlings (3850), Cardamom secondary seedlings (6432), Black pepper (rooted cuttings) (1983) and Cardamom improved seedlings (2472) were supplied to the spice farmers by ICRI, RRS, Sakleshpur, for Karnataka region.

Twenty Thousand Eight Hundred and Eight (20,808) soil fertility parameters covering primary, secondary and micronutrients were tested for 1734 soil samples from Cardamom Hill Reserve of Idukki district in Kerala, and Tamil Nadu and fertilizer recommendations were given free of cost.

b) Large Cardamom

Conducted 19 spice clinics covering various aspects of Large Cardamom cultivation in the four districts of Sikkim as well as Darjeeling and Kalimpong district of West Bengal. Sixteen Dellmark Multipurpose Electrical dryers were distributed among the Scheduled Caste farmers of Sikkim under Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) with financial assistance from AICRPS for quality improvement of spices processing .

G. General

a. ICRI has organized Plantation Crop Symposium (PLACROSYM XXIV) from 14-16 December 2021 at Bolgatty Palace, Kochi. Around 270 scientists from various research Institutes and State Agriculture Universities participated and presented 243 research articles in the Symposium. Best Original Research Paper Award 2021 was presented to M. A. Ansar Ali, K. Dhanapal and A. B. Rema Shree for their article entitled 'Prospects of Cultivation of Saffron, Chillies and Kala Zeera in J&K Union Territory : A Case Study' by the Indian Society for Plantation Crops (ISPC) during PLACROSYM XXIV. Scientists of ICRI presented 50 research papers at the PLACROSYM XXIV.

b. The following books were published during the year:

i. Cultivation Practices for Small Cardamom (Released during PLACROSYM XXIV) .

ii. Book of Abstract titled 'Coping with the Pandemic and Beyond: Research and Innovation in the Plantation Crop Sector' (Released during PLACROSYM XXIV).

iii. Souvenir : PLACROSYM XXIV (Released during PLACROSYM XXIV).

ICRI RRS, Gangtok released a pamphlet on "Blight Disease of Large Cardamom and its Management" in English and Nepali languages for the benefit of farmers.

H. Externally Funded and Collaborative Projects

ICRI has executed the following projects during the reporting period.

a. All India Coordinated Research Project on Spices- ICAR, New Delhi: ICRI, Myladumpara; ICRI RRS, Sakleshpur and ICRI, RRS, Gangtok are recognized co-opting centres of AICRPS.

b. Under the collaborative project entitled 'Integrating GIS based soil fertility assessment of cardamom tract' and 'App based fertiliser recommendation for climate resilient cardamom cultivation', One Thousand and Thirty-One soil samples were collected with geographic locations and fertility parameters were tabulated during the reporting period. The analytical data of Kanthipara, Udumbanchola and Chathurangapara villages were tabulated for onward transmission to the

Rubber Research Institute of India (RRII) (collaborating Institute) for soil fertility mapping and GIS analysis.

c. Project entitled 'Environmental impact assessment of pesticides in cardamom cultivating areas of Idukki district' was concluded in March 2022. This project was funded by the Directorate of Ground Water, Department of Ground Water, Government of Kerala. Around 337 water samples drawn from water bodies in Cardamom Hill Reserve (CHR) were analyzed for Organo chlorine, Organo phosphorus and Carbamate group of pesticides during 2021-22.

d. A project titled 'Establishing a comprehensive Surveillance System for Cardamom Hill Reserve by strengthening Quality Testing Laboratory of Indian Cardamom Research Institute, Myladumpara' was sanctioned by the State Horticulture Mission, Government of Kerala at a total cost of ₹ 194.00 lakh for the year 2021-22 and process started for procurement of important equipment like GCMS/MS, Flash Chromatography, Nitrogen Evaporator and Water Purification systems under the project.

e. The new molecules of fungicides Flupicolide 4.44 % + Fosetyl- Al 66.67% WG were evaluated against capsule rot and rhizome rot diseases in Small Cardamom. It is found that spraying and drenching of this fungicide at the rate of 0.2% highly reduced the incidence of rot diseases in cardamom. This paid up trial is funded by M/s Bayer Crop Science Ltd.

f. Evaluated new molecule, Acephate 95% SG (Hunk) in five different agro climatic locations in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. The spraying of Acephate (Hunk) 95% SG at 1000g/ha is found to be effective against major insect pests viz., thrips and shoot borer in Small Cardamom. This paid up trial is funded by Rallis India and completed on March 2022.

11

INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRONIC DATA PROCESSING

The activities of Spices Board have changed significantly with the leverage of information technology. Many manual operations are replaced with online systems which effectively reduce the workload of various departments of the Board and reduce the turnaround time for their operations. Electronic Data Processing (EDP) department facilitates the use of information technology in various departments of the Board by working along with them. In effect, this makes the whole system faster and more productive and enables the Board to perform more efficiently.

A. Main Activities of EDP Department

a. Advising, guiding and assisting various departments and offices of the Board for effective use of information technology.

b. Help desk management for existing applications, messaging solutions, internet and website maintenance.

c. Administration of organization wide IT resources namely hardware, software, databases, networking and peripheral equipment.

d. Formulate strategies for technology acquisition, integration, and implementation.

e. Upgradation of IT infrastructure.

f. Defining and implementing systems and procedures for the smooth functioning of IT equipment and software.

g. Data processing.

h. Identify the need for new systems (or modifications to existing systems) and respond to requests from users.

i. Design, development, documentation, testing, implementation and maintenance of Information Systems and application softwares.

j. Maintenance and update of the Board's websites indianspices.com, spicesboard.in, indianspices.org.in, worldspicecongress.com and ccsch.in.

k. Formulate and conduct computer training programmes.

B. Major Achievements during 2021-22

a. Implemented Cloud based e-Auction System which facilitates conducting e-auction simultaneously at the e-auction centres of Spices Board at Spices Park Puttady, Idukki, Kerala and Bodinayakanur, Tamil Nadu. New system helps to bring higher competence and transparency to the cardamom trading.

b. Virtual Office was created and added into the website "indianspices.com" for the convenience of exporters and farmers to ask/raise queries with Spices Board.

c. Feature upgradation of CRES application for the exporters to submit application online and make online payment for any

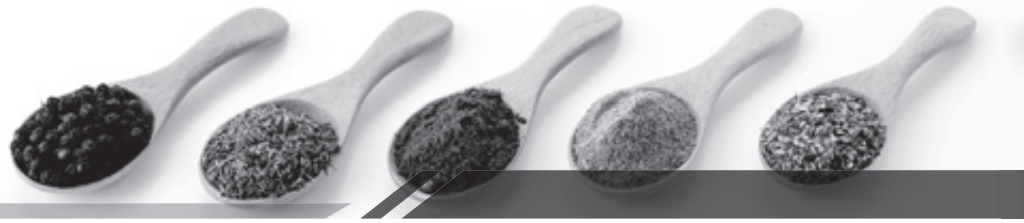

amendment in their CRES license issued by Spices Board and process it online.

d. Export Support System software application was upgraded to include following new features;

   i. Submission of exporter return

   ii. Sample Drawn Certificate (SDC)

   iii. Health Certificate for UK

   iv. ETO parameter testing and generating Health certificate for ETO

e. Analytical report generated from QUADMAS software is modified and included digital signature and QR code. Now the digitally signed analytical report is available in cloud server which avoids the need of printing of reports and the report can now be verified online.

f. Enhanced public website indianspices.com

g. Upgraded major software applications used by public and internal departments.

12

IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) was enacted by the Parliament and the assent of the President was obtained on 15 June, 2005. The objective of the Act is to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The citizens can have access to the information of the Board under the provisions of the Right to Information Act, except certain information as notified under Section 8 of the Act and can obtain the information about the Board on payment of a prescribed fees.

The Board has effectively implemented the RTI Act, 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard. The Board has designated the Deputy Director (Audit & Vigilance) as the Co-ordinating Central Public Information Officer for coordinating the dissemination of information by CPIOs. An Assistant Co-ordinating Central Public Information Officer in Head Office (HO) has also been nominated. Seven Central Public Information Officers (CPIOs) in Head Office and one Central Public Information Officer (CPIO) in the Research Station at Myladumpara, Idukki were also been designated under Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005 to disseminate information under Right to Information Act, 2005. The Director (Research) is nominated as the Appellate Authority of the Board to hear appeals under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 and the Deputy Director (A&V), Spices Board is nominated as the Nodal Officer for ensuring compliance with the proactive disclosure guidelines of the RTI Act, 2005. The Deputy Director (EDP), has been designated as the 'Transparency Officer' of the Board to oversee the implementation of obligations under Section 4 of the RTI Act. The Board has disclosed every information required to be disclosed suo motu in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act 2005] through the Board's official website. During 2021-22, a total of 66 RTI applications were received through the online portal and physically. Thirteen appeals were also received under the RTI Act and information disseminated to all the cases within the stipulated time. No CIC hearing was held during this period. An amount of ₹ 100/- was received as RTI registration fee. The quarterly RTI returns (1st quarter to 4th quarter) were updated in the Central Information Commission's website as scheduled.

WAY FORWARD

With increased awareness on health and wellness, the global spice sector is in the path of resurgence, augmented by the changing customer preferences for more natural products and ingredients in food. This gives a lot of opportunities for India, as we are the world's largest producer, consumer, and exporter of spices. Spices have been in use as flavouring and colouring agents, and preservatives beyond recorded history. However, increased interest on the use of spices and their active ingredients as possible ameliorative or preventive agents for health disorders coupled with the enhanced industrial applications of spices for high-end value-added products has led to the dawn of many possible avenues for the spice industry, especially in the nutraceutical and dietary supplements sectors as well as for spice oils, oleoresins and other novel products.

The new developments in the global spices sector necessitate upskilling and equipping the Indian industry to align itself with the changing global requirements.

The food regulations of importing countries have kept pace with the increased global awareness on food safety and quality, and there is a general trend of food safety regulations becoming increasingly stringent. For spices, new regulatory requirements are emerging on a regular basis worldwide, and one of the biggest challenges that Indian spice sector will face in the coming years will be to sustain the production of an exportable surplus of major spices that conform to these regulations.

This issue must be addressed at two levels. First, there should be creation of awareness and capacity building at the level of spice producers. Secondly, Indian spice exports should pass through a robust export consignment monitoring system updated with latest worldwide regulatory requirements. Spices Board is actively engaged in addressing both these aspects in the spice production and export centres across India.

The key areas of future intervention will be:

- Upgrading/ customising the processing and manufacturing capabilities and infrastructure to tap the opportunities arising out of shifting composition of spices and spice products demanded by the buyers and consumers.
- Development of novel production systems with suitable technologies and strategies that are in tune with the quality requirements of the buyers to address the concerns in quality as well as competition from other suppliers.
- Streamlining and efficient management of the supply chain to ensure high food safety standards and ensuring traceability and sustainability.
- Empowering the farmers and manufacturers with the most sophisticated technologies and up to date information to raise the standards of quality and food safety while production and processing.
- Increased research and investment in the nutraceutical/ pharmaceutical / dietary supplements sector with the aim of identification, documentation, product development and marketing of the health and wellness properties of spices.

- Regular awareness creation programmes and capacity building projects at the spice production sector aimed at promoting the production of spices that conform to global food safety and quality regulations.
- Upgrading the Board's Quality Evaluation Laboratories (QELs) as centres of excellence in spice quality and safety, with latest instrumentation and infrastructure as well as trained manpower, to ensure that the QELs can meet modern regulatory requirements in food analysis.
- Maintaining a comprehensive and updated monitoring system for quality and safety requirements across all major export centres across India, comprising of Spices Board's QELs as well as empanelled and accredited third-party laboratories, to ensure the regulatory compliance of Indian spice export consignments.
- Market and Product Development: Strengthening the presence of Indian spices in the existing markets through development of new products and penetrating to non-traditional markets.
- Brand Promotion: Focussed interventions for promoting the brand 'Indian spices', for its intrinsic properties and quality & safety compliance.
- Proactive interventions with the regulatory bodies and trade support institutions in the major spice producing and consuming countries, for steering policy interventions aimed at sustainable development of the sector.

Spices Board is committed to move ahead with well advised programmes envisaged under its centrally assisted scheme as well as collaborative efforts with national and international agencies, to fulfil Indian spice industry's vision to become the international processing hub and premier supplier of clean, safe, and value-added spices and spice products to the global markets.

Appendix-1

Reply for the Separate Audit Report of Annual Accounts of the Spices Board for the year ended 31st March 2022.

Paras in Statutory Audit Report 2021-22		Reply/Action proposed
A	**Balance Sheet as at 31.03.2022**	
1	**Liabilities**	
1.1	**Earmarked/Endowment Funds (Schedule 3): Rs.285.26 crore**	
	The Earmarked/Endowment Fund is overstated by Rs.40.53 crore due to the following: a)Non-reduction of Earmarked/ Endowment Funds by the equivalent amount of annual depreciation charged on the Assets created out of these funds and non-recognizing the same as income in each year resulted in overstatement of Earmarked Funds with corresponding understatement of Prior Period Income by Rs.33.49 crore	a) Audit para pertains to accounts for the earlier period i.e., from 2010-11 to 2020-21. As observed by the audit, AS-12 should have been followed while depreciating assets created out of grant. The figure shown in the audit observation is accumulated depreciation figure booked over the period 2010-11 to 2021-22. Lump sum reversal of the total amount in a particular year will adversely affect the accounts of that particular year. Since it involves modification of Accounts for the past 10 years, the Board will explore the possibility of engaging experts for necessary modification as suggested by Audit.
	b)Non deduction of expenses incurred for the up-keep and maintenances of Quality Evaluation Labs and Spices Parks for the current year from the Earmarked/ Endowment Funds created for the purpose resulted in overstatement of the Earmarked Fund by Rs.7.04 crore with corresponding overstatement of expenses.	b) The Board has established 8 Quality Evaluation Laboratories and Spices Parks throughout the country to provide common processing facilities for the use of stakeholders. Since the Board is mandated to regulate quality of spices for exports, Board's 8 QELs have to be upgraded and up-dated so as to deliver analytical services meeting international standards and requirements. For the upgradation and up-kee of all the QELs as well as the Spices Parks, Board has been incurring expenditure from the approved budget of the Board every year and also earmarking funds to meet the anticipated expenditures. The Board will take steps to charge the major expenses to purchase hi-tech equipment and machinery that are expected in coming years, and will start utilizing the earmarked fund for the same. The Board expect a huge capital expenditure for refurbishment of equipment in Labs. This procedure is unavoidable to sustain in the industry. Hence, we are earmarking funds for the same and the same will be used starting from this year.

2	**Assets**	
2.1	**Fixed assets less Depreciation (Schedule 8):Rs.179.50 crore**	
2.1.1	The Board capitalised in Fixed Assets an amount of Rs.1.74 crore for Lab Equipment while making Fixed Deposits in bank for opening Letter of Credit for import of Lab Equipment. However, the Lab Equipment were neither received nor the payment made for the same as on 31 March 2022. This resulted in overstatement of Fixed Assets and understatement of Current Assets-Deposits with scheduled banks by Rs.1.74 crore.	The Board used to open LC as a guarantee against the import of lab equipment and spares for the Quality Evaluation Labs set up at various locations of the Board. The Letter of Credit was backed up by 100% FD. It may please be noted that, in all the cases payments are not made at a time. The payments will be given from the LC amount as installments as per the terms and conditions. Since, the purchase of equipment already committed by the Board during the Financial Year 2021-22 the same has to be reflected in our accounts. If it treated as FD, the expenditure as per the Books of Accounts will not be in accordance with the UC provided for the full utilization of grants received. The Board used to show the LC opened for purchase of Lab Equipment as expenditure so as to show the amount is already committed and to avoid the unutilized balance in the R&P account as per the Board's system, creation of FD is made by creating a transfer entry from bank book in the system to FD book on the system. In such case the expenditure will not be updated. Hence, if the LC is treated as FD the expenditure will not be updated and the same amount will be remained as unutilized. LC was opened for Rs.1.74 crore out of which Rs.0.97 crore relating to Externally Funded Project for the procurement of GCMS-MS for ICRI Myladumpara. This is disclosed in Notes to Accounts. Remaining Rs.0.77 crore relating to procurement of Lab Equipment to QEL. As an extra disclosure, we have incorporated both LCs in our Notes on Accounts.
2.2	**Current Assets, Loans, Advances, etc. (schedule 11):Rs.225.22 crore**	
2.2.1	The above is overstated by Rs.2.27 crore due to non-provisioning for the advances/ receivables outstanding for more than five years without any confirmation of balances. The Board is not aware from whom the amounts are receivable. Hence, realization of these receivables is doubtful and provision for the same should have been made. Non-	Audit para pertains to earlier period. Board is in the process of engaging qualified personnel to take up the reconciliation work of these balances pertaining to the period mentioned in the audit query.

		Out of the total value of Rs. 348.72 crore the Board has already provided Rs.251.00 crore till 31 March 2022 towards provision. As this is an extreme hypothical eventuality, if we provide the total amount in a single financial year the impact of excess expenditure over income will be so high compared to the grant received from the Ministry. The impact of the same is also disclosed in the Note on Accounts. The Board will also apportion the remaining amount of Rs.97.72 crore equally over a period of time.
C	**General**	
	As per Note No. 3 - Earmarked fund for Spices Board Employees Pension Fund, Board transferred an amount of Rs. 10 crore to the Earmarked Fund- Pension Liabilities from income received from Analytical Charges. Similar amounts have been transferred during previous years also. The total amount in the Fixed Deposits invested out of Pension Fund was Rs. 101.26 crore as on 31 March 2022. However, the annual pension liabilities of the Board are not met from the earmarked fund created for the purpose and the same is expensed from the general Grant-in-Aid received during the Year from Government of India.	The Board has conducted Actuarial valuation of Board's Pensionary Liabilities as on 31 March 2021. As per the Actuarial valuation report, Board's Pension liability comes to Rs.319.07 crores. The funds earmarked for meeting pension liability as on 31 March 2022 is only Rs.101.26 crores, which is much below the actual liability. Hence, current expenses are met from general fund for the time being till the fund is generated fully.
Annexure - I		
a	**Adequacy of Internal Audit System**	
	The Internal Audit Department conducted audit of only 6 offices during 2021-22 out of the 83 branch offices of the Board. Internal Audit of the Head Office was not conducted during 2021-22.	The Audit and Vigilance is having only one Post, Deputy Director (Audit and Vigilance), and to assist the Deputy Director a Personal Assistant has been posted from other departments. Once the RR is approved and after recruitment, sufficient staff will be posted in the Audit and vigilance. Now with just 2 staffs in A&V conducting audit of all the 83 office is difficult. It is pertinent to mention that in 2020-21, 10 offices were audited and this year six offices were audited i.e., nearly 20% of the offices in two years. Moreover, IPAI has been entrusted to conduct the audit because of shortage of manpower in the Board and by the next audit most of the Board's office would be audited.

<table>
<tr><td>b</td><td colspan="2">Adequacy of Internal Control</td></tr>
<tr><td></td><td>The Board did not enter into Memorandum of Understanding with the Administrative Ministry as per Rule 229(xi) of General Financial Rule of 2017.</td><td>The details of approved scheme budget of the Board and the fund released during the MTF plan period is given below.
<table><tr><th>Year Approved</th><th>Budget (Rs.)</th><th>Fund Released (Rs.)</th></tr><tr><td>2017-18</td><td>172.25</td><td>97.01</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>151.00</td><td>90.93</td></tr><tr><td>2019-20</td><td>168.53</td><td>105.00</td></tr><tr><td>2020-21</td><td>120.00</td><td>100.65</td></tr><tr><td>2021-22</td><td>115.50</td><td>115.50</td></tr></table>Since there is huge difference in the approved budget and actual fund released each year, executing an MoU with the approved budget allocation may not be realistic. In view of this, the Administrative Ministry of the Board had not insisted for an MoU during the MTF plan period. Hence, the Board has not executed the MoU with the Ministry during the above period.</td></tr>
<tr><td>c</td><td colspan="2">System of physical verification of Assets and Inventories</td></tr>
<tr><td></td><td>The Board carried out annual physical verification of Fixed Assets and Inventory in 25 out of 83 units under its jurisdiction during the year 2021-22. Physical verification of Fixed Assets and Inventories of Head Office was not conducted during 2021-22.</td><td>Physical verification has been conducted by all the offices as on 31 March 2022 and the officers are signing the asset register. Apart from the physical verification, all the offices have been requested to prepare the list of unusable assets for proper disposal as per the Government guidelines. The IPAI is entrusted to audit all the offices. The Physical verification by IPAI of all the assets will be made available in the consequent audit.</td></tr>
<tr><td>d</td><td colspan="2">Regularity in payment of statutory dues</td></tr>
<tr><td></td><td>The Board is regular in payment of statutory dues.</td><td></td></tr>
</table>

flavourit™

EXOTIC INDIAN SPICES

Promoting Heritage, Hygiene & Health

Spices India

FLAVOURFULLY YOURS

Now open at:

Spices India
Lulu Mall, Edapally,
Kochi-682 024, Kerala
Tel: 0484-4073489